लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 26 जुलाई, 1991 / 4 श्रावण, 1913 (शक)

का

**शुद्धि - पत्र**

| पृष्ठ | पंक्ति | शुद्धि |
| --- | --- | --- |
| 11 | नीचे से पंक्ति3और5 | "अध्क्षा" के स्थान पर "अध्यक्षा" पढ़िये। |
| 22 | 9 | "श्री चन्द्रजित यादव" के स्थान पर "श्री चन्द्रजीत यादव" पढ़िये। |
| 119 | 10 | (ख) और (च) के स्थान पर (ख) से (च) पढ़िये। |
| 120 | 10 | "जल भूतल परिवहन मंत्री" के स्थान पर "जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री" पढ़िये। |
| 131 | 15 | "श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाट्ट" के स्थान पर "श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे" पढ़िये। |
| 146 | 10 | प्रश्न संख्या "749" के स्थान पर "759" पढ़िये। |
| (174 | (9 | "श्री के.वी.तंगाबालू" के स्थान पर "श्री के.वी. |
| (175 | (17 | तंग्काबालू" पढ़िये। |
| 178 | 19 | "श्री के. राममूर्ति टिण्डिवणम" के स्थान पर "श्री के.राममूर्ति टिंडिवनाम" पढ़िये। |
| 217 | नीचे से पंक्ति 3 | "श्री शयद शाहबुद्दीन" के स्थान पर "श्री सैयद शाहबुद्दीन" पढ़िये। |

# विषय सूची

दशम माला, खंड 2, पहला सत्र 1991/1913 (शक)

अंक 13, शुक्रवार, 26 जुलाई, 1991/4 श्रावण, 1913 (शक)


| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **निधन सम्बन्धी उल्लेख** | | 1 |
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | | 2-22 |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : | 163, 164, 166, 167, 171 और 172 | |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | | 22–171 |
| तारांकित प्रश्न संख्या : | 165, 168 से 170 और 173 से 182 | 22–33 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : | 640 से 722 और 724 से 780 | 34–171 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | | 189–199 |
| **मंत्री द्वारा वक्तव्य** | | 199–213 |
| कोयले का उत्पादन करने वाली कतिपय राज्य सरकारों द्वारा कोयले पर रायल्टी की दरों में वृद्धि के लिए किए गए अनुरोध के बारे में श्री पी० ए० संगमा | | |
| **लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति** | | 214–215 |
| समिति के गठन के बारे में प्रस्ताव—**स्वीकृत** | | |
| **नियम 377 के अधीन मामले** | | 216–219 |
| (एक) गंग नहर की सम्पर्क नहर के उस भाग का जो हरियाणा के अधिकार क्षेत्र में आता है, निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकार को निदेश दिए जाने की आवश्यकता श्री बीरबल | | 216 |


*किसी सदस्य के नाम पर अंकित * चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी सदस्य ने पूछा था।

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| (दो) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर और अधिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता<br>श्री ए० चार्ल्स | 216 |
| (तीन) आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के तटीय क्षेत्रों में वनों की कटाई रोके जाने की आवश्यकता<br>डा० विश्वनाथम केनिथी | 217 |
| (चार) नेपाल की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में अराजक तत्वों की बढ़ती हुई गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता<br>श्री राम नगीना मिश्र | 217 |
| (पांच) पूर्णिया, बिहार में एक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता<br>श्री सैयद शाहबुद्दीन | 217–218 |
| (छः) उड़ीसा और मध्य प्रदेश के लिए हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के विपणन प्रभाग के माध्यम से उर्वरकों का पर्याप्त कोटा आबंटित किए जाने की आवश्यकता<br>श्री शिवाजी पटनायक | 218–219 |
| (सात) उत्तर प्रदेश में झांसी के किले और रानी झांसी के महल के संरक्षण और सौन्दर्यकरण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता<br>श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री | 219 |
| **सभापति द्वारा घोषणा** | 223 & 256 |
| (एक) गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का अंतरण | 223 |
| (दो) सभा की बैठक का रद्द किया जाना | 256 |
| **15 अगस्त, 1947 की स्थिति के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों तथा पूजा स्थलों की यथापूर्व स्थिति बनाए रखने हेतु उपाय किए जाने के बारे में संकल्प**<br>श्री सुदर्शन राय चौधरी | 224–255<br>224–225 |

| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| | महन्त अवैद्य नाथ | 226–229 |
| | श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही | 229–234 |
| | श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव | 234–240 |
| | श्री मोहन विष्णु रावले | 242–245 |
| | श्रीमती विजयाराजे सिंधिया | 245–249 |
| | श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य | 249–254 |
| | श्री शरद दिघे | 254–255 |
| सभा का कार्य | | 256–258 |
| आधे घंटे की चर्चा | | 258–268 |
| आयात और निर्यात के महानियंत्रक (सी०सी०आई० और ई०) को शक्तियों का प्रत्यायोजन | | |
| | डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय | 258–263 |
| | श्री सन्तोष कुमार गंगवार | 264 |
| | श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे | 264 |
| | प्रो० प्रेम धूमल | 265 |
| | श्री ई० अहमद | 265 |
| | श्री पी० चिदम्बरम | 265–268 |

# लोक सभा

शुक्रवार, 26 जुलाई, 1991/4 श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

## निधन सम्बन्धी उल्लेख

(अनुवाद)

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को हमारे एक पूर्व सहयोगी श्री कडियाला गोपाल राव की दुखद मृत्यु की सूचना देनी है।

श्री कडियाला गोपाल राव 1952-57 तक प्रथम लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने तत्कालीन मद्रास राज्य के गुडिवाडा निर्वाचन क्षेत्र को प्रतिनिधित्व किया।

वह एक निष्ठावान राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने महिलाओं के सामाजिक उत्थान के आन्दोलन में भाग लिया और उनको अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए राजनीतिक कलाएं आयोजित की।

विभिन्न पदों पर रहते हुए वे किसानों के कल्याण सम्बन्धी विभिन्न संगठनों से जुड़े रहे। श्री राव का 2 जुलाई, 1991 को 79 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया।

इस मित्र की मृत्यु से हमें हार्दिक दुख है और मुझे विश्वास है कि सदन भी मेरे साथ शोकग्रस्त परिवार को संवेदना प्रकट करेगा।

अब सदस्यगण मृतक आत्मा की शांति के लिए थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

**तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।**

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी:** डा० वी० के० आर० वी० राव के निधन के सम्बन्ध की निधन सम्बन्धी उल्लेख का क्या हुआ?

**अध्यक्ष महोदय:** हम उस की पुष्टि कर रहे हैं और प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं।

**प्रश्न संख्या 163**

# प्रश्नों के मौखिक उत्तर

## कोंकण रेलवे परियोजना के प्राधिकारियों द्वारा बांड जारी करना

*163. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेलवे परियोजना के प्राधिकारियों ने बांड जारी करने की अनुमति मांगी है:

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी अनुमति इस बीच दे दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए सरकार का विचार संसाधन किस प्रकार जुटाने का है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)**: (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोंकण रेलवे परियोजना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 9 प्रतिशत कर-मुक्तबांडों के जरिए 150 करोड़ रुपए जुटाने के लिए भारतीय रेल वित्त निगम को पहले ही अनुमति दे दी गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन**: श्रीमान, मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमारी विकास प्रक्रिया की एक बड़ी कमी क्षेत्रीय असंतुलन है। इसका एक ग्रस्त क्षेत्र मुंबई से मंगलौर तक का समुद्री तट है। क्योंकि ब्रिटिश शासकों के लिए यह लाभ-दायक नहीं था, अतः उन्होंने आरंभ से ही भारतीय रेलवे प्रणाली का यहां तक विस्तार नहीं किया। यहां सेना का भावागमन नहीं था। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने इस रेल खंड के निर्माण की जोरदार मांग की थी और श्री टी० ए० पाई ने इस दिशा में शुरुआत की। लेकिन मैं अपने सहयोगी श्री जार्ज फर्नान्डीज और श्री मधु दंडवते को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसे मूर्तरूप दिया। इस निगम का एक बेजोड़ ढांचा है।

**श्री रामेश्वर ठाकुर**: राज्य सरकार ने भी सहायता दी है।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन**: निश्चय ही। माननीय रक्षा मंत्री और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इस बारे में तत्काल मुगतान भी किया है। इसका निगम के रूप में गठन इसलिए किया गया कि लाल फीताशाही को खत्म किया जा सके और वित्त मंत्रालय की अड़चनों को कम किया जा सके, जिसके बारे में माननीय वित्त मंत्री को जानकारी है; इसमें कुल 43 करोड़ रुपए की कुल पूंजी के निवेश की सम्भावना है। अब संशोधित अनुमान 100 करोड़ रुपए का है। निगमित योजना के अन्तर्गत एक तारीख निर्धारित की गई थी, अर्थात् इसे अक्तूबर, 1994 में पूरा हो जाना चाहिए। इस परियोजना में वर्तमान रक्षा मंत्री ने काफी दिलचस्पी ली थी। इन सब बातों के बावजूद, मैं पाता हूँ कि अभी भी इस सम्बन्ध में अड़चनें हैं। निगम ने पहले वर्ष 250 करोड़ रुपए की मांग की थी। उत्तर के भाग (ख) में कहा गया है कि :

"चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोंकण रेलवे परियोजना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 9 प्रतिशत कर मुक्त बांडों के जरिए 150 करोड़ रुपए जुटाने के लिए ....." यह राशि 100 करोड़ रुपए कम है। वास्तव में इसे 400 करोड़ रुपए के आसपास होना चाहिए। मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि यह निर्णय कब लिया गया, निगम की इसकी सूचना कब दी गई और मांग से 100 करोड़ रुपए यह राशि कम कैसे हो गई।

**श्री रामेश्वर ठाकुर**: वास्तव में मूल लागत 1,043 करोड़ रुपए थी। यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं कि रेलवे ही नहीं राज्य सरकारें भी इसमें शामिल हैं। अन्य सहयोगी हैं केरल, कर्नाटक और गोवा की राज्य सरकारें, प्रतिशत की दर निर्धारित है। रेलवे को 250 करोड़ रुपए अर्थात् 51 प्रतिशत पूंजी देनी है। महाराष्ट्र को 22 प्रतिशत, कर्नाटक को 15 प्रतिशत केरल और गोवा को 6.6 प्रतिशत। हाल ही में इसमें संशोधन किया गया है, जैसा कि श्री उन्नीकृष्णन ने कहा है कि यह राशि 1,200 करोड़ रुपए नहीं है। इसे संशोधित करके 1,200 करोड़ रुपए किया गया है। इसके अलावा इसमें बांड पर देय ब्याज राशि समेत 1,400 करोड़ रुपए है। अतः अब संशोधित अनुमान 1400 करोड़ रुपए है, जिसमें से वर्तमान वर्ष की आवश्यकता जून, 92 तक 250 करोड़ रुपए है। जिसमें से 150 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं और इसके अनुसार 150 करोड़ रुपए के बांड की अनुमति दी जा चुकी है। निगम की आवश्यकता के अनुसार मार्च तक के खर्चे के लिए यह राशि पर्याप्त है।

**श्री जार्ज फर्नान्डीज**: उन्होंने प्रश्न के एक भाग का उत्तर नहीं दिया है। यह निर्णय कब लिया गया ?

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन**: रेलवे को इसकी सूचना कब दी गई थी ? इसी सत्र में रेल मंत्री ने हमें उत्तर दिया था कि आपने इस दिशा में कुछ नहीं किया है। रेलवे को इसकी सूचना कब दी गई थी ?

**श्री रामेश्वर ठाकुर**: 22 जुलाई को 1 अप्रैल से जून, 92 तक 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं और मार्च 1992 के लिए 150 करोड़ रखे गए हैं, जिसकी अनुमति पहले ही दे दी गई है।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन**: आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। रेलवे को इसकी सूचना कब दी गई ? पिछले सप्ताह, रेल मंत्री ने सदन में कहा था कि ऐसा किया जाना, अभी शेष है। आपने इसकी सूचना कब दी ? प्रश्न यह है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें।

**श्री ए० चार्ल्स**: यह आधिकारिक उत्तर है।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन**: आधिकारिक उत्तर से आपका क्या अर्थ है ? मुझे प्रक्रिया न सिखाएं। (व्यवधान):

**अध्यक्ष महोदय**: अगर आपके पास यह जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है, तो आप लिखकर उत्तर दे सकते हैं।

**श्री रामेश्वर ठाकुर** : जैसा कि मैंने कहा, यह 22 जुलाई है।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : श्रीमान, वह मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वह "अश्वत्थामा हतो हत:" की तरह से बोल रहे हैं। **(व्यवधान)**

**एक माननीय सदस्य** : इसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है ? कहिए "भाग्यवश" **(व्यवधान)**

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : वह पूरी सच्चाई नहीं कहना चाहते हैं। मेरा आरोप यह है कि, उनके उत्तर से भी यह सिद्ध हो जाता है कि कहीं न कहीं जल्दबाजी हुई है। उदाहरण के तौर पर, पूरी प्रक्रिया में सुरंग बनाने के लिए, वेल्डिंग किए जाने के लिए आयात किये जाने वाले उपकरणों के लिए, आवश्यक विदेशी-मुद्रा नहीं जारी की जा रही है। इस निगम को यह एक मुख्य कार्य सौंपा गया है और कुछ विशिष्ट निर्माण कार्य किए जाने हैं। उन्होंने विदेशी मुद्रा की मंजूरी नहीं दी है और सही जानकारी नहीं दी है। दूसरे और तीसरे वर्ष तक अर्थात् बांड जारी किए जाने और राशि एकत्र किए जाने तक अर्थात् अगस्त–सितम्बर, 1992 तक। उनका यह कहना कि यह राशि पर्याप्त है, सही नहीं है।

उत्तर के भाग (घ) में उन्होंने कहा है कि "इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए सरकार का संसाधन किस प्रकार जुटाने का विचार है ?"

उत्तर दिया गया है कि "प्रश्न उत्पन्न नहीं होता"।

**श्री जसवंत सिंह** : क्योंकि वह उत्तर नहीं देना चाहते हैं।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : श्रीमान, मुझे उनका उत्तर कुछ भी समझ में नहीं आया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि क्या निगम को आवश्यक अतिरिक्त धनराशि जुटाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

**श्री रामेश्वर ठाकुर** : पूरी राशि की अभी आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक वर्ष बांड जारी किए जाएंगे। राज्यों ने अपना हिस्सा दे दिया है। जैसा कि मैंने कहा रेलवे और राज्य सरकारों द्वारा प्रतिवर्ष निश्चित प्रतिशत के आधार पर राशि दी जानी है। बांड का प्रश्न प्रति वर्ष सामने आएगा। और आवश्यक मंजूरी प्रतिवर्ष दी जाएगी। **(व्यवधान)**

**श्री जार्ज फर्नान्डीज** : श्रीमान, मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। राज्य सरकारों को प्रति वर्ष धन देने की आवश्यकता नहीं है। केवल रेलवे विभाग ही प्रतिवर्ष धन देगा। उन्हें मात्र पहले वर्ष और दूसरे वर्ष 'इक्विटी' में अंशदान देना है। बाद के वर्षों में यह अंशदान नगण्य है। उन्हें मात्र दो वर्षों तक ही देना है। तीसरे वर्ष यह राशि बिल्कुल कम है।

**श्री रामेश्वर ठाकुर**: जहां तक वित्तीय वर्ष 1992-93 का संबंध है अप्रैल 1992 से पूर्व मंजूरी दे दी जाएगी। वर्तमान वर्ष में मार्च, 1992 तक मंजूरी दे दी गई है। अगले वर्ष के लिए यह मार्च से पहले दिया जायेगा। ..... **(व्यवधान)**

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : 100 करोड़ रुपये के बकाया का क्या होगा ? उन्होने 250 करोड़ रुपये के लिए कहा है । आपने केवल 150 करोड़ रुपये दिये हैं।

**श्री रामेश्वर ठाकुर** : इसीलिए मैं कह रहा हूं। 100 करोड़ रुपये के लिए मार्च 1992 के अन्त से पहले स्वीकृति दे दी जायेगी । चालू वित्त वर्ष के लिए मार्च तक 150 करोड़ रुपये की राशी पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है ।

जहां तक सारी परियोजना के लिए वित्त की व्यवस्था करने की बात है, यह अगले कुछ दिनों में सरकार और निगम से परामर्श के बाद की जायेगी और बन्धपत्रों का स्वरूप निश्चित किया जायेगा । लेकिन जहां तक अगले साल की बात है यह मार्च 1992 से पहले फ़ैसला कर लिया जाएगा ।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : महोदय, मंत्री जी कोई आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं हैं ।

**श्री शरद दिघे** : महोदय, सबसे ज्यादा परेशानी तो विलम्ब के बारे में है। यह निगम 19 जून 1990 को बनाया गया था। श्री उन्नीकृष्णन के 16-7-91 के अतारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि निगम इसकी स्वीकृति के लिए कन्ट्रोलर आफ केपिटल इश्यूज से सम्पर्क कर चुका है। अब प्रश्न यह है कि उन्होंने इस स्वीकृति के लिए सरकार से कब सम्पर्क किया ? आपने कहा है कि स्वीकृति 22 जुलाई को दी गयी तो हो सकता है इस प्रश्न के पश्चात दी हो ।

दूसरे, निगम की 250 करोड़ रुपये की इक्विटी राशि में से केन्द्र के 128 करोड़ रुपये; महाराष्ट्र 55 करोड़ रुपये; कर्नाटक 37 करोड़ रुपये; गोवा 15 करोड़ रुपये और केरल 15 करोड़ रुपये हुए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि 150 करोड़ रुपये इन राज्यों में किस अनुपात में स्वीकृत किये गये हैं।

**श्री रामेश्वर ठाकुर** : मैं पहले ही इसका ब्यौरा दे चुका हूँ। रेलवे 51 प्रतिशत देगी; महाराष्ट्र सरकार 22 प्रतिशत देगी; कर्नाटक सरकार 15 प्रतिशत; केरल 6 प्रतिशत तथा गोवा 6 प्रतिशत देगा ।

**श्री शरद दिघे** : महोदय, मेरे प्रश्न का पूरी तरह जवाब नहीं दिया गया है। मैंने प्रश्न किया था कि स्वीकृति के लिए यह अनुमति कब मांगी गई थी ?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य ठीक कहते हैं कि स्वीकृति 22 जुलाई को दी गयी थी । मेरी माननीय रेल मंत्री से चर्चा हुई थी। यह प्रश्न कि यह पहले क्यों नहीं दी गई, सभा के दूसरे पक्ष से पूछा जाना चाहिए ।

**श्री जार्ज फर्नान्डीज** : महोदय, मंत्रीजी ज्यादा चतुर बनने की कोशिश कर रहे हैं। महोदय, मैं आपसे अनरोध करूंगा कि मंत्री महोदय से कहें कि वह ज्यादा चतुर बनने की कोशिश न करें क्योंकि जिस सरकार ने स्वीकृति देने से इन्कार किया है उस सरकार की आपकी पार्टी का समर्थन मिला हुआ था। कृपया इन मामलों में ज्यादा चतुर बनने की

कोशिश न करें। इस सभा में हमें एक दूसरे को चालाकी दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि कोंकण रेलवे निगम द्वारा बंध पत्रों की स्वीकृति के लिए पहला अनुरोध कब किया गया था? क्या यह सच है कि 250 करोड़ रुपए के लिए जो अनुरोध किया गया था उस पर फैसला तब किया गया जब इस परियोजना को 1994 के अन्त तक पूर्ण करने के लिए निगमित योजना बना ली गई? मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आज 150 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की वजह यह है कि आपने उचित समय पर अर्थात् वित्तीय वर्ष 1990–91 के अन्त से पहले इस संबंध में स्वीकृति नहीं दी थी। और अपने बजट भाषण तथा औद्योगिक नीति के संबंध में मंत्री महोदय ने जो प्रिस्त्रोयका और उदारवाद की बात की है क्या उसके तहत कोंकण रेलवे निगम को इस कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए कुछ भी कदम उठाने की छूट होगी तथा इसी बात को पुनः रेल मंत्री ने रेल बजट पर बहस का उत्तर देते हुए दोहराया था?

**श्री रामेश्वर ठाकुर:** जहां तक प्रश्न के पहले भाग की बात है— कोंकण रेलवे परियोजना के प्राधिकारियों ने भारतीय सीमेंट निगम से 6 जून 1991 को सम्पर्क किया था। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य मुझसे अच्छी तरह बता सकते हैं कि पहले स्वीकृति क्यों नहीं दी गई। यह स्वीकृति कन्ट्रोलर आफ कैपीटल इश्यूज द्वारा 22 जुलाई, 1991 को दी गई थी। बन्ध पत्र जारी करने में कतिपय आधारभूत बातें हैं, इस पर विचार किया गया है। चर्चा के मुताबिक यह निर्णय किया गया कि चालू वित्त वर्ष के लिए केवल 150 करोड़ रुपए की आवश्यकता है जिसके लिए बन्ध पत्रों को जारी करने की अनुमति दे दी गई है।

जहां तक प्रश्न के अन्तिम भाग की बात है ऐसे ही अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इसमें विभिन्न राज्य सरकारें शामिल हैं, इसलिए अनुमति वर्षशः आधार पर दी जानी चाहिए, लेकिन यह उचित समय पर दी जाएगी।

**श्री जार्ज फर्नान्डीज:** इसका मतलब यह है कि वित्त मंत्री का बजट भाषण और औद्योगिक नीति को कोंकण रेलवे के निर्माण के संबंध में बहुत अच्छी तरह से दबाया जा रहा है।

**श्री राम नाईक:** जब मूल योजना चालू की गई थी तो ब्याज की दर 9 प्रतिशत निर्धारित की गई थी। बाद में भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने ऋण देने की दर को 1 प्रतिशत बढ़ा दिया है। स्वाभाविक रूप से जो योगदान देना चाहते हैं उन्हें 9 प्रतिशत की दर से ही मिलेगा। क्या सरकार इस दर को एक प्रतिशत बढ़ाएगी ताकि जो बंध पत्रों को खरीदने के इच्छुक हों आगे आएं और बंधपत्र खरीदें?

**श्री मनमोहन सिंह:** वर्तमान आयकर उपबन्धों के तहत हमारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं समझता हूं कि कर मुक्त बन्ध-पत्र जिनकी ब्याज दर 9 प्रतिशत है, लोगों को इन्हें लेने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देते हैं।

**श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:** रेल बजट पर वाद-विवाद में हस्तक्षेप करते हुए रेल राज्य मंत्री श्री मल्लिकार्जुन ने साफ तौर पर वायदा किया था और यह बात दोहराई थी कि कोंकण रेलवे परियोजना 1994 तक पूरी कर ली जाएगी। इस पर काफी गर्मागरम बहस हुई थी। उस वक्त भी कई सदस्यों ने यह मांग करते हुए प्रश्न रखे थे कि जब परियोजना के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध की ही नहीं गई तो सरकार इस परियोजना को समय पर कैसे पूरा करेगी। इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया था। जब वायदा 1994 में पूर्व करने का था तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सरकार इस सभा में और सभा से बाहर किए वायदे को कैसे पूरा करेगी? यदि सरकार इस परियोजना के अधिकारियों को बंध पत्र जारी करने के लिए खुली अनुमति नहीं दे रही है तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विकल्प सोचा है जिससे यह परियोजना समय पर पूरी हो जाय?

**श्री मनमोहन सिंह:** मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य इस बात की सराहता करेंगे कि जो कुछ भी किया गया है वह इस निगम के लाभ के लिए किया गया है। उन्हें इस वर्ष 250 करोड़ रुपए की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल 150 करोड़ रुपए ही चाहिए। यह परियोजना तो कई वर्षों में पूर्ण होगी। यदि आप ब्याज संबंधी देनदारियों को बढ़ाते रहे तो इससे केवल परियोजना की लागत ही बढ़ेगी। अतः मैं समझता हूं कि यह इस निगम के हित में होगा कि वह असमय इस पैसे को न बढ़ाए। उन्हें चालू वर्ष में केवल 150 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। वह उन्हें दे दिए गए हैं। उन्हें 100 करोड़ रुपए 1992-93 की पहली तिमाही में चाहिए थे और जैसे कि मेरे साथी राज्य मंत्री ने जिक्र किया है कि यह चालू वर्ष के अन्त से पहले दिया जाएगा।

**श्री निर्मल कान्ति चाटर्जी:** महोदय, कोंकण रेलवे परियोजना एक अच्छी भावना से शुरू की गयी परियोजना है जिसमें राज्यों को इक्विटी चरन पर भाग लेने के लिए कहा गया था। मेरे प्रश्न का भाग (क) इस बात को ध्यान में रख कर पूछा गया है कि बजट प्रस्ताव राज्य पर काफी बुरा प्रभाव डालेंगे, इसलिए क्या केन्द्र सरकार राज्य निधि में योगदान देगी ताकि अन्य राज्य रेलवे के सहयोग से भाग लें और उनके क्षेत्रों में इस सहयोग से रेल लाइनें बिछाई जायें और मेरे प्रश्न का भाग (ख), क्या सरकार – वित्त विभाग – ऋण देने वाली संस्थाओं को इस कोंकण रेलवे परियोजना को ऋण देने की अनुमति देगी?

**श्री मनमोहन सिंह:** महोदय, मैं समझता हूँ, यह ठीक नहीं है कि जो बजट मैंने इस महान सभा में परसों पेश की थी उससे राज्यों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वस्तुतः, मैंने तो राज्यों के लाभ के लिए संसाधन जुटाए हैं, मैंने सोचा था कि माननीय सदस्य और राज्य सरकारें इस तरह से संसाधन जुटाने के तरीके की जिसे मैंने अपनाया है सराहय करेंगे। मैंने राज्य सरकारों पर किसी प्रकार का बोल नहीं डाला है, मैंने तो उम उनकी संसाधन स्थिति में सुधार किया है। अतः यह कहना कि मेरा बजट राज्य सरकारों पर बुरा प्रभाव डालेगा, ठीक नहीं है।

जहां तक एक अवधि के लिए ऋण देने वाली संस्था का संबंध है, ऐसी अधिकांश संस्थाएं कर मुक्त बन्ध पत्र जारी नहीं करती। मैं नहीं समझता कि जो ब्याज दर ऋण देने

वाली संस्थाएं लेगी उसे यह निगम दे सकता है। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण देखें तो माननीय सदस्य और भूतपूर्व रेल मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज स्वयं यह मानेंगे कि इस निगम को ऋण देने वाली संस्था के पास जाने के कहना इस परियोजना को शुरू से ही अव्यावहार्य बनाना है।

**संसद सदस्य कोष**

*164. **श्री राम नाईक:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को 1990 में कुछ संसद सदस्यों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि कुछ राज्यों में स्थापित किए गए विधान सभा सदस्य कोष की भांति केन्द्र में भी संसद सदस्य कोष स्थापित किया जाए, जिसमें से सम्बद्ध संसद सदस्य के सुझाव पर सरकार द्वारा उसी प्रकार खर्च किया जाए जैसा कि उन राज्यों में किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे):** (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

(क) और (ख) जी, हां। प्रत्येक लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संबंधित सदस्यों के सुझाव पर लघु विकास कार्य कराने के लिए संसद सदस्य कोष स्थापित करने के बाबत 1990 के दौरान कुछ संसद सदस्यों से सुझाव मिले थे।

(ग) योजना आयोग सम्बन्धित राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् सेक्टर/उप-सेक्टर वार तथा विद्युत और सिंचाई जैसे सेक्टरों में कुछ विशिष्ट परियोजनाओं के लिए भी राज्य योजना निधियां आबंटित करता है। "विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों" (जैसे राज्य के अन्दर पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम) के लिए भी निधियां आबंटित की जाती हैं। ये आबंटन ऐसे सेक्टर/उप सेक्टर या पिछड़े क्षेत्र की जैसा भी मामला हो, संसाधन उपलब्धता, विकास की आवश्यकताओं, अंतर्लयन क्षमता इत्यादि के आधार पर किए जाते हैं। कुछ परियोजनाएं और कार्यक्रम संसदीय निर्वाचन क्षेत्रवार आबंटन किए जाने के लिए अपने आप में उपयुक्त नहीं होते। इसके अलावा राज्य के विभिन्न भागों में अनुमोदित योजनागत परिव्यय का आबंटन करना मूलत: संबन्धित राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। तदनुसार योजनागत निधियों का आबंटन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रवार करना संभव नहीं है। तथापि, राज्य सरकारें योजनागत प्रस्तावों को तैयार करते समय तथा निधियां आबंटित करते समय संसद सदस्यों और राज्य-विधायकों से परामर्श करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

**श्री राम नाईक:** अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र के होने के कारण आप भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में एम०एल०ए० फंड की योजना जारी है। हमारे सुरक्षा मंत्री जी पहले महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे, वे भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में 21.5 लाख एम०एल०ए० फंड की स्कीम

है जिसके कारण संडास, बिजली, पानी, छोटे रास्ते, छोटे पुल, बालवाड़ी आदि की सुविधाएं प्लान के अन्तर्गत मिलती हैं। यह सवाल लोक सभा में 18 मई 1990 में पूछा गया था। उससे पहले प्रधान मंत्री जी को आवेदन दिया था। उस समय पर सदन में आज हमारे यहां श्री संतोष मोहन देव और श्री कुमारमंगलम जो अब मंत्री हैं, उन्होंने सप्लीमेंटरी पूछा था और फिर वित्त मंत्री श्री मधु दण्डवते जी ने कहा था :

[अनुवाद]

"मैं सभा को अश्वस्थ करता हूं कि हम पूरे मामले की नए सिरे से जांच करेंगे और अन्तिम निर्णय लेने का प्रयास करेंगे।"

[हिन्दी]

बाद में प्रधान मंत्री को लगभग सौ एम०पीज० ने इस प्रकार का आवेदन करने के बाद और इस प्रकार का आश्वासन देने के बाद यह पूछा था कि क्या इस स्कीम का पुनर्विचार किया गया है और अगर पुनर्विचार किया है तो श्री वी० पी० सिंह जी की सरकार ने किया या श्री चन्द्र शेखर जी की सरकार ने किया या श्री नरसिंह राव जी की सरकार ने किया, यह मैं जानना चाहता हूँ।

**श्री शांताराम पोतदुखे :** अध्यक्ष जी, यह जो सवाल है, यह राम का सवाल है..... **(व्यवधान)**।

[अनुवाद]

"क्या केन्द्रीय सरकार को 1990 में कुछ संसद सदस्यों से एक आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि कुछ राज्यों में स्थापित किए गए विधान सभा सदस्यकोष की भांति केन्द्र में भी संसद सदस्यकोष स्थापित किया जाए जिसमें से सम्बद्ध संसद सदस्य के सुझाव पर सरकार द्वारा उसी प्रकार खर्च किया जाए जैसा कि कुछ राज्यों में किया जाता है।"

[हिन्दी]

विधायकों के लिए फण्ड नाम की कोई चीज़ नहीं है।..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

विधायक फण्ड जैसा कुछ नहीं है.....**(व्यवधान)**

**श्री अन्ना जोशी :** इस कोष का यह नाम न हो लेकिन अनेक राज्यों में प्रत्येक विधायक को डी०पी०डी०सी० कोष में से राशि दी जाती है।

**श्री शांताराम पोतदुखे :** महोदय, यह कोष जिला योजना एवं विकास परिषद का है। योजना आयोग भी ऐसा कोष देने के पक्ष में नहीं है। योजना आयोग का कहना है : "जैसे जैसे विकेन्द्रीकृत योजना विशेषकर क्षेत्र विकास का विचार उत्पन्न होगा, प्रत्येक पंचायत, मंडल पंचायत, जिला परिषद् की आवश्यकता के प्रति व्यापक ध्यान देना योजना का एक भाग होगा। नया योजना आयोग इस ध्येय के लिए ही कार्य कर रहा है। इसके अलावा,

निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर बजट प्रावधान करने का कोई प्रयास न तो संभव है और न ही इसकी जरूरत है।"

[हिन्दी]

**श्री राम नाईक:** मैंने सवाल पूछा था कि सरकार ने पुनर्विचार इस विषय पर किया है या नहीं, अगर किया है तो कौन-सी सरकार ने किया है और कब किया है?

**एक माननीय सदस्य:** वह तो राम-राम कर रहे हैं।

**श्री शांताराम पोतदुखे:** राम-राम हम नहीं कर रहे, वह आप लोग कर रहे हैं।

[अनुवाद

महोदय, मैं कह रहा था कि योजना का दृष्टिकोण ग्राम स्तर, पंचायत स्तर पर..... .....(व्यवधान

**अध्यक्ष महोदय:** नहीं, प्रश्न यह है: जैसा कि माना गया था क्या इस पर सरकार द्वारा विचार किया गया था।

**श्री शांताराम पोतदुखे:** नहीं, महोदय, इस पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय:** मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम सोचेंगे।

[अनुवाद]

**श्री शांताराम पोतदुखे:** महोदय, कार्यवाही करने के लिए यह एक सुझाव है..... (व्यवधान)।

**वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह:** महोदय, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता कि क्या विगत सरकार ने इस प्रश्न पर पहले विचार किया था या नहीं। मैं इस बारे में जानकारी मांगूंगा और फिर सभा को बताऊंगा जहां तक हमारी सरकार का संबंध है, मैंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के साथ प्रारम्भिक चर्चा की थी और उन्होंने मुझे यही सलाह दी कि इस सिफारिश को कार्यान्वित करने में व्यावहारिक कठिनाईयां हैं।

[हिन्दी]

**श्री राम नाईक:** गए समय इस पर चर्चा हुई थी तो उस समय यह बताया गया था कि सभी राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ इसके बारे में चर्चा की जाएगी। मेरा दूसरा सवाल यह है कि हम समुद्र में रहते हैं जहां पानी ही पानी है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। एक लोक सभा का सदस्य इतना शक्तिहीन होता है ग्राम पंचायत का सदस्य, नगरपालिका का अध्यक्ष या विधायक फैसले ले सकते हैं, लेकिन संसद जो यहां से करोड़ों

रुपये का बजट मंजूर करते हैं वे अपने क्षेत्र में छोटा-सा पुल नहीं बनवा सकते, रास्ता नहीं बनवा सकते। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी, क्योंकि लोगों की सेवा करने का अधिकार सांसद को भी होता है जो कि वास्तव में उसे नहीं मिलता है, क्या इस प्रकार की योजना पर सांसदों के साथ विचार करने की सरकार ने कोई तैयारी की है?

[अनुवाद]

**श्री मनमोहन सिंह:** महोदय, मैं माननीय सदस्य के विचारों का आदर करता हूँ। लेकिन मैं इस बारे में बहुत ईमानदार रहूंगा। यहां, हम केन्द्र-राज्य संबंधों पर प्रभाव डालने वाले अत्यन्त नाजुक मामले पर कार्यवाही कर रहे हैं। अब ये सभी मामले विचाराधीन हैं। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्यों के बीच संसाधन आबंटित करने के लिए केन्द्र सरकार के लिए कौन सा सही तरीका है। अब मैं आदरपूर्वक निवेदन करता हूँ कि ये मामले ऐसे हैं जिनका उत्तर सरल नहीं है। लेकिन अगर माननीय सदस्य चर्चा करना चाहते है तो मैं समझता हूँ कि हम इस पर चर्चा के लिए निश्चित रूप से तैयार हैं।

[हिन्दी]

**श्री सत्यनारायण जटिया:** माननीय अध्यक्ष जी, कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जोकि राज्य सरकारें ही कर सकती हैं, कई योजनाएं ऐसी होती हैं जो केन्द्र सरकार के विभागों के अन्तर्गत की होती हैं, उसके अधीन होती हैं। जैसे विश्राम घर, रेल यात्री निवास हो सकते हैं, ऐसी योजना के लिए जिससे क्षेत्र का संतुलित विकास हो सकता है और सब को समान रूप से अवसर मिले इस प्रकार की योजना के लिए जो सीधे-सीधे केन्द्र सरकार के अधीन होती हैं, उसके बारे में विचार करने के लिए सरकार और मंत्रालय क्या सोचता है?

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय:** यह भिन्न है। मैंने इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी है।

**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**श्री वृशिण पटेल:** अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने यह बताया है कि यह केन्द्र और राज्य के संबंधों पर निर्भर करता है कि कैसे इसका इम्प्लीमेन्टेशन कराया जाये।

**अध्यक्ष महोदय:** नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा।

**श्री वृशिण पटेल:** कहा है।

**अध्यक्ष महोदय:** ऐसा नहीं कहा है।

**श्री वृशिण पटेल:** मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि राज्य में विधायकों को अपनी असेम्बली कांस्टीट्यूयन्सी में तीन लाख रुपया उनकी अनुशंसा पर खर्च करने का

अधिकार राज्य सरकार ने दिया है, उसी तरह से यह बात सही है कि माननीय संसद् सदस्यों को अपने क्षेत्र में छोटी योजनाओं को कार्यान्वित करवाने का कोई अधिकार नहीं है, अतः क्या माननीय मंत्री जी हर एक असेम्बली सेगमेंट में माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर दस-दस लाख रुपया देने का विचार रखते हैं?

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, उसका आन्सवर हो गया है।

**श्री अन्ना जोशी :** अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री महोदय ने ऐसा बताया कि इस प्रश्न के बारे में सब पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं?

**अध्यक्ष महोदय :** अगर आप चाहते हैं तो।

**श्री अन्ना जोशी :** हम चाहते हैं और हमारी यह डिमाण्ड है कि यह सत्र खत्म होने से पहले एक मीटिंग बुलायी जाय, ऐसा हमारा आग्रह है। क्या आप ऐसा मानते हैं?

**अध्यक्ष महोदय :** इस सत्र में चर्चा हो जायेगी?

[अनुवाद]

मंत्री महादेय, माननीय सदस्य जानना चाहते है कि क्या आप इस मुद्दे पर इस रूप में चर्चा करेंगे।

**श्री मनमोहन सिंह :** जैसा कि मैंने कहा है, यह सरत प्रश्न नहीं है। मैंने कहा था कि जब राज्यों को संसाधान आबंटित करते होते हैं तो अनेक मुद्दे उठाये जाते हैं और इस पर कोई कार्यवाही करने से पहले इन सब की ध्यानपूर्वक जांच की आवश्यकता होती है। अगर आप चर्चा चाहते हैं तो मैं हमेशा उपलब्ध हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न केवल यही है कि क्या आप इस रूप में चर्चा करने के लिए तैयार हैं?

**श्री मनमोहन सिंह :** हम तैयार हैं।

[हिन्दी]

**श्री नारायण सिंह चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने फरमाया है कि राज्य सरकारों ने जिला बोर्डों को जिले के अन्दर की योजनाओं पर खर्च करने के लिए अधिकार दिये हैं। तो उन जिला बोर्डों में राज्यों के अन्दर जो विधायक हैं, वे भाग लेते हैं तो क्या मंत्री महोदय विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सलाह देंगे कि उन क्षेत्रों में पड़ने वाले जो लोकसभा के सदस्य हैं, उनको भी जिला योजना बोर्ड द्वारा बनायी गयी योजनाओं में भाग लेने के लिए अवसर देंगे?

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय:** अब प्रश्न यह है कि जिला बोर्ड होते हैं जिनमें विधायक सदस्य हैं और क्या आप राज्य सरकारों को सलाह देंगे कि इन बोर्डों में संसद सदस्य भी हों?

**श्री मनमोहन सिंह** : मेरी जानकारी के अनुसार अनेक राज्यों में इन बोर्डों में संसद सदस्य भी होते हैं ।

## आयात का असरणीबद्ध किया जाना

*166. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लगभग सभी आयातों को असरणीबद्ध करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अभी तक कितने मद सरणीबद्ध हैं और कितने मदों को असरणीबद्ध किये जाने की संभावना है ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) से (ग) जो मदें इस समय सरणीकृत हैं, वे आयात तथा निर्यात नीति 1990–93 (वोल्यू० I) के परिशिष्ट 5 भाग "क" तथा "ख" में दर्शायी गई हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए इन सूचियों की समीक्षा की जा रही है कि क्या कुछ मदों को गैर-सरणीकृत किया जा सकता है । निकट भविष्य में कोई निर्णय लिया जाएगा ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : अध्यक्ष महोदय, अपना प्रश्न करने से पहले मैं उन्हें अपना विरोध जताना चाहता हूं । प्रश्न का भाग (ग) बहुत स्पष्ट है और इसमें अभी तक सरणीबद्ध मदों तथा असरणीबद्ध किये जाने की संभावना वाली मदों के बारे में पूछा गया है । जहां तक असरणीबद्ध किये जाने की संभावना वाली मदों का संबंध है, मंत्री महोदय, निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि वे मामले पर विचार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सरणीबद्ध मदों की जानकारी नहीं दी गई है । वह कहते हैं कि जो मदें इस समय सरणीबद्ध हैं, वे आयात तथा निर्यात नीति 1990–93 (खण्ड I) के परिशिष्ट 5 भाग "क" तथा "ख" में दर्शायी गई है । यह पर्याप्त नहीं है । यह संसद के सभा कक्ष में पूछा गया प्रश्न है । अगर इस समय कुछ मदें सरणीबद्ध हैं तो वह परिशिष्ट सभा पटल पर अवश्य ही रखा जाए । मैं खण्ड I नहीं ढूंढूंगा । प्रश्न का उत्तर देने का यह तरीका नहीं हैं । क्या आपको इस बारे में कुछ कहना है ? जो मदें पहले से ही सरणीबद्ध हैं आप उनकी सूची क्यों नहीं दे रहे ?

**श्री पी० चिदम्बरम्** : महोदय, जब 1990 में एक अप्रैल 1990 से लागू होने वाली इस नीति की घोषणा की गई थी तो इसे सभा पटल पर रखा गया था । यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है । अगर माननीय सदस्य इसकी एक प्रति चाहते हैं तो मैं खण्ड I की एक प्रति उन्हें देने के लिए तैयार हूं । लेकिन मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि जब 1-4-1990 को इस नीति की घोषणा की गई थी तब इसे सभा पटल पर रखा गया था

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : महोदय, नई व्यापार नीति के तहत एक नई योजना की घोषणा की गई है जिसके तहत निर्यातकों को अपने पुनः पूर्ति लाइसेंस आयातकों को खुले तौर पर बेचने की अनुमति होगी और आयातकों को सरकारी कार्यालयों और विनियमों के संकट

में नहीं पड़ना पड़ेगा। वे निर्यातकों से सीधे ही खरीद सकते हैं। इसका इस तथ्य पर यह प्रभाव पड़ेगा कि वास्तव में कुछ भी सरणीबद्ध नहीं होगा और ये लाइसेंस अधिक दर पर बेचे जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तविक आयात और देश में आ रहे आयात की कीमत पर इसका प्रभाव होगा क्योंकि जिन लोगों के निर्यात में आयात की कीमत बिल्कुल नहीं है वे भी इन लाइसेंसों को खरीद सकते हैं, मैं तो यही समझता हूं।

**श्री पी० चिदम्बरम्:** महोदय, माननीय सदस्य के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि ये वास्तव में दो पृथक मामले हैं। हालांकि इस प्रश्न से पुनः पूर्ति लाइसेंस की बात उत्पन्न नहीं होती फिर भी मैं इसका उत्तर दूंगा। पुनः पूर्ति लाइसेंस हमेशा ही व्यापार के लिए थे। 4 जुलाई, 1991 को घोषित नीति के फलस्वरूप ऐसा नहीं हुआ है अब हमने यह किया है कि पुनः पूर्ति लाइसेंसों की एवज में हमने अनेक मदों को आयात योग्य बना दिया है और ऐसा मुक्त विदेशी मुद्रा के द्वारा नहीं किया गया है। इसके फलस्वरूप आयात में बढोतरी की बजाय कमी होगी और नई नीति का एक उद्देश्य आयात के कमी करना है। मैंने इस सभा में पहले भी यह उत्तर दिया है कि हमारा उद्देश्य इस वर्ष लगभग 3,000 करोड़ रुपये की आयात में अधिकतम कमी करना है। लेकिन हमारे लक्ष्य निर्धारण के बाद इसे देखना होगा क्योंकि परसों ही तो बजट पेश हुआ था और शुल्क दरें भी परसों ही बताई गई हैं। हमें चालू वर्ष के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। जहां तक सरणीबद्ध करने पर पुनः पूर्ति लाइसेंसों के प्रभाव का संबंध है, तो मेरे विचार से यहां पर कुछ गलतफहमी हुई है। परिशिष्ट 5 भाग क में गैर-संवेदनशील मदें हैं जो कि यद्यपि सरणीबद्ध हैं लेकिन पुनः पूर्ति लाइसेंस पर भी उपलब्ध हैं। इस प्रकार कोई तब्दीली नहीं हुई है। परिशिष्ट 5 भाग ख में संवेदनशील मदें हैं जो सरणीबद्ध हैं और जिन्हें रिजर्व बैंक द्वारा दी गई मुक्त विदेशी मुद्रा के द्वारा सरणीबद्ध एजेन्सी के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा आयात नहीं किया जा सकता। मैं नहीं समझता कि आर०ई०पी० लाइसेंस की नीति सरणीबद्ध को प्रभावित करती है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त:** क्या इस सरकार की आम राय यह है कि राज्य व्यापार निगम तथा एम०एम०टी०सी० जैसी एजेन्सियां विभिन्न चरणों में धीरे धीरे पूर्णतया समाप्त कर दी जाएं?

**श्री पी० चिदम्बरम्:** मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम राज्य व्यापार निगम तथा एम०एम०टी०सी० को मजबूत बनाकर उन्हें अत्यधिक प्रतियोगी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार गृह बनाना चाहते हैं। अगर इस नीति को लागू किया गया तो ये दोनों निगम मजबूत होंगे अनका आकार बढ़ेगा और उन्हें नए बाजार मिलेंगे तथा वे नए उत्पादों का निर्यात करेंगे।

**डा० देवी प्रसाद पाल:** मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। असरणीबद्ध की स्थिति में क्या आयातक वास्तविक व्यापार लाइसेंस—भारत के व्यापार लाइसेंस का उपयोग कर सकेगा अथवा क्या सामान्य व्यापार प्रणाली के आधार पर वह असरणीबद्ध मदों के मामले में वस्तुओं का आयात कर सकेगा?

**श्री पी० चिदम्बरम्:** मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य क्या पूछना चाहते हैं। लेकिन आज हमने अनुपूरक तथा अतिरिक्त लाइसेंस समाप्त कर दिए हैं।

निर्यातकों के लिए केवल निर्यात दायित्व और आर०ई०पी० लाइसेंस के स्थान पर निःशुल्क आयात के लिए अन्तिम लाइसेंस उपलब्ध हैं जो अब निर्यात-आयात नीति के उपलब्ध बन जाएंगे । यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या किसी मद को असरणीकरण करने के बाद निर्यातक को उसका आयात करने की अनुमति होगी तब उसका उत्तर 'हां' है। यदि इसका असरणीकरण कर दिया जाता है तब भी कोई भी इसका आयात कर सकता है । लेकिन वह आयात के लिए वित्त कैसे उपलब्ध कराएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कौन सा तरीका अपनाता हैं । यदि वह ऐसा निर्यातक है जो निर्यात दायित्व पूरे करने के लिए तैयार है तब मैं समझता हूं कि वह अग्रिम लाइसेंस का तरीका अपनाएगा । यदि वह घरेलू उत्पादों अपना घरेलू खपत के वस्तुओं का आयातक है तब वह निर्यात-आयात नीति के उपबन्धों के अनुसार कार्य करेगा । यदि माननीय सदस्य किसी विशेष वस्तु और आयातक के बारे में कुछ चाहते हैं तब मैं और अधिक सहायता करूंगा ।

**श्रीमती गीता मुखर्जी :** महोदय, क्या यह सत्य है, जैसा कि समाचार पत्रों में दिया गया है, श्री चिदम्बरम के नीति वक्तव्य के पैरा 9 में निम्नलिखित कहा गया है :

"एक छोटी सी निषेधात्मक सूची के अलावा पूंजीगत सामान और कच्चे माल के लिए सभी आयात लाइसेंस तीन वर्ष में समाप्त करने का लक्ष्य होगा ।"

यदि ऐसा है तब मैं यह जानना चाहती हूं कि जब हमारे देश में कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपबन्ध है तब उसे आयात करने की क्या आवश्यकता है ?

**श्री पी० चिदम्बरम :** क्या आप अब प्रश्न संख्या 180 पर चर्चा करने की अनुमति देंगे ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न संख्या 166 का अनुपूरक प्रश्न है ।

**श्री पी० चिदम्बरम :** यह पूर्णतः भिन्न प्रश्न है । इसका असरणीकरण से कोई संबंध नहीं है । यह प्रश्न किसी द्वारा अपनाई जाने वाली आयात नीति से संबंधित है। आयात प्रतिबन्ध भिन्न प्रकार के हैं । एक प्रकार के आयात प्रतिबन्ध लाइसेंस द्वारा लगाए जाते हैं और दूसरे प्रकार के शुल्क द्वारा लगाए जाते हैं तथा आयात प्रतिबन्ध का तीसरा तरीका यात्रात्मक प्रतिबन्ध हैं । हम विश्वास करते हैं कि आयात पर नियंत्रण लगाने का प्रभावी तरीका शुल्क द्वारा है न कि लाइसेंसिंग अथवा यात्रात्मक प्रतिबन्ध द्वारा। यह दीर्घावधि लक्ष्य है । मैंने अपने उस कर्तव्य में कहा था कि हम शुल्क द्वारा आयात पर नियंत्रण रखेंगे और वित्त मंत्री ने अपने बजट में यही करने का प्रयास किया है । यह एक सतत प्रक्रिया है । जहां तक लाइसेंसिंग का संबंध है हम समय के साथ-साथ इसे समाप्त कर देंगे । जो भी कच्चा माल देश में उपलब्ध है वह आयात नहीं किया जाएगा और उस पर भारी शुल्क से नियंत्रण रखा जाएगा । आयात पर नियंत्रण रखने के लिए शुल्क प्रतिबन्ध लगाए जाएंगे

## मुंबई और गोवा के बीच नौका-सेवा

+

*167. **श्री शंकरजी वघेला :**

**डा० ए० के० पटेल :**

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुंबई और गोवा के बीच, वहां के लोगों तथा पर्यटकों की सुविधा के लिये, नौका-सेवा फिर से शुरू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मुंबई और गोवा के बीच सेवा के लिये नये जहाज खरीदने के किसी प्रस्ताव पर भी विचार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जगदीश टाईटलर :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) सरकार ने मैसर्स सत्यगिरि शिपिंग कम्पनी को बम्बई रत्नगिरि-पणजी मार्ग पर प्रचालन के लिए दो उच्च गति कैटामारान खरीदने की अनुमति दे दी है। इस शिपिंग कंपनी ने पहले कैटामारान के संबंध में विक्रेता के पास प्रारम्भिक भुगतान की राशि जमा कर दी है, जबकि दूसरा कैटामारान खरीदने संबंधी मंजूरी 14-8-91 तक वैध है । सरकार ने मैसर्स लिंक-आन-सी-लिंक को बम्बई-गोवा मार्ग पर प्रचालन के लिए एक कैटामारान खरीदने की भी अनुमति दे दी है और यह मंजूरी 31-10-91 तक वैध है ।

[हिन्दी]

**श्री शंकरजी वघेला :** स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने इसको सिर्फ टैकनीकली गोवा और बम्बई के लिए सोचा है । अगर माइंड एप्लाई करके जवाब दिया होता, तो शायद वे दूसरा जवाब देते । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि रेलवे की हालत आपको पता है, रास्ते की हालत आपको पता है और अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए, वह भी आपको पता है, इस प्रकार से आपको पूरे परिवहन का पता है, तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि भूतल परिवहन, रेलवे परिवहन और वायु परिवहन के मुकाबले जल परिवहन वाले रास्ते को प्राथमिकता से अपनाकर, कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यह रास्ता सस्ता और शॉर्ट कट पड़ेगा ?

**अध्यक्ष महोदय :** आप स्पेसिफिक से जनरल में जा रहे हैं, ऐसा नहीं वघेला जी ।

**श्री जगदीश टाईटलर :** योजना थी, क्योंकि इतना नुकसान हुआ, इसलिए बंद कर दिया । अब हम स्टेट गवर्नमेंट और प्राईवेट पार्टीज को परमीशन दे रहे हैं । मेरे आने से

पहले भी परमीशन दे रखी थी और मेरे पास लगभग 5 ऐसी कम्पनियां हैं जिन्होंने परमीशन मांगी है और जिनको परमीशन दी है। बम्बई और गोवा में ही क्या पूरे देश में यह करें, हम तो यह चाहते हैं।

**श्री शंकरजी बघेला:** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या इस योजना को आप छः महीने में या एक साल में, प्राईवेट पार्टीज से लागू करवाऐंगे ? क्योंकि कहीं अगस्त कहते हैं कहां अक्तूबर कहते हैं, तो क्या प्राइवेट लोगों से एक निश्चित समयसीमा के अंदर इसको लागू करवायेंगे ?

**श्री जगदीश टाईटलर:** अध्यक्ष महोदय, हमने सैंक्शन कर रखी है। सैंक्शन की डेट्स हैं। अगर सैंक्शन की डेट्स निकल जाती हैं तो फिर देखेंगे कि उन्होंने जहाज एक्वायर किए हैं या नहीं।

[अनुवाद]

**डा० ए० के० पटेल:** महोदय, गोवा आजकल पर्यटन का आकर्षक स्थल बनता जा रहा है क्योंकि ज्ञातव्य कारणों से लोग कश्मीर नहीं जा रहे हैं। मेरे विचार से मुंबई और गोवा के बीच नौका सेवा को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

चूंकि मेरे सहयोगी ने यह प्रश्न पूछा है मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि नौका सेवा के लिए कौन से ठोस कदम उठाए गए है। इसके लिए कौनसी समय-बद्ध कार्यवाही की जाएगी ? इस अवधि से दौरान इस दिशा में क्या प्रगति की गई ? गैर-सरकारी कम्पनी कब तक नौका सेवा शुरू कर देगी ?

**अध्यक्ष महोदय:** मंत्री महोदय ने इसका उत्तर दे दिया है।

**श्री जगदीश टाईटलर:** मैं माननीय सदस्य को पूर्ण ब्यौरा देना चाहता हूं। पांच कंपनियां है। एक सत्य गिरी शिपिंग नामक कंपनी ने विदेश से दो उच्च गति वाली पुरानी नौकाएं खरीदने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने 1987 में एक आवेदन दिया था और यह अनुमति 1988 तक वैध थी। बाद में इसे रद्द कर दिया गया।

लेकिन बाद में सत्य गिरी शिपिंग कंपनी ने दो पुरानी केटामारान खरीदने के लिए आवेदन किया। स्वीकृति पत्र 6-12-89 को जारी किया गया था।

वेस्ट कोस्ट होवर क्राफ्ट प्राइवेट लि०, बंबई ने भी 17-11-88 को आवेदन किया था। उनको अस्वीकृति पत्र भेज दिया गया था क्योंकि उन्होंने सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया था।

बिनकम शिपिंग कंपनी ने भी पुराने केटामारान खरीदने का आवेदन किया था। 30 मई, 1989 को प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी ने भी विदेश से दो

पुराने केटामारान खरीदने के लिए आवेदन किया था । स्वीकृति पत्र जारी कर दिए गए थे जो 6-5-1990 और 7-9-1990 तक वैधथे। इसमें प्रत्येक में 250 यात्री यात्रा कर सकते थे। उनसे शुल्क लिया जाना था ।

अनेक कंपनियों ने आवेदन किया और अनुमति देने में हमें कोई हिचकिचाहार नहीं है। मैं केवल इन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि वे पोत और उच्च गति नौकाएं खरीदें ताकि वे मुंबई से गोवा आने जाने वाले लोगों की सेवा कर सकें।

**श्री सुधीर सावन्त** : पहले इस क्षेत्र में अनेक बंदरगाहों पर नौका सेवा उपलब्ध थी। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि केवल मुंबई-रत्नगिरी-गोवा मार्ग पर ही नौका सेवा चलाने के लिए लाइसेंस दिए गए। यह अपर्याप्त है । अनेक बंदरगाह हैं जहां इस सेवा की आवश्यकता है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या अन्य बंदरगाहों के लिए यह लाइसेंस देने और इन बंदरगाहों को विकसित करने के लिए कोई योजना है ।

दूसरे, लाइसेंस 14-8-91 और 31-10-91 तक के लिए जारी किए गए है और अभी तक कोई नौका सेवा शुरु नहीं की गई है । क्या इन लाइसेंसों की अवधि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो किन कंपनियों का ?

**श्री जगदीश टाईटलर** : जो भी कम्पनी सरकार को बताई गई तारीख तक पोत नहीं खरीद पाती है और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करती है तब कारणों की जांच करने के बाद हम अवधि बढ़ा देगें। लेकिन मैं दुबारा आपको बताना चाहता हूं कि देश में कहीं भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है केवल कुछ भागों में सुरक्षा स्वीकृति के अध्याधीन हम नौका सेवा की अनुमति नहीं देगें ।

## काजू, काली मिर्च और समुद्री उत्पादों का निर्यात

171. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990–91 के दौरान केरल से किए गए काजू, काली मिर्च और समद्री उत्पादों के निर्यात में कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1990–91 के दौरान केरल से किए गए काजू, काली मिर्च और समद्री उत्पादों के निर्यात से कुल कितने विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

**विवरण**

(क) और (ख) अलग-अलग राज्य वार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। हालांकि वर्ष 1990–91 के दौरान काजू गिरी तथा समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई, लेकिन काली मिर्च के निर्यात में गिरावट आयी है । इसके मुख्य कारण है: काली मिर्च के उत्पादन अन्य प्रतियोगी देशों की तुलना में भारतीय काली मिर्च की कीमत अधिक होना, कम उत्पादन और खाड़ी संकट ।

(ग) उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1990–91 के दौरान काजू गिरी, काली मिर्च तथा समुद्री उत्पादों के निर्यात निम्नलिखित रहे :—

| मद | मूल्य करोड़ रुपय में |
|---|---|
| काजू गिरी . . | 443.50 |
| काली मिर्च . . . . | 111.00 |
| समुद्री उत्पाद. . . . . | 893.37 |

(स्त्रोत : काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, मसाला बोर्ड तथा एम्पीडा)

**श्री वी० एस० विजयराघवन** : मैं यह जानना चाहता हूं कि 1991 में काजू और समुद्री उत्पादों के संबंध में मूल्य-वार कोई वृद्धि हुई और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**श्री सलमान खुर्शीद** : समद्री उत्पादों का निर्यात 1990–91 में 635 करोड़ रुपये से बढ़कर 893 करोड़ रुपये हो गया था। काजू का निर्यात 1989-90 के 360 करोड़ रु० की तुलना में 1990–91 में 443 करोड़ रु० का हुआ था ।

**श्री वी० एस० विजयराघवन** : अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काली मिर्च को और प्रतियोगी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आंकड़े उपलब्ध नहीं है तब आप उन्हें भेज सकते हैं।

**श्री सलमान खुर्शीद** : अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ अंतर्कार्यवाही सहित कदम उठाए जा रहे हैं । समस्या यह है कि काली मिर्च एक अलग किस्म की फसल है । विश्व बाजार में इसकी कीमतें गिरने की भी समस्या है। हमें इन सभी बातों की जानकारी है और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य न गिरें अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के साथ मिलकर कदम उठाए जा रहे हैं । विश्व बाजार में कीमतें गिरने का मुख्य कारण मांग और पूर्ति की स्थिति है ।

**श्री सैयद शाहबुद्दीन** : माननीय मंत्री जी ने रुपयों में आंकड़े बताए हैं । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मात्रा और इकाई अर्जन के संदर्भ में इन मदों के निर्यात में वृद्धि अथवा कमी हुई है । यदि कुछ देशों के साथ निर्यात कम हुआ है अथवा कुछ के साथ ज्यादा हुआ है तब उन देशों के नाम बताइए जिनके साथ इस कारण निर्यात कम हुआ ।

**श्री सलमान खुर्शीद** : महोदय, मात्रा और धन दोनों के संदर्भ में निर्यात में वृद्धि हुई। यदि माननीय सदस्य पूर्ण ब्यौरा चाहते हैं तब उन्हें हम लिखित रूप में दे देंगे।

**श्री ई० अहमद** : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि काजू से अर्जित विदेशी मुद्रा समुद्री उत्पादों से अखिल मुद्रा की तुलना में काफी कम थी। मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में एक कारण लाना चाहता हूं कि पश्चिमी देशों जहां हमारा अच्छा बाजार है, मैं काजू उत्पादों का पर्याप्त संवर्धन नहीं किया गया और विश्व बैंक की सहायता से काजू की खेती के लिए जो योजनाएं बनाई गईं, भारत सरकार ने उन पर अब तक कार्यवाही नहीं की है। इसलिए हमें कच्ची गिरी के आयात के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास विश्व बैंक की सहायता से घरेलू तरीकों द्वारा काजू उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना है जिसके लिए एक योजना पहले ही सरकार के समक्ष है जिसे केरल सरकार ने स्वीकृत कर भेजा था।

**श्री सलमान खुर्शीद** : चूंकि काजू बागबानी संबंधी फसल है इसलिए इसके उत्पादन आदि का दायित्व केन्द्र सरकार का नहीं है बल्कि केरल सरकार का है और हमारे मंत्रालय का दायित्व नहीं है बल्कि कृषि मंत्रालय का है। 1982-83 से 1986-87 तक विश्व बैंक से सहायता प्राप्त पंचवर्षीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पेड़ों को अनुप्रमाणित किया गया तथा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में काजू के अधिक पेड़ लगाए गए। फसल के परिणाम अभी प्राप्त होने शुरू हुए हैं। हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार और केरल राज्य के बीच इस क्षेत्र में और अधिक सहयोग हो। हमने इस बारे में योजनाएं बनानी और कदम उठाने शुरू कर दिए है।

**निर्यात को बढ़ाने के लिए विदेशी एजेंसियों से सहायता**

*172. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश द्वारा किये जाने वाले निर्यात की स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई निगरानी और समन्वय एजेंसी है;

(ख) क्या निर्यात बढ़ाने हेतु कुछ विदेशी एजेंसियों से कोई सहायता मांगी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यातों से उनकी समस्याओं के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई हैं?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

(क) वाणिज्य मंत्रालय अपने देश की निर्यात स्थिति को सुधारने के लिए केन्द्रीय मॉनीटरिंग तथा समन्वयकारी एजेन्सी के रूप में कार्य करता है ।

(ख) और (ग) जी, हां। हमारे निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों यथा तकनीकी सहयोग हेतु राष्ट्रमंडल निधि (सी एफ टी सी), लन्दन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई ई सी), ब्रूसेल्स, आदि से समय-समय पर सहायता मांगी जाती है। ऐसी सहायता विदेश व्यापार में हमारे प्रमुख भागीदारों से भी मांगी जाती है ।

(घ) और (ङ) सरकार को परिधान निर्यातकों से उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में समय-समय पर अनेक अभिवेदन मिलते रहे हैं और जहां आवश्यक समझा गया वहां ऐसे अभिवेदनों पर समुचित कार्रवाई की गई है ।

**श्री चन्द्रजीत यादव** : महोदय, मंत्री महोदय, का उत्तर बहुत भ्रामक है । वास्तव में मैंने सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्माताओं द्वारा दिये गये ज्ञापन की मुख्य बातें और उन्हें पेश आने वाली कठिनाईयों के विषय में पूछा था और सरकार के निर्यात पर सब्सिडी वापस लेने के हाल के निर्णय को विशेष रूप से मद्देनजर रखते हुये सरकार ने सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात को बढाने के लिए क्या ठोस कदम उठाये हैं । सिले-सिलाये वस्त्र हमारे निर्यात की प्रमुख मद है जिसमें भारत का नाम है। सरकार यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा निर्धारित कोटे और सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या ठोस कार्यवाही कर रही है ।

**श्री पी० चिदम्बरम** : महोदय, समय-समय पर इस प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं । मैं माननीय सदस्यों को उन निर्णयों के विषय में बताना चाहूँगा जो सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्माताओं के ज्ञापन पर हमने वस्त्र मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् लिए हैं ।

महोदय, प्रथम वह खुली अग्रिम लाईसेंस योजना का उदारीकरण चाहते थे। यह किया जा चुका है । खुली अग्रिम लाइसेंस योजना उन सिले-सिलाये वस्त्रो के नियंत्रकों के लिए लागू की गई है जिनकी पिछली तीन वर्ष की औसत निवल विदेशी मुद्रा में आय 2 करोड़ रुपये या इससे अधिक हैं ।

दूसरी बात वह अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत खरीदे गये और बेचे गये माल के संबंध में बनाये गये मानदण्डों में संशोधन चाहते थे। हमने अग्रिम लाइसेंस के लिए पुनः निर्यात कीमत की दर को 10 प्रतिशत निवल विदेशी आय से बठाकर 20 प्रतिशत निवल विदेशी आय कर दिया है ।

तीसरी बात वह उपकरणों और सजावटी समान के लिए शुल्क में रियायत चाहते थे। पहले यह 20 प्रतिशत निवल विदेशी आय का 10 प्रतिशत था। अब यह 30 प्रतिशत निवल विदेशी आय का 10 प्रतिशत है । अतः उपकरणों और सजावटी सामान के लिए उन्हें तीन प्रतिशत की रियायत मिली हुई है ।

चौथी बात वह मशीनों का शुल्क मुक्त आयात चाहते हैं । मेरे साथी श्री अशोक गहलोत और मैंने वित्त मंत्री को वस्त्र मशीनों के शुल्क मुकत आयात की सात वर्षीय निर्यात बाध्यता के साथ अनुमति की जोरदार सिफारिश की थी। दुर्भाग्यवश वित्त मंत्री ने इसे अपने बजट में शामिल नहीं किया । लेकिन मैं और मेरे साथी गहलौत जी की इस विषय में भरसक कोशिश यही रहेगी कि शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जाये । वह न्यूनतम निर्यात मूल्य का निर्धारण चाहते हैं । गहलोत जी ने डालर में न्यूनतम निर्यात मूल्य की पहले ही घोषणा कर दी है जो 1-1-92 से लागू हो जायेगी । हम प्रत्येक पर विचार करेंगे । यदि माननीय सदस्य कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो वह मुझे लिख सकते हैं मैं उसका उत्तर दे दूंगा ।

**श्री चन्द्रजित यादव :** महोदय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भारतीय सिले-सिलाये वस्त्रों के लिए कोटा निर्धारित किया हुआ है । म यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार का इसमें बढ़ोत्तरी करने का विचार है ।

**श्री पी० चिदम्बरम :** यह "मल्टी फाईबर समझौते" के द्वारा निर्धारित होता है । वे चाहते हैं कि "मल्टी फाईबर समझौता" जारी रहे जबकि हम इसे समाप्त करना चाहते हैं । हम इस पर चर्चा कर रहें हैं । जी० ए० टी० टी० (गेट) के अन्तर्गत हम चाहते हैं कि मल्टी फाईबर समझौते को तब तक के लिए आगे बढ़ा दिया जाये जब तक इसे समाप्त करने के विषय में समझौता नहीं हो जाता । जब तक "मल्टी फाईबर समझौता" लागू है हम इसमें निर्धारित कोटे में ज्यादा की मांग नहीं कर सकते हैं । तत्सम्बन्धी ब्यौरा वस्त्र मंत्रालय के पास है ।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### पारादीप पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात

*165. **श्री अर्जुन चरण सेठी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990–91 के दौरान कितनी मात्रा में लौह अयस्क पारादीप पत्तन पर उतारा और लादा गया और निर्यात किया गया; और वर्ष 1991–92 के लिए इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(ख) पिछले दो वर्षों की तुलना में यह मात्रा कम थी अथवा अधिक ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)**: (क) और (ख) वर्ष 1990–91 तथा 1991–92 और इसके पहले दो वर्षों के दौरान पारादीप पत्तन के जरिए लौह अयस्क में निर्यात का लक्ष्य और वास्तविक निर्यात निम्नलिखित है :

(लाख टन में)

| वर्ष | लक्ष्य | वास्तविक निर्यात |
|---|---|---|
| 1988–89 . | 14.00 | 16.40 |
| 1989–90 | 18.75 | 20.97 |
| 1990–91 . | 22.50 | 16.97 |
| 1991–92 . . . | 20.10 | 5.40 (15-7-91 तक) |

## नये जहाजों की खरीद

*168. **श्री विजय नवल पाटिल**: क्या **जल-भूतलपरिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये जहाजों की खरीद के संबंध में सरकार की नीति क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अनुमान लगाया है कि वर्ष 2000 तक कुल कितने टन भार (डी० डब्ल्यू० टी०) की ढुलाई के लिए कितने जहाजों के बेड़े की आवश्यकता होगी ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस समय उपलब्ध बेड़े में से टन भार की दृष्टि से कितने जहाजों के स्थान पर नये जहाज लाये जाने की आवश्यकता है ;

(ङ) क्या सरकार ने इन पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाया है और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री ( श्री जगदीश टाईटलर)**: (क) सरकार की नीति देश के समुद्री व्यापार की परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टन भार की आवश्यकता और भारतीय शिपयार्डों को समर्थन दिए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नये जहाजों की खरीद को प्रोत्साहित करने की है ।

(ख) से (च) योजना आयोग द्वारा गठित नौवहन संबंधी योजना दल ने सन् 2000 तक अधिगृहीत किए जाने वाले अपेक्षित टनभार का, और चार दृश्य योजनाओं (सिनेरियों)

के आधार पर इस अधिग्रहण के वित्त पोषण के लिए विद्यमान विनिमय दरों पर अपेक्षित तदनुरूपी निवेश का 1987 में अनुमान लगाया था। ब्यौरा नीचे दिया गया है :

| | टन भार (मिलायां डी डब्लयू टी) कुलनिवेश | | | (करोड़ रु०) |
|---|---|---|---|---|
| | सन् 2000 तक अपेक्षित कुल | अतरिक्त अधिग्रहण | इसमें से बदलने के लिए (1987–2000) | |
| हाई कार्गो तथा हाई मार्केट शेयर | 11.6 | 9.0 | 7.1 | 8,100 |
| हाई कार्गो तथा लो मार्केट शेयर | 10.3 | 7.7 | 7.1 | 7,200 |
| लो कार्गो तथा हाई मार्केट शेयर | 10.7 | 8.1 | 7.1 | 7,500 |
| लो कार्गो तथा लो मार्केट शेयर | 9.6 | 6.9 | 7.1 | 6,700 |

**आयात-निर्यात नीति में परिवर्तन**

*169. **श्री० वी० श्रीनिवास प्रसाद :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुपये के अवमूल्यन के बाद देश में देखे गये परिणामों को ध्यान में रखते हुए अपने आयात-निर्यात व्यापार में भारी नीतिगत परिवर्तन की घोषणा की है ;

(ख) क्या निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात होने से निकट भविष्य में भुगतान संतुलन की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां , तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**कम्पनियों द्वारा उत्पाद शुल्क की चोरी**

*170. **श्री कडिया मुण्डा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, 50 करोड़ रुपये से अधिक उत्पाद-शुल्क की चोरी करने वाली किन कम्पनियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।

(ख) क्या सरकार का उन विदेशी कम्पनियों के शेयर अधिग्रहण करने का विचार है जिनसे 50 करोड़ रुपये से अधिक का उत्पाद-शुल्क वसूल किया जाना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)**: (क) गत तीन वर्षों के दौरान, 50 करोड़ रुपए से अधिक उत्पाद-शुल्क की चोरी करने वाली निम्नलिखित कम्पनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं :—

(1) मैसर्स हिन्दुस्तान न्यूज प्रिन्ट लि०, न्यूज प्रिन्ट नगर, कोट्टायम ।

(2) मैसर्स मैसूर पेपर मिल्स, भद्रावती ।

(3) मैसर्स जी० टी० सी०, मुम्बई ।

(4) मैसर्स कॉडप्रे फिल्लिप्स इंडिया लि०, मुम्बई ।

(ख) और (ग) कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद, इस मामले का न्यायनिर्णयन किया जाना है । न्यायनिर्णय में पड़ी शुल्क मांगों की पुष्टि हो जाने के बाद ही वसूली संबंधी कार्यवाहियां आरम्भ करने का प्रश्न उठेगा न कि कारण बताओ नोटिस जारी करने के तुरन्त बाद । मांगों की पुष्टि हो जाने के बाद, किसी कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करने के बजाए वसूली करने के अपेक्षाकृत और बहुत से अन्य प्रत्यक्ष और कारगर तरीके मौजूद हैं ।

[हिन्दी]

**पूर्ति एवं निपठान महा निदेशालय में कथित अनियमितताएं**

*173. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 और 10 जनवरी, 1991 के "जनसत्ता" में पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय में हुई अनियमितताओं के बारे में छपी खबर की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) जी हां, जहां तक छपी खबर का संबंध है ।

(ख) आरोपों की जांच जनवरी, 1991 में की गई थी तथा उन्हें निराधार पाया गया ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

**गुजरात में कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना का कार्यान्वयन**

*174. **श्री काशीराम राणा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "कृषि और ग्रामीण ऋण-राहत योजना, 1990" के अन्तर्गत अब तक लाभान्वित किसानों की राज्य-वार/संघराज्य-क्षेत्रवार संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) अब तक गुजरात राज्य को इस योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि मंजूर की गई है तथा कितनी दी गई है; और

(ग) शेष धनराशि उस कब तक दिए जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह)** : (क) योजना के अधीन मात्र किसान, कारीगर और बुनकर ऋणकर्ताओं को ऋण राहत प्रदान की जाती है। 1-7-1991 की स्थिति के अनुसार, कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के तहत उपलब्ध करायी गई सहायता के हिताधिकारियों की संख्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सम्बन्ध में 93.7 लाख, सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में 164.59 लाख तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में 37.21 लाख थी। चूंकि सूचना प्रणाली में मांगे गए अनुसार सूचना एकत्र नहीं की जाती है, अत: दी गई राहत के लिए वर्ग-वार पृथक सूचना उपलब्ध नहीं है। राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि राज्य में सहकारी बैंकों के लिए कृषि तथा ऋण राहत योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के 50 प्रतिशत हिस्से के रूप में गुजरात राज्य सहकारी बैंक तथा गुजरात राज्य भूमि विकास बैंक को क्रमश: 90.29 करोड़ रुपए तथा 17.12 करोड़ रुपए की राशि नाबार्ड द्वारा मंजूर और जारी कर दी गई है। नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए भी 4.17 करोड़ रुपए की राशि मंजूर और जारी कर दी है।

(ग) आशा की जाती है कि बकाया राशि का प्रावधान चालू और अगले वित्तीय वर्ष में कर दिया जाएगा।

**विवरण**

**पहली जुलाई, 1991 की स्थिति के अनुसार उन व्यक्तियों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या जिन्हें कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अंतर्गत राहत दी गई है**

| क्रम सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | हिताधिकारियों की संख्या जिन्हें राहत दी गई | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सरकारी क्षेत्र के बैंक | सहकारी बैंक | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 11,71,823 | 13,57,224 | 4,02,433 | 29,31,480 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश . | 3,599 | 7,138 | 1,420 | 12,157 |
| 3. | असम . | 2,16,908 | 1,66,585 | 1,25,069 | 5,08,562 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | बिहार | 7,65,129 | 22,49,039 | 5,29,181 | 35,43,349 |
| 5. | गोवा | 9,984 | 8,777 | .. | 18,761 |
| 6. | गुजरात . | 4,62,958 | 8,46,328 | 46,193 | 13,55,479 |
| 7. | हरियाणा | 2,27,085 | 3,08,357 | 63,607 | 5,99,049 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 93,465 | 1,71,687 | 12,669 | 2,77,821 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर . | 15,913 | 8,787 | 9,105 | 33,805 |
| 10. | कर्नाटक . | 8,85,013 | 4,73,257 | 2,58,106 | 16,16,376 |
| 11. | केरल . | 3,12,855 | 56,543 | 67,924 | 4,37,322 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 4,70,840 | 12,21,570 | 2,22,456 | 19,14,868 |
| 13. | महाराष्ट्र . | 6,84,602 | 21,24,862 | 65,614 | 28,75,078 |
| 14. | मणिपुर . | 14,209 | 54,584 | 4,271 | 73,064 |
| 15. | मेघालय . | 14,889 | | 2,177 | 17,066 |
| 16. | मिजोरम . | 2,151 | | 4,245 | 6,396 |
| 17. | नागालैण्ड | 14,354 | .. | 35,747 | 50,101 |
| 18. | उड़ीसा | 5,20,432 | 11,50,160 | 3,81,072 | 20,51,664 |
| 19. | पंजाब . | 2,00,105 | 2,56,632 | 7,054 | 4,63,791 |
| 20. | राजस्थान | 4,66,027 | 11,52,597 | 2,90,443 | 19,09,067 |
| 21. | सिक्किम . | 9,394 | .. | .. | 9,394 |
| 22. | तमिल नाडु | 8,28,817 | 10,88,674 | 60,732 | 19,78,223 |
| 23. | त्रिपुरा . | 46,160 | | 99,965 | 1,46,125 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 9,78,354 | 36,50,793 | 5,26,186 | 51,55,333 |
| 25. | पश्चिम बंगाल . | 9,06,011 | 85,057 | 5,05,110 | 14,96,178 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. | चण्डीगढ़ . | 1,667 | 1,696 | | 3,363 |
| 27. | दादरा और नगर हवेली | 1,290 | 1,508 | | 2,798 |
| 28. | दमन और दीव . | 415 | 700 | | 1,115 |
| 29. | दिल्ली | 10,978 | | | 10,978 |
| 30. | लक्षद्वीप . | 91 | | | 91 |
| 31. | पाण्डिचेरी | 26,049 | 15,483 | .. | 41,532 |
| 32. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह. | 3,567 | 1,188 | .. | 4,755 |
| | कुल . | 93,65,134 | 164,59,226 | 37,20,779 | 295,45,139 |

## राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की सिफारिशें

*175. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की दिल्ली के बारे में उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जो उनके मंत्रालय से संबंधित हैं ; और

(ख) इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने परिवहन से संबंधित अनेक विषयों पर सिफारिशें की हैं लेकिन दिल्ली के बारे में कोई विशिष्ट अध्ययन तथा सिफारिश नहीं की गई है।

(ख) उपर्युक्त (क) भाग के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

## विकास दर

*176. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि भारत में विदेशी ऋणों के कारण पैदा हुए असंतुलन को ठीक करने की प्रक्रिया में विकास दर कम हो जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन सी बातें उत्तरदायी होंगी; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** : (क) जी, हां। एशिया में विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर कुछ विकसित देशों में खाड़ी संकट और मंदी के प्रभाव के बारे में, विश्व आर्थिक सर्वेक्षण, 1991 ने यह प्रेक्षण किया कि :

"भारत में, विशेष रूप से वर्तमान स्थिति का अत्यधिक चिन्ताजनक पहलू विदेशी लेखा में बढ़ता हुआ असंतुलन है और इसे ठीक करने की प्रक्रिया में संभवतः उत्पाद वृद्धि फिर से धीमी होगी"।

(ख) और (ग) विदेशी लेखों में बढ़ते हुए असंतुलन में अनेक उपादानों का योगदान रहा है। अन्य उपादानों के साथ इनमें कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन/उपभोग में घटती हुई आत्म-निर्भरता, वित्तपोषण और व्यापार घाटे के अदृश्य लेखों के आधिक्य में निरन्तर क्षरण, रियायती सहायता के लिए प्रतिकूल वातावरण, पिछले उधारों की ऋण परिशोधन बाध्यताओं का एकद्ध होना और बढ़ते हुए राजकोषीय असंतुलन शामिल हैं। 1990–91 के दौरान खाड़ी संकट और युद्ध से इन दबावों में और वृद्धि हो गई।

भुगतान संतुलन की स्थिति को ठीक करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने, निर्यात निष्पादन को सुधारने, आयातों को नियंत्रित करने और बाजार की अस्थिर संभावनाओं को नियंत्रित करने के लिए रुपए की विनिमय दर में समायोजन किया गया है। सरकार ने आयात निर्यात नीति और औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तनों की घोषणा भी की है।

अर्थव्यवस्था के प्रबन्ध को सुधारने के लिए सरकार की नीति का केन्द्र बिन्दु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एक विश्वसनीय राजकोषीय समायोजन तथा वृहद्-आर्थिक स्थिरता होगा, उसके पश्चात् लगातार राजकोषीय समेकन किया जाता रहेगा।

## उपमार्गों का निर्माण

[हिन्दी]

*177. **श्री राजबीर सिंह** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे शहरों में जिनके बीच से हो कर राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, उपमार्गों निर्माण करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उन राजमार्गों का ब्यौरा क्या है तथा उन शहरों के राज्यवार नाम क्या हैं जहां उपमार्गों का निर्माण किया जाना है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली पर अन्य विकास कार्यों की तुलना में उपमार्गों के निर्माण को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दी जाती है। प्रत्येक योजना अवधि के दौरान निधियों की उपलब्धता और विभिन्न परियोजनाओं के बीच पारस्परिक प्राथमिकता के अध्यधीन चुनिंदा स्थानों के चारों ओर उपमार्गों का निर्माण शुरू किया जाता है। इस समय निर्माणाधीन उपमार्ग संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

| क्र० सं० | रा० रा० सं० |
|---|---|
| **असम** | |
| 1. | रा० रा० 37–जोरहाट उपमार्ग |
| **बिहार** | |
| 2. | रा० रा० 28-क—मोतीहारी उपमार्ग |
| **गुजरात** | |
| 3. | रा० रा० 8–धोरजी उपमार्ग |
| **हिमाचल प्रदेश** | |
| 4. | रा० रा० 22–शिमला उपमार्ग (चरण I) |
| 5. | रा० रा० 22–बारोग उपमार्ग |
| **कर्नाटक** | |
| 6. | रा० रा० 4–हुबली उपमार्ग (चरण II) |
| **केरल** | |
| 7. | रा० रा० 47–त्रिवेन्द्रम नेय्यातिनकारा उपमार्ग (चरण I) |
| 8. | रा० रा० 47–चालकुडी उपमार्ग |
| 9. | रा० रा० 47–अलेपी उपमार्ग (चरण I) |
| **महाराष्ट्र** | |
| 10. | रा० रा० 4–पुणे का बैस्टरली डायवर्सन |
| **नागालैंड** | |
| 11. | रा० रा० 39–दीमापुर उपमार्ग (चरण I) |

**उड़ीसा**

12. रा० रा० 42–मेरामंडाला उपमार्ग

13. रा० रा० 5–राम्भा उपमार्ग

**तमिल नाडु**

14. रा० रा० 7–पुगालूर उपमार्ग

15. रा० रा० 46–वानयामबडी उपमार्ग

16. रा० रा० 46–वेल्लोर उपमार्ग

17. रा० रा० 45–चेंगलपेट उपमार्ग

18. रा० रा० 7–कोयम्बटूर उपमार्ग

**उत्तर प्रदेश**

19. रा० रा० 2–वाराणसी उपमार्ग

20. रा० रा० 26–ललितपुर उपमार्ग

**गोवा**

21. रा० रा० 17–मापुसा उपमार्ग

**खेप कर**

[अनुवाद]

*178. **श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेप कर लगाने के लिए एक विधेयक लाने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह विधेयक कब लाया जाएगा और इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कुछ राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को भी ध्यान में रखा गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) :** (क) से (घ) इस संबंध में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस मामले पर राज्यों के साथ और आगे परामर्श करने की आवश्यकता है।

### आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर रुपये के अवमूल्यन का प्रभाव

*179. **श्री भार्गवे गोवर्धन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रुपए के दो चरणों में किए गए अवमूल्यन का आवश्यक वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यह अवमूल्यन निर्यात बढ़ाने में, प्रभावी आयात विकल्प तैयार करने की प्रेरणा देने में और भारत में पूंजी के बहिर्गमन को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) :** (क) आवश्यक वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर हाल के विनिमय दर समायोजन का प्रभाव मामूली होने की संभावना है। हमारे देश में अधिकांश उपभोज्य आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन पुर्णतया देश में ही होता है। आयातित आवश्यक वस्तुओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण खाद्य तेल, दालें और मिट्टी का तेल हैं। दालों और खाद्य तेलों की घरेलू खपत में आयातों का भाग थोड़ा है। मिट्टी के तेल की घरेलू खपत में आयातों का भाग अपेक्षाकृत अधिक है परन्तु 24 जुलाई, 1991 से मिट्टी के तेल की घरेलू कीमत को 10 प्रतिशत कम किया गया है। आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत, जीवन रक्षा उपयोगी दवाइयों और किताबों के अलावा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का आयात नहीं होता है।

(ख) विनिमय दर में समायोजन से निर्यातों को उनके लाभों में वृद्धि होने से बढ़ावा मिलेगा, आयातों को अधिक महंगा बनाकर प्रभावी आयात प्रतिस्थापन्न को प्रोत्साहन मिलेगा और रुपए की विनिमय दर के बारे में जो धारणाएं उत्पन्न हुई थीं उन अस्थिरात्मक संभावनाओं को नियंत्रित करके भारत से पूंजी प्रवाह को रोका जाएगा।

### पूंजीगत सामान और कच्चे माल के लिए आयात लाइसेंस

*180. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूंजीगत सामान और कच्चे माल के मामले में सभी प्रकार के आयात लाइसेंसों को समाप्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :** (क) और (ख) एस एस आई एककों जीवन रक्षक औषधियों/उपस्करों के विनिर्माताओं के अलावा अन्य एककों द्वारा कच्चे माल तथा कल पुर्जों के आयात के लिए हाल ही में आयात नीति में कतिपय परिवर्तनों की घोषणा की गई है जिससे लाइसेंसिंग की मात्रा में कमी आयी है। पूंजीगत सामान के लिए आयात नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सरकार की नीति पूंजीगत सामान और कच्चे माल के लिए लाइसेंसिंग को 3 से 5 वर्ष की अवधि में उत्तरोत्तर कम करने की रहेगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव अभी तैयार किए जाने हैं।

## महिला सैन्य बटालियन की स्थापना

*181. **प्रो० के० वी० थामस:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक महिला सैन्य बटालियन की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस बटालियन में कितने सैनिक रखने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस बटालियन को क्या कार्य सौंपे जाएंगे?

**रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) से (ग) जी, नहीं। यद्यपि महिलाओं को योधी शाखाओं में भर्ती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि, उन्हें कुछ चुनी हुई शाखाओं में भर्ती करने से संबंधित रक्षा सेनाओं के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ताकि शीघ्र निर्णय लिया जा सके।

## नई दिल्ली-मुम्बई मार्ग के एक भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

[हिन्दी]

*182. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अजमेर, नसीराबाद और इंदौर से होकर गुजरने वाला नई दिल्ली-मुम्बई मार्ग यातायात की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं;

(ख) क्या इस मार्ग के तीन स्थानों अर्थात् नसीराबाद, नीमच और महु में सेना और सी०आर०पी०एफ० के मुख्यालय, अनेक सीमेंट कारखाने तथा अन्य औद्योगिक एकक हैं;

(ग) क्या इस मार्ग के नसीराबाद से इंदौर तक के मध्य भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की प्रारम्भिक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो नई दिल्ली-मुम्बई मार्ग के उक्त भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग कब तक घोषित किए जाने की संभावना है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर):** (क) नई दिल्ली, मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 के जरिए वाया अजमेर, बम्बई के साथ जुड़ी हुई है। इसी प्रकार वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 तथा 3 दिल्ली को बम्बई के साथ, वाया इंदौर, जोड़ते हैं। अजमेर से इंदौर तक के उस मार्ग का अपना ही महत्व है जो वाया नसीराबाद और नीमच होकर जाता है और यह संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन सड़क प्रणाली का एक हिस्सा है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

**दिल्ली परिवहन निगम के बस स्टापों पर आश्रयस्थलों का निर्माण**

640. **श्री सनत कुमार मंडल :**

**डा० सी० सिलवेरा :**

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में कुल कितने बस स्टाप हैं और इनमें से कितने स्टापों पर आश्रय-स्थल बने हुए हैं ;

(ख) क्या सभी बस स्टापों पर आश्रयस्थलों का निर्माण किया जाएगा ;

(ग) यदि नहीं, तो नए बस आश्रयस्थलों का निर्माण करने हेतु बस स्टापों का चयन करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ;

(घ) वर्ष 1990 तथा 1991 के दौरान अब तक निर्मित और वर्ष 1991 की शेष अवधि के दौरान निर्माण हेतु प्रस्तावित नए बस आश्रयस्थलों का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या राजधानी के यात्रियों के लिए आश्रयस्थलों का निर्माण करने के इस कार्य-क्रम के अन्तर्गत इस समय जो आश्रयस्थल जीर्णशीर्ण हालत में हैं और वर्षा के समय यात्रियों को कोई राहत नहीं देते ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :** (क) दिल्ली परिवहन निगम के शहरी प्रचालन क्षेत्र में लगभग 5500 बस स्टाप हैं जिनमें से 1533 पर बस क्यू शैल्टर हैं।

(ख) स्थान की कमी और अन्य सेट चौक संबंधी बाधाओं के कारण सभी बस स्टापों पर शैल्टरों का निर्माण करना व्यवहार्य नहीं हैं।

(ग) बस क्यू शैल्टरों का निर्माण भूमि और मुख्य आम रास्ते से पर्याप्त स्थान की उपलब्धता को ध्यान में रख कर किया जाता है।

(घ) दिल्ली परिवहन निगम ने दिसम्बर, 1990 में के० लो० नि० वि० को दिल्ली में 320 बस क्यू शैल्टर बनाने का कार्य सौंपा है। अभी तक कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा 10 बस क्यू शैल्टरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(ङ) जी, हां। मौजूदा बस शैल्टरों के क्षतिग्रस्त होने पर इनकी मरम्मत भी की जाती है।

(च) उपर्युक्त (ङ) भाग के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**चालू परियोजनाओं को रद्द करने के कारण राष्ट्रीय वस्त्र निगम को हुआ घाटा**

641. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड तथा इसके सहायक निगमों के प्रबन्ध के अन्तर्गत कार्यरत विभिन्न मिलों के विस्तार कार्य की स्थिति की विशेष रूपों उन विकास परियोजनाओं को जिन्हें धन की कमी के कारण बंद किया गया था, समीक्षा करने का है;

(ख) क्या उन परियोजनाओं, को, जिन्हें इस प्रकार बन्द कर दिया गया था ब्याज में भारी घाटा और सम्भावित उत्पादन में नुकसान हो रहा है ;

(ग) क्या विभिन्न ठेकेदारों के साथ उन रद्द किये गये ठेकों से संबंधित लेखाओं को निपटा दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो चालू परियोजनाओं को रद्द करने के कारण राष्ट्रीय वस्त्र निगम या उसके सहायक निगमों के साथ कितने दावे लंबित पड़े हैं ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) :** (क) एन टी सी (डब्ल्यू बी ए बी एण्ड ओ) लि० कलकत्ता के अधीन कुछ मिलों के मामले में आधुनिकीकरण योजनाओं की छटाई करने के कारण सिविल निर्माण कार्य के आदेश रद्द कर दिये गये थे। ऐसे सिविल निर्माण कार्यों का विस्तार करने की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) आधुनिकीकरण योजनाओं की छटाई करने के कारण ब्याज का कोई घाटा नहीं हुआ क्योंकि इनमें निवेशित निधियां इक्विटी पूंजी से सम्बन्धित है चूंकि योजना के अन्तर्गत एन टी सी ने किसी प्रकार की पूंजीगत मशीनरी की अधिप्राप्ति नहीं की है इस लिये उत्पादन में कोई घाटा नहीं हो रहा है ।

(ग) से (ङ) एन टी सी (डब्ल्यू बी ए बी एण्ड ओ) ने सम्बंधित ठेकेदारों के साथ लेखाओं को निपटा दिया है । केवल एक ठेकेदार ने अपने आर्डर को पुनः निरूपण रखने का आग्रह किया था जिसे पुनः निरूपित कर दिया गया था । तथापि उसने एन टी सी द्वारा प्रस्तावित पी डब्ल्यू डी की दरों को स्वीकार नहीं किया था इस लिये उसका ठेका रद्द कर दिया गया ।

**कंपनियों द्वारा निर्यात-वचनबद्धताओं का पालन**

642. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं या उठाने का विचार है कि निर्यात संबंधी वचनबद्धता देने वाली सभी कंपनिया अपनी वचनबद्धताओं का पालन करें:

(ख) क्या इन कंपनियों के निर्यातों पर नजर रखने वाला कोई अभिकरण है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) और (ख) निर्यात वचनबद्धताओं की मानीटरिंग के संबंध में हमारी क्रियाविधि में पहले से ही प्रावधान है । निर्यातकों से यह अपेक्षा है कि वे प्रति वर्ष अपनी-अपनी आवाधिक विवरणियां मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के मुख्यालय और/अथवा क्षेत्रीय लाइसेंसिंग कार्यालयों, जैसा भी मामला हों, के सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत करें जिनमें निर्धारित प्रपत्र में उनका निर्यात निष्पादन अंकित किया गया हो ।

(ग) और (घ) निर्यात वचनबद्धता वाले लाइसेन्सों सहित विभिन्न प्रकार के लाइसेन्स जारी करने वाले 31 क्षेत्रीय कार्यालयों से इतनी बड़ी और व्यापक सामग्री एकत्र करना और उसका समन्वय करना सम्भव नहीं है ।

**सऊदी अरब के साथ व्यापार समझौता**

643. **श्री ई० अहमद** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सऊदी अरब के साथ कोई नया व्यापार समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**काली मिर्च बोर्ड का गठन**

644. **श्री पाला के एम० मैथ्यू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार काली मिर्च बोर्ड का गठन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो गठन कब तक किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद)** : (क) से (ग) कालीमिर्च बोर्ड की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । कालीमिर्च पहले ही मसाला बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आती है ।

**रेमुना-दुर्गादेवी रोड और बुढ़ाबालंगा नदी पर पुलों का निर्माण**

645. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के बालासोर जिले में रेमुना-दुर्गादेवी रोड पर सोन पुल तथा बालीघाट के नजदीक बुढ़ाबालंगा नदी पर पुल के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि दी गई है तथा उनका निर्माण कार्य कितना पूरा हो चुका है ; और

(ख) इसे समय पर पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :** (क) और (ख) प्रश्नगत पुल राज्य सड़कों पर पड़ते हैं न कि राष्ट्रीय राजमार्क पर। इसलिए इन पुलों के निर्माण की जिम्मेदारी उड़ीसा सरकार की है ।

**निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन**

646. **श्री गोविन्दराव निकम :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का क्या मापदंड है;

(ख) क्या लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के नए परिसीमन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इसे कब तक किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० रंगराजन कुमारमंगलम्) :** (क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 81, 82 और 330 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन ऐसी रीति से किया जाता है जैसी संसद् विधि द्वारा अवधारित करे ।

(ख) जी हां ।

(ग) 30 मई, 1990 को राज्य सभा में पुनः स्थापित, संविधान (सतरवां संशोधन) विधेयक, 1990 में उपबंध है कि 1971 की जनगणना के आधार पर विभिन्न राज्यों को आबंटित स्थानों की कुल संख्या पर प्रभाव डाले बिना, 1981 की जनगणना के आधार पर नए सिरे से परिसीमन कराया जाए। इस समय ऐसे परिसीमन के लिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती क्योंकि इस विषय में आगे कार्रवाई, संसद् द्वारा विधेयक के पारित कर दिए जाने पर निर्भर है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**होम्योपैथी की दवाइयों में प्रयोग की जाने वाली दूध की चीनी पर सीमाशुल्क**

647. **डा० कृपासिंधु भोई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूध की चीनी का होम्योपैथी की दवाइयों में प्रयोग किया जाता है;

(ख) दूध की कितनी चीनी का आयात किया जाता है तथा विभिन्न पत्तनों में पिछले दो वर्षों के दौरान इस पर लगाये गये सीमाशुल्क की दरों का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या होम्योपैथी की दवाइयों के आयातकों को पिछले एक वर्ष के दौरान दूध की चीनी का आयात करने के लिए सीमाशुल्क में कोई छूट दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) :** (क) होम्योपैथी में "दूध की चीनी" का प्रयोग होम्योपैथिक दवाइयों के निर्माण और औषध योजन (डिस्पेंसिंग) के लिए एक अनुपान के रूप में किया जाता है ।

(ख) से (घ) "दूध की चीनी" पर गत दो वर्षों के दौरान लगाए गए सीमाशुल्क की दर और उस पर उद्ग्राह्य शुल्क की रिआयती दर संलग्न विवरण में विनिर्दिष्ट की गयी है।

गत दो वर्षों के दौरान आयात की गई "दूध की चीनी" की मात्रा के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

**विवरण**

| क्रम सं० | अवधि | शुल्क की सामान्य दर (मूल + उपषंगी + अतिरिक्त) | शुल्क की रिआयती दर (मूल + उपषंगी + अतिरिक्त) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1 मार्च, 89 से 19 मार्च, 90 तक | 135.75% मूल्यानुसार | .. | .. |
| 2. | 20 मार्च, 90 से 14 दिसम्बर, 90 तक | 131.5% मूल्यानुसार | 60% मूल्यानुसार | शुल्क की रिआयती दर होम्योपैथिक दवाइयों में प्रयोग किए जाने वाले लेक्टोज नामक एक पदार्थ, जो साधारणतया "दूध की चीनी" के नाम से ज्ञात है, के लिए लागू थी (दिनांक 20-3-90 की अधिसूचना सं० 28/90-सी० शु० द्वारा) |
| 3. | 15 दिसम्बर, 90 से 24 जुलाई, 91 तक | 137.29%, मूल्यानुसार | 65% मूल्यानुसार | —वही— |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | 25 जुलाई, 91 से आगे | 138.83% मूल्यानुसार | 65% मूल्यानुसार | अधिसूचना (दिनांक 25-7-91 की अधिसूचना सं० 50/91–सी शु० द्वारा) में निर्धारित की गयी शर्त के अध्यधीन शुल्क की रिआयती दर उस प्रकार के आयातित लेक्टोज पर लागू होती है जो होम्योपैथिक दवाइयों के निर्माण के लिए भारत के होम्योपैथिक भेषज संहिता के विनिर्देशन के अनुरूप हो। |

## होम्योपैथि की औषधियों का आयात

648. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होम्योपैथी औषधियों के आयात सम्बंधी नीति क्या है ;

(ख) क्या सरकार को इन औषधियों की स्वदेशी उत्पादन क्षमता को देखते हुए इनके आयात पर प्रतिबंध लगाने सम्बंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)**: (क) तैयार माल के रूप में होम्योपैथक दवाइयों का आयात करने की अथवा मूल रूप से और/या किसी भी शक्ति की होम्योपैथिक औषधों (सिंगल) का आयात वास्तविक प्रयोग/स्टॉक और बिक्री के लिए करने की सभी व्यक्तियों को अनुमति दी जा रही है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

**मुजफ्फरपुर-दरभंगा-फारबिसगंज उप-मार्ग**

649. **श्री भोगेन्द्र झा :**

**श्री छेदी पासवान :**

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुजफ्फरपुर-दरभंगा-फारबिसगंज उप-मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(ग) इस उप-मार्ग के लिए कमला-भुतही, बलान और कोसी नदियों पर पुलों के निर्माण का कार्य इस समय किस स्थिति में है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) और (ख) संभवत: माननीय सदस्यों का आशय बिहार में मुजफ्फरपुर-दरभंगा-फारबिसगंज रोड का विकास राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में किए जाने से है । आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही इस विषय में निर्णय लिया जाएगा ।

(ग) संदर्भाधीन प्रस्तावित पुल इस समय राज्य सड़क नेटवर्क पर पड़ते हैं । अत: उनका निर्माण करना राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है ।

[अनुवाद]

**राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 का चौड़ा किया जाना**

650. **श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के हावड़ा-खड़गपुर खण्ड को विकसित/चौड़ा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)**: राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है और राष्ट्रीय राजमार्गों की मौजूदा स्थिति, यातायात सघनता, अखिल भारतीय आधार पर उनकी आपसी प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रख कर ही सुधार कार्य किए जाते हैं । राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-6 के हावड़ा-खड़गपुर खंड को सुदृढ़ करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 762.45 लाख रु० की लागत के सात निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई थी ।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-6 के हावड़ा-खड़गपुर खंड पर 34 से 37 और 99 से 106 कि० मी० के कुछेक भागों को सुदृढ़ करने का कार्य तथा 17.4 से 80 कि० मी० तक को चार

लेन का बनाने हेतु सर्वेक्षण और जांच कार्य को 1991-92 के दौरान मंजूर करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

**स्टेट बैंक आफ इन्दौर की शाखाओं का कार्य निष्पादन**

651. **श्री राम बदन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 1991 के अनुसार देश में स्टेट बैंक आफ इन्दौर की राज्य-वार कितनी शाखायें कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार उक्त बैंक की कितनी शाखाओं को घाटा हुआ और कितनी शाखाओं को लाभ हुआ; और

(ग) उन शाखाओं को बचाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं जो घाटे में चल रही हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह):** (क) 30-6-1991 की स्थिति के अनुसार देश में कार्य कर रही स्टेट बैंक आफ इंदौर की राज्यवार शाखाओं की संख्या नीचे दर्शायी गयी है:—

| राज्य/संघ शासित राज्य का नाम | शाखाओं की संख्या |
|---|---|
| राजस्थान | 3 |
| दिल्ली | 6 |
| पश्चिम बंगाल | 3 |
| मध्य प्रदेश | 289 |
| उत्तर प्रदेश | 7 |
| गुजरात | 7 |
| महाराष्ट्र | 11 |
| आन्ध्र प्रदेश | 1 |
| कर्नाटक | 1 |
| तमिलनाडु | 2 |
| जोड़ | 330* |

*मई 1991 में एक शाखा खोली गई।

(ख) स्टेट बैंक आफ इंदौर की शाखाओं की संख्या जिन्होंने गत तीन वर्षों में हानि या लाभ अर्जित किया है नीचे दर्शाया है :—

| समाप्त वर्ष | हानि वाली शाखाएं | लाभ वाली शाखाएं |
|---|---|---|
| मार्च, 1989 | 46 | 274 |
| मार्च, 1990 . . | 61 | 268 |
| मार्च, 1991 . . . . . | 48 | 281 |

(ग) हानि उठाने वाली शाखाओं को हानि से बचने के लिए निम्नलिखित उपाए किए गए हैं :—

(1) हानि वाली सभी शाखाओं के कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा और निगरानी उच्च स्तर पर बारीकी से की गयी है ।

(2) लाभ में बढ़ोतरी करने के लिए विविध कारोबार में वृद्धि करना ।

(3) शाखाओं की आय क्षरण को रोकने के लिए आय क्षरण की नियमित रूप से जांच करना ।

(4) परिचालनात्मक दक्षता में और प्रदान की गयी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आक्रमक बाजार नीतियों को अपनाना और प्रशिक्षण निविष्टियों में बढ़ोत्तरी ।

(5) उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा ऊपरी और नियंत्रत, किये जा सकने वाले खर्चों में कमी करना और बचत के विभिन्न उपाय करना ।

(6) समझौतों, न्यायालय से बाहर निपटान पुनर्निर्धारण आदि के माध्यम से वसूलियों में सुधार द्वारा निष्क्रिय परिसम्पत्तियों को कम करना ।

## असम में सीमा सड़क कृतिक बल के अन्तर्गत सड़कें

[अनुवाद]

652. **डा० जयन्त रंगपी :** क्या रक्षा संत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में दो पहाड़ी जिलों कर्बी अंगलांग और एन० सी० हिल में कुल कितनी लम्बी सड़क सीमा सड़क कृतिक बल के अन्तर्गत है ;

(ख) इन सड़कों के नाम क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1989–90 और 1990–91 के दौरान इन सड़कों के रख-रखाव पर सड़क-वार कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ?

**रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार)** : (क) सड़क का केवल 113 किलोमीटर भाग जिसका कुछ हिस्सा उत्तरी कछार पर्वतीय जिले में और कुछ हिस्सा कछार जिले में पड़ता है, सीमा सड़क संगठन के पास है ।

(ख) और (ग) उधारबंद—

| | जातिंगा–महुर सड़क | |
|---|---|---|
| | 1989–90 | 1990–91 |
| | (रुपये लाख में) | |
| उधारबंद–जातिंगा | 5.54 (अप्रैल से सितम्बर 89 तक) | शून्य |
| जातिंगा–महुर | 3.36 | 3.36 |

उधारबंद-जातिंगा क्षेत्र की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप बनाने के लिए धन की व्यवस्था 1-10-89 से उत्तरी पूर्वी परिषद द्वारा की जा रही है । परिणामतः इस क्षेत्र के लिए उत्तरी पूर्वी परिषद द्वारा अलग से धन की व्यवस्था नहीं की गई है ।

## उज्जैन में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की हीरा मिल में जन सुविधाएं

[हिन्दी]

653. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उज्जैन (मध्य प्रदेश) स्थित राष्ट्रीय कपड़ा निगम की हीरा मिल के श्रमिक परिसर में जन सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए है और जीर्ण-शीर्ण मकानों की मरम्मत हेतु क्या प्रावधान किया गया है ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत)** : राष्ट्रीय वस्त्र निगम के उज्जैन नगर निगम के साथ हुए करार के अनुसार हीरा मिल्स, उज्जैन में स्थित क्वार्टरों/फैक्टरी की सफाई का कार्य नगर निगम को मासिक भुगतान के आधार पर सौपा गया है । प्रदान की गयी अन्य नागरिक सुविधाएं निम्नोक्त अनुसार है :—

(1) मिल के क्वार्टरों में बिजली मिल द्वारा प्रदान की गई है जिसके लिए राशि वसूल की जाती है ।

(2) स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था मिल के खर्चे पर की गई है ।

(3) जल की आपूर्ति के लिए मिल द्वारा पानी के पाईप बिछाए गए है ।

(4) मिल के क्वार्टरों में मरम्मत तथा सफेदी मिल द्वारा कराई जाती है ।

(5) मिल ने मिल के परिसर की चाल में पृथक मनोरंजन क्लब स्थापित किया है ।

(6) मिल के परिसर में सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था की गई है जिसके रखरखाव/सफाई शुल्क की अदायगी मिल द्वारा नगर निगम को की जाती है ।

(7) वर्ष 1990 में हीरा मिल की चाल में मार्गों और नालियों के निर्माण कार्य पर होने वाले अन्य अनुवर्ती व्यय के लिए उज्जैन नगर निगम को लगभग 2 लाख रु० की राशि का अंशदान दिया गया था।

जब कभी भी आवश्यक होता है मिल के प्रबंधकों द्वारा मकानों की जरूरी मरम्मत करवाई जाती है ।

**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की बकाया धनराशि**

[अनुवाद]

654. **श्री सैयद शाहबुद्दीन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1989, 31 मार्च, 1990 और 31 मार्च, 1991 की तिथि के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कितनी राशि बकाया थी ;

(ख) भुगतान न करने वाले उन प्रमुख व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन पर 1 करोड़ से अधिक रुपया बकाया है और इन तिथियों को उन पर कितनी धनराशि देय थी ;

(ग) भुगतान न करने वाले प्रमुख व्यक्तियों पर कुल कितनी धनराशि बकाया है;

(घ) क्या बकाया धनराशि पर कोई ब्याज देय है; और

(ङ) कम सप्लाई में कच्चे माल के लिए लाइसेंस और कोटा बढ़ाने से इन्कार सहित बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) :** (क) क्रमश: 847 करोड़ रुपये, 973 करोड़ रुपये और 1226 करोड़ रुपये है ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(घ) जी, नहीं । केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 में ब्याज लेने की कोई व्यवस्था नहीं है । जब तक कि अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थगन आदेश न दिया गया हो, बकाया राशि को तत्काल अदा करना पड़ता है । तथापि, पार्टी द्वारा अनुरोध किए जाने पर, उचित मामलों में, कार्यकारी अनुदेशों द्वारा किस्तों में अदायगी करने की सुविधा दी जाती है बशर्ते कि उक्त पार्टी प्रत्येक महीने के अन्त में 17.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर संयोजित ब्याज की अदायगी करने को तैयार हो।

(ङ) चूंकि राजस्व की बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, अत: समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले प्रशासनिक, विधिक तथा अन्य उपाए बराबर किए जाते रहते हैं। जान-बूझकर तथा लगातार किए जाने वाले बड़ी-बड़ी राशियों के कर अपवंचन संबंधी मामलों में, पूंजीगत निर्गमों, बोनस शेयरों, बैंकों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों, विस्तार संबंधी लाइसेंसिंग आदि के लिए प्राप्त आवेदनों के अनुमोदन से संबंधित मामलों को कम तरजीह दी जाती है ।

## बिहार में बुनकरों के लिए कच्चे माल का प्रावधान

[हिन्दी]

655. श्री नवल किशोर राय : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिलों में बुनकरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें कच्चा माल, वित्त और उपयुक्त बाजार सुविधाएं प्रदान करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनके सामान का निर्यात करने का भी है ;

(ग) यदि हां, तो कब तक और कैसे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत)** : (क) भारत सरकार ने समूचे देश में हथकरघा बुनकरों को कच्चा माल और वित्त उपलब्ध कराने तथा उन्हें विपणन सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से अनेक योजनाएं बनाई है । ये योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जाती है तथा ये किसी विशिष्ट क्षेत्र/जिले के लिए नहीं होती । बुनकरों, जिनमें बिहार के सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिलों के बुनकर भी शामिल है, की दशा में सुधार लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई है :—

**कच्चे माल की व्यवस्था.**—हैंक यार्न दायित्व योजना हथकरघा बुनकरों के लिए हैंक यार्न की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करती है । यार्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए नए तकुओं की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है। बुनकर सहकारी कताई मिलों में शेयरपूंजी की सहभागिता करके मौजूदा क्षमताओं का विस्तार किया जाता है । हथकरघा बुनकरों को यार्न की सप्लाई बढ़ाने तथा रंजकों और रसायनों की आपूर्ति करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम की स्थापना की गई थी ।

**वित्त की व्यवस्था.**—सहकारी बैंकों के जरिए मुख्य/शीर्ष सहकारी समितियों को कार्याचालन पूंजी वित्त उपलब्ध कराने के लिए एक योजना परिचालन में है । राज्य स्तरीय हथकरघा निगमों की परिधि में आने वाले अलग-अलग बुनकरों को निगमों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य बैंकों से कार्यचालन पुंजी वित्त प्राप्त करते है ।

**विपणन सहायता.**—पहले से चल रहीं छूट योजना के स्थान पर केन्द्रीय सरकार द्वारा एक सहन बाजार विकास सहायता योजना क्रियान्वित की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी समितियां तथा निगम अपने कारोबार के 8 प्रतिशत की दर से अथवा वर्ष 1988–89 में उनके द्वारा प्राप्त की गई छूट के बराबर की राशि की सहायता प्राप्त करने के पात्र है । यह योजना राज्य संगठनों को हथकरघा उत्पादों के विपणन में सुधार लाने के लिए निधियों का विनियोजन करने में अधिक लोचशीलता प्रदान करती है ।

(ख) से (घ) **हथकरघा उत्पादों का निर्यात**.—सरकार ने भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना की है जोकि समूचे देश से हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने का प्रयास करता है। फिर भी निर्यात मुख्यतः निजी क्षेत्र के अधीन है और यह निजी क्षेत्रों की समझौता-वार्ताओं के जरिए किया जाता है। इसके अलावा हथकरघा निर्यात संवर्द्धन परिषद भी है जोकि भारत से हथकरघा निर्यातों को बढ़ाने की दिशा में प्रयास करती है।

## ऋणों की वसूली

656. **श्री दाऊ दयाल जोशी**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वयं रोजगार योजना, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और कृषि कार्यों के लिए दिए गए अन्य ऋणों जैसी बैंक ऋण योजनाओं की वसूली के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का वसूली प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बैंक दस्तावेजों को परिसीमा कानून के क्षेत्र से हटाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)**: (क) वर्ष 1988, 1989 और 1990 के लिये सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली की प्रतिशतता क्रमशः 56.8, 57.3 और 46.8 थी। वर्ष 1988, 1989 और 1990 के लिये सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऋणों की वसूली की प्रतिशतता क्रमशः 40.8, 39.1 और 30.8 थी। जहां तक शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना का संबंध है, उद्योग मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस योजना का मूल्यांकन स्वतंत्र प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया गया था। अब तक 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मूल्यांकन अध्ययन किये गये हैं। इसमें कुल 21054 हिताधिकारी शामिल हैं। इनमें से 6412 ऋणकर्ता (41.17%) बैंकों के ऋणों की वापसी अदायगी में चूक करने वाले पाए गए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

**पंजाब में चुनावों का स्थगन**

[अनुवाद]

657. **श्री लालकृष्ण आडवाणी :**
**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
**श्री राम विलास पासवान :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
**श्री भोगेन्द्र झा :**
**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस तारीख तक सरकार तथा चुनाव आयोग का यह विचार था कि पंजाब में चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 22 जून को ही हों;

(ख) किस तिथि को आयोग ने यह घोषणा की कि चुनाव स्थगित किए जा रहे हैं क्योंकि आयोग यह महसूस कर रहा है कि उसे उपलब्ध सूचना के अनुसार 22 जून को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है ;

(ग) चुनाव आयोग को, उक्त अन्तरिम अवधि के दौरान यह सूचना किसने दी; और

(घ) सरकार ने तथा चुनाव लड़ रहे व्यक्तियों तथा लोगों ने 22 जून के चुनाव के लिए अनुमानत: कितना धन खर्च किया ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्)** : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 और धारा 153 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का तथा इस संबंध में उसे समर्थन बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब राज्य के सभी संसदीय निर्वाचनक्षेत्रों में मतदान की तारीख अपनी 20 जून, 1991 की अधिसूचना द्वारा 22 जून, 1991 से मुल्तवी करके 25 सितम्बर, 1991 कर दी । 20 जून, 1991 तक ये निर्वाचन 22 जून, 1991 को होने थे ।

(ग) निर्वाचन आयोग विभिन्न स्त्रोतों से अर्थात् राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, राजनैतिक दलों, जन साधारण और निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्वाचन अनुसूची निरन्तर मानीटर कर रहा था। निर्वाचन मुल्तवी किए जाने का आयोग का विनिश्चय, एक विशिष्ट समय पर उसके द्वारा प्राप्त किसी विनिर्दिष्ट जानकारी के आधार पर नहीं था बल्कि उस समय विद्यमान सभी सुसंगत तथ्यों और समग्र परिस्थितियों के निर्धारण पर आधारित था ।

(घ) राज्य सरकार द्वारा किया गया अनुमानित व्यय लगभग 3.46 करोड़ रुपए था। 22 जून, 1991 के निर्वाचन लड़ने वाले व्यक्तियों और दलों द्वारा किए गए व्यय संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

**चीन के साथ सीमा व्यापार**

658. **श्री प्रकाश बापू वसंतराव पाटील :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चीन के साथ सीमा व्यापार पुनः आरंभ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :** (क) और (ख) भारत और चीन सिद्धान्त रूप में सीमा-व्यापार फिर शुरू करने के लिए सहमत हो गए हैं। दोनों पक्षों ने इस बारे में समझौतों के प्रारूपों का आदान-प्रदान कर लिया है।

[हिन्दी]

**दिल्ली की परिवहन प्रणाली में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी**

659. **श्री सज्जन कुमार :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली की परिवहन प्रणाली में सुधार लाने हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ; और

(घ) दिल्ली में परिवहन प्रणाली को बेहतर बनाने हेतु और क्या-क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :** (क) से (ग) जी, हां। सरकार दिल्ली की परिवहन प्रणाली में सुधार लाने के लिए निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी का स्वागत करती है। सरकार ने दिल्ली प्रशासन से यह सिफारिश की है कि दिल्ली परिवहन निगम के भाड़े ढांचे से ऊंचे भाड़े ढांचे पर स्पेशल स्टेज कैरिज परमिट की एक योजना लागू की जाए।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में तीव्रगामी जन परिवहन प्रणाली लागू करने हेतु एक तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करने संबंधी कार्य मैसर्स राइटस को सौंपा था। प्रतिवेदन, दिल्ली प्रशासन को प्रस्तुत कर दिया गया था । भारत सरकार ने, दिल्ली प्रशासन के साथ परामर्श से प्रारंभिक कार्यवाही करने के लिए एक संचालन समिति गठित की है ।

दिल्ली प्रशासन को यह सलाह दी गई है कि वह निजी प्रचालकों को अतिरिक्त स्टेज कैरिज परमिट प्रदान करें।

[अनुवाद]

**मझगांव डॉक लिमिटेड में आयातित सामग्री पर जंग लगना**

660. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अप्रैल, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "सब मैटीरियल रस्टिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं ;

(ग) इस सामग्री का उपयोग पनडुब्बियों के निर्माण के लिए न किये जाने के क्या कारण हैं और सरकार का इस सामग्री की खपत किस प्रकार करने का विचार है ;

(घ) क्या इसके लिए कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

**रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) पश्चिम जर्मनी से अब तक आयात की गई पनडुब्बी संबंधी सामग्री का कुल मूल्य 138 करोड़ रुपए है। इसमें से 134.88 करोड़ रुपए (97.3%) मूल्य की सामग्री का इस्तेमाल दो पनडुब्बियों के निर्माण में पहले ही किया जा चुका है। शेष 2.7% सामग्री का इस्तेमाल इस प्रकार किया जाएगा :—

3.12 करोड़ रुपए मूल्य की सामग्री — शेष निर्माण कार्य के लिए एक वर्ष के भीतर इस्तेमाल कर ली जाएगी

60 लाख रुपए मूल्य की सामग्री — भावी रिफिट/मरम्मत के दौरान इस्तेमाल की जाएगी ।

(घ) और (ङ) ऊपर भाग (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते ।

**आयात पर रोक**

661. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आयात पर लगे रोक को हटाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : (क) और (ख) रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने हाल ही में आयात वित्त पर कुछ प्रतिबन्ध शुरू किए थे। इन प्रतिबन्धों को उठाने की बात "भुगतान सन्तुलन" की स्थिति पर निर्भर करेगा।

**(हिन्दी)**

## भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

662. **प्रो० प्रेम० धूमल** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अवकाश ग्रहण करने के पश्चात् पुनर्वासित किये गये भूतपूर्व सैनिकों का वर्ष-वार प्रतिशत क्या है,

(ख) क्या उनका पुनर्वास भूतपूर्व सैनिकों के लिये निर्धारित प्रतिशत के अनुसार किया जा रहा है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

**रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार)** : (क) जिन भूतपूर्व सैनिकों को सिविल रोजगार में, जिसमें निजी क्षेत्र भी शामिल है, लगाया गया उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| वर्ष | सेवानिवृत्त होने वालों की सं० | रोजगार सहायता चाहने वालों की सं० | जिन्हें रोजगार दिया उनकी सं० | कालम (3) के संदर्भ में प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1988 | 55,295 | 35,882 | 21,872 | 60.96% |
| 1989 | 62,274 | 37,849 | 18,853 | 49.81% |
| 1990 | 53,979 | 31,868 | 15,909 | 49.92% |

(ख) और (ग) भूतपूर्व सैनिकों को, उनके लिए निर्धारित रूप में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता जिसके कारण कुछ इस प्रकार है :—

(1) भूतपूर्व सैनिक अपने घरों से दूर रोजगार लेने के इच्छुक नहीं होते।

(2) अधिकतर भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए आरक्षित पदों के लिए निर्धारित योग्यताओं/मानदण्डों को पूरा नहीं करते।

(3) वैज्ञानिक और औद्योगिक नियुक्तियों के लिए सीमित संख्या में ही भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध हो पाते हैं।

(4) भूतपूर्व सैनिकों का केन्द्रीय पुलिस संगठन तथा अर्धसैनिक बलों में जहां पर्याप्त संख्या में रिक्तियां उनके लिए आरक्षित होती हैं, नौकरी लेने के अनिच्छुक होना।

**उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के न्यायाधीशों की नियुक्ति**

[अनुवाद]

663. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण वर्ग के अंतर्गत न्यायाधीशों की न्यायालय-वार रिक्तियां कितनी है ; और

(ख) इन रिक्तियों को भरने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) :** (क) और (ख) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के सुसंगत उपबंधों के अनुसार की जाती है जिनमें किसी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण का उपबन्ध नहीं है ।

**पंजाब एंड सिंध बैंक में अनियमितताएं**

664. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जुलाई, 1991 को जनसत्ता में "पंजाब एंड सिंध बैंक की सदर शाखा में एक करोड़ से ज्यादा का गोलमाल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का इस मामले की जांच करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) :** (क) और (ख) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो ने दिनांक 15-5-91 को पंजाब एंड सिंध बैंक, की सदर शाखा के शाखा प्रबंधक को 40 सावधि जमा रसीदों का भुगतान न करने के लिए परामर्श दिया था क्योंकि यह आशंका थी कि वे रसीदें जाली नामों में हैं । तथापि, शाखा प्रबंधक ने कुल 1.02 करोड़ रुपए की (ब्याज सहित) इन 40 सावधि जमा रसीदों का निर्चोमन 15-5-1991 को ही कर दिया । इन प्राप्तियों को मैनेजर द्वारा नए खाते खोले जाने से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा किए बिना जल्दी में खोले गए संबंधित नए बचत खातों में जमा करवा दिया गया । इन बचत जमा खातों से उपरोक्त रकमों को 16 मई 1991 की ही निकलवा लिया गया ।

(ग) जी, हां । शाखा प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है तथा मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच के लिए अपने हाथ में ले लिया है ।

(घ) प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

**बासमती चावल का निर्यात**

665. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के बासमती चावल का निर्यात, किन-किन देशों को, वर्ष-वार, किया गया ;

(ख) क्या बासमती तथा चावल की कुछ अन्य श्रेष्ठ किस्मों के निर्यात को बढ़ाने की गुंजाइश है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बासमती चावल के (वर्ष-वार और देश-वार) निर्यात का विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सरकार बासमती चावल के निर्यात में सहायता के लिए जो उपाय करती है वे हैं: प्रमुख विदेशी बाजारों के लिए शिष्टमंडलों का प्रायोजन, निर्यातकों को व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए सहायता देना तथा बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, विनिमय-दरों में हाल ही में जो समायोजन किए गए है उनका तथा आर ई पी (एक्जिम स्क्रिम) परिवर्धित योजना का बासमती चावल के निर्यात पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा ।

**विवरण**

**बासमती चावल का देश-वार और वर्ष-वार निर्यात—विवरण**

मात्रा मी० टन० में
मूल्य: लाख रुपयों में

| देश | 1988-89 | | 1989-90 | | 1990-91 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| कुल | 349687 | 33353 | 396895 | 41206 | 241876 | 28813 |
| मध्य पूर्व | 183954 | 19145 | 253451 | 28359 | 192361 | 22883 |
| बहरीन | 5825 | 637 | 9900 | 1487 | 8394 | 1166 |
| कुवैत | 33890 | 3706 | 46852 | 5403 | 8739 | 1135 |
| ओमान | 17925 | 1665 | 12961 | 1347 | 2481 | 298 |
| केतार | 1081 | 118 | 625 | 79 | 1168 | 152 |
| सउदी अरब | 108521 | 10765 | 159739 | 17327 | 154080 | 17907 |
| यू०ए०ई० | 16712 | 2254 | 23374 | 2716 | 16448 | 2217 |
| यमन पी०डी०आर० | .. | .. | .. | .. | 51 | 8 |
| पश्चिम यूरोप | 24328 | 2879 | 21095 | 2305 | 25578 | 3025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बेल्जियम | 21 | 3 | 442 | 59 | 63 | 9 |
| फ्रांस | 500 | 61 | 1070 | 122 | 1008 | 121 |
| जर्मनी एफ आर | 137 | 21 | 250 | 36 | 620 | 78 |
| नीदरलैंड | 596 | 97 | 3392 | 408 | 6695 | 830 |
| नारवे | 56 | 8 | 145 | 20 | 1142 | 22 |
| यू०के० | 23018 | 2689 | 15796 | 1660 | 16649 | 1912 |
| डेनमार्क | | .. | | | 43 | 7 |
| ग्रीस | | .. | | | 64 | 7 |
| इटली | | .. | | | 232 | 31 |
| स्वीडिश | .. | .. | .. | .. | 63 | 8 |
| उत्तर अमेरीका | 10169 | 1240 | 6877 | 1095 | 5336 | 885 |
| यू० एस० ए० | 9395 | 1127 | 6464 | 1036 | 4323 | 723 |
| कनाडा | 774 | 113 | 413 | 59 | 1013 | 162 |
| एस्कैप | 183 | 24 | 42 | 5 | 83 | 12 |
| हांगकांग | 55 | 9 | .. | .. | | .. |
| सिंगापुर | 90 | 9 | 21 | 2 | .. | .. |
| श्रीलंका | .. | .. | . | .. | .. | .. |
| मलेशिया | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| आस्ट्रेलिया | 38 | 6 | 21 | 3 | 62 | 8 |
| थाइलैन्ड | .. | .. | .. | .. | 21 | 4 |
| पश्चिम यूरोप | 130746 | 10032 | 109982 | 8687 | 575 | 69 |
| सोवियत संघ | 130746 | 10032 | 109982 | 8687 | 575 | 69 |
| अफ्रीका | 277 | 28 | 21 | 2 | | .. |
| सेचेलीज | 73 | 7 | .. | .. | | .. |
| मौरीशस | .. | .. | 21 | 2 | | .. |
| दिजिबौटि | 204 | 21 | .. | .. | .. | .. |
| अन्य | 30 | 5 | 5427* | 767 | 17943* | 1939* |

स्रोत: कस्टम हाउसों तथा कांडला/जामनगर पोर्ट ट्रस्टों की दैनिक निर्यातिक सूची कांडला पोर्ट ट्रस्ट पर आधारित

*बम्बई और कोचीन बन्दरगाहों से निर्यात जिनके लिए देश-वार आंकडे उपलब्ध नहीं है।

**इसमें काकीनाडा बन्दरगाह से 19 करोड़ रुपये का 17500 टन माल शामिल है जिसके लिए देश-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

**सार्वजनिक परिवहन का विस्तार**

666. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यात्रा करने वाली विभिन्न वर्गों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने, लोगों द्वारा निजी वाहन के उपयोग को समाप्त करने तथा पेट्रोल और डीजल की खपत में बचत करने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के विस्तार को उदार बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :** (क) जी, हां। सरकार ने दिल्ली प्रसासन से यह सिफारिश की है कि दिल्ली परिवहन निगम के भाड़े-ढांचे से ऊँचे भाड़े-ढांचे पर "स्पेशल स्टेज केरिज़ परमिट" की एक योजा लागू की जाए जो अधिक आराम दायक हो ताकि इस समय व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग करने वाले यात्रियों को अपने वाहनों से हटा कर सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग की ओर लाया जा सके। सार्वजनिक परिवहन को अधिक आकर्षक बनाने तथा पेट्रोल और डीज़ल की खपत में बचत करने के लिए राज्य सरकारों से भी इसी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) भाग के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

**भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की लेखा परीक्षा**

667. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम आदि जैसी वित्तीय संस्थानों और राष्ट्रीयकृत बैंकों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा कराए जाने की लगातार मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है।

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं की लेखा परीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को सौंपे जाने की मांग समय-समय पर होती रही है ।

(ख) साधारण बीमा निगम, जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत एक सरकारी कम्पनी है, की लेखा परीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के क्षेत्राधिकार में आता है । सरकारी क्षेत्र के बैंकों और जीवन बीमा निगम के खातों की लेखा परीक्षा सांविधिक लेखों परीक्षकों द्वारा की जाती है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कम्पनी के लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अर्हता प्राप्त हैं और जिनकी नियुक्ति सरकार के पूर्व अनुमोदन/परामर्श से सांविधियों को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के अनुसार की जाती है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम की लेखा परीक्षा को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र के भीतर लाने के प्रश्न की हाल ही में जांच की गई है। यह पाया गया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम जैसी सरकारी वित्तीय संस्थाओं सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लेखा परीक्षा और आंतरिक जांच/नियंत्रण की वर्तमान व्यवस्था सही ढंग से कार्य कर रही है। इसके अलावा इन संस्थाओं की वाणिज्यिक परिचालन की प्रकृति को देखते हुए इन बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की स्वायत्तता और उनकी जिम्मेवारी दोनों को उचित रूप में सुनिश्चित करने की आवश्यकता है : अतः सरकार इन संस्थाओं की लेखा परीक्षा को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को सौंपना आवश्यक नहीं समझती है।

**सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सेवा क्षेत्र पहुंच कार्यक्रम का कार्यान्वयन**

668. **प्रो० राम कापसे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सेवा क्षेत्र पहुंच कार्यक्रम के संबंध में अब तक कितनी प्रगति की है ;

(ख) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उपर्युक्त कार्यक्रम को बेहतर ढंग से कार्यान्वित कर सकते हैं ;

(ग) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरंभ की गयी ग्रामीण ऋणों के संदर्भ में सेवा क्षेत्र योजना पहली अप्रैल, 1989 से लागू हो गयी है। सरकारी क्षेत्र के बैंक पिछले तीन वर्षों अर्थात 1989–90, 1990–91 और 1991–92 के लिए इस नयी योजना के अन्तर्गत ऋण आयोजनाएं तैयार करते आ रहे हैं। अब तक उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है कि सेवा क्षेत्र योजना के आरंभ होने से लेकर अब तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्य निष्पादन संतोषजनक रहा है। वर्ष 1989–90, 1990–91 से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं : —

(अनन्तिम)
(करोड़ रुपये में)

| सरकारी क्षेत्र के बैंक | 1989-90 के लिए लक्ष्य | 1989–90 वर्ष के लिए उपलब्धियां | 1990-91 के लिए लक्ष्य |
|---|---|---|---|
| 1. कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप . . | 4316 | 3838 | 5025 |
| 2. लघु उद्योग . . . . | 1603 | 1596 | 1558 |
| 3. अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र . | 1616 | 1425 | 1641 |
| जोड़ . . . . | 7535 | 6859 | 8224 |

(ख) सेवा क्षेत्र संबंधी आबंटन सभी वाणिज्यिक बैंकों, अर्थात सरकारी क्षेत्र के बैंकों, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को किये जाते हैं । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संसाधन संबंधी स्थिति और इन बैंकों द्वारा दिये जा रहे ऋणों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सेवा क्षेत्रों में ऋणकर्ताओं के गैर-लक्ष्यगत समूह को ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेवारी, वाणिज्यिक बैंकों की पदनामित शाखाओं को सौंप दी गयी है, जो कुल मिलाकर प्रायोजक बैंक की शाखाएं होती हैं। आर्थिक दृष्टि से कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में, लक्ष्यगत समूह की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेवारी भी, वाणिज्यिक बैंकों की पदनामित शाखाओं के ऊपर आ जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

**तमिलनाडु में निर्यात संसाधन क्षेत्र**

669. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में तिरुप्पुर को होजरी/तैयार वस्त्र निर्यात संसाधन क्षेत्र घोषित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :** (क) से (ग) इस समय तिरुप्पुर में निर्यात संसाधन जोन की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि अभी अधिकांश वर्तमान जोनों का ही पूरा उपयोग होना बाकी है ।

**सेना भवन में आग**

670. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1991 के अन्तिम सप्ताह में सेना मुख्यालय "सेना भवन" में आग लग गई थी ;

(ख) यदि हां, तो आग के कारण कितने गोपनीय और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज क्षति-ग्रस्त हुए ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) :** (क) जी, हां।

(ख) आग लगने मे कोई भी वर्गीकृत अथवा महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट/क्षतिग्रस्त नहीं हुआ ।

(ग) और (घ) एक जांच अदालत बिठाई गई है जो आग लगने के कारणों की जांच करेगी, यह निश्चित करेगी कि आग लगने से कितनी क्षति हुई है और साथ उन उपायों की सिफारिश करेगी जिनसे इस प्रकार की घटनाएं न हों। आग लगने के लिए कौन जिम्मेदार है इसका निर्धारण जांच अदालत की रिपोर्ट के आधार पर किया जायेगा।

[हिन्दी]

**रुपए की विनिमय दर**

671. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भविष्य में रुपए की विनिमय दर में कोई और परिवर्तन करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो पैकेज व्यापार सुधारों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) :** (क) जी नहीं, रुपए की विनिमय दर में कोई और परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जैसा कि वाणिज्य मंत्री द्वारा 4 जुलाई, 1991 को घोषित किया गया था, पैकेज व्यापार सुधारों का कार्यान्वयन 4 जुलाई, 1991 की अधिसूचनाओं की श्रृंखला द्वारा शुरू किया जा चुका है ।

[अनुवाद]

**ऋण माफी योजना के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक का सर्वेक्षण**

672. **श्री हरिकिशोर सिंह :**

**श्री राम विलास पासवान :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुछ शाखाओं के किए गए नमूना सर्वेक्षण से ऋण माफी योजना सम्बन्धी बढ़े-चढ़े दावों का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके क्षेत्रीय कार्यालयों ने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या कृषि

और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 में निर्धारित पात्रता मानदण्डों का उनके द्वारा अनुपालन किया जा रहा है, सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की देश के प्रत्येक जिले में कुछ चुनी हुई शाखाओं में जांच-पड़ताल की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि जांच-पड़ताल पर आधारित समेकित रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

## हीरों का निर्यात

673. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जून, 1991 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि 600 करोड़ रुपए मूल्य के परिष्कृत हीरों का विपणन न तो घरेलू बाजार में हो पाया और न ही निर्यातित आभूषणों में; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसी रिपोर्ट है कि यह समाचार राज्य के संयुक्त उद्योग आयुक्त द्वारा सम्पन्न गुजरात में हीरा उद्योग के अध्ययन पर आधारित है । इस अध्ययन के विवरण गुजरात सरकार से मांगे गए हैं ।

## नशीली दवाओं की तस्करी

674. **श्री एन० डेनिस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 और 1991 में अब तक नशीली दवाओं की तस्करी के पता लगाए गए मामलों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन मामलों में कितने व्यक्ति पकड़े गए, इनमें से विदेशियों की संख्या का राष्ट्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** : (क) और (ख) वर्ष 1990 और 1991 के दौरान पता चले मादक द्रव्यों की तस्करी की संख्या और देशावार गिरफ्तार किए गए विदेशियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

इन मामलों में कुल गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नप्रकार है :—

| 1990 | 1991 (जून तक) (अनन्तिम) |
|---|---|
| 4302 | 4540 |

(ग) सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं अर्थात:—

(i) 1985 में नया कानून अधिनियमित करके तथा वर्ष 1989 में इसके उपबंधों को और सुदृढ़ करके;

(ii) केन्द्रीय नोडल प्रवर्त्तन एजेंसी का सृजन करके अर्थात् वर्ष 1986 में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का सृजन तथा वर्ष 1990 में इसे सुदृढ़ करके;

(iii) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के द्वारा अन्तरराज्यीय तथा अन्तर एजेंसी प्रवर्त्तन समन्वय को बेहतर करना ;

(iv) विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित पाठ्यक्रमों के माध्यम से सीमा शुल्क, पुलिस तथा अन्य प्रवर्त्तन अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;

(v) मादक द्रव्यों के प्रवर्त्तन के लिए 1988 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसमर्थन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय द्विपक्षीय सहयोग को बेहतर बनाने के लिए वर्ष 1990 में "सार्क" सम्मेलन किया और अनेक विदेशी मित्र देशों जैसे—संयुक्त राष्ट्र अमेरिक, मॉरिशस और अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए।

**विवरण**

**वर्ष 1990 तथा 1991 के दौरान पता लगे मादक द्रव्यों की तस्करी के मामलों की राज्यवार संख्या ।**

| राज्य का नाम | पता लगे मामलों की संख्या | |
|---|---|---|
| | 1990 | 1991 (17-7-91 तक) (अनन्तिम) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 42 | 10 |
| 2. अंडमान निकोबार द्वीप | .. | |
| 3. अरुणाचल प्रदेश | 4 | .. |
| 4. असम | 32 | 180 |
| 5. बिहार | 647 | 330 |
| 6. चंडीगढ़ | 9 | |
| 7. दादर, नागर हवेली | | |
| 8. दमन और दीव | .. | .. |
| 9. गोवा | 33 | 12 |
| 10. दिल्ली | 383 | 526 |
| 11. गुजरात | 24 | 11 |
| 12. हरियाणा | 144 | 129 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 13. हिमाचल प्रदेश | 65 | 6 |
| 14. जम्मू और कश्मीर | 13 | 11 |
| 15. कर्नाटक | 3 | 2 |
| 16. केरल | 71 | 27 |
| 17. लक्षद्वीप | .. | .. |
| 18. मध्य प्रदेश | 49 | 19 |
| 19. महाराष्ट्र | 319 | 676 |
| 20. मणिपुर | 45 | 129 |
| 21. मेघालय | 18 | .. |
| 22. मिजोरम | 29 | 69 |
| 23. नागालैंड | 52 | 74 |
| 24. उड़ीसा | 4 | 1 |
| 25. पांडिचेरी | .. | .. |
| 26. पंजाब | 45 | 32 |
| 27. राजस्थान | 93 | 39 |
| 28. सिक्किम | .. | .. |
| 29. तमिलनाडु | 953 | 1257 |
| 30. त्रिपुरा | 5 | .. |
| 31. उत्तर प्रदेश | 566 | 1088 |
| 32. पश्चिम बंगाल | 250 | 18 |
| कुल | 3898 | 4646 |

वर्ष 1990 और 1991 (जून तक) में भारत में गिरफ्तार किए गए विदेशी नागरिकों की संख्या।

| राष्ट्रीयता | गिरफ्तार किए गए | |
|---|---|---|
| | 1990 | 1991 (जून तक) |
| 1 | 2 | 3 |
| नाईजिरियन | 104 | 20 |
| श्रीलंकन | 13 | 13 |
| बर्मीज | 13 | 3 |
| ब्रिटीश | 9 | 2 |
| पाकिस्तानी | 9 | 4 |
| अफगान | 5 | 2 |
| जर्मन | 5 | 3 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| साउथ अफ्रीका | 1 | .. |
| जाम्बियन | 2 | .. |
| तनजानियन | 3 | .. |
| सेनेगलाइज | 3 | .. |
| घानियन | 2 | .. |
| किनियन | 4 | 2 |
| बंगलादेशी | 2 | 1 |
| स्पेनिश | 1 | .. |
| अर्जेन्टाइन | 3 | .. |
| इटालियन | 2 | 1 |
| स्विश | 1 | 2 |
| आस्ट्रीयन | 4 | 3 |
| फ्रैन्च | 2 | .. |
| कैनेडियन | 1 | .. |
| डच | 3 | 7 |
| नेपालिज | .. | 2 |
| ग्रीक | 1 | |
| बेनीन | 1 | |
| मालियन | 1 | |
| गानियन | 1 | .. |
| अमेरिकन | .. | 1 |
| इजराईली | 1 | |
| टोगो | 1 | |
| थाई | 1 | |
| यूगाडियन | 1 | |
| जिबूटियन | 3 | .. |
| गाम्बिया | .. | 1 |
| डैनिस | 1 | 1 |
| जैरियन | 20 | 2 |
| सत्यापनाधीन | 234 | 69 |
| कुल | | |

**तेलीचरी–चित्रदुर्ग राष्ट्रीय राजमार्ग**

675. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलीचरी-चित्रदुर्ग राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण संबंध प्रारम्भिक कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) और (ख) तेलीचरी–चित्रदुर्ग सड़क राज्यीय राजमार्ग नेटवर्क पर है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली का भाग नहीं है । इसके विकास के लिए केरल और कर्नाटक की सरकारें जिम्मेवार है।

**प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के संबंध में अनिवासी भारतीयों की समस्याएं**

676. **श्री चित्त बसु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों के एक शिष्टमण्डल ने हाल ही में भारत में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश से संबंधित विभिन्न समस्याओं के बारे में एक ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके ज्ञापन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** : (क) से (ग) सरकार को अनिवासी भारतीयों/अनिवासी भारतीय संगठनों से अनिवासी निवेशों के लिए और अधिक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कार्यप्रणाली को सरल करने, नीतियों/पुनरीक्षण करने और बेहतर प्रोत्साहन देने के लिए समय-समय पर बहुत से ज्ञापन/सुझाव प्राप्त होते हैं । इन सुझावों को विधिवत् जांच की जाती है और जिस सीमा तक वे कुल मिलाकर विकास और भारत में विदेशी मुद्रा के अन्तर्प्रवाह में वृद्धि के उद्देश्य के उपयुक्त होते हैं, उन्हें कार्यान्वित किया जाता है । संभावी अनिवासी भारतीय निवेशकों के लिए कार्यप्रणाली को कारगर बनाने और बाधाओं और अड़चनों को दूर करने के भी निरन्तर प्रयास किए जाते हैं।

**" नए टैंक, विमान तथा मिसाइलों का प्रयोग "**

677. **श्री हरिन पाठक** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा सेनाओं में प्रयोग हेतु मुख्य युद्धक टैंक "अर्जुन", हल्के लड़ाकू विमान और विभिन्न मिसाइलें तैयार हैं;

(ख) यदि हां, तो इन्हें सेना में कब शामिल किया जाएगा,

(ग) यदि नहीं, तो इनके उत्पादन में देरी के क्या कारण हैं तथा इसके परिणामस्वरूप उनकी लागत में कितनी वृद्धि होगी ;

(घ) क्या नौसेना के लिए नया विमान वाहक प्राप्त करने/निर्माण करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार)** : (क) मुख्य युद्धक टैंक "अर्जुन", हल्के लड़ाकू विमान और विभिन्न किस्म की मिसाइलें विकास एवं मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) मुख्य युद्धक टैंक "अर्जुन" के परीक्षण पूरे कर लिए जाने के पश्चात् उसे 1992 में सेना में शामिल कर लिए जाने की संभावना है । हल्के लड़ाकू विमान वायुसेना को आगामी दशक के पूर्वार्द्ध में उपलब्ध कराए जाने की संभावना है जमीन से जमीन में मार करने वाली मिसाइल "पृथ्वी" और जमीन से आकाश में मार करने वाली मिसाइल "त्रिशूल" को 1992 में सेना में शामिल किए जाने की संभावना है । तीसरी पीढ़ी की टैंकरोधी मिसाइल "नाग" और मध्यम दूरी तक जमीन से आकाश में मार करने वाली मिसाइल "आकाश" सेनाओं को क्रमश: 1994 और 1995 में दिए जाने की संभावना है ।

(ग) मुख्य युद्धक टैंक "अर्जुन" के उत्पादन में विलम्ब और इसकी लागत में वृद्धि के कारण इस प्रकार है :—

(1) सेना की गुणात्मक आवश्यकताओं में परिवर्तन होते रहना ।

(2) परीक्षणों के लिए इन टैंकों के अतिरिक्त आदिरूपों का होना ।

(3) उत्पादन से पूर्व तैयार किए जाने वाले भिन्न-भिन्न प्रकार के टैंकों का होना ।

(4) तकनीकी एवं प्रयोक्ता परीक्षणों का अपेक्षाकृत अधिक यथार्थ मूल्यांकन मुख्य युद्धक टैंक "अर्जुन परियोजना" की संशोधित लागत 280.8 करोड़ रु० है जबकि प्रारम्भ में इस पर 15.5 करोड़ रु० की लागत का अनुमान लगाया गया था ।

विदेश से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां प्राप्त करने, पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं के उपलब्ध न होने तथा देश में मौजूदा प्रौद्योगिकियों का अपेक्षित स्तर प्राप्त करने में विलम्ब होने के कारण ही हल्के लड़ाकू विमान का विकास करने में विलम्ब हुआ है । 1982–83 में हल्के लड़ाकू विमान परियोजना की लागत 560 करोड़ रु० थी। हल्के लड़ाकू किस्म के दो प्रौद्योगिकी प्रदर्शक विमानों के पूर्ण इंजीनियरी विकास के प्रथम चरण तक इस परियोजना की अनुमानित लागत 1670 करोड़ रु० है । प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम न्यूनाधिक रूप से निर्धारित योजना के अनुसार चल रहा है । तथापि परियोजना की लागत 388.83 करोड़ रु० से बढ़कर 784.06 करोड़ रु० हो गई है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

## गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग

678. **श्री छीतूभाई गामित :**

**श्री हरिन पाठक :**

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1961 से 1981 तक की अवधि के दौरान गुजरात में सड़क विकास योजना के अन्तर्गत कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ख) अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ है ;

(ग) उक्त लक्ष्य के कब तक प्राप्त होने की संभावना है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में गुजरात में किन-किन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाएगा ;

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) से (ग) 1961–81 की 20 वार्षीय सड़क विकास योजना में 1981 तक संपूर्ण देश के लिए 51,500 कि० मी० राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्ष्य की अनुशंसा की गई थी लेकिन राज्यवार ब्योरा नहीं दिया गया था । इस योजना में दर्शाए गए लक्ष्य मात्र अनुशंसात्मक स्वरूप के थे, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में वृद्धि करना मुख्यत: योजनागत परिव्यय पर निर्भर होता है । इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 33,689 कि० मी० है और इसमें 1961 से घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं । राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में आगे और वृद्धि करना समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए किए जाने वाले योजनागत आंबटनों पर निर्भर करेगा ।

(घ) से (च) गुजरात सरकार ने नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 7 प्रस्ताव भेजे हैं, जिनकी सूची संलग्न वितरण में दी गई है । नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के प्रश्न पर आठवीं योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही विचार किया जाएगा ।

| | विवरण | लंबाई (कि०मी० में) |
|---|---|---|
| 1. | कलकत्ता-नागपुर-धूले राष्ट्रीय राजमार्ग-6 से धूले-सूरत-हजीरा तक विस्तार, गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 को जोड़ते हुए। | 160 |
| 2. | गांधीनगर-अहमदाबाद-गोधरा-दाहोद-इंदौर-भोपाल | 250 |
| 3. | मालिया-जामनगर-ओखा-पोरबंदर-वीरावल-दीव-भावनगर-कारजन बदोदरा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 8 को जोड़ते हुए | 900 |
| 4. | राजकोट-जामनगर-बाडीनार रोड | 150 |
| 5. | कांडला से मनावी-मालिया-नारायण सरोवर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 8 ए का विस्तार | 206 |
| 6. | बदोदरा-सिनोर-नटरंग-व्यारा-अहवा-स्पुतारा नासिक रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के साथ जोड़ते हुए | 245 |
| 7. | राष्ट्रीय राजमार्ग 14 पर पालनपुर से गांधीनगर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग–8 | 150 |
| | कुल | 2230 कि० मी० |

**दिल्ली–कलकत्ता राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करना**

679. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली-कलकत्ता राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करके आगरा तक चार लेन का बनाने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को कब तक चौड़ा किया जाएगा ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :** (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 की दिल्ली से आगरा तक की 200 कि० मी० की लम्बाई में से दिल्ली बल्लभगढ़ तक का 42 कि० मी० लम्बा फासला तथा विभिन्न खंडों में 10 कि० मी० लम्बा अन्य भाग पहले से ही 4 लेन का है। बल्लभगढ़ से मथुरा के 96 कि० मी० लम्बे हिस्से को भी चार लेन का बनाने हेतु मंजूरी दे दी गई है। मथुरा से आगरा तक के 52 कि० मी० लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने संबंधी कार्य को 1991–92 के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

**राज्यों को विदेशी सहायता का वितरण**

680. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
**श्री रमेश चंद तोमर :**
**श्रीमती महेन्द्र कुमारी :**
**श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**
**श्री बीरेन्द्र सिंह :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 3 वर्षों से आज तक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों से विभिन्न प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के संबंध मे कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) मांगी गई तथा दी जाने वाली विदेशी सहायता का राज्यवार और परियोजनावार ब्यौरा क्या है और उन संस्थाओं/देशों का ब्यौरा क्या है जिनसे ये सहायता मांगी गई हैं ;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा विदेशी सहायता हेतु मंजूर परियोजनाओं/प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(घ) केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी हेतु लंबित पड़े ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) इन्हें मंजूरी देने में देरी के क्या कारण हैं ; और

(च) इन राज्यों को उपर्युक्त अवधि के दौरान दी गई विदेशी सहायता का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है।

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में पिछले 3 वर्षों के दौरान उन परियोजनाओं के ब्यौरे जिनके लिए अपेक्षित क्लियरेंस प्राप्त हो चुकी है और जो विदेशी सहायता से संबद्ध हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) विदेशी सहायता के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव अधिकांशत : संबंधित मंत्रालयों को भेज दिए जाते हैं। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और इसको अंतिम रूप देने से पहले योजना आयोग और प्रशासनिक मंत्रालयों से विभिन्न अनिवार्य क्लियरेंस अपेक्षित होती हैं। इसलिए, किसी भी समय पर, ऐसी परियोजनाओं के सही ब्यौरे देना कठिन है। इसके अलावा वचनबद्धता का विस्तार और समय-दाता देशों के ऋण कार्यक्रम की स्थिति पर निर्भर करते हैं।

(च) विदेशी सहायताप्राप्त सभी चालू परियोजनाओं के संबंध में पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्यवार जारी की गई सहायता की राशि निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए)

| राज्य | 88-89 | 89-90 | 90-91 | 91-92 |
|---|---|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 35.78 | 38.09 | 68.05 | 67.36 |
| कर्नाटक | 31.03 | 44.80 | 67.91 | 34.31 |
| राजस्थान | 28.13 | 9.35 | 12.44 | 5.84 |
| उत्तर प्रदेश | 76.55 | 239.79 | 292.69 | 126.51 |

**विवरणी**

| क्रम संख्या | परियोजना का नाम | दाता अभिकरण | दाता करेंसी में सहायता राशि (मिलियन) | |
|---|---|---|---|---|
| | **I. आन्ध्र प्रदेश** | | | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश चक्रवात आपात पुनर्निर्माण | अं. वि. संघ/अ. पु. और वि. बैंक | अमेरिकी डालर | 210.00 |
| 2. | रायल सीमा ताप बिजली | ए. वि. बैंक | ,, | 230.00 |
| 3. | आन्ध्र प्रदेश प्राथमिक विद्यालय भवन | यू. के. | पाउंड | 0.630 |
| 4. | आन्ध्र प्रदेश विद्यालय भवन चरण-II | ,, | ,, | 27.90 |
| 5. | हैद्राबाद आवास चरण-III | ,, | ,, | 14.94 |
| 6. | विजयवाड़ा गंदी बस्ती सुधार | ,, | ,, | 16.25 |
| 7. | आन्ध्र प्रदेश जनजातीय विकास | अं. कृ. वि. नि. | अमेरिकी डालर | 20.00 |
| 8. | हैद्राबाद जल-आपूर्ति एवं सफाई | अं. पु. और वि. बैंक/अं. वि. संघ | ,, | 89.90 |
| 9. | पेयजल आपूर्ति | नीदरलैंड | करोड़ रुपए | 138.92 |
| 10. | आन्ध्र प्रदेश ग्रामीण जल-आपूर्ति | ,, | मिलियन रुपए | 153.00 |
| 11. | —तदेव— | ,, | ,, | 12.76 |
| 12. | ग्रामीण जल-आपूर्ति | ,, | करोड़ रुपए | 84.00 |
| 13. | कृषि में महिलाओं का प्रशिक्षण | ,, | ,, | 5.62 |
| 14. | पेयजल-आपूर्ति (अनन्तपुर) | ,, | ,, | 21.50 |
| 15. | आन्ध्र प्रदेश नलकूप परियोजना | ,, | ,, | 50.00 |
| 16. | भूतल जल-उठान सिंचाई योजना | ,, | ,, | 118.93 |

| क्रम संख्या | परियोजना का नाम | दाता अभिकरण | दाता करेंसी में सहायता राशि (मिलियन) | |
|---|---|---|---|---|
| | **II. कर्नाटक** | | | |
| 1. | कर्नाटक विद्युत | अं. पु. और वि. बैंक | अमेरिकी डालर | 260.00 |
| 2. | ऊपरी कृष्णा सिंचाई चरण-II | अं. वि. संघ/अं. पु. और वि. बैंक | ,, | 320.24 |
| 3. | एकीकृत ग्रामीण जल-आपूर्ति और सफाई | डेनमार्क | डी. के. आर | 50.00 |
| 4. | खाद्य उत्पाद बढ़ाने के लिए अनुदान | जापान | जापानी येन | 600.00 |
| 5. | रायचूर ताप बिजलीघर विस्तार | ,, | जापानी येन | 23142.00 |
| 6. | मैसूर पेपर मिल आधुनिकीकरण और नवीकरण | ,, | जापानी येन | 2381.00 |
| 7. | ग्रामीण लघु और सूक्ष्म उपक्रम विकास | नीदरलैंड | करोड़ रुपए | 8.432 |
| 8. | बंगलौर में गंदी बस्तियों का विकास और उन्नयन | ,, | ,, | 41.60 (लगभग) |
| 9. | ग्रामीण जल-आपूर्ति | ,, | डी. एफ. एल. | 13.00 (मिलियन) |
| 10. | नारियल बागान विकास | ओपेक | करोड़ रुपए | 35.75 |
| 11. | विस्तृत भूमि उपयोग प्रबंध कार्यक्रम | ओपेक | करोड़ रुपए | 190.20 |
| 12. | रायचूर अस्पताल परियोजना | ओपेक | अमरीकी डालर | 9.00 (मिलियन) |
| | **III. राजस्थान** | | | |
| 1. | राजस्थान कृषि जल-निकासी | कनाडा | कनाडियन डालर | 57.54 |
| 2. | बकरी विकास और चारा उत्पादन | स्विटजरलैंड | भारतीय रुपए | 10.20 (करोड़) |
| 3. | इंदिरा गांधी नहर परियोजना | जापान | जापानी येन | 84.00 |
| 4. | राजस्थान लघु सिंचाई-I | एफ. आर. जी. | ड्यूशमार्क | 12.30 |
| 5. | इंदिरागांधी नहर क्षेत्र में वन लगाना और चारागाह विकास | ओ. ई. सी. एफ. | करोड़ रुपए | 80.00 |

| क्रम संख्या | परियोजना का नाम | दाता अभिकरण | दाता करेंसी में सहायता राशि (मिलियन) | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | कृषि संबंधी जल-निकास अनुसंधान | कनाडा | कनाडियन डालर | 57.54 मिलि |
| 7. | राजस्थान लघु सिंचाई | जर्मनी | ड्यूशमार्क | 15.00 मिलि |
| | **IV. उत्तर प्रदेश** | | | |
| 1. | उत्तर प्रदेश विद्युत | आई. बी. आर. डी. | अमेरिकी डालर | 350.00 |
| 2. | ऊंचाहार ताप-बिजली विस्तार | एशियाई विकास बैंक | –तदेव– | 160.00 |
| 3. | कानपुर विद्युत वितरण | यू. के. | पाऊंड | 9.60 |
| 4. | दक्षिण भागीरथी चरण-II | यूरोपीय आर्थिक समुदाय | ई. सी. यू. | 8.40 |
| 5. | अनपाड़ा ताप बिजलीघर-III | जापान | जापानी येन | 49801.00 |
| 6. | एकीकृत जल-विभाजक प्रबंध परियोजना (कुचीगाड) | नीदरलैंड | करोड़ रुपए | 9.00 |
| 7. | उत्तर प्रदेश उप-परियोजना-VI | नीदरलैंड | डच गिल्डर | 25.00 मिलि. |
| 8. | उत्तर प्रदेश उप-परियोजना–VII | –तदेव– | करोड़ रुपए | 2.54 |
| 9. | उत्तर प्रदेश उप-परियोजना–VIII | –तदेव– | करोड़ रुपए | 30.00 (लगभग) |
| 10. | बुंदेल खंड क्षेत्र में भूतल-जल भंडारण ढांचा | –तदेव– | करोड़ रुपए | 21.15 |
| 11. | दक्षिण भागीरथी चरण-II | यूरोपीय आर्थिक समुदाय | ई. सी. यू. | 8.4 मिलि. |
| 12. | भीमताल एकीकृत जल-विभाजक प्रबंध कार्यक्रम | –तदेव– | ईसीयू | 4.4 मिलि. |
| 13. | अन्नपारा पारेषण परियोजना | ओ. ई. सी. एफ. | करोड़ रुपए | 379.61 |
| 14. | बन-संचार परियोजना | –तदेव– | करोड़ रुपए | 11.01 |

| क्रम संख्या | परियोजना का नाम | दाता एजेंसी | दाता करेंसी में सहायक की राशि दस लाख अमेरिकी डालर | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **बहुराज्यीय परियोजनाएं** | | |
| 1. | राष्ट्रीय बीज परियोजना-III | आई. डी. ए. | 150.00 | इसमें आन्ध्र प्रदेश कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित 11 राज्य शामिल हैं। |
| 2. | छठी आबादी | आई. डी. ए./ आई. बी. आर. डी. | 124.60 | आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित तीन राज्य |
| 3. | व्यावसायिक प्रशिक्षण | आई. डी. ए./आई. बी आर. डी. | 280.00 | राष्ट्र व्यापी परियोजना और इसमें आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। |
| 4. | एकीकृत बाल विकास | आई. डी. ए./आई. बी. आर. डी. | 106.00 | आन्ध्र प्रदेश सहित दो राज्य |
| 5. | राष्ट्रीय रेशम कीट पालन | आई. बी. आर. डी.<br>स्वीट्जरलैंड | 25.07<br>3.52 | आन्ध्र प्रदेश |
| | | आई. बी. आर. डी.<br>स्वीट्जरलैंड | 37.73<br>5.23 | कर्नाटक |
| 6. | सड़क सुधार परियोजना | ए. डी. बी. | 37.89 | आन्ध्र प्रदेश |
| | | ए. डी. बी. | 26.84 | कर्नाटक |
| 7. | द्वितीय सड़क परियोजना | ए. डी. बी. | 10.51 | आन्ध्र प्रदेश |
| | | ए. डी. बी. | 30.92 | उत्तर प्रदेश |
| 8. | द्वितीय पत्तन परियोजना | ए. डी. बी. | 77.90 | आन्ध्र प्रदेश |
| 9. | प्रथम तकनीशियन शिक्षा | आई. डी. ए./ आई. बी. आर. डी. | 260.00 | इसमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान सहित आठ राज्य शामिल हैं। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10. | द्वितीय तकनीशियन परियोजना | आई. डी. ए. | 307.1 | आन्ध्र प्रदेश सहित नौ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। |
| 11. | एकीकृत जल-निकास विकास (मैदानी) | आई. डी. ए./ आई. बी. आर. डी. | 62.00 | राजस्थान सहित तीन राज्य |
| 12. | राज्य सड़क परिवहन | आई. बी. आर. डी. | 58.00 | राजस्थान |
| | | आई. बी. आर. डी. | 85.70 | उत्तर प्रदेश |
| 13. | बांध सुरक्षा परियोजना | आई. डी. ए./आई. बी. आर. डी. | 153.00 | राजस्थान सहित चार राज्य |

@यह मद संख्या 5, 8 और 11 को छोड़कर अन्य के मामले में कुल सहायता का द्योतक है। कानूनी दस्तावेजों में राज्य के विनिर्दिष्ट आवंटनों की व्यवस्था नहीं है।

**कृषि ऋण कार्ड योजना का विस्तार**

681. **श्री रमेश चन्द्र तोमर :**

**श्रीमती महेन्द्र कुमारी :**

**श्रीमती सुमित्रा महाजन :**

**श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने कुछ राज्यों के चुनिन्दा जिलों में कृषि ऋण कार्ड योजना आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो किसानों को इस प्रकार के कार्ड जारी करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं तथा इस प्रयोजनार्थ किन जिलों का राज्यवार चयन किया गया है ;

(ग) सरकारी क्षेत्र के किन बैंकों ने उपर्युक्त योजना आरंभ की है ;

(घ) वर्ष 1990–91 के दौरान कृषि ऋण कार्ड योजना से कितने किसान लाभान्वित हुए ;

(ङ) क्या सरकार का वर्ष 1991–92 के दौरान इस योजना का पूरे देश में विस्तार करने का विचार है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हलबीर सिंह)** : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने कुछ राज्यों के चुने हुए जिलों में प्रयोगात्मक आधार पर अपनी क्रेडिट

कार्ड योजनाएं आरंभ की हैं। ये कार्ड उन किसानों को दिए जाते हैं जिनका निरंतर रिकार्ड अच्छा होता है ताकि वे उत्पादन निवेश्यों की अपनी लागत को पूरा करने के लिए बिना कठिनाई के कृषि ऋण प्राप्त कर सकें। क्रेडिट कार्ड से निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त होंगी :

(i) इससे कार्ड धारक उत्पादन ऋण तुरंत प्राप्त कर सकेगा।

(ii) इससे आवेदन देने, भूमि रिकार्ड के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और प्रत्येक कृषि मौसम के लिए प्रलेखन जैसी प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं समाप्त हो जाएंगी।

(iii) इससे किसानों को उत्पादन निवेश्यों की खरीद के लिए नकदी ले जाने की आवश्यकता नहीं हो पड़ेगी।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार कृषि ऋण कार्ड योजना देना बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ महाराष्ट्र, न्यू बैंक आफ इंडिया, आन्ध्र बैंक, विजया बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सिंडिकेट बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, युनाइटेड बैंक आफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कार्पोरेशन बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, यूको बैंक, स्टेट बैंक आफ मैसूर और बैंक आफ बड़ौदा द्वारा राज्यों के चुने हुए क्षेत्रों में प्रयोगात्मक आधार पर आरंभ की गई है।

(घ) आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती।

(ङ) और (च) सरकारी क्षेत्र के बैंक किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड आरंभ करने जैसे उपाय स्वयं करते हैं ताकि किसानों को सरलता से एवं समय पर ऋण प्रदान किया जा सके और कृषि क्षेत्र को ऋण के प्रवाह में वृद्धि भी की जा सके।

**अनुसूचित जाति/जनजाति के बैंक प्रबन्धकों को विशेष प्रशिक्षण**

682. **डा० पी० वल्लाल पेरुमाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में नियुक्त शाखा प्रबन्धकों की कुल संख्या क्या है तथा इनमें में से अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने शाखा प्रबन्धक हैं।

(ख) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति/जनजाति के बैंक प्रबन्धकों को विशेष प्रशिक्षण देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**मंजूरी हेतु लंबित पड़ी उड़ीसा की परियोजनाएं**

683. **श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तावित कितनी परियोजनाएं तथा योजनाएं स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हुई हैं; और

(ख) अब तक प्रत्येक मामले में क्या कारवाई की गई है?

**अल्प-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर):** (क) तथा (ख) सूचना संग्लन विवरण में दी गई है।

**विवरण**

| क्रम सं० | स्वीकृति के लिए लंबित उड़ीसा सरकार की परियोजना/स्कीम का नाम | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **ई एण्ड आई कार्य** | |
| 1. | मोटू (एम पी बार्डर) 130 कि.मी. के समीप "सामेरी" पर पुल सहित जयपुर (कोटा)–मलकानगिरी–मोटू–एम.पी. बार्डर रोड का सुधार | ये स्कीमें आठवीं योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण लम्बित हैं। |
| 2. | सी.डी. कार्य 303 कि.मी. सहित करेडा से खारिअर रोड़ (एम.पी. बोर्डर) तक वाया रायगढ़, भवानी पटना खारिअर सडक का सुधार | |
| 3. | बरहमपुर-फूलबनी रोड़ एस एच 7 का सुधार | वही |
| 4. | जाजपुर-चापुआ मेन रोड एसएच 11 पर 50.50 कि.मी. में मुहान नदी पर पुराने क्षतिग्रस्त एम डी पुल, "57.9 कि.मी. पर मुशल", "98.19 कि.मी. पर सिला", "109 कि.मी. पर कलिंजर" "136 कि.मी. पर आरादोई," "147 कि.मी. पर आरादोई" का पुनर्निर्माण। | वही |
| 5. | चन्दावाली एस एच 9 और एस एच 9 ए 150-49 कि.मी. के समीप वैतरणी पर पुल सहित कटक-चन्दाबाली-भदरक रोड़ का सुधार | वही |
| 6. | भदरक - बोंटा - आनंदपुर - ठाकुरभुंज - करंजिया जोशीपुर - रायरंगपुर – बहाल्दा - तिरिंग बिहार बार्डर रोड़ का सुधार। | वही |
| 7. | जलेश्वर - बटगांव - नुगुली – चंदेश्वर रोड़ (पश्चिम बंगाल का बार्डर) का सुधार | वही |
| 8. | सम्बलपुर - सोनीपुर रोड़ एस एच 15 पर सोनीपुर के समीप महानदी नदी पर पुल का निर्माण | वही |
| 9. | राजनगर - हंसुला - उनगमाल - टेलचुना रोड 36.5 कि.मी. का सुधार | वही |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 10. | पालूर-प्रयागी-कृष्णाप्रसाद पुरी रोड़ वाया चिलीडा 55 कि.मी. का सुधार | *ये योजनाएं लंबित हैं क्योंकि केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है।* |
| 11. | बौध - किभाकरा - रायराखोल रोड पर बौध के समीप महानदी पर पुल का निर्माण | |
| 12. | एन एच 12 पर धेनकनाल से जयपुर रोड और एन एच 5 पर पनीकोइली वाया देवागांव - मदार - भूवन - सुकिन्दा और चोरा छैक पर सड़क का सुधार और नीलकांतपुर के समीप ब्राह्मणी नदी पर पुल का निर्माण | वही |
| | **राष्ट्रीय राजमार्गों में नई वृद्धि** | |
| 13. | गोपालपुर - रायपुर रोड वाया खरिअर - नवापारा | वही |
| 14. | पनीकोइली से राजीपुंदा वाया क्योंझर - बारबील कोइरा | वही |
| 15. | सम्बलपुर सोनपुर सड़क एस एच 15 पर सोनपुर के निकट महानदी नदी पर एच एल पुल का निर्माण | वही |
| 16. | जे सी मुख्य सड़क एस एच 11 (147.25 से 148/0 तक) के 147 कि.मी. पर अराडी नदी पर पुराने क्षतिग्रस्त मेहराव पुल को बदलना। | वही |
| 17. | जे सी मुख्य सड़क एस एच 11 के 58 कि.मी. पर मुसाल पर पुराने क्षतिग्रस्त पुल को बदलना | वही |
| 18. | जे सी मुख्य सड़क एस एच 11 पर 51 कि.मी. पर महाना पर पुराने क्षतिग्रस्त पुल को बदलना | वही |
| 19. | धर्मपुर फुलबनी सड़क एस एच 7 पर 26/0 कि.मी. के निकट मोडाहाड पुल को बदलना | वही |
| 20. | जे सी मुख्य सड़क एस एच 11 पर 136 कि.मी. पर "आराडी" पर पुराने क्षतिग्रस्त पुल को बदलना | वही |
| 21. | टांगी हरिपुर रोड एम डी आर 17 के 1.70 कि.मी. पर हाईलेवल कैनाल पर लकड़ी के पुल के स्थान पर आर सी सी पुल बनाना | वही |
| 22. | पटनाईकन देलंगसड़क एम डी आर 79 के 13 कि.मी. पर दालंग के निकट लूने पर पुराने क्षतिग्रस्त पुल को बदलना | वही |
| 23. | पट्टानाइकियार देलंग-खुर्दा सड़क एम डी आर 79 के 23कि.मी. पर गांव बेगुनियापाडा के निकट तिरूमंल-गायालीट में दया पर एच एल पुल का निर्माण | वही |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 24. | थाकुमुंडा - डनगाडिया - पोडाडिहा - मानीटरी - बोईसिघाबु पसा सड़क एम डी आर 70 पर जामघाट के निकट "देव" नदी पर सुबरसिबले पुल का निर्माण। | ये योजनाएं संबित हैं क्योंकि केन्द्रीय सड़क विधि में अभी वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है। |
| 25. | बारगढ़-बोलगीट-सेनटाला सड़क एस एच 2 के 73/2 कि.मी. पर लक्ष्मीजोट पर पुल के स्टीलगर्डर की डेकिंग को बदलना | |
| 26. | धेनकनाल-कामाखईया नगर सड़क एम डी आर के अनिर्मित भाग का निर्माण। | वही |
| 27. | गुनुपुर भीषम-कटक सड़क एस एच 4 पर अनिर्मित सड़क बंश-धारा का निर्माण। | वही |
| 28. | खुर्दा-नयागढ़-फुलबनी सीमा सड़क एस एच I 0/0 से 32/0 कि. मी. का सुधार। | वही |
| 29. | कटक चंदावाली सड़क राज्यीय राजमार्ग 9 का सुधार . | वही |
| 30. | राजथागढ नरसिंहपुर सड़क एम डी आर 18 का सुधार | वही |
| 31. | पट्टामुंडई के लिये उपमार्ग का निर्माण और कट चंदाबाली सड़क एस एस 9 ए पर पट्टामुंडई केनाल रोड एस बी 1 पर आर सी सी पुल की व्यवस्था करना। | वही |
| 32. | बोलगीर-अगलपुरसड़क बजरिये चंदनमाही भासूजा-सी वी आर पर "ओंग" नदी पर एच एल पुल का निर्माण। | वही |
| 33. | "घाघरा" और "सोनो" ओ डी आर पर पुल सहित मित्रपुर बेंचुआ सड़क का सुधार। | वही |
| 34. | "कुनरिया" नदी के 98 कि.मी. पर (दाहुक) के 69 कि.मी. पर तथा खुर्दा नयागढ-दसपाला फुलबनी सड़क एस एच 1 के 49 कि.मी. पर "कुसनी" पर गर्डर पुल का निर्माण। | वही |
| 35. | खुर्दा नयागढ फुलबनी सीमा सड़क एस एच 1 का सुधार . | वही |
| 36. | डाटाबेस का अनुसंधान विकास और विकास . . . | वही |
| 37. | राजमार्ग इंजीनियरों का प्रशिक्षण . . . | वही |
| 38. | कटक जिले में द्वीप 42 मौजा के भीतर की सड़कों और 10 अन्य फीडर सड़कों (ग्रामीण सड़कों) का सुधार। | वही |
| 39. | सम्बलपुर जिला में सोहेला सेपाली सड़क (ग्रामीण सड़क) का सुधार। | वही |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 40. | जिला कोरापुट में फुलकाना कुटराब्रेडा सड़क (सी वी आर) का सुधार। | ये योजनाएं लंबित हैं क्योंकि केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है। |
| 41. | फुलबनी में राइकियां सीमक बाड़ी सड़क का सुधार . . | |
| 42. | फुलबनी में राइकिया सीमनबाड़ी सडक पर 3 पुलों का निर्माण | |
| 43. | सुंदरगढ़ में मंगसपुर-डारलीपाली सड़क का सुधार . . | वही |
| 44. | सुंदरगढ में मंगसपुर-डारलीपाली सड़क कुरमा नाला और पखीराज नाला पर 2 एस बी का निर्माण। | वही |
| 45. | मयूरगंज में बेजिधी साराता सड़क का सुधार . . . | वही |
| 46. | मयूरगंज में बेजीडीही सराता सड़क पर 2 कि.मी. पर सालांडी नदी पर एस बी का निर्माण। | वही |
| 47. | फुलबनी जिले में टीकाबाली चाकापाड नेडीगुडा बदनगीर सड़क का सुधार। | वही |
| 48. | फुलबनी जिले में टी सी एन बी सड़क पर 35 कि.मी. पर कुटरासिंह नाला और 40 कि.मी. लांडीकासन नाला पर पुल का निर्माण | वही |
| 49. | गंजम जिले में जगन्नाथ प्रसाद सुनामुही सड़क का सुधार . | वही |
| 50. | गंजम जिले में जगन्नाथ प्रसाद सुनामुही सड़क के 11 कि.मी. पर सांशी नाला पर पुल का निर्माण। | वही |
| 51. | कालाहांडी जिले में धर्मगढ अम्पानी सड़क का सुधार . . | वही |
| 52. | कालाहांडी जिले में धर्मगढ अम्पानी सड़क पर पुल का निर्माण | वही |
| 53. | देमादरपुर-चांदुआ सड़क का सुधार . . . | वही |
| 54. | गंजम जिले में आर उदयगिरी सम्बलपुर सड़क का सुधार . . | वही |
| 55. | गंजम जिले में आर उदयगिरी सम्बलपुर सड़क के 31/0 कि. मी. पर महेन्द्रतनया नदी पर छोटे पुल का निर्माण। | वही |
| 56. | मयूरगंज जिले में सुलियापाड़ा-कांटीसाही सड़क का सुधार . | वही |
| 57. | मयूरगंज जिले में रायआं चागरबेड़ा फोगे सड़क का सुधार . | वही |
| 58. | सुंदरगढ जिले में बालिगा से कनिका बरास्ता हेमागिरी सड़का का सुधार। | वही |
| 59. | कालाहांडी जिले में अट्टागुड कटिंगा पाडार सड़क पर पुल का निर्माण। | वही |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 60. | रा० रा०-5 पर खुर्दा बाईपास पर समानान्तर सेवा सड़क का सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल | ये योजनाएं लंबित हैं क्योंकि केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है |
| 61. | रा० रा०-6 पर बारागढ़ बाईपास पर समानान्तर सेवा सड़क का सर्वेक्षण तथा जांच प्राक्कलन | |
| 62. | रा० रा०-5 पर बारीपाडा बाईपास पर समानान्तर सेवा सड़क का सर्वेक्षण तथा जांच प्राक्कलन | |
| 63. | रा० रा०-5 पर बारीपाडा बाईपास पर समानान्तर सेवा सड़क का सर्वेक्षण तथा जांच प्राक्कलन | वही |
| 64. | रा० रा०-5 पर भद्रक बाईपास के लिए समानान्तर सेवा सड़क के निर्माण हेतु सर्वेक्षण तथा जांच प्राक्कलन | वही |
| 65. | रा० रा०-5 पर बालासोर बाईपास पर समानान्तर सेवा सड़क के निर्माण हेतु सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल | वही |
| 66. | राजनगर-हसीना-दांगमल-तलचर सड़क (36.5 कि.मी.) में सुधार तथा सी डी कार्यों का निर्माण | वही |
| 67. | कटक-चंदावाली सड़क में सुधार तथा चंदावाली के निकट बेटा-रानी पर पुल। | वही |
| 68. | बौध के समीप महानदी पर एच. एल. पुल का निर्माण। | वही |
| 69. | एम डी आर 18, नरसिंहपुर-हिंदोल सड़क का सुधार। | वही |
| 70. | गोपालपुर से चन्दनेश्वर और डिंघा तक तटीय राजमार्ग | वही |
| 71. | रा० रा० को 411/0 कि. मी. से 418 कि. मी. तक 4 लेनों में चौडा करना। | ये स्कीमें लम्बित हैं क्योंकि वर्ष 1991-92 के लिए अनुदान हेतु मांगे अभी संसद द्वारा पारित की जानी हैं। |
| 72. | रा० रा० 5 के 267.544 कि.मी. पर मौजूदा क्षतिग्रस्त एच पी पुलिया के स्थान पर प्री-कास्ट आर सी सी बाक्स पुलिया (0.90 मी० × 0.90 मी०) की व्यवस्था। | |
| 73. | रा० रा० 23 के 63.239 कि.मी. पर पुलिया सं०-64/2 के डैक क्लेब और डाइवर्जेन रोड़ के साथ-साथ 68.418 कि.मी. पर पुलिया सं० 69/11 का पुर्ननिर्माण। | |
| 74. | रा० रा० 3 पर 316/745 कि.मी. से 319/0 कि.मी. और 335/400 कि.मी. से 354/700 कि.मी. तक टाइ-पैदल पथ का सुधार। | वही |
| 75. | रा० रा० 43 पर 377/2-4 से 392/0 कि.मी. और 437/175 से 437/475 कि.मी. तक पैदल पथ में सुधार। | वही |
| 76. | रा० रा० 5 पर 22.80 कि.मी. से 24.60 कि.मी. और 27.80 कि.मी. से 29.00 कि.मी. तक के भाग में सुधार। | वही |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 77. | रा० रा० 43 के 354/4-6 कि.मी. पर पुलिया सं०-55 को बदलने के लिए एम. बी. का निर्माण | ये स्कीम लंबित हैं क्योंकि वर्ष 1991-92 के लिए अनुदान हेतु मांगे अभी संसद द्वारा पारित की जानी हैं। |
| 78. | रा० रा० 43 के 467/513 और 459/183 कि.मी. पर वैली स्लिप के सुरक्षा कार्य के लिए सुधार । | |
| 79. | रा० रा० 42 के 67/130 कि.मी. से 67/265 कि.मी. के भाग में सड़क को उंची उठाने के साथ-साथ 67/220 कि.मी. पर पुलिया का निर्माण | |
| 80. | रा० रा० 43 के 437/0 कि.मी. से 449/0 कि.मी. तक 6 कमजोर और संकुचित पुलियों सं0-438/1, 445/3, 445/4, 446/3, 446/4, और 447/2 का पुनर्निर्माण | वही |
| 81. | रा० रा०-5, 245/0 एल 250/0 कि.मी. तक सुदृढ़ करना | वही |
| 82. | रा० रा०-5, 80/0 - 88/0 - 88/0 कि.मी. सुदृढ़ करना | वही |
| 83. | रा० रा०-6, 245/0 से 249/0 और 263/0 से 265/0 कि.मी. तक दो लेन में चौड़ा करना तथा सुदृढ़ करना। | वही |
| 84. | रा० रा०-6, 322/0 - 346/0 कि.मी. तक 2 लेन में चौडा करना। सुदृढ़ करना | वही |
| 85. | रा० रा०-6, 381/0 से 401/0 कि.मी. चौड़ा करना/सुदृढ़ करना | वही |
| 86. | रा० रा०-5, पर 0/0 - 26/0 कि.मी. तक राइडिंग सर्फेश। | वही |
| 87. | रा० रा०-6 को 401/0 से 408/0 कि. तक सुदृढ करना | वही |
| 88. | रा० रा०-5 को 411–418 कि.मी. तक 4 लेन का बनाना/ सुदृढ़ करना | वही |
| 89. | रा० रा०-6 को 538.6 से 563.6 कि.मी. तक सुदृढ़ करना | वही |
| 90. | रा० रा०-6 को 23–27 और 45–50 कि.मी. तक सुदृढ़ करना | वही |
| 91. | रा० रा०-43 को 437/0 – 449/0 कि.मी. तक चौड़ा करना/ सुदृढ़ करना | वही |
| 92. | रा० रा०-23 पर 46110 से 54580 कि.मी. पर मिसिंग लिंक | वही |
| 93. | रा० रा०-23 पर 29810 से 37500 कि.मी. पर मिसिंग लिंक | वही |
| 94. | रा०रा०-23 पर 252 - 262 कि. मी. म सुधार कार्य (एल ग्रेड) | वही |
| 95. | रा० रा०-5 को 0.0 से 23.0 कि.मी. तक चार लेन का बनाना। | यह परियोजना ई पी सी से अनुमति न मिलने के कारण लंबित है। |

**जापान द्वारा अजन्ता और एलौरा परियोजना का वित्तपोषण**

684. **श्री यशवंतराव पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की सरकार अजन्ता और एलौरा परियोजना का वित्तपोषण करने के लिए सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** : (क) और (ख) 195 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली अजन्ता और ऐलोरा क्षेत्र की पर्यटन विकास योजना उन परियोजनाओं में से है जिनके लिए जापान की समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि के 1991–92 के ऋण पैकेज से सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) वित्तीय वर्ष 1991–92 के दौरान अन्तिम निर्णय लिए जाने की आशा है ।

**रुपये का अवमूल्यन**

[हिन्दी]

685. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया था; और

(ख) उक्त अवधि में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिये गये ऋण का तिथि वार ब्यौरा क्या है तथा रुपये का भारत में और डालर एवं पाउंड स्टर्लिंग की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य कितना-कितना था ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**पंजाब सड़क परिवहन में टिकट और यात्रा बिलों में अनियमितताएं**

[अनुवाद]

686. **श्री केशरी लाल** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सड़क परिवहन के नांगल डिपो के उड़न दस्ते ने 1990 की अंतिम तिमाही में टिकट और यात्रा-बिलों में अनियमितताओं का भंडाफोड़ किया था,

(ख) क्या इस संबंध में पुलिस मामला दर्ज किया गया था ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) गत एक वर्ष के दौरान पंजाब सड़क परिवहन में ऐसी कितनी अनियमितताओं का भंडाफोड़ किया गया था ; और

(ङ) उसमें कितनी धनराशि फंसी हुई है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों का निर्माण**

[हिन्दी]

687. **श्री छेदी पासवान** : क्या **जल भतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय यातायात विकास परिषद ने बिहार के किन राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों को, केन्द्रीय सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने की सिफारिश की है ;

(ख) किन क्षेत्रों में इनके निर्माण का प्रस्ताव है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों के निर्माण कार्य को आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रथम चरण में प्रारम्भ कराने के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) से (ग) सरकार को राष्ट्रीय यातायात विकास परिषद नामक किसी संगठन की अथवा इसके द्वारा की गई सिफारिशों की कोई जानकारी नहीं है । वैसे भी अभी, आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिया जाना है और इसलिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार सहित पूरे देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्यों तथा मौजूदा ग्रिड में किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग को शामिल किए जाने के बारे में अभी से बता पाना संभव नहीं है ।

**उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक समुदायों के न्यायाधीश**

[अनुवाद]

688. **श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में इस समय कितने न्यायाधीश हैं ;

(ख) उन न्यायाधीशों में से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यक समुदायों के कितने न्यायाधीश हैं तथा इनमें से महिला न्यायाधीश कितनी हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार रिक्त पदों को भरते समय उपर्युक्त श्रेणियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्)**: (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के सुसंगत उपबंधों के अनुसार की जाती है । संविधान में किसी जाति या व्यक्ति वर्ग के आरक्षण के लिए कोई उपबंध नहीं है । 22-7-91 को भारत के उच्चतम न्यायालय में 23 आसीन न्यायाधीशों में से अनुसूचित जाति के दो न्यायाधीश और एक महिला न्यायाधीश हैं तथा अनुसूचित जनजाति का कोई न्यायाधीश नहीं है । इस समय अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समूदायों के न्यायाधीशों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है और जैसे ही वह उपलब्ध होगी सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

**दिल्ली परिवहन निगम की बसों का समय पर चलना**

689. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों को समय पर चलाने के लिये कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दिल्ली परिवहन निगम की बसों का समय पर चलना सुनिश्चित करने के लिये अचानक जांच पड़ताल की जाती है ;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1990 और 1991 (30 जून तक) के दौरान की गई इस प्रकार की जांच पड़ताल का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(च) क्या सरकार का विचार दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों का समय पर चलना सुनिश्चित करने के काम पर टिकट की जांच करने वाले कर्मचारियों को लगाने का है ; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) और (ख) जी, हां । दि० प० नि० के सभी रुटों के समय नियत किए गए हैं । दि० प० नि० के "टाईम कीपर्ज" और पर्यवेक्षी फील्ड कर्मचारी इन समयों को नियमित करते हैं ।

(ग) और (घ) जी, हां । दि० प० नि० की बसों का समय पर चलना सुनिश्चित करने के लिए की गई अकस्मात जांच पड़तालों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

| उन ट्रिपों की संख्या जनकी जांच-पड़ताल 1990 के दौरान की गई | उन ट्रिपों की संख्या जिनकी जांच-पड़ताल जनवरी, 1991 से जून, 1991 के दौरान की गई |
|---|---|
| 5009923 | 2374915 |

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) भाग के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(च) और (छ) दि० प० नि० का "चैकिंग स्टाफ" पहले से ही दि० प० नि० की बसों के समय पर चलने को सुनिश्चित करने काम में लगा हुआ है । "टाईम कीपर्स" को महत्वपूर्ण प्वाइंटों/टर्मिनलों पर तैनात किया जा रहा है जो बसों के आने पर जाने का रिकार्ड रखते हैं। यह "चैकिंग स्टाफ" बसों का समय पर चलना सुनिश्चित करने के अतिरिक्त बिना टिकट यात्रा करने वालों की "चैकिंग" भी करता है ।

**सोने का मूल्य**

690. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में सोने के मूल्य के हुई अचानक वृद्धि का क्या कारण हैं, और

(ख) सरकार ने, सोने के मूल्य में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाये हैं या उठाने का विचार है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** : (क) सोने के मूल्य में वृद्धि और बाद में कमी कई कारणों से, जैसे सट्टेबाजी सोने की प्रकृति, विवाहों के अवसरों पर मांग और विनिमय दर में हाल ही में हुए समायोजन की विभिन्न व्याख्याओं जैसे सभी कारणों से हुई है ।

(ख) सोना आवश्यक वस्तु नहीं है और सरकार इसका मूल्य विनियमित नहीं करती है।

[हिन्दी]

**अजमेर-नवारा-चित्तौड़गढ़-इंदौर सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव**

691. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास अजमेर-नवारा-चित्तौड़गढ़-इंदौर सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) जी, हां ।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार होने के बाद, राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

**राजस्थान में बैंकों की शाखायें**

[अनुवाद]

692. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जिलावार तथा बैंक-वार शाखायें कितनी हैं ;

(ख) विभिन्न बैंकों की शाखाओं में जिला-वार कितनी धनराशि जमा हुयी;

(ग) इन शाखाओं द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कितनी धनराशि के ऋण मंजूर किये गये ;

(घ) क्या मंजूर किये गये ऋणों की राशि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऋणों की राशि में वृद्धि के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इलबीर सिंह) :** (क) इस समय राजस्थान में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की जिलावार और बैंकवार संख्या क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण II में दी गयी है ।

(ख) दिसम्बर 1990 में राजस्थान स्थित वाणिज्यिक बैंकों की जिलावार कुल जमा रकमें संलग्न विवरण III में दी गई हैं ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा मंजूर किए गए कुल ऋणों की रकमें नीचे दी गयी हैं ।

(करोड़ रुपए में)

| वर्ष | राशि |
|---|---|
| दिसम्बर 1988 | 2296 |
| दिसम्बर 1989 | 2629 |
| दिसम्बर 1990 | 2876 |

(घ) और (ङ) जिला अग्रणी बैंकों द्वारा तैयार की गई वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत बैंक निर्धारित ऋण लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं । वर्ष 1988–89,

1989–90 और 1990–91 के लिए राजस्थान में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत लक्ष्यों के मुकाबले उपलब्धियों के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

(करोड़ रुपए में)

| जनवरी 1988 से दिसम्बर 1988 तक | | अप्रैल 1989 से मार्च 1990 तक | | अप्रैल 1990 से मार्च 1991 तक* | |
|---|---|---|---|---|---|
| लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 493 | 541 | 611 | 529 | 663 | 438 |

*अनंतिम

भारतीय रिजर्व बैंक ने वार्षिक ऋण योजना में निर्देशित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बैंकों से प्रयास करने को कहा है।

## विवरण – I

**राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या का जिला-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण**

| जिले का नाम | सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. अजमेर | 101 |
| 2. अलवर | 96 |
| 3. बांसवाड़ा | 49 |
| 4. बाड़मेर | 43 |
| 5. भरतपुर | 72 |
| 6. भीलवाड़ा | 63 |
| 7. बीकानेर | 84 |
| 8. बूंदी | 26 |
| 9. चित्तौड़गढ़ | 60 |
| 10. चुरू | 49 |
| 11. धौलपुर | 22 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 12. डुंगरपुर | 36 |
| 13. गंगानगर | 142 |
| 14. जयपुर | 221 |
| 15. जैसलमेर | 20 |
| 16. जालौर | 24 |
| 17. झालवाड | 35 |
| 18. झूंझुनू | 35 |
| 19. जौधपुर | 108 |
| 20. कोटा | 91 |
| 21. नागौर | 66 |
| 22. पाली | 35 |
| 23. सवाई-माधोपुर | 70 |
| 24. सीकर | 44 |
| 25. सिरोही | 25 |
| 26. टौंक | 35 |
| 27. उदयपुर . . . . . | 102 |

## विवरण – II

**राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की बैंकवार संख्या दर्शाने वाला विवरण**

| क्रम सं० | बैंक का नाम | शाखाओं की संख्या |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | भारतीय स्टेट बैंक . | 154 |
| 2. | स्टेट बैंक आफ हैदराबाद | 1 |
| 3. | स्टेट बैंक आफ इंदौर . | 3 |
| 4. | स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर | 579 |
| 5. | स्टेट बैंक आफ पटियाला | 2 |
| 6. | स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर . | 1 |
| 7. | स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र . . . . . | 2 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 8. | सेंट्रल बैंक आफ इंडिया | 91 |
| 9. | बैंक आफ इंडिया | 32 |
| 10. | पंजाब नेशनल बैंक | 188 |
| 11. | बैंक आफ बड़ौदा | 290 |
| 12. | यूको बैंक | 134 |
| 13. | केनरा बैंक | 16 |
| 14. | यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया | 7 |
| 15. | देना बैंक | 11 |
| 16. | सिंडिकेट बैंक | 10 |
| 17. | यूनियन बैंक आफ इंडिया | 39 |
| 18. | इलाहाबाद बैंक | 23 |
| 19. | इंडियन बैंक | 28 |
| 20. | बैंक आफ महाराष्ट्र | 6 |
| 21. | इंडियन ओवरसीज बैंक | 9 |
| 22. | आन्ध्रा बैंक | 3 |
| 23. | पंजाब एण्ड सिंध बैंक | 19 |
| 24. | न्यू बैंक आफ इंडिया | 69 |
| 25. | विजया बैंक | 7 |
| 26. | कारपोरेशन बैंक | 1 |
| 27. | ओरियंटल बैंक आफ कामर्स | 52 |

## विवरण – III

**दिसम्बर 1990 में राजस्थान में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जिलेवार कुल जमा राशियां**

(करोड़ रुपए में)

| बैंकों का नाम | | जमाराशियां |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अजमेर | 315 |
| 2. | अलवर | 244 |
| 3. | बांसवाड़ा | 82 |
| 4. | बाड़मेर | 59 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5. | भरतपुर | 142 |
| 6. | भीलवाड़ा | 128 |
| 7. | बीकानेर | 191 |
| 8. | बूंदी | 50 |
| 9. | चित्तौड़गढ़ | 122 |
| 10. | चुरू | 145 |
| 11. | धौलपुर | 38 |
| 12. | डुंगरपुर | 67 |
| 13. | गंगानगर | 333 |
| 14. | जयपुर | 1215 |
| 15. | जैसलमेर | 26 |
| 16. | जालौर | 39 |
| 17. | झालवाड़ | 41 |
| 18. | झंझुनू | 176 |
| 19. | जोधपुर | 352 |
| 20. | कोटा | 274 |
| 21. | नागौर | 145 |
| 22. | पाली | 99 |
| 23. | सवाई माधोपुर | 116 |
| 24. | सीकर | 169 |
| 25. | सिरोही | 69 |
| 26. | टोंक | 51 |
| 27. | उदयपुर | 380 |
| | | 5068 |

**आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के अधिकार**

693. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक एवं आयात और निर्यात के अतिरिक्त मुख्य नियंत्रक को आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 सिविल न्यायालय की

शक्तियां प्राप्त हैं जिससे वे इस अधिनियम के अन्तर्गत पारित किसी निर्णय से पीड़ित व्यक्तियों की अपील सुन सकते हैं ;

(ख) क्या आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक द्वारा अपील सुनने के ये अधिकार अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिए गए है; और

(ग) यदि हां, तो ये अधिकार अधीनस्थ अधिकारियों की उक्त अधिनियम के किन उपबन्धों के अन्तर्गत दिए गए है ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)**: (क) जी, हां । आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 4एम में मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक तथा अपर आयात निर्यात नियंत्रक को यह अधिकार प्राप्त है कि वे इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश या किसी निर्णय से पीड़ित व्यक्तियों की अपीलें सुन सकते हैं । अधिनियम की धारा 4-ओ में यह व्यवस्था है कि वह प्रत्येक प्राधिकारी जो इस अधिनियम के अधीन कोई न्याय-निर्णय करता है या कोई अपील सुनता है या रिवीजन की किसी शक्ति का प्रयोग करता है तो उसे उपधारा (1) में उल्लिखित अपराध दंड संहिता (सी० पी० सी०) के अधीन सिविल अदालत की कुछ शक्तियां प्राप्त रहेंगी । धारा (1) की उपधारा (2) में यह व्यवस्था है कि ऐसे प्राधिकारी को अपराध दंड संहिता की धारा 345 और 346 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल अदालत माना जाएगा ।

(ख) मुख्य आयात–निर्यात नियंत्रक/अपर मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक को आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन पारित आदेशों या निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनने की जो शक्तियां प्राप्त हैं वे प्रत्यायित नहीं हैं, परन्तु आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 खंड 10 (2) के अधीन यह प्रावधान है कि आयात (नियंत्रण) आदेश के अधीन किए गए कुछ कामों के लिए अपील प्राधिकारी अधिसूचित किए जा सकते हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

## मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति

694. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान अब तक उनके मंत्रालय से प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह नियुक्तियां पब्लिक एन्टरप्राइजेज सलेक्शन बोर्ड मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति और दोनों के परामर्श के पश्चात की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत)** : (क) से (घ)

1. श्री महेन्द्र सिंह यादव, आई पी एस (उ० प्र० 66) को ए सी सी के अनुमोदन से जून 1991 में ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

2. श्री ए० के० मोइत्रा की नियुक्ति राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि० के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में 28 मई 1991 के आगे पी ई एस बी तथा ए सी सी से परामर्श करने के पश्चात उनकी सेवा निवृत्ति की तारीख अर्थात् 16-5-1993 तक बड़ा दी गई थी।

3. श्री एम० एस० पेंगते, भा० प्र० सेवा (ए एम–66) को पी ई इस बी तथा ए सी सी के अनुमोदन से 27-6-91 से उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

4. श्री आर० रामकृष्ण को एन टी सी (धारक कम्पनी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पी ई एस बी तथा ए सी सी का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात 19-4-1991 से नियुक्त किया गया था।

5. श्री एस० चक्रवर्ती को एन टी सी (डब्ल्यू बी ए बी एण्ड ओ) लि० के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में पी ई एस बी के परामर्श से तथा ए सी सी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 6-5-1991 से नियुक्त कया गया।

**औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा रुग्ण औद्योगिक इकाईयों के विरुद्ध कार्रवाई**

695. **श्री राम नाईक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जून, 1991 के टाइम्स आफ इंडिया में "बोर्ड फार इंडस्ट्रियल एण्ड फाइनेंश्यल रिकंस्ट्रक्शन (बी० आई० एफ० आर०) विल इन्वोक पीनल प्राविजंस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन बीमार औद्योगिक इकाइयों का ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में बैंक और वित्तीय संस्थाएं, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के कहे अनुसार अपने पुनर्वास संबंधी कर्तव्यों को निभाने में असफल रही है ;

(ग) ऐसे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के नाम क्या हैं और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि कोई दण्डात्मक कार्यवाही करने का विचार नहीं है, तो उसके क्या कारण है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) दिनांक 29 जून, 1991 के "द टाइम्स आफ इंडिया" के दिल्ली संस्करण में ऐसा कोई समाचार प्रकाशित नहीं हुआ है। अलबत्ता, इसी तारीख के "फाइनांसियल एक्सप्रेस" के दिल्ली संस्करण सहित कुछ दूसरे समाचार पत्रों में ऐसा समाचार प्रकाशित हुआ है ।

(ख) यद्यपि, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने न्यू सेंट्रल जूट मिल्स, कलकत्ता और ईश्वरन एण्ड संस इंजीनियर्स लि०, मद्रास को क्रमशः 20-9-1990 और 24-1-1989 को पुनरूद्धार योजनाएं मंजूर की थीं लेकिन कई कारणों से योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप पहले मामले में भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा और दूसरे मामले में वैश्य बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक द्वारा निधियां जारी नहीं की गई।

(ग) और (घ) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) ने सूचित किया है कि आवश्यकता पर आधारित निधियां जारी न करने के लिए उसने भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, वैश्य बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक के विरुद्ध रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 33 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई करने की धमकी दी। बीआईएफआर ने यह भी सूचित किया है कि यद्यपि भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने अनुपालन किए जाने की सूचना दी है लेकिन वैश्य बैंक लि० और लक्ष्मी विलास बैंक के लिए बीआईएफआर द्वारा निर्धारित समय-सीमा अभी पूरी नहीं हुई है। बीआईएफआर द्वारा मंजूर की गई योजनाओं के उल्लंघन होने पर उसके द्वारा उचित रूप से नोटिस दिए जाने के पश्चात् ही बीआईएफआर द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकेगी।

## मुद्रास्फीति की दर

**(हिन्दी)**

696. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई 1991 में मुद्रास्फीति की दर में उसकी मार्च, 1990 में विद्यमान स्थिति की तुलना में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(ख) इस वृद्धि के क्या कारण है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) :** (क) मासिक औसत के आधार पर थोक मूल्य सुचकांक (आधार : 1981–82 = 100) के अनुसार मुद्रास्फीति की वार्षिक दर मार्च, 1990 में 8.6 प्रतिशत से 2.4 प्रतिशत बिन्दु बढ़कर मई, 1991 में 11.0 प्रतिशत हो गई।

(ख) त्वरित मूल्य वृद्धि निम्नलिखित कारकों के परिणामस्वरूप थी :

(i) चिरस्थायी और अत्यधिक राजकोषीय असंतुलनों के परिणामस्वरूप मुद्रापूर्ति में अधिक वृद्धि, नकदी बाहुल्य और इस प्रकार प्रभावी मांग में वृद्धि; (ii) भुगतान संतुलनों की कठिनाइयों के कारण मुख्यतः सरकार द्वारा वांछित मात्रा में आयात करने में असमर्थता और घरेलू उत्पादन में कमी आने के कारण संवेदनशील वस्तुओं की मांग और पूर्ति में असंतुलन; (iii) कृषि वस्तुओं के वसूली/समर्थन मूल्यों में काफी मात्रा में वृद्धि; (iv) अक्तूबर, 1990

के मध्य से पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्यों में 25 प्रतिशत की दर से खाड़ी अधिकार लगाना, जिससे परिवहन लागतों में वृद्धि; (v) कानून की बिगड़ती हुई स्थिति के कारण परिवहन में रुकावट आई जिससे स्थानिक कमियां उत्पन्न हुई; और (vi) इसके परिणामस्वरूप मद्राफीतिकारी संभावनाएं बढ़ी ।

[अनुवाद]

**शिकायत समितियों और अपील प्राधिकरणों के पास लंबित मामले**

697. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत गठित की गई शिकायत समितियों और अपील प्राधिकरणों के पास 1 अप्रैल, 1991 को 2 माह, 3 माह, 4 माह और इससे अधिक समय से अलग-अलग कितने मामले लंबित थे ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) वाणिज्य मंत्रालय और नियंत्रक, आयात एवं निर्यात मुख्य के मुख्यालय के बारे में जानकारी नीचे दी गई है :—

(i) दिनांक 1-4-1991 की स्थिति के अनुसार शिकायत समिति में लम्बित मामलों की संख्या

| | | |
|---|---|---|
| 2 महीने से अधिक | — | 2 |
| 3 महीने से अधिक | — | 1 |
| 4 महीने से अधिक और उससे ज्यादा | — | 6 |

(ii) दिनांक 1-4-1991 की स्थिति के अनुसार अपील प्राधिकारियों के पास लम्बित मामलों की संख्या

| | | |
|---|---|---|
| 2 महीने से अधिक | — | 52 |
| 3 महीने से अधिक | — | 2 |
| 4 महीने से अधिक या उससे ज्यादा | — | 343 |

(ख) आयात एवं निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

**व्यक्तियों द्वारा आयकर का भुगतान**

698. **श्री राम नाईक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन पर आयकर और अधिकर (सुपर टैक्स) की एक करोड़ तथा इससे अधिक की राशि देय है ;

(ख) यह राशि कितनी-कितनी है और उन पर कब से देय है; और

(ग) इस राशि को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/करने का विचार है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** : (क) तथा (ख) दिनांक 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार ऐसे 141 व्यष्टि थे, जिन्होंने एक करोड़ रुपये तथा उससे अधिक की राशि के आयकर तथा अति कर के भुगतान में चूक की थी। दिनांक 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार ऐसे व्यष्टियों की तथा उनकी तरफ बकाया राशि संबंधी विवरण संलग्न है। ये मांगें विविध कर-निर्धारण वर्षों से संबंधित हैं तथा उन्हें भिन्न-भिन्न समय पर उस स्थिति में जारी किया गया, जब-जब संगत कर-निर्धारणों आदि को अन्तिम रूप दिया गया।

(ग) उक्त करों की वसूली के निमित्त कानूनी तथा प्रशासनिक, दोनों ही तौर पर समुचित कार्यवाहियां की जाती है। विधिपरक कार्यवाहियों में ये शामिल है :– अदायगी नहीं करने पर दण्ड आयद करना; बैंक-खातों, ऋणों आदि को कुर्क करने के लिए गार्निशी आदेश जारी करना; परिसम्पत्तियों की कुर्की/बिक्री के तहत वसूली किए जाने के निमित्त कर वसूली अधिकारियों द्वारा कर-वसूली विवरणों को तैयार किया जाना; चूककर्ता की सम्पत्ति की प्रबंध-व्यवस्था हेतु रिसीवर की नियुक्ति करना; चूककर्त्ताओं की गिरफ्तारी आदि। प्रशासनिक तौर पर बकाया मांगों में घटौती के निमित्त कार्य योजना विषयक लक्ष्यों को निश्चित किया गया है तथा वसूली की प्रगति पर विविध स्तरों पर निगरानी रखी जाती है। चूंकि मांग का एक बड़ा भाग अपीलों आदि में विवादग्रस्त है, इसलिए अपीलों के शीघ्र निपटान हेतु भी उपाय किए जाते हैं।

**विवरण**

| क्र० सं० | कर–निर्धारिती का नाम | दिनांक 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार बकाया धनराशि |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | श्री/श्रीमती/कुमारी | (रुपए : लाखों में) |
| 1. | अबदुल्ला गनी | 244.00 |
| 2. | अहमद यासीन | 103.89 |
| 3. | अनिल कुमार पारोलिया | 257.37 |
| 4. | (स्वर्गीय) ए० आर० चड्ढा | 101.29 |
| 5. | अम्बालाल वालदास पटेल | 140.00 |
| 6. | अलिभाई मोहम्मद | 143.55 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 7. | ए० विश्वनाथ | 310.76 |
| 8. | अनिल कुमार अग्रवाल | 124.56 |
| 9. | अनिल कुमार डिडवानिया | 458.75 |
| 10. | अनुपम कुमार डिडवानिया | 198.49 |
| 11. | ए० थंगम | 147.61 |
| 12. | ए० बालासुब्रामनियम | 155.77 |
| 13. | बी० एम छेदा | 114.00 |
| 14. | भारत लाल बी० जैन | 257.26 |
| 15. | भूपिन्दर सिंह (मैसर्स गोगी एन्टरप्राइसेस के प्रोपराइटर) | 111.38 |
| 16. | बी० के० पटेल | 361.35 |
| 17. | बी० एम० कनोडिया | 135.81 |
| 18. | बी० पी० गोयनका | 105.38 |
| 19. | भूपत राय के० सेठ | 121.86 |
| 20. | बी० टी० शंकर हेगड़े | 138.14 |
| 21. | भगवान दास अग्रवाल | 790.21 |
| 22. | बिपिन कामजी जैन | 171.07 |
| 23. | (स्वर्गीय) सी० बी० जैन | 138.22 |
| 24. | सी० एस० गोयनका | 102.24 |
| 25. | सी० सी० अल्बर्ट | 206.88 |
| 26. | सी० ए० तक्तवाला | 154.98 |
| 27. | चन्द्रनाथ बानिक | 286.08 |
| 28. | डी० डी० घई | 208.01 |
| 29. | डी० एम० पवार | 338.05 |
| 30. | मेजर देव दत्त | 183.96 |
| 31. | डी० के० अग्रवाल | 110.00 |
| 32. | दिलीप कुमार हंसराज (बरई ओल्ड इंडिया का प्रोपराइटर) | 302.02 |
| 33. | डी० एन० दोसानी | 111.00 |
| 34. | डी० पी० मनसिंहका | 114.48 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 35. | दामजी देवजी हरि | 674.44 |
| 36. | दीनदलाय डिडवानिया | 181.28 |
| 37. | ई० के० चन्द्रसेनन | 126.00 |
| 38. | गिरधर गोपाल शर्मा | 159.70 |
| 39. | जी० डी० अग्रवाल | 290.90 |
| 40. | जी० जयरामन | 136.78 |
| 41. | जी० वेंकटेश्वरम | 200.40 |
| 42. | जी० कृष्ण स्वामी थेवर | 106.75 |
| 43. | हरिदास मुन्द्रा | 1064.70 |
| 44. | हरि राम अग्रवाल | 164.60 |
| 45. | एच० आर० त्रिवेदी | 244.73 |
| 46. | हाजी इस्माइल सुभानिया | 211.73 |
| 47. | हरीश पोपट लाल प्रजापति | 131.00 |
| 48. | एच० एस० राव | 140.33 |
| 49. | इन्द्रमल मानाजी | 219.66 |
| 50. | डा० जे० धर्मतेजा | 1018.98 |
| 51. | जांन थामस | 147.34 |
| 52. | ज्योतीन्द्र सिंह (गोन्दल) | 211.98 |
| 53. | जीवाभाई ए० पटेल इण्ड | 169.00 |
| 54. | जे० बी० रुपानी | 389.02 |
| 55. | जे० देवराजूला | 108.00 |
| 56. | कामिनी सोंधी (स्वर्गीय एम० एल० सोंधी का कानूनी प्रतिनिधि) | 295.00 |
| 57. | कैलाश चन्द्र बी० वर्मा | 208.11 |
| 58. | कान्तिलाल एम० माली | 122.65 |
| 59. | कुसुम चन्द केशरी चन्द जावेरी | 405.52 |
| 60. | के० सतीश चन्द्र हेगड़े | 222.58 |
| 61. | के० एस० दत्तात्रेय | 288.46 |
| 62. | के० वेंकटेश दत्त | 276.43 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 63. | के० प्रसन्न कुमार रेड्डी | 104.21 |
| 64. | के० सुब्रमनियम | 190.83 |
| 65. | के० राजगोपालन | 153.71 |
| 66. | एल० कुंजू कूंजू | 103.91 |
| 67. | लाजपत राय सी० अग्रवाल | 166.09 |
| 68. | लोकुमल सी० विरमानी | 769.84 |
| 69. | लक्ष्मी नारायण खेमका | 392.65 |
| 70. | लक्ष्मीदास प्रेमजी | 139.95 |
| 71. | लीलाधर एन० पारेख | 212.81 |
| 72. | महाबीर प्रसाद आर० कानदेई (स्वर्गीय) | 102.64 |
| 73. | मोहन ठाकुर | 157.61 |
| 74. | मयूरध्वज सिंह जी (स्वर्गीय) | 185.72 |
| 75. | मोहम्मद अख्तर हुस्सैन उर्फ कादर अहमद भट्टी | 108.00 |
| 76. | मनसुख एम० जागड़े | 102.78 |
| 77. | एम० एल० गुप्त (प्रोपराइटर विकास एसो०) | 432.98 |
| 78. | मोपुरु शेष रेड्डी | 114.13 |
| 79. | एम० केदानदारानी रेड्डी | 247.04 |
| 80. | एम० सुब्बारामी रेड्डी | 143.99 |
| 81. | एम० सुधा कारा रेड्डी | 130.92 |
| 82. | मनोज कुमार डिडवानिया | 112.08 |
| 83. | एम० आर० पुरुषोत्तमन | 120.20 |
| 84. | एन० के० तन्ना | 182.00 |
| 85. | एन० डी० अरोड़ा | 131.63 |
| 86. | नन्द किशोर मालपानी | 121.00 |
| 87. | नरेन्द्र आनन्द | 186.70 |
| 88. | नारायण भाई आई० पटेल | 295.00 |
| 89. | एन० के० पारिख | 678.72 |
| 90. | एम० के० महनोट | 221.17 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 91. | ओ० पी० अरोड़ा | 218.00 |
| 92. | ओ० पी० नवानी | 416.36 |
| 93. | पद्मावती डी० घई | 179.20 |
| 94. | पी० सी० गुप्ता | 123.05 |
| 95. | पुष्पा देवी टाक | 526.06 |
| 96. | प्रीतिपाल सिंह | 213.64 |
| 97. | पवन कुमार जैन | 224.12 |
| 98. | पोपटलाल कांजीभाई ओहेलानी | 160.53 |
| 99. | प्रकाश मेहरा | 179.81 |
| 100. | पी० आई० फर्नांडीज़ | 139.14 |
| 101. | पवन कुमार डिडवानिया | 637.67 |
| 102. | पी० गोविन्दस्वामी | 113.44 |
| 103. | पी० के० बालामुरुगेश | 116.51 |
| 104. | राम कुमार जालान | 527.55 |
| 105. | रामनाथ गोयनका | 103.38 |
| 106. | आर० भारथन | 151.12 |
| 107. | रमेश सूरी | 109.75 |
| 108. | आर० पी० अग्रवाल | 353.64 |
| 109. | राम नाथ बाजोरिया | 116.53 |
| 110. | राज चोपड़ा | 615.11 |
| 111. | रामपुरुषोत्तम जी० अग्रवाल | 152.73 |
| 112. | राजेन्द्र नाना लाल कटारिया | 386.38 |
| 113. | आर० के० पारिख | 712.44 |
| 114. | आर० रामदेवी | 118.44 |
| 115. | रतन लाल डिडवानिया | 363.47 |
| 116. | आर० जयाप्रदान | 159.13 |
| 117. | राम गोपाल डिडवानिया | 131.08 |
| 118. | आर० एल० धनपालन | 235.28 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 119. | (स्वर्गीय) सायाजी राव गायकवाड़ | 231.31 |
| 120. | एस० एम० शाह | 104.32 |
| 121. | शान्ति लाल एम० कापड़िया | 246.22 |
| 122. | सुरेन्द्र कुमार गर्ग | 596.00 |
| 123. | सुधीर एम० झावेरी | 240.00 |
| 124. | एस० ए० करीम | 243.48 |
| 125. | एस० एस० अहलूवालिया | 140.80 |
| 126. | सुकरभाई नारनभाई बखिया | 3193.09 |
| 127. | एस० बरकतुल्ला | 233.49 |
| 128. | सुशील के० जालान | 186.18 |
| 129. | शान्ति लाल एम० सोपुरीवाला | 196.89 |
| 130. | एस० सेवक | 208.27 |
| 131. | एस० सुन्दरम पिल्ले | 101.94 |
| 132. | टी० एम० अब्दुल गफ्फूर | 138.44 |
| 133. | टी० बालशंकर रेड्डी | 172.51 |
| 134. | उमा कान्त रथ | 101.00 |
| 135. | विजय कुमार एम० शाह | 162.00 |
| 136. | विश्वनाथ जी० शर्मा | 123.29 |
| 137. | विज सी० शरॉफ | 186.27 |
| 138. | वासुमल भगवानदास | 156.99 |
| 139. | विनोद कुमार डिडवानिया | 3267.46 |
| 140. | डब्ल्यू० एन० चड्ढा | 1056.00 |
| 141. | यूनुस कुंजी | 214.34 |

**दिल्ली निर्यातक संघ की भारतीय रिजर्व बैंक से शिकायतें**

699. **श्री राम नाईक :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली निर्यातक संघ ने बैंकों द्वारा निर्यातकों के विदेशी मुद्रा विनियम के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक से कुछ शिकायतें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए हैं या करने का विचार है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय के मामले में बैंक प्रभारों, देरी आदि के संबंध में उसे दिल्ली निर्यातक संघ से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) जहां कुछ शिकायतें सामान्य प्रकृति की हैं वहीं उनमें से कुछ शिकायतें विदेशी मुद्रा विनिमय का प्रबंध करने और विभिन्न विनिमयों को पूरा करने में देरी के लिए बैंकों के लेवी प्रभारों से संबंधित हैं।

(ग) इस मामले की भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच की गई है। जहां तक बैंक प्रभारों का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा इन्हें निर्धारित किया गया है और उनका सुविचारित मत यह है कि भारत में विदेशी मुद्रा विनिमय का प्रबंध करने के प्रभार, विदेशों में बैंकों द्वारा वसूल किए जा रहे प्रभारों की तुलना में काफी कम हैं। इसके साथ ही निर्यातकों की सहायता करने के उद्देश्य से भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ ने "भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के नियम" नामक पुस्तिका (पहली जून 1991 से प्रभावी) निकाली है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के विदेशी मुद्रा विनिमय को पूरा करने के लिए समय सीमा और निर्यातकों द्वारा देय प्रभारों का उल्लेख किया गया है। चूंकि अब ये नियम सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दिए गए हैं, इसलिए यह आशा की जाती है कि बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय का प्रबंध करने के संबंध में निर्यातक और आयातक अपनी समस्याओं को सुलझा सकेंगे। इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिल्ली निर्यातक संघ को समुचित उत्तर दे दिया गया है।

**भुगतान संतुलन की स्थिति**

700. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1990 से विदेशी मुद्रा जमाराशि की प्रतिमाह उपलब्धता के मुकाबले भुगतान संतुलन की मासिक स्थिति क्या है ;

(ख) क्या इससे पहले के तीन वर्षों के दौरान भी भुगतान-संतुलन की स्थिति प्रतिकूल रही थी ;

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाये गये अथवा उठाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) उस पर रुपए के अवमूल्यन का तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ा है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** : (क) भुगतान संतुलन की स्थिति मुख्यतः विदेशी मुद्रा भण्डारों के स्तर में परिलक्षित होती है। जनवरी 1990

के विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार (स्वर्ण और एस.डी.आर. को छोड़कर) की स्थिति निम्नानुसार है :–

(रुपए करोड़)

| | 1990 | 1991 |
|---|---|---|
| जनवरी | 4871.01 | 4719.27 |
| फरवरी | 5559.97 | 4445.87 |
| मार्च | 5787.17 | 4388.10 |
| अप्रैल | 5092.87 | 2527.06 |
| मई | 5403.55 | 2677.40 |
| जून | 5356.17 | 2382.69 |
| जुलाई | 5050.12 | |
| अगस्त | 5479.82 | |
| सितम्बर | 4511.64 | |
| अक्तूबर | 3820.45 | |
| नवम्बर | 3142.19 | |
| दिसम्बर | 2152.49 | |

(ख) जी हां, पिछले पांच वर्ष से भुगतान संतुलन की स्थिति पर काफी दबाव रहा है।

(ग) भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित उपाय करने का प्रस्ताव है :–

(1) अल्पवधि में आयात कम करने के उपायों को जारी रखना, पहले से वचनबद्ध विदेशी सहायता के उपयोग में तेजी लाना और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सुविधाओं के उपयोग सहित अतिरिक्त वित्तपोषण सुविधाओं का पता लगाना

(2) मध्यावधि में अधिक प्रभावकारी निर्यात बढ़ोतरी के उपायों, पर्यटन से प्राप्तियों सहित बढ़ी हुई सेवा प्राप्तियों द्वारा निवल अदृश्य प्राप्तियों में वृद्धि और वित्तीय विवेक के अनुरूप बढ़े हुए पूंजी प्रवाहों तथा उनके उत्पादनात्मक उपयोग द्वारा व्यापार अंतर को कम करने का प्रस्ताव है। हमारी समग्र आर्थिक नीतियों के अनुरूप अनिवासों भारतीयों से अधिक पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ विदेशों द्वारा सीधे निवेशों को आकर्षित करने के उपाय करने काफी प्रस्ताव है।

(घ) यह आशा की जाती है कि अनेक नीतिगत उपायों के साथ-साथ मुद्रा दर में समायोजन से अल्पावधि में भुगतान संतुलन की स्थिति में स्थिरता आएगी और मध्यावधि में व्यापार संतुलन की स्थिति में सुधार होगा।

**दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं**

701. **श्री मदन लाल खुराना:** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान तथा 31 मई, 1991 तक, दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोग मरे तथा कितने घायल हुए तथा पिछले तीन वर्षों की तुलना में इसके आंकड़ों की स्थिति क्या है ;

(ख) सड़कों पर मरने वालों एवं घायल होने वालों की संख्या में कमी लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, तथा उनसे क्या प्रभाव पड़ा ;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान अंधाधुंध एवं लापरवाही मे गाड़ी चलाने के कारण, वाहन श्रेणीवार, कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया ;

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ;

(ङ) उक्त वाहनों में से कितने वाहन इसी प्रकार के पिछले अपराधों में शामिल थें ;

(च) डी० टी० सी० के अन्तर्गत चल रही प्राइवेट बसों तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण के परमिटों के अन्तर्गत चल रही उन बसों की संख्या कितनी है जिन्हों ने पूरे दिन के लिए दो ड्राइवरों के स्थान पर केवल एक ड्राइवर नियुक्त कर रखा हैं ; और

(छ) दो ड्राइवरों की नियुक्ति को तथा प्रति दिन एक ड्राइवर से आठ घंटे से अधिक कार्य न करवाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर):** (क) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

| वर्ष | मृत व्यक्ति | घायल व्यक्ति |
|---|---|---|
| 1987 | 1271 | 6388 |
| 1988 | 1474 | 6830 |
| 1989 | 1581 | 7378 |
| 1990 | 1670 | 7883 |
| 1991 (31 मई तक) | 747 | 3412 |

(ख) निम्नलिखित उपाय किए गए :

(1) यातायात नियमों और विनियमों को सख्ती से लागू करना।

(2) बिना लाइसेंस अधाधुंध और लापरवाही से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, खराब हेड लाइट, अधिक गति से वाहन चलाने, अधिक भार लादने आदि के विरूद्ध नियमित रूप से विशेष अभियान चलाना।

(3) नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नोटिस जारी करकें नियमित रूप से मुकदमें चलाना।

(4) दिल्ली यातायात पुलिस के सड़क सुरक्षा कक्ष द्वारा स्कूली बच्चों को स्कूल में सड़क के नियमों और संबंधित सुरक्षा पहलुओं के बारे में नियमित रूप से आवश्यक प्रशिक्षण/शिक्षा देना।

(5) दुर्घटना बहुत क्षेत्र में बिलेकरों/संकेतों को लगाना।

(6) राडार गुना के जरिए मुकदमा चलाना।

(7) दुर्घटना बहुत क्षेत्रों में अधिक पुलिस तैनात करना।

(8) विशेष प्रातः कालीन अभियान और रात्रि में मोबाइल गश्त।

(9) सड़क सुरक्षा संबंधी व्यापक प्रयार हेतु दूरदर्शन/आकाशवाणी/प्रेस का गहन उपयोग।

(10) बस बाक्सेड, येलो बाक्सेज, की पेंटिंग।

(11) राजमार्गों पर रात्रि को विशेष चेकिंग।

(12) बसों, एक टी यू, टी एस आर टैक्सियों आदि के विरुद्ध विशेष अभियान।

(13) विभिन्न सड़क प्रयोक्ताओं और बच्चों में सड़क सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए सड़क सुरक्षा कक्ष द्वारा पेंटिंग प्रतियोगिता और अन्य सड़क सुरक्षा कार्यकलाप आयोजित किए जा रहे हैं।

(14) कम्प्यूटराइज्ड संकेत आदि क्षेत्रीय यातायात नियंत्रण प्रणाली लागू करना।

उपर्युक्त उपायों के फलस्वरूप दिन्ली यातायात पुलिस दुर्घटनाओं की बढ़ रही संख्या को कम कर सकी है, साथ ही घातक दुर्घटनाओं की सख्या में मामूली कमी आई है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) मोटर वाहन अधिनियम के अतर्गत मुकदमा दायर करने के मामले में अपराधों के लिए या तो मौके पर ही जुर्माना किया जाता है या न्यायालय के पास चलान भेज दिए जाते हैं। जिन दुर्घटनाओं के मामले पंजीकृत कर लिए जाते हैं उनके संबंध में भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मुकदमा दायर किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

(ङ) ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(च) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(छ) उपर्युक्त भाग (च) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अंधाधुंध और लापरवाही से श्रेणीवार वाहन चलाने के लिए जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया उनकी संख्या

| वाहन वार | 1-1-87 से 31-12-87 | 1-1-88 से 31-12-88 | 1-1-89 से 31-12-89 | 1-1-90 से 31-12-90 | 1-1-91 से 31-5-91 |
|---|---|---|---|---|---|
| एच टी वी/एम एम वी . | 1311 | 1543 | 3094 | 4430 | 5521 |
| एल सी वी . . . | 163 | 245 | 477 | 947 | 1219 |
| बस . . . | 299 | 462 | 1052 | 1156 | 1087 |
| प्राइवेट, बस, दि० प० नि० के अंतर्गत | 154 | 261 | 562 | 452 | 360 |
| दि० प० नि० . | 147 | 121 | 177 | 154 | 306 |
| मैटाडार | 97 | 137 | 179 | 133 | 81 |
| टैक्सी . . . | 83 | 82 | 71 | 71 | 77 |
| टी एस आर . . . | 364 | 389 | 654 | 645 | 595 |
| स्कूटर/मोटर साईकिल . . | 707 | 793 | 1338 | 962 | 959 |
| कार, जीप . . . | 473 | 696 | 785 | 829 | 593 |

रुपए की विनिमय दर

702. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**

**श्री भोगेन्द्र झा :**

**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपए का अवमूल्यन किया गया है तथा विदेशी मुद्राओं के साथ इसकी विनिमय दर का पुनर्समायोजन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस अवमूल्यन के लिए दबाव डाला था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रमुख मुद्राओं के साथ रुपए की सरकारी एवं गैर-सरकारी विनिमय दर में कोई अंतर है; और

(च) यदि हां, तो 5 जुलाई, 1991 को, सरकारी तथा गैर-सरकारी विनिमय दरों में रुपए का मूल्य क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश्वर ठाकुर)** : (क) विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपए की विनिमय दर समय-समय पर समायोजित की जाती है और अभी हाल ही में 1 जुलाई, 1991 और 3 जुलाई, 1991 को इसमें अत्यधिक समायोजन किए गए हैं।

(ख) विनिमय दर में समायोजन करने की आवश्यकता अर्थ-व्यवस्था में बढ़ते बाह्य एवं आंतरिक असंतुलनों के कारण पड़ी। भुगतान संतुलन की स्थिति बहुत गम्भीर हो गई थी जिसका पता विदेशी मुद्रा भण्डार में आई तीव्र गिरावट से चलता है। भारत के मुख्य व्यापारिक भागीदार देशों की तुलना में देश में मुद्रा स्फीति की अपेक्षाकृत उच्च दर और सामान्य विनिमय दर में अपेक्षाकृत निम्न ह्रास दर, जिसकी वजह से अर्थ व्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाती है, के परिणामस्वरूप अक्तूबर, 1990 से रुपए की वास्तविक प्रभावी विनिमय दरों में वृद्धि होती रही है। बाजार को अस्थिर करने वाली उन संभावनाओं को रोकना पूरी तरह आवश्यक था जो कि रुपए की विनिमय दर से संबंधित अवधारणाओं के कारण पैदा हो गई थीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक यह अपेक्षा करते हैं कि सभी प्रकार के लेन-देन केवल सरकारी दरों के अनुसार किए जाएं और इसलिए रुपए के सरकारी व गैर-सरकारी मूल्य के बीच अंतर जानने का प्रश्न नहीं उठता।

(च) 5 जुलाई, 1991 की स्थिति के अनुसार मुख्य मुद्राओं की तुलना में रुपए की विनिमय दर निम्नलिखित प्रकार है :–

(प्रति यूनिट विदेशी मुद्रा रुपया)

| | |
|---|---|
| अमेरिकी डालर . . | 25.96 |
| पौंड स्टर्लिंग . . | 41.72 |
| ड्यूश मार्क . . | 14.18 |
| जापानी येन . . | 0.186 |

**आयात पर आधारित उद्योगों पर रुपये के अवमूल्यन का प्रभाव**

703. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :**
**श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
**श्री भाग्ये गोवर्धन :**

**क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के हाल के अवमूल्यन से आयात पर आधारित उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या केवल निर्यातकों को ही रुपये के अवमूल्यन से लाभ हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का आयातकों के हित में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में वाणिज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)**: (क) और (ख) रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने 1 जुलाई और 3 जुलाई, 1991 को रुपए के मूल्य का जो अद्योगामी समायोजन किया हैं, उससे आशा है कि आयात कम होंगे, भारत की निर्यात आय बढ़ेगी और रुपए में विश्वास पुनःस्थापित होकर पूंजी के आगमन को प्रोत्साहन मिलेगा।

(ग) सरकार ने हाल ही में निर्यात-अयात नीति में दूर गामी सुधार किए हैं, जिनका उद्देश्य लाइसेन्सिंग वाले नियंत्रण कम करना, निर्यात प्रोत्साहकों को सुदृढ़ बनाना और आयात वस्तुओं की बहुत बड़ी संख्या की आयात-क्षमता को निर्यात-आय से जोड़ता हैं।

**करण उप-क्षेत्र में गोली-बारी**

704. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

**श्री एम० वी० चन्नशेखर मूर्ति :**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा स्थितिकरण उप-क्षेत्र में भारतीय चौकियों पर 29 जून और 1 जुलाई, 1991 को भारी गोला-बारी की;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की गयी गोली-बारी में कितने जवान मारे गये,;

(ग) क्या भारतीय बलों ने गोली-बारी का जवाब दिया;

(घ) घटना का ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सरकार ने ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

**रक्षा मंत्री (शरद पवार)** : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय सैनिकों में से कोई हताहत नहीं हुआ।

(ग) और (घ) जी, हां। हमारे सैन्यदलों ने प्रभावी ढंग से गोलियों का जवाब दिया।

(ङ) हमारी सेनाए, देश की प्रादेशिक अखण्डता को बनाए रखने के लिए सभी तरह की आपात स्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह सज्जित और प्रशिक्षित हैं।

**आयकर अपवंचकों की सूचना देने वालों को पुरस्कार**

705. **श्री कडिया मुण्डा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 और 1991 के दौरान दिल्ली में आयकर अपवंचकों की सूचना देने वालों को पुरस्कृत किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आयकर अपवंचकों की सूचना देने वाले लोगों को कब तक नकद पुरस्कार दिया जाएगा ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** : (क) जी, हां। 31 मार्च, 1990 तथा 1991 को समाप्त हुए वित्तवर्षों के दौरान अन्तरिम पुरस्कार सहित क्रमश: 17 और 24 मुखबिरों को दिल्ली में पुरस्कार दिए गए थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मुखबिरों को पुरस्कार देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के तहत किसी मुखबिर को अन्तिम रूप से पुरस्कार की अदायगी केवल तभी की जा सकती है यदि उसके द्वारा दी गयी सूचना पर प्रत्यक्षतया आरोप्य संपूर्ण कर, जैसाकि निर्धारणों में निर्धारित किया गया हो, निर्धारणों से संबंधित सभी अपीलों का निपटान करने के बाद तथा निर्धारणों को अन्तिम रूप दे दिए जाने के बाद, वसूल कर लिया गया हो। अत: अन्तिम रूप से पुरस्कार की अनुमति देने में लगने वाला समय प्रत्येक मामले में भिन्न भिन्न होगा।

[हिन्दी]

**शिवपुरी मोगनीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 25 पर पुल की मरम्मत**

706. **संतोष कुमार गंगवार** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिवपुरी मोगनीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-25 पर स्थित पुल अक्टूबर, 1990 में उड़ा दिया था;

(ख) यदि हां, तो पुल को कितनी क्षति पहुंची है;

(ग) इस पुल की मरम्मत पर कुल कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है; और

(घ) मरम्मत कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) जी, हां।

(ख) "आर्क ब्रिज" का केन्द्रीय "स्पेन" क्षतिग्रस्त हो गया था और मेहरावों में दरार पड़ गई थी।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने इस पुल की अस्थाई मरम्मत पर 1.00 लाख रु० खर्च किए हैं और तत्पश्चात् नवम्बर, 1990 में इसे यातायात के लिए खोल दिया गया था।

**हजीरा में बड़े पत्तन की स्थापना**

707. **श्री काशी राम राणा :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों ने कई वर्ष पूर्व हजीरा (सूरत-गुजरात) में एक बड़े पत्तन की स्थापना करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो इस पत्तन की स्थापना हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस पत्तन की स्थापना में हुए विलंब के क्या कारण हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

**केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क और आय कर न्यायाधिकरणों के समक्ष लम्बित मामले**

708. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1991 को केन्द्रीय उत्पाद, सीमा-शुल्क और आयकर न्यायाधिकरणों के समक्ष कितने मामले लम्बित थे ;

(ख) गत तीन वर्षों से अधिक समय से न्यायाधिकरण-वार कितने मामले लम्बित थे ; और

(ग) इन मामलो की निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इन्हें शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) :** (क) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण (सी. उ. स्वं. अ. अ.) और आयकर अपील अधिकरण (आ.क.अ.अ.) के पास 1-4-91 तक क्रमशः 39,957 और 1,98,915 मामले लंबित पड़े हैं।

(ख) 1-4-91 को तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले निम्नानुसार हैं :–

| | | |
|---|---|---|
| सी.उ.स्वं.अ. अधिकरण | — | 16,412 |
| आ.क.अ. अधिकरण | — | 29,943 |

(ग) पक्षकारों द्वारा स्थगत के लिए निरन्तर अनुरोध, पेचीदा विषयों जिनकी सुनवाई में अधिक समय लगता है, मामलों के संस्थापन की अधिकता और आयकर अपील अधिकरण में सदस्यों की रिक्तियों विशेषकर लेखा सदस्यों के पदों को न भरे जाने जैसे कारण ही, मामलों के निपटान में विलंब के मुख्य कारणों में से हैं।

मामलों के शीघ्र निपटान के लिए उठाए गए कदमों में, समान मुद्दे वाले मामलों को एक ही साथ इकट्टा करना, अधिकरण ओर उच्चतम् न्यायालय के विनिश्चयों के आधार पर निपटाए जाने वाले मामलों की सुनवाई के लिए सूची बनानां और सी. शु. उ. शु.र.नि.अपी. अधिकरण की अतिरिक्त पीठों का सृजन है। आयकर अपील अधिकरण की बाबत उठाए गए कदमों में नियुक्ति के लिए नए सदस्यों का चयन ऐसे मामलों को अलग-अलग करना जो केवल दो न्यायिक सदस्यों की पीठों द्वारा निपटाए जा सकते हैं, ऐसे मामलों का पता लगाना जो पूर्ववर्ती निर्णयों के अधीन आते हैं समूह में सुनवाई के लिए समान मुद्दे वाली अपीलों को अलग करना और सदस्यों द्वारा उन स्थानों का दौरा करना जहां बकाया लंबित मामले हैं अथवा जहां नियमित पीठें कार्य नहीं कर रही हैं।

### ऋणों का भुगतान न करना

709. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने उद्योगपतियों/उद्यमियों/व्यवसायियों/व्यापारियों आदि ने बैंकों और वित्त संस्थानों से लिए गए ऋणों/ओवरड्राफटों का भुगतान नहीं किया है ;

(ख) उनसे उक्त राशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) ऐसे कितने व्यक्तियों/फर्मों को काली सूची में डाल दिया गया था ; उनमें से कितनों को इस सूची से निकाल दिया गया है, तथा इसके क्या कारण हैं और उनसे धनराशि वसूल करने संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह उन उद्योगपतियों/उद्यमियों/व्यवसायियों/व्यापारियों आदि के संबंध में, जिन्होंने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों और ओवरड्राफ्टों की वापसी अदायगी नहीं की है अथवा उनके खिलाफ की गई कार्रवाई (काली सूची में शामिल करने सहित) के संबंध में आंकडे नहीं रखता।

(ख) जब कभी ऋणों की वापसी अदायगी अथवा ब्याज के भुगतान के संबंध में चूकें की जाती हैं, बैंक अपनी रकमों की वसूली के लिए खातों मे आगे की निकासियों अथवा अन्य परिचालनों पर रोक लगाने, गारंटीदाताओं को नोटिस देने, मुकदमें दायर करने आदि जैसे उपायों का आश्रय लेते हैं। वित्तीय सस्थाओं के संबंध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि वसूली के लिए उचित अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की जाती है जिनमें अतिदेय रकमों की शीघ्र वसूली के लिए उधारकर्ता कम्पनियों के साथ सख्ती से कार्रवाई

करना और हठी उधारकर्ताओं के मामलों में, वसूली के लिए उन्हें स्मरण कराना और मुकदमें दायर करना शामिल है।

**"सी" और "डी" श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति**

710. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या **वित्त मंत्री** 18 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9371 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच "सी" और "डी" श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित मामले की जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) "बी" श्रेणी के राजपत्रित सरकारी कर्मचारी को भी उस वेतनमान में पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के तत्काल बाद पदोन्नत किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे)** : (क) और (ख) यह मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

(ग) सभी मत्रालयों/विभागों में पदोन्नतियां रिक्तियों के आधार पर की जाती हैं सिवाय कुछ ऐसे विभागों के जहां पर कुछ वर्गों के लिए उदार संपूरक स्कीम शुरू की गई है। उदार संपूरक स्कीम के अन्तर्गत न आने वाले समूह "ख" के राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के मामले में पांच वर्ष में समयबद्ध पदोन्नति सुनिश्चित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हीं है।

**काला धन**

711. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही :**

**श्री राम विलास पासवान :**

**श्री हरिन पाठक :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितना अनुमानित काला धन है ; और

(ख) काला धन जो कि विराट रूप धारण कर चुका है को नियंत्रित करने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** : (क) देश में कितना काला धन प्रचलन में है, इसका कोई सरकारी अनुमान नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान ने "आस्पेक्ट्स ऑफ दि ब्लैक इकानामी इन इंडिया" शीर्षक अपनी रिपोर्ट में वर्ष 1983-84 में उत्पन्न काले धन की मात्रा 31,584 करोड़ रु० से 36,786 करोड़ रु० के बीच होने का अनुमान लगाया है। लेकिन, उक्त रिपोर्ट के लेखकों ने यह स्वीकार किया है कि उनका अनुमान अनेक पूर्वानुमानों तथा अनुमानों पर आधारित है, जिनमें से प्रत्येक को चुनौती दी जा सकती है। इसके बाद से लेकर अब तक देश में जो काला धन प्रचलन में है, उसकी मात्रा का अनुमान लगाने के बारे में कोई प्रयास नहीं किया गया है।

(ख) काले धन की उत्पत्ति पर, उसकी बढ़ोत्तरी पर तथा उसके इस्तेमाल पर नियंत्रण रखने के लिए उपाय करना निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है। सरकार इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक उपाय करती रहती है। आर्थिक नीतियों के अन्तर्गत नौकरशाही नियंत्रणों को अपेक्षाकृत कम करने तथा लाइसेंसों को रद्द करने जैसे परिवर्तनों को लागू किया गया है, जिससे काले धन की उत्पत्ति में कमी लाने में सहायता मिलेगी। कर-अपवंचन की रोकथाम करने तथा कर-अनुपालन में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष करों के ढांचे को सुव्यवस्थित बनाने तथा प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाने जैसे अन्य उपाय भी किए गए है।

कर अपवंचन को रोकने तथा काले धन के लेन-देन को समाप्त करने के लिए आयकर-विभाग द्वारा किए गए कुछेक उपायों में निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं :-

(i) सर्वेक्षण संबंधी सुव्यवस्थित कार्यवाहियां ;

(ii) समुचित मामलों में तलाशी लेने तथा सवक्षण करने की कार्यवाहियां ;

(iii) केन्द्रीय सूचना शाखाओं द्वारा सुनियोजित ढंग से सूचना का सत्यापन करना ;

(iv) चुनिन्दा मामलों में गहराई से जांच-पड़ताल करना ; और

(v) आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX-ग के उपबंधों के अधीन कतिपय अधिसूचित शहरों में केन्द्रीय सरकार द्वारा अचल सम्पत्ति का पूर्वक्रय अधिकार।

कर अपवंचन करने अथवा काले धन को जमा करने के काम में लिप्त पाए गए व्यक्तियों पर दण्ड लगाकर तथा उनके खिलाफ अभियोजन चलाकर कड़ाई बरती जा रही है।

**व्यापार पर रुपये के अवमूल्यन का प्रभाव**

712. **श्री भाग्ये गोवर्धन :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रुपये के अवमूल्यन का जापान, ब्रिटेन, अमरीका, रूस, बेल्जियम और सयुक्त जर्मनी को किए जाने वाले निर्यात और इन देशों से किये जाने वाले आयात पर तत्काल क्या प्रभाव पड़ा है ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :** रिजर्व बक आफ इंडिया द्वारा 1 जुलाई तथा 3 जुलाई, 1991 को किए गए रुपए के अद्योगामी समायोजन से जापान, ब्रिटेन, सयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ और जर्मनी सहित सभी देशों के सम्बन्ध में भारत की समग्र निर्यात आय बढ़ने और आयात मंहगा हो जाने के कारण उसके कम होने की आशा है।

**प्रमुख बंदरगाहों द्वारा माल यातायात का निपटान**

713. **श्री भाग्ये गोवर्धन :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, जून, 1991 के दौरान प्रमुख बंदरगाहों द्वारा कितने माल यातायात का निपटान किया गया और प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह द्वारा निर्धारित मासिक लक्ष्य और उसकी प्राप्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) लक्ष्य-प्राप्ति में कमी के क्या कारण हैं अथवा बेहतर प्रदर्शन के क्या कारण हैं; और

(ग) सुसंगत रूप से कार्य निष्पादन करने वाले प्रमुख बन्दरगाहों के नाम क्या हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :** (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) अप्रैल-जून, 1991 के दौरान पारादीप, विशाखापत्तनम, मद्रास, टूटीकोरिन, मुरगांव और जवाहर लाल नेहरु पत्तन ने लक्ष्य से अधिक कार्गो हैंडल किया। इसका मुख्य कारण कार्गो की बेहतर उपलब्धता थी। कलकत्ता, कोचीन, न्यू मंगलूर, बम्बई और कांडला के मामले में वास्तव में हैंडल किया गया कार्गो लक्ष्य से कम था। इसका मुख्य कारण पी० ओ एल, कोयला, उर्वरक और सामान्य कार्गो की कम उपलब्धता थी। तथापि, सभी महापत्तनों ने संयुक्त रूप से लक्ष्य से अधिक कार्गो हैंडल किया (+2%)।

(ग) पत्तनों के माध्यम से ट्रैफिक प्रवाह को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों और पत्तनों पर पिछले कुछ वर्षों के दौरान हैंडल किए गए कुल ट्रैफिक को देखते हुए सभी महापत्तनों का निष्पादन अनुकूल रहा है ।

विवरण

अप्रैल, मई और जून, 1991 के दौरान महापत्तनों द्वारा निर्धारित कार्गो ट्रैफिक लक्ष्य और वास्तव में हैंडल किया गया ट्रैफिक नीचे दिया गया है

000 एम टी में (अनंतिम आंकड़े)

| पत्तन का नाम | अप्रैल, 1991 | | मई, 1991 | | जून, 1991 | | अप्रैल-जून, 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| कलकत्ता (हल्दिया गोदी परिसर सहित) | 1102 | 1332 | 1475 | 1278 | 1536 | 1205 | 4113 | 3815 |
| पारादीप | 363 | 599 | 526 | 611 | 514 | 442 | 1403 | 1652 |
| विशाखापत्तनम | 1523 | 1903 | 1578 | 1589 | 1596 | 1718 | 4697 | 5210 |
| मद्रास | 1724 | 2366 | 1749 | 2101 | 2040 | 1773 | 5513 | 6240 |
| टूटीकोरिन | 385 | 414 | 386 | 487 | 413 | 520 | 1184 | 1421 |
| कोचीन | 641 | 451 | 640 | 539 | 616 | 562 | 1897 | 1552 |
| न्यू मंगलूर | 729 | 594 | 730 | 720 | 629 | 639 | 2088 | 1953 |
| मुरगांव | 1849 | 2123 | 1650 | 1571 | 210 | 401 | 3709 | 4095 |
| जवाहर लाल नेहरु पत्तन | 189 | 201 | 194 | 226 | 165 | 286 | 548 | 643 |
| बम्बई | 2343 | 2286 | 2388 | 2128 | 2315 | 1985 | 7046 | 6399 |
| कांडला | 1669 | 1481 | 1673 | 1713 | 1667 | 1802 | 5009 | 4996 |
| सभी पत्तन | 12517 | 13750 | 12989 | 12963 | 11701 | 11263 | 37207 | 37976 |

**विश्व बैंक सहायता की अप्रयुक्त धनराशि**

7.14. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
**श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा देश को उपलब्ध करायी गयी 12 अरब डालर से अधिक की धनराशि का कोई उपयोग नहीं किया गया :

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या परियोजना लागू करने में हुए विलम्ब के कारण देश विश्व बैंक सहायता का उपयोग करने में समर्थ नहीं है;

(घ) यदि हां, तो जिन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता देने की राजी हो गया था उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सहायता का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)**: (क) और (ख) जी हां, जून, 1991 के अंत में, विश्व बैंक की सहायता के अंतर्गत कुल असंवितरित राशि 12.159 अरब अमेरिकी डालर थी।

(ग) और (ङ) असंवितरित राशि सम्पूर्ण रूप में ज्यादा लगती है लेकिन यह विभिन्न परियोजनाओं की अवधि की पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की पक्वनावधि के अलावा, ऋणराशि के उपयोग में विलम्ब के कई कारण होते हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, विनिमय दर में होने वाली घट-बढ़, राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली अपर्याप्त पूरक राशियां, विलम्बकारी भूमि–अधिग्रहण प्रक्रियाएं और अन्य परियोजना-विशिष्ट मुद्दे शामिल हैं। इन्हीं समस्याओं के कारण कभी-कभी विश्व बैंक सहायता के उपयोग में देरी हो जाती है जिसका समाधान परियोजनाओं की अवधि बढ़ाकर/ पुनः संरचना करके किया जाता है।

(घ) विश्व बैंक सहायता प्राप्त चालू परियोजनाओं संबंधी विवरण संलग्न है।

**विवरण**

**चालू परियोजनाओं की सूची**

| क्रम सं० | परियोजना का नाम | ऋण की मूल राशि | वह राशि जिसकी निकासी नहीं की गई अं० पु० वि० बैंक/ अं० वि० संघ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | पश्चिम बंगाल सामाजिक वानिकी . . | 33.7 | 1.985 |
| 2. | हिमालय जल विभाजक प्रबंध . . | 30.2 | 9.310 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | वर्षा पोषित क्षेत्रों में जल विभाजक विकास | 38.4 | 29.134 |
| 4. | कर्नाटक सामाजिक वानिकी | 33.4 | 8.385 |
| 5. | केरल सामाजिक वानिकी | 39.9 | 14.196 |
| 6. | एन ए के पी–I | 50.36 | 30.193 |
| 7. | एन ई ए पी–II | 65.57 | 29.634 |
| 8. | राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी | 217.08 | 77.731 |
| 9. | राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान–II | 90.80 | 64.574 |
| 10. | एन ए ई पी–III | 93.5 | 69.645 |
| 11. | राष्ट्रीय जल प्रबंध | 114.0 | 105.160 |
| 12. | राष्ट्रीय डेयरी–II | 358.1 | 269.248 |
| 13. | राष्ट्रीय बीज-III | 141.7 | 107.024 |
| 14. | आं० प्र० चक्रवात | 210.0 | 40.000 |
| 15. | राष्ट्रीय रेशम कीट पालन | 148.5 | 164.661 |
| 16. | म० प्र० बृहत सिंचाई | 254.7 | 50.278 |
| 17. | हरियाणा सिंचाई–II | 181.3 | 29.851 |
| 18. | उ० प्र० ट्यूबवैल्स–II | 119.5 | 0.441 |
| 19. | महाराष्ट्र जल उपयोग | 38.6 | 2.249 |
| 20. | पेरियार वैगई | 43.4 | 13.355 |
| 21. | ऊपरी गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण | 153.3 | 95.500 |
| 22. | गुजरात मध्यम सिंचाई–II | 214.0 | 88.161 |
| 23. | नर्मदा नदी जल प्रदाय एवं निकास | 195.0 | 147.358 |
| 24. | पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई | 131.8 | 115.54 |
| 25. | महाराष्ट्र संयुक्त सिंचाई–III | 214.2 | 187.515 |
| 26. | आं० प्र० सिंचाई–II | 166.3 | 469.872 |
| 27. | बिहार सरकारी ट्यूबवैल्स | 77.6 | 70.127 |
| 28. | ऊपरी कृष्णा चरण–II | 330.0 | 298.759 |
| 29. | पंजाब सिंचाई एवं जल निकासी | 168.6 | 181.271* |
| 30. | म०प्र० उर्वरक | 184.6 | 19.759 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 31. | महाराष्ट्र पैट्रोरसायन | 300.0 | 6.168 |
| 32. | सीमेंट उद्योग | 165.0 | 90.165 |
| 33. | दूरसंचार | 193.0 | 35.406 |
| 34. | निर्यात विकास | 120.0 | 91.743 |
| 35. | इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग विकास | 210.0 | 7.499 |
| 36. | औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास | 202.7 | 180.783 |
| 37. | रामगुंडम तापीय विद्युत-II | 280.0 | 9.613 |
| 38. | कोर्बा तापीय विद्युत–II | 424.8 | 21.225 |
| 39. | ऊपरी इंद्रावती पन बिजली | 359.9 | 193.656 |
| 40. | केन्द्रीय विद्युत पारेषण | 250.7 | 132.323 |
| 41. | न्हावा शेवा पत्तन | 250.0 | 20.805 |
| 42. | दुधिचुआ कोयला | 109.0 | 19.632 |
| 43. | कैम्बे बेसिन पैट्रोलियम | 213.5 | 37.703 |
| 44. | इंदरा सरोवर | 44.4 | 47.833 |
| 45. | रेलवे विद्युतीकरण | 279.2 | 279.2 |
| 46. | फरक्का-II तापीय | 309.8 | 26.409 |
| 47. | ट्राम्बे तापीय–IV | 135.4 | 135.4 |
| 48. | झरिया कोकिंग कोयला | 57.7 | 5.257 |
| 49. | राष्ट्रीय राजमार्ग | 200.0 | 135.640 |
| 50. | चन्द्रापुर तापीय बिजली | 300.0 | 125.553 |
| 51. | रिहन्द बिजली | 250.0 | 59.148 |
| 52. | केरल विद्युत | 176.0 | 138.601 |
| 53. | संयुक्त चक्र बिजली | 485.0 | 38.568 |
| 54. | कोयला खनन एवं गुणवत्ता सुधार | 340.0 | 122.373 |
| 55. | राष्ट्रीय राजधानी विद्युत | 485.0 | 299.315 |
| 56. | तलचर तापीय विद्युत | 375.0 | 327.298 |
| 57. | पश्चिमी गैस विकास | 283.3 | 29.815 |
| 58. | रेलवे आधुनिकीकरण–III | 390.0 | 263.568 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 59. | कर्नाटक बिजली–II | 260.0 | 233.287 |
| 60. | उत्तर प्रदेश विद्युत | 350.0 | 302.958 |
| 61. | राज्य सड़क . | 251.1 | 231.605 |
| 62. | नाथपा झाखड़ी . | 485.0 | 448.286 |
| 63. | महाराष्ट्र विद्युत . . . . | 400.0 | 376.651 |
| 64. | गुजरात जल आपूर्ति एवं मल निकासी . | 83.2 | 27.586 |
| 65. | कलकत्ता शहरी विकास . | 177.3 | 84.529 |
| 66. | म० प्र० शहरी विकास . . . | 24.1 | 6.431 |
| 67. | तमिलनाडु जल आपूर्ति एवं सफाई . . | 92.1 | 56.535 |
| 68. | बम्बई शहरी विकास . . . | 179.5 | 111.834 |
| 69. | केरल जल-आपूर्ति एवं सफाई . | 65.7 | 40.643 |
| 70. | गुजरात शहरी विकास . . | 76.3 | 48.186 |
| 71. | तृतीय बंबई जल आपूर्ति एवं मल-निकासी | 137.6 | 156.659 |
| 72. | उ.प्र. शहरी विकास . . . | 158.7 | 122.719 |
| 73. | मद्रास जल-आपूर्ति एवं सफ़ाई . . | 69.31 | 146.788 |
| 74. | तमिलनाडु शहरी विकास . . | 282.4 | 231.386 |
| 75. | हैदराबाद जल-आपूर्ति एवं सफाई . . | 79.9 | 94.704 |
| 76. | तृतीय जनसंख्या . . . | 86.5 | 2.256 |
| 77. | चौथी जनसंख्या . . | 67.2 | 27.171 |
| 78. | पांचवीं जनसंख्या . | 53.5 | 19.429 |
| 79. | छठी जनसंख्या . . . | 125.1 | 114.210 |
| 80. | व्यावसायिक प्रशिक्षण . | 276.8 | 264.423 |
| 81. | तकनीशियन शिक्षा-I . | 260.0 | 263.265* |
| 82. | तमिलनाडु पोषण . . . | 95.8 | 98.120 |
| 83. | एकीकृत जल विभाजक विकास . | 13.00 | 13.00 |
| | (पहाड़ी क्षेत्र) . . . | 80.602 | 80.602 |
| 84. | एकीकृत जल विभाजक विकास | 7.00 | 7.00 |
| | (मैदानी भाग) . . . . | 60.452 | 57.456 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 85. | एन.सी.डी.सी.-II . . . | 280.471 | 91.280 |
| 86. | टी.एन. कृषि विकास . | 92.800 | 92.800 |
| 87. | केन्द्रीय विद्युत . . | 502.700 | 132.323 |
| 88. | उत्तरी क्षेत्र पारेषण परियोजना . . | 485.00 | 462.753 |
| 89. | आयल इंडिया पेट्रोलियम . . . | 140.000 | 68.141 |
| 90. | भारतीय निर्यात इंजीनियरिंग . . | 90.00 | 12.628 |
| 91. | द्वितीय पेट्रो-रसायन . . . | 12.00 | 11.00 |
| 92. | गुजरात ग्रामीण सड़कें . . . | 131.299 | 101.753 |
| 93. | सरदार सरोवर परियोजना . . . | 200.00 | 200.00 |
| 94. | पंजाब सिंचाई . . | 166.271 | 154.427 |
| 95. | एकीकृत बाल सेवा विकास . . . | 104.541 | 98.808 |
| 96. | निजी विद्युत उपयोगिता परियोजना . . | 98.00 | 98.00 |
| 97. | इफ्को . . . . . | 118.260 | 25.885 |

*जहां अनिकासी की राशि मूल राशि से अधिक है, वह अमेरिकी डालर की तुलना में एस.डी.आर. के रूपान्तरण मूल्य के कारण है।

**अधिकारियों द्वारा स्टाफ कार का प्रयोग किया जाना**

715. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियन उत्पादों के प्रयोग में बचत करने के लिए सेवा मुख्यालयों द्वारा प्रति स्टाफ कार के प्रयोग हेतु प्रतिमास अधिकतम मील-दूरी निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या एक अकेले अधिकारी को अलग-से कार न उपलब्ध कराकर कम से कम एक साथ दो अधिकारियों के उपयोग के लिए एक कार उपलब्ध कराई जाएगी ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित मार्गनिदेशों का ब्यौरा क्या है और अधिकारियों को स्टाफ कारें किस तरह आवंटित की जाएंगी; और

(घ) क्या मौजूदा प्रणाली की पुनरीक्षा करने और अर्थपूर्ण किफायत बरतने हेतु उक्त व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है ?

**रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मौजूदा आदेशों के अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल और उनके समतुल्य रैंक से नीचे के अफसरों के मामले में जहां तक संभव हो एक स्टाफ कार में दो या दो से अधिक अफसरों को यात्रा करनी चाहिए। इन आदेशों को लागू किया जा रहा है। स्टाफ कार के उपयोग की अधिकतम दूरी निश्चित किए जाने और पैट्रोल/डीजल के आबंटन में 15% से 20% की कटौती करने के अतिरिक्त सेना मुख्यालयों ने पैट्रोलियम उत्पादों की खपत में कमी करने के लिए कुछ और उपाय किए हैं, जैसे – संक्रियात्मक अथवा कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की ड्यूटियों को छोड़कर अन्य कार्य के लिए रविवार और छुट्टियों के दिनों में स्टाफ कार के प्रयोग पर रोक लगाना, कारों का रख-रखाव कारगर ढंग से करवाया जाना, ड्राइवरों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना तथा पुराने वाहनों के स्थान पर तेल की कम खपत करने वाले नए वाहनों को क्रमिक रूप से सेना में शामिल करना।

**दिल्ली में एस० टी० ए० परमिटों के अन्तर्गत चल रही बसों का किराया**

716. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मिनी बसों सहित एस०टी०ए० परमिटों के अन्तर्गत चल रही बसों के किरायों में पुनः संशोधन किये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये किराये कब से संशोधित किए गये हैं और संशोधन पूर्व और संशोधन पश्चात् के किरायों का ब्यौरा क्या है ?

(ग) दिल्ली में इससे पहले किरायों में संशोधन कब किया गया था ;

(घ) एस०टी०ए० परमिटों के अन्तर्गत चलने वाली बसों के किरायों में भारी वृद्धि किये जाने के क्या कारण हैं जबकि डी०टी०सी० की बसों अथवा डी०टी०सी० के अन्तर्गत चल रही बसों के किराये में कोई वृद्धि नहीं की गई है ;

(ङ) क्या एस०टी०ए० परमिट के अन्तर्गत चलने वाली बसों में सीटें हटा दी गई हैं और इन बसों में काफी संख्या में सवारियों को खड़े होकर सफर करना पड़ता है; और

(च) यदि हां, तो गत 12 माह के दौरान ऐसी कितनी बसों पर जुर्माना किया गया है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) से (ग) दिल्ली में राज्य परिवहन प्राधिकरण के अन्तर्गत चलने वाली बसों के किराये पिछली बार अप्रैल, 1990 में संशोधित किए गए थे। संशोधित किरायों के ब्यौरे इस प्रकार है :

| | दूरी | पूर्व-संशोधित किराया | 2-4-1990 से लागू संशोधित किराया |
|---|---|---|---|
| (i) | **मानक आकार की बसें :** | | |
| | 5 कि०मी० तक इसके पश्चात | 0.50 रु० | 0.75 रु० |
| | प्रति कि०मी० . | 0.05 रु० | 0.05 रु० |
| (ii) | **मिनी बसें** | | |
| | 6 कि.मी. तक . | 0.50 रु० | 0.75 रु० |
| | 6 – 16 कि.मी. तक . | 1.00 रु० | 1.50 रु० |
| | 16 कि.मी. और इससे अधिक | 1.50 रु० | 2.00 रु० |
| (iii) | **प्वाइंट माइक्रो मिनी बसें** | | |
| | फ्लेट रेट . . . . | 1.00 रु० | 1.50 रु० |

(घ) 1990 में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप, रा० परि० प्रा० के बस प्रचालकों के विभिन्न संघों ने किराया संशोधन के लिए अभ्यावेदन दिया था। इस तथ्य को मद्दे नजर रखते हुए कि पिछलीबार किराये 1985 में संशोधित किए गए थे, प्रचालन लागत में वृद्धि के कारण रा० परि० प्रा० बसों के किराए अप्रैल, 1990 में संशोधित कर दिए गए।

(ङ) और (च) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण की बसों में अधिक भीड़-भाड़ के मामले देखने में आए हैं। पिछले 12 महीनों अर्थात् 1-6-90 से 31-5-91 के दौरान अधिक भीड़-भाड़ के लिए 87 बसों के खिलाफ इस्तगासे की कार्रवाई की गई।

## "अपना घर" योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण

717. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल हाउसिंग बैंक की घर बनाने के लिए "अपना घर" योजना के अन्तर्गत उसकी स्थापना के पश्चात अब तक राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने लोगों को ऋण दिये गए हैं ;

(ख) योजना का ब्यौरा क्या है तथा ब्याज दर और ऋण लेने की प्रक्रिया क्या है ;

(ग) क्या राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को इस संबंध केन्द्रीय सरकार को अपने प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया था ;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने प्रस्ताव भेज दिये हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने उस पर कोई कार्यवाई की है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) :**

(क) राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि उसने "अपना घर" नामक कोई योजना शुरू नहीं की है।

(ख) और (च) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

## आयात और निर्यात

[हिन्दी]

718. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य का आयात और निर्यात किया गया ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :** पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात और निर्यात के मूल्य नीचे दिए गए हैं :

(मूल्य : करोड़ रुपए)

| वर्ष | आयात | निर्यात |
|---|---|---|
| 1988-89 . . | 28235 | 20232 |
| 1989-90 (पी) . | 35412 | 27681 |
| 1990-91 (पी) . . . | 43171 | 32527 |

अ : अनन्तिम

श्रोत : वाणिज्यिक जानकारी एवं अंक संकलन महानिदेशालय, कलकत्ता।

[अनुवाद]

**मैं० पेप्सी फूड्स प्रोइवेट लिमिटेड द्वारा मशीनरी के अधिक मूल्य के बीजक बनाना**

719. **श्री फूल चंद वर्मा :** क्या **वित्त मंत्री** 22 फरवरी, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 113 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि : मै० पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मशीनरी के आयात के संबंध में कथित रूप से मूल्य से अधिक के बीजक बनाने से संबंधित जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

**वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** : मैसर्स पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मशीनरी के आयात के संबंध में अधिकथित अधिक मूल्य के बीजक बनाने के सम्बन्ध में प्रवर्तन निदेशालय (फेरा) द्वारा आरम्भ की गई जांच अभी चल रही है।

**अंगमली-मून्नार-मदुरै राष्ट्रीय राजमार्ग**

720. **श्री पाला के० एम० मैथ्यू** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अंगमाली-मून्नार-मदुराई राष्ट्रीय राजमार्ग, जो बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, की मरम्मत और सुधार के लिए क्या कदम उठाये गए हैं, और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

**मंत्रालय के राज्य**

**जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) और (ख) अंगामली रा० रा० सं०-47 के माध्यम से कोचीन तक और रा०रा०सं०-49 के माध्यम से जो मदुरै तक जाती है मून्नार के साथ जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों के इन खंडों को, अनुरक्षण और मरम्मत हेतु उपलब्ध अनुदान से, यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखा जा रहा है। रा०रा०-49 पर और अधिक सुधार कार्य चरणवद्ध रूप में शुरू किये जायेंगे, जो राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा सर्वेक्षण और जांच कार्यों के पूरा किए जाने पर निर्भर करते हैं।

**अंगामली से मदुरै तक नये राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण**

721. **श्री पाला के० एम० मैथ्यू** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में पिछड़े इदुक्की जिले के बीच से होकर थेक्कडी के रास्ते अंगमाली से मदुरै तक एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में शामिल करने के लिए न तो केरल सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है और न ही राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने इसे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में शामिल किए जाने की सिफारिश की है।

**कृषि-ऋणों को बट्टे-खाते में डालना**

722. **श्री पाला के० एम० मैथ्यू :**

**श्री एम० वागा रेड्डी :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10,000 रुपये तक के कृषि-ऋणों को बट्टे-खाते में डालने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या अन्य बैंकों में भी किसानों के उन ऋणों को, जो इस निर्णय के सीमाक्षेत्र में नहीं आते हैं, बट्टे-खाते में डालने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) शायद माननीय सदस्य का आशय कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 से है, जिसके अन्तर्गत किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगरों और बुनकरों समेत पात्र ऋणकर्ताओं को 15 मई, 1990 से सरकार द्वारा 10,000 रुपए तक की राशि की ऋण राहत प्रदान की गई थी। 01 जुलाई, 1991 तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा योजना के अंतर्गत 297.56 लाख हिताधिकारियों को 7,434 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की गई।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

**बोनस पात्रता की अधिकतम सीमा**

724. **श्री गोविन्द राव मिकम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अपने कर्मचारियों के लिए बोनस पात्रता की निर्धारित अधिकतम सीमा बढ़ाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे)** : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली ने उनके समक्ष दायर की गई याचिकाओं के बारे में यह अधिनिर्णय दिया है कि अर्जीदार (जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं) उत्पादकता से जुड़े बोनस/अनुग्रह राशि की अदायगी किए जाने के लिए 2500/-रुपये प्रतिमाह की मौजूदा अधिकतम सीमा की पात्रता के बजाय तब तक हकदार रहेंगे जब तक कि उनकी परिलब्धियां 3500/-रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं हो जाती। अधिकरण के इन आदेशों की ओर सरकार का ध्यान है।

**औद्योगिक माल का निर्यात**

725. **श्री गोविन्दराव निकम :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने औद्योगिक माल के निर्यात के लिए कोई कदम उठाये हैं या उठाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :** (क) तथा (ख) सरकार ने हाल ही में निर्यात-आयात नीति में दूरगामी सुधार किए हैं, जिनका उद्देश्य लाइसेंसिंग वाले नियंत्रण कम करना, निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ बनाना और आयात वस्तुओं की बहुत बड़ी संख्या की आयात-क्षमता को निर्यात आय से जोड़ना है । यह सुधार इस प्रकार सोचे गए हैं कि इन से निर्यात वातावरण में सुधार हो, जिसके फलस्वरूप उत्पादन बढ़े तथा औद्योगिक निर्यात माल की क्वालिटी में सुधार हो। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने 1 जुलाई और 3 जुलाई को रुपए के मूल्य में जो अधोगामी समायोजन किया है उससे भी यह आशा है कि भारत की निर्यात आय बढ़ेगी ।

**चाय का निर्यात**

726. **श्री गोविन्दराव निकम :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990 में चाय के निर्यात को मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में कम रही यद्यपि इसका पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अर्जित मूल्य अधिक था ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और उसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय का और अधिक निर्यात करने का है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :** (क) तथा (ख) जी, हां । वर्ष 1990 के दौरान 1028.20 करोड़ रुपए मूल्य की 199.66 मि० किग्रा० चाय के निर्यात का अनुमान है । इसकी यूनिट कीमत रु० 51.50 प्रति किग्रा० है । इसकी तुलना में 1989 में 848.98 करोड़ रुपए के मूल्य की 212.66 मि०किग्रा० (अन्तिम) चाय का निर्यात हुआ था । जिसकी यूनिट कीमत रु० 39.92 प्रति किग्रा० थी ।

मात्रा की दृष्टि से निर्यात में कमी के मुख्य कारण थे : खाड़ी संकट, बढ़ती हुई घरेलू मांग और विदेशों में कड़ी प्रतियोगिता । परन्तु बढ़ी हुई यूनिट कीमत के कारण पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मूल्य मिला हैं ।

(ग) सरकार का उद्देश्य यह हैं कि चाय का निर्यात अधिकतम किया जाय किन्तु साथ ही घरेलू उपभोग के लिए उचित कीमत पर चाय की पर्याप्त उपलब्धि सुनिश्चित रहे ।

**पान के पत्ते का निर्यात**

727. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने पान के पत्ते के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये हैं या उठाने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :** पान के निर्यात की अनुमति अनियन्त्रित आधार पर बिना किसी लाइसेंसिंग औपचारिकता के दी जाती है । उनका निर्यात बढ़ाने के लिए नई व्यापार नीति में 30% पुनः पूर्ति दर की व्यवस्था की गई है।

**(हिन्दी)**

**स्टेट बैंक आफ इंदौर की लखनऊ और कानपुर स्थित शाखाओं द्वारा लिए गए ऋण**

728. **श्री राम बदन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इंदौर की लखनऊ और कानपुर स्थित शाखाओं द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक कमजोर वर्गों, व्यापारियों और मिल मालिकों को दिए गए ऋण की राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वसूल किए गए ऋणों और बकाया ऋणों की राशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन ऋणों को देने में अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायत मिली है ;

(घ) यदि हां, तो शाखावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई या करने का विचार है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ इंदौर की लखनाउ और कानपुर शाखाओं द्वारा कमजोर वर्गों, व्यापारियों और मिल मालिकों को वर्ष 1988–89, 1989–90 और 1990–91 के दौरान दिए गए ऋणों की राशि, वसूल की गई राशि और बकाया ऋण राशि को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है ।

(ग) स्टेट बैंक आफ इदौर ने सूचित किया है कि उसे उक्त शाखाओं में ऋण देने में बर्ती गई अनियमितताओं संबंधी किसी शिकायत की जानकारी नहीं है ।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते ।

विवरण

स्टेट बैंक आफ इंदौर की लखनऊ और कानपुर स्थित शाखाओं में कमजोर वर्गों, व्यापारियों और मिल मालिकों को दिये गए ऋण अग्रिम, वसूली की गई राशि और बकाया राशि को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए)

| | मंजूर ऋण | | | वसूली | | | बकाया राशि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1988–89 | 1989–90 | 1990–91 | 1988–89 | 1989–90 | 1990–91 | 1988–89 | 1989–90 | 1990–91 |
| **लखनऊ शाखा** | | | | | | | | | |
| कमजोर वर्ग | Nil | 11.10 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | 10.18 | Nil |
| व्यापारी | 2.30 | 0.30 | 0.44 | 0.53 | Nil | 0.06 | 1.77 | 0.33 | 0.38 |
| मिल मालिक | 6.91 | 7.13 | 3.10 | 0.36 | 0.78 | 0.84 | 6.55 | 6.35 | 2.16 |
| **कानपुर शाखा** | | | | | | | | | |
| कमजोर वर्ग | 1.02 | 3.37 | 0.58 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 0.01 | 3.00 | 0.57 |
| व्यापारी | 1.27 | 2.15 | 0.40 | 0.19 | 0.75 | Nil | 1.08 | 1.40 | 0.40 |
| मिल मालिक | 18.83 | 35.60 | 7.50 | 13.58 | 12.01 | 3.92 | 5.15 | 23.59 | 3.58 |

[अनुवाद]

**'मूंगा' सिल्क का उत्पादन**

729. **डा० जयन्त रंगपी :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988–89, 1989–90 और 1990–91 के दौरान 'मूंगा' सिल्क का कितना उत्पादन किया गया ;

(ख) क्या सरकार को ऊपरी असम में तेल क्षेत्रों से होने वाले प्रदूषण के कारण 'मूंगा' सिल्क की खेती करने वालों के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं की जानकारी है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार में 'मूंगा' सिल्क की खेती करने वालों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) :** (क) मूंगा रेशम के उत्पादन के वर्ष-वार ब्यौरे निम्नोक्तानुसार है :—

| क्र०सं० | वर्ष | उत्पादन (मीट्रिक टन) |
|---|---|---|
| 1. | 1988-89 | 45 |
| 2. | 1989-90 | 57 |
| 3. | 1990-91 | (70 अनन्तिम) |

(ख) और (ग) न तो मूंगा उगाने वाले किसी राज्य ने और न ही केन्द्रीय रेशम-बोर्ड के किसी एकक ने ऐसी कोई समस्या बोर्ड के ध्यान में लाई है।

**वित्त आयोग द्वारा असम की स्वायत्त जिला परिषदों को दी गई धनराशि**

730. **डा० जयन्त रंगपी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साठवें वित्त आयोग द्वारा (भारत के संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत गठित) दरबी अन्गलोग तथा एन० सी० हिल्स आफ असम की स्वायत्त जिला परिषदों को कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) क्या उक्त जिला परिषदों को नवें वित्त आयोग ने भी कुछ धनराशि दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या नीति है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) :** (क) आठवें वित्त आयोग ने असम की दोनों जिला स्वायत्त परिषदों के लिए 1984-89 के दौरान 5 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे।

(ख) जी, नहीं। नवें वित्त आयोग ने पूरे असम राज्य की योजना-भिन्न तथा अंशत: योजनागत—दोनों की कमियों को पूरा करने के लिए सहायता अनुदानों की सिफारिश की थी।

(ग) सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

[हिन्दी]

**राष्ट्रीय कपड़ा निगम और राज्य कपड़ा निगम की मिलें**

731. **श्री सत्य नारायण जटिया :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : नई कपड़ा नीति के अन्तर्गत राष्ट्रीय कपड़ा निगम और राज्य कपड़ा निगम की मिलों को लाभकारी बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का तथा इस संबंध में बनाये गए समयबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) :** राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन वस्त्र मिलों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाना एक सतत प्रक्रिया है और इसके समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में बता पाना संभव नहीं है । एन टी सी के अधीन मिलों की लाभप्रदन्ता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

आधुनिकीकरण

अलाभकारी क्षमताओं की छंटाई

किफ़ायती क्षमताओं का अनुकूलन

चुनिंदा आधुनिकीकरण

अधिक उत्पादकता

श्रमिक सुव्यवस्थीकरण

कच्चे माल की प्रतियोगी खरीदारी

अधिक यार्न उत्पादन

कम कपड़ा उत्पादन

कीमत अनुकूलन

उत्पाद उन्नयन

राज्य वस्त्र निगमों द्वारा चलाई जा रहीं वस्त्र मिलों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने का मामला संबंधी राज्य सरकार का होता है ।

**जीवन बीमा निगम की पालिसियों का निपटारा**

[अनुवाद]

732. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1990 से पूर्व समयावधि पूरी होने वाली अथवा देय होने वाली जीवन बीमा निगम की ऐसी पालिसियों की संख्या कितनी है जो 1 अप्रैल, 1990 तक अनिर्णीत रहीं;

(ख) वर्ष 1990–91 के दौरान ऐसी कितनी पालिसियां देय हुई अथवा उनकी समयावधि पूरी हुई;

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) में सम्मिलित पालिसियों में से वर्ष 1990–91 के दौरान कितनी पालिसियों का निपटान किया गया;

(घ) 31 मार्च, 1991 को कितनी पालिसियों का निपटान किया जाना वध था;

(ङ) जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसी की समयावधि पूरी होने पर दावे के निपटान में औसत रूप से कितना समय लगता; और

(च) दावों की जांच की समयावधि को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** : (क) 64,946 पालिसियां

(ख) 18,94,277 पालिसियां

(ग) 19,08,739 पालिसियां

(घ) 50,484 पालिसियां

(ङ) परिपक्वता दावों की अदायगियों के बारे में निगम ने अपने सभी कार्यालयों द्वारा अपनाए जाने के लिए निम्नलिखित समय मानक निर्धारित किए हैं :

(1) जब सभी अपेक्षाएं परिपक्वता की तारीख से काफी पहले प्राप्त हो जाएं तो बाद की तारीख डले चैक अग्रिम रूप से जारी किए जाने चाहिएं ।

(2) जब सभी अपेक्षाएं परिपक्वता अवधि के बाद प्राप्त हो तो दावों के भुगतान से संबंधित चैक सभी तरह की औपचारिकताएं पूरी होने की तारीख से अधिकतम 4 दिनों के अंदर जारी किए जाने चाहिएं ।

(च) दावों की जांच की अवधि को कम करने के लिए माइक्रो-प्रोसैसर्स का प्रयोग, रिकार्डों को ठीक करना, डिस्चार्ज फार्मों को काफी पहले भेजना आदि जैसे अनेक प्रशासनिक उपाय किए जा रहे हैं।

**उच्च न्यायालयों में स्वीकृत पदों की संख्या**

733. **श्री सैयद शहबुद्दीन** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और अतिरिक्त न्यायाधीशों के न्यायालयवार कुल कितने पद स्वीकृत थे ;

(ख) उस तारीख को प्रत्येक उच्च न्यायालय में कितने पद रिक्त थे ;

(ग) उस तारीख को अन्य पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के कितने न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश थे ;

(घ) इन पदों में कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ङ) नियुक्ति द्वारा अर्थात् खंडपीठ से पदोन्नति द्वारा अथवा अधिवक्ता समुदाय नामांकन द्वारा नियुक्त किए गए वर्तमान न्यायाधीशों/अतिरिक्त न्यायाधीशों का ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्)** : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां भारत के संविधान के सुसंगत उपबंधों के अनुसार की जाती हैं जिनमें किसी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं है । सरकार ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायामूर्तियों को पत्र भेजा है जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे बार से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों का और महिलाओं का पता लगाएं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों ।

(ग) और (ङ) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

## विवरण

**1-4-1991 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्वीकृत संख्या और रिक्त पदों को दर्शित करने वाला विवरण**

| क्र० सं० | उच्च न्यायालय | स्वीकृत संख्या | | | वास्तविक संख्या | | | रिक्त पद | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्थायी न्याया-धीश | अपर न्याया-धीश | योग | स्थायी न्याया-धीश | अपर न्याया-धीश | योग | स्थायी न्याया-धीश | अपर न्याया-धीश | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | इलाहाबाद . | 57 | 3 | 60 | 56 | — | 56 | 1 | 3 | 4 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 24 | 2 | 26 | 22 | — | 22 | 2 | 2 | 4 |
| 3. | मुम्बई | 42 | 12 | 54 | 39 | 8 | 47 | 3 | 4 | 7 |
| 4. | कलकत्ता | 45 | 1 | 46 | 41 | 1 | 42 | 4 | — | 4 |
| 5. | दिल्ली | 25 | 5 | 30 | 24 | 5 | 29 | 1 | — | 4 |
| 6. | गुवाहाटी | 13 | — | 13 | 11 | — | 11 | 2 | — | 2 |
| 7. | गुजरात . | 23 | 7 | 30 | 23 | 7 | 30 | — | — | — |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | — | 1 |
| 9. | जम्मु-कश्मीर | 8 | — | 8 | 8 | — | 8 | — | — | — |
| 10. | कर्नाटक | 28 | 2 | 30 | 26 | 2 | 28 | 2 | — | 2 |
| 11. | केरल | 21 | 3 | 24 | 20 | 3 | 23 | 1 | — | 1 |
| 12. | मध्य प्रदेश . . . . | 23 | 7 | 30 | 21 | 3 | 24 | 2 | 4 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | मद्रास | 28 | — | 28 | 28 | — | 28 | — | — | — |
| 14. | उड़ीसा | 12 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 | — | — | — |
| 15. | पटना . | 35 | — | 35 | 29 | — | 29 | 6 | — | 6 |
| 16. | पंजाब-हरियाणा | 26 | 6 | 32 | 26 | 6 | 32 | — | — | — |
| 17. | राजस्थान | 22 | 3 | 25 | 19 | 3 | 22 | 3 | — | 3 |
| 18. | सिक्किम . . . . . | 3 | — | 3 | 2 | — | 2 | 1 | — | 1 |
| | योग . . . . . | 440 | 55 | 495 | 411 | 42 | 453 | 29 | 13 | 42 |

**चुनावों में हताहत हुए लोगों की संख्या**

734. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के आम चुनावों के दौरान उम्मीदवारों के नामांकन भरे जाने और लोक सभा के गठन के बीच की अवधि में चुनावी हिंसा में कुल कितने लोग हताहत हुए ;

(ख) राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार हुई मौतों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मौत औसतन कितने मतदाताओं के पीछे हुई ; और

(ग) उन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें कम से कम एक मौत हुई और एक से अधिक मौत वाले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्)** : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**मामलों को निपटाने में विलंब**

735. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाट्टे :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई दशक पूर्व बनाए गए कुछ अधिनियम और कानूनी प्रक्रिया मामलों को निपटाने में होने वाले असाधारण विलंब के लिए उत्तरदायी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मामलों के निपटान में विलंब से बचने के लिए आम जनता को प्रभावित करनेवाले विभिन्न कानूनों में संशोधन करने और कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्)** : (क) और (ख) न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या का अध्ययन करने और उपचारी उपाय सुझाने के लिए सरकार ने जनवरी, 1989 में उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की एक समिति गठित की थी। समिति ने विलंब के कई कारण बताए हैं, जैसे, मुकदमों की संख्या में विस्फोटक वृद्धि, लंबी बहस और अति विस्तृत निर्णय, मामलों को समूहबद्ध न करना, विधायी क्रियाकलाप में वृद्धि, आदि। समिति ने सितंबर, 1990 में सरकार को इस विषय में अनेक सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें विभिन्न पहलुओं के बारे में हैं, जैसे अधिकारिता और प्रक्रिया संबंधी परिसीमा सुधार, जिनमें सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम की धारा 17, भारत का संविधान, जांच आयोग अधिनियम, माध्यस्थम् अधिनियम, परिसीमा अधिनियम, आदि का संशोधन और राज्य के कानूनों तथा उच्च न्यायालयों के नियमों में संशोधन। उक्त सिफारिशें सभी सम्बद्ध पक्षकारों को, जैसे केंद्रीय मंत्रालयों (विभागों, राज्य सरकारों) संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों को, कार्यान्वयन के लिए भेज दी गई हैं।

**रुग्ण कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण**

736. **श्री प्रकाश बापू बसंतराव पाटील:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुग्ण कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण हेतु कोई व्यापक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) :** (क) से (ग) वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आई डी बी आई ने 1-8-1986 को 750 करोड़ रु० की धनराशि से वस्त्र आधुनिकीकरण निधि की स्थापना की थी। इस निधि में से एक भाग कमजोर लेकिन अर्थक्षम एककों को उनके संवर्धन अंशदान के मुख्य भाग के रूप में उन्हें विशेष ऋण प्रदान करने के लिए निर्धारित किया गया था ताकि वे आधुनिकीकरण सहायता का लाभ उठा सकें। 31-5-1991 की स्थिति अनुसार 280 मामलों में 747.45 करोड रु० की राशि वितरित की गई।

**निर्यात-घरानों के प्रमाणपत्रों का नवीकरण**

737. **प्रो० के० वी० थामस:** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988–91 की आयात और निर्यात नीति निर्यात-घरानों के उन प्रमाणपत्रों पर भी लागू होती है जो 1987–88 के दौरान जारी किए गए थे और जिनकी वैधता 31 मार्च 1991 को समाप्त हो गई ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :** (क) और (ख) वर्ष 1987-88 की नीति अवधि के दौरान जारी निर्यात घराना प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिए वैध थे और 31-1-1990 के बाद स्वत: वैध नहीं है। फिर भी, आयात-निर्यात नीति 1990-93 में निहित प्रावधानों के अनुसार, ऐसे निर्यातकों से एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रमाणपत्र के नवीकरण हेतु प्राप्त अनुरोध पर उन मामलों में भी विचार किया गया जो सामान्य प्रावधानों के अनुसार नवीकरण के लिए योग्य नहीं है, किन्तु शर्त यह थी कि वे आयात-निर्यात नीति, 1988-91 में दिए गए संगत प्रावधानों के आधार पर इस प्रकार के नवीकरण के पात्र हों।

**त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करना**

738. **प्रो० के० वी० थामस:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस खंडपीठ के कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केरल सरकार ने तारीख 2-4-1985 के अपने पत्र में कहा है कि उसने केरल उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित किए जाने के बारे में अंतिम रूप से कोई विचार नहीं किया है। इस विषय में राज्य सरकार से कोई और जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

**परूर से एडापल्ली तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण**

739. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में परूर से एडापल्ली तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या वरापूजा पुल का निर्माण कार्य अभी आरंभ नहीं हुआ है,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग के इस भाग को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) से (घ) वारापूजा नदी पर "मिसिंग" पुल को छोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 पहले से ही परूर और एडापल्ली को जोड़ता है। पुल के दोनों ओर के पहुंच मार्गों के भू-अधिग्रहण के बाद इस पुल का निर्माण शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार भू-अधिग्रहण पर शीघ्र कार्रवाई कर रही है।

**कोचीन पत्तन का आधुनिकीकरण**

740. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन पत्तन के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) क्या वल्लरपाडम इंटरनेशनल कन्टेनर टर्मिनल के संबंध में डच मंत्रणा रिपोर्ट सरकार को मिल गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसपर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) कोचीन पत्तन के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से 1991-92 की वार्षिक योजना में अनेक परियोजनाएं शामिल की गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्कीमें इस प्रकार हैं कन्टेनर हैंडलिंग उपकरण (चरण II) की खरीद, प्रदूषण नियंत्रण जहाज की खरीद, एक निकर्षक की खरीद, दो 30-35 टन बी पी टग्स की खरीद, क्यू 5 वर्ष का विस्तार इत्यादि।

(ख) जी, हां।

(ग) परामर्श रिपोर्ट के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

**[हिन्दी]**

**बड़ी कम्पनियों द्वारा शेयर जारी करना**

741. **श्री राजबीर सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़ी कम्पनियों के नाम क्या हैं जो इस समय अपने इक्विटी शेयर जारी कर रही हैं ;

(ख) क्या पिछले छः महीनों के दौरान शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**विवरण**

(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बड़ी कम्पनियों की कोई धारणा नहीं है। फिर भी, भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, 10.00 करोड़ रुपए से अधिक की इक्विटी पूंजी वाली निम्नलिखित कम्पनियों शेयर जारी कर चुकी हैं या जल्दी ही शेयर जारी करने वाली हैं :–

(करोड़ रुपए)

| कम्पनी का नाम | निर्गम की किस्म | राशि | शुरू करने की तारीख |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. सिंथेटिक्स एण्ड केमिकल्स लि० | परिवर्तनीय ऋण पत्र | 25.00 | 17-6-91 |
| 2. रलीज इंडिया लि० | अंशतः परिवर्तनीय ऋण पत्र | 20.01 | 17-6-91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. ऊंषा मार्टिन (इं०) लि० | अंशत: परिवर्तनीय ऋण पत्र | 18.37 | जुलाई, 1991 |
| 4. टाटा टिमकन लि० | इक्विटी तथा अंशत: परिवर्तनीय ऋण पत्र | 55.50 | अगस्त, 1991 |
| 5. साउथ इंडिया विस्कोस | अंशत: परिवर्तनीय ऋण पत्र | 30.00 | अगस्त/सितम्बर, 1991 |
| 6. प्रोक्टर एण्ड गैम्बल (इं०) लिमिटेड | अंशत: परिवर्तनीय ऋण पत्र/अपरिवर्तनीय ऋण पत्र/इक्विटी | 27.00 | अगस्त, 91 |

**स्वरोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवकों को दिए गए ऋण**

742. **श्री राजबीर सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान स्वरोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी थी ;

(ख) इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए तथा तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना के अंतर्गत वर्ष 1989-90 और 1990-91 के लिए क्रमश: 60 करोड़ और 53 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई। इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) 57 करोड़ रुपए।

**वर्ष 1989–90 और 1990–91 के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिये स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य-वार हिताधिकारियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण**

| क्रम सं. | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम | व्यक्तियों की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान ऋण मंजूर किए गए | |
|---|---|---|---|
| | | 1989-90 | 1990-91* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 7387 | 7782 |
| 2. | असम | 3141 | 3067 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | बिहार . | 10386 | 11036 |
| 4. | गुजरात | 5084 | 2419 |
| 5. | हरियाणा | 2418 | 2545 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश . | 769 | 870 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर . . | 223 | .. |
| 8. | कर्नाटक | 6010 | 5415 |
| 9. | केरल . . | 8430 | 6036 |
| 10. | मध्य प्रदेश . | 7936 | 7777 |
| 11. | महाराष्ट्र | 8210 | 9027 |
| 12. | मणिपुर | 749 | 750 |
| 13. | मेघालय | 90 | |
| 14. | नागालैण्ड | 57 | .. |
| 15. | उड़ीसा | 4344 | 4526 |
| 16. | पंजाप . | 7690 | 6932 |
| 17. | राजस्थान | 5127 | 5312 |
| 18. | सिक्किम | 17 | 28 |
| 19. | तमिलनाडु | 8692 | 7644 |
| 20. | त्रिपुरा | 183 | 502 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 13747 | 11619 |
| 22. | पश्चिम बंगाल . . | 6209 | 41 |
| 23. | अंडमान और निकोबार . | 20 | 19 |
| 24. | अरूणाचचल प्रदेश | 16 | 22 |
| 25. | चण्डीगढ़ . | 90 | 27 |
| 26. | दादरा और नागर हवेली | 26 | 20 |
| 27. | गोवा | 124 | 199 |
| 28. | मिजोरम | 109 | .. |
| 29. | पाण्डिचेरी | 230 | 305 |
| 30. | लक्षद्वीप. | 20 | 12 |
| 31. | दमन और दीव . | 12 | 12 |
| | जोड़ . | 107546 | 93944 |

*वर्ष 1990-91 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

**मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग**

743. **श्री सुशील चंद्र वर्मा :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पर्याप्त है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का इंदौर-हरदा-बेतुल रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :** (क) मध्य प्रदेश में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं (अर्थात् 3, 6, 7, 12, 16, 25, 26, 27 और 43) जिनकी कुल लम्बाई 2946 कि.मी. है।

(ख) इस संबंध में कोई तुलना संभव नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग किसी क्षेत्र को ध्यान में रख कर घोषित नहीं किए जाते बल्कि कुछ मानदण्डों को ध्यान में रख कर घोषित किए जाते हैं जैसे राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा की गई सिफारिशें, अलग-अलग सड़कों से सम्बद्ध अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता, नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निर्धारित मानदण्ड की पूर्ति, इस प्रयोजन के लिए निधियों की उपलब्धता, आदि।

(ग) और (घ) जी, नहीं। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में शामिल करने की सिफारिश नहीं की है और इसके फलस्वरूप इसे नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में प्राथमिकता नहीं दी गई है।

**(अनुवाद)**

**विदेशी मत्स्यन नौकाओं को पकड़ना**

744. **श्री एन० डेनिस :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मत्स्यन नौकाओं को भारतीय समुद्री सीमा के निकट जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पकड़ी गई इन नौकाओं का ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) :** (क) भारतीय तटरक्षक संगठन के पोत तथा विमान हमारी समुद्री सीमा तथा हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र पर चौकसी बनाए रखते हैं तथा विदेशी मत्स्य नौकाओं को भारतीय समुद्री क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने से रोकने के लिए सभी कदम उठाए जाते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के समुद्री क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ते गई विदेशी मत्स्य नौकाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :–

| वर्ष | पकड़ी गई मत्स्य नौकाओं की संख्या |
|---|---|
| 1988 | 31 |
| 1989 | 36 |
| 1990 | 39 |
| 1991 (अब तक) | 21 |

**हवाई अड्डों पर सोना, चांदी और हेरोइन पकड़ना**

745. **श्री एन० डेनिस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विभिन्न हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी मात्रा में तस्करी का सोना, चांदी और हेरोइन पकड़ी तथा उसका मूल्य कितना है।

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** : वित्त वर्ष 1990-91 के दौरान, अर्थात् अप्रैल, 1990 से मार्च, 1991 तक बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, अमृतसर, तिरुचिरापल्ली, पटना और वाराणसी स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गए निषिद्ध सोने तथा चांदी की मात्रा तथा उनका मूल्य और पकड़ी गई हेरोइन की मात्रा का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है :–

| | मात्रा (कि०ग्रा० में) | मूल्य (लाख रुपयों में) |
|---|---|---|
| सोना . | 2759.947 | 9233.10 |
| चांदी . | 285.941 | 19.28 |
| हेरोइन | 227.880 | हेरोइन का मूल्य ठीक-ठीक नहीं आंका जा सकता है क्योंकि यह उसकी विशुद्धता, उदगम स्थान आदि जैसी बातों पर निर्भर करता है। |

**भारतीय जूट निगम**

746. **श्री चित्त बसु** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार का भारतीय जूट निगम की गतिविधियों का और विस्तार करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारतीय जूट निगम को कच्चे जूट की खरीद का एकाधिकार दिए जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार का बोरी के निर्माण में सिंथेटिक फाइबर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का विचार है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) सरकार का यह विचार है कि परम्परागत पटसन पेकेजिंग क्षेत्र तथा सिंथेटिक प्लास्टिक एककों के हित सामंजस्यपूर्ण होने चाहिए और दोनों ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, पकेजिंग में समान रूप से भागीदार रहे।

**(हिन्दी)**

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठों की स्थापना**

**747. श्री सन्तोष कुमार गंगवार :**

**श्री भगवान शंकर रावत :**

**क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में बैरेली सहित विभिन्न स्थानों पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो ये खंडपीठ किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० रंगराजन कुमारमंगलम)** : (क) से (ग) जसवंत सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ आगरा में और उसकी दो सर्किट न्यायपीठें नेनीताल और देहरादून में स्थापित किए जाने की सिफारिश की है। आयोग की विनिर्दिष्ट सिफारिशें, अक्तूबर, 1986 में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करते हुए

उससे यह अपेक्षा की गई थी कि वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करके अपने विचार और टिप्पणियां भेज दें। राज्य सरकार से अभी तक उसके कोई निश्चित विचार और पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(अनुवाद)

**रद्दी के रूप में प्रयोग में आने वाले टायर का आयात**

748. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपाकरेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जून, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित "गवर्नमेंट लूजेज रुपीज 160 क्रोर्स इन रेवेन्यु" शीर्षक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो "ओपेन जनरल लाइसेंस" के अन्तर्गत रद्दी टायरों के रूप में प्रयोग में लाये जाने योग्य टायरों का गुप्त रूप से आयात करने के कितने मामले सरकार की जानकारी में आये हैं और इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाई की गयी है ;

(ग) इससे कितने राजस्व का घाटा हुआ है ; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए नियमों में और कड़ाई बरतने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** : (क) सरकार को इस समाचार की जानकारी है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

**जापान से निर्यात के बदले अग्रिम ऋण लेना**

749. **श्री हरि किशोर सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जापान से दीर्घकालिक निर्यात के बदले एक बिलियन अमेरिकी डालर का अग्रिम ऋण प्राप्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद)** : (क) और (ख) एक समय भारत बिज़नेस इन्टरनेशनल लिमिटेड (बी बी आई एल) अपने माध्यम से किए गए निर्यात के बदले जापानी व्यापारिक कम्पनियों से अग्रिम राशि लेने पर विचार कर रहा था। लेकिन इस बारे में कोई ठोस बात सामने नहीं आ सकी।

**कोजिकोड–पालघाट राष्ट्रीय राजमार्ग**

750. **श्री के० मुरलीधरन : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोजिकोड-पालघाट राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रारंभिक कार्य पूरा हो गया है,

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है, और

(ग) इस पर पहले कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) से (ग) जी, नहीं। कोजिकोड-पालघाट सड़क एक राज्यीय राजमार्ग है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग "नेटवर्क" का एक भाग नहीं है। इस प्रकार, इसके विकास के लिए केरल की राज्य सरकार जिम्मेदार है।

**(हिन्दी)**

**आगरा शहर के बाहर राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाले उप-मार्ग का निर्माण।**

**751. श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-कलकत्ता राष्ट्रीय राजमार्ग को आगरा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग से और आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को आगरा शहर से जोड़ने वाली संपर्क सड़क बहुत तंग है और आगरा शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्र में होकर गुजरती है जिससे वाहनों की भीड़भाड़ बहुत बढ़ जाती है और इन राजमार्गों से गुजरने वाले वाहनों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तब अक्सर उसके परिणामस्वरूप दुर्घटना होती हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने के लिए आगरा शहर के बाहर उपमार्ग का निर्माण करने की कोई योजना है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सामान्य वित्तीय प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए अन्य विकास कार्यों की तुलना में "बाईपासिस" को कम प्राथमिकता दी जा रही है।

**(अनुवाद)**

**गढ़वाल क्षेत्र में ओक टसर उद्योग का विकास**

**752. श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सिल्क बोर्ड ने गढ़वाल क्षेत्र में ओक टसर उद्योग को आवश्यक अनुसंधान और विकास तथा विस्तार सहायता देने के लिए वहां पर किसी क्षेत्रीय टसर सिल्क अनुसंधान-केन्द्र की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इसने क्या कार्य किया है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सिल्क बोर्ड ने क्षेत्र में ओक टसर संस्कृति के विकास हेतु विशेष गांवों की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण कराया था ;

(घ) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ङ) उस पर क्या कार्यवाई की गयी और इस क्षेत्र में ओक टसर सिल्क विकास के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत)** : (क) और (ख) जी नहीं। फिर भी उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में ओक टसर संस्कृति को बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी एस बी) ने भीमताल में एक क्षेत्रीय टसर अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया है। कई परीक्षण करने के अलावा इस केन्द्र ने एक परिष्कृत बीज फसल कीट-पालन कार्यक्रम तैयार किया है।

(ग) से (ङ) गढ़वाल क्षेत्र में ओक टसर के विकास के लिये विशिष्ट गांवों की पहचान करने के लिए रेशम उत्पादन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण में केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने सहायता की है। यह सर्वेक्षण गढ़वाल क्षेत्र के 4 जिलों में किया गया था जिनमें 25 ब्लाक और 282 गांव सम्मिलित है। गढ़वाल क्षेत्र के 4 जिलों में उपलब्ध कुल टसर वन क्षेत्र 4325 हेक्टर है। इस क्षेत्र में ओक टसर संस्कृति के विकास के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड आगे और कार्रवाई कर सकता है, बशर्ते कि इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाली मूल समस्याओं जैसे कि विभिन्न ऊंचाइयों पर बीज का गुणन, व्यापारिक कोकून फसलों के स्थिरीकरण, कीटपालन कार्यक्रम का सिंक्रोनाइजेशन आदि पर अनुसंधान एवं विकास कार्य के माध्यम से काबू पा लिया जाए और एक कारगर व्यापारिक अर्थक्षम तकनीक विकसित कर ली जाए।

## पौड़ी-गढ़वाल क्षेत्र में बैंक शाखाएं

753. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पौड़ी, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं कार्यरत हैं ; और

(ख) आगामी दो वर्षों के दौरान इन जिलों में असंतुलन दूर करने के लिए जिला-वार कितनी बैंक शाखाएं/एक्सटेंशन काऊंटर खोलने का प्रस्ताव है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) 30-6-1991 की स्थिति के अनुसार पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टिहरी गढ़वाल, उत्तर काशी, नैनीताल और अल्मोड़ा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 320 शाखाएं कार्यरत थीं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :–

| जिले का नाम | शाखाओं की संख्या |
|---|---|
| पौड़ी गढ़वाल | 60 |
| चमोली | 33 |
| टिहरी गढ़वाल | 46 |
| उत्तर काशी | 22 |
| नैनीताल | 98 |
| अल्मोड़ा | 61 |
| कुल | 320 |

(ख) बैंक शाखाओं का खोला जाना एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंसों द्वारा संचालित किया जाता है। अतः आगामी दो वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की खोली जाने वाली शाखाओं की संख्या बता पाना संभव नहीं है। तथापि, बैंकों के पास 11 लाइसेंस पौड़ी गढ़वाल में, 3 चमोली में, 4 टिहरी गढ़वाल में और 1 उत्तर काशी में लम्बित पड़े हैं। इन लाइसेंसों की वैधता अवधि को 31-3-1992 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

**न्यायपालिका को योजना धनराशि**

754. **श्री दाऊ दयाल जोशी :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का न्यायपालिका के नवीनीकरण तथा विकास के लिए इसे योजना धनराशि आवंटित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) :** (क) और (ख) न्यायपालिका के आधुनिकीकरण और विकास के लिए योजना निधि आवंटित करने के प्रस्ताव पर इस विभाग द्वारा, योजना आयोग के परामर्श से विचार किया गया था। तथापि, योजना आयोग का मत है कि न्यायपालिका को सम्मिलित करते हुए विभिन्न सेवाओं के उच्चश्रेणीकरण की आवश्यकता की पूर्ति केवल गैर योजना पक्ष से ही करनी होगी।

(हिन्दी)

**उत्तरप्रदेश के राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा किया गया धन**

755. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तरप्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा और अन्य जमा योजनाओं में कुल कितनी धनराशि जमा हुई थी ;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जमा की गयी धनराशि में से किसी भी राज्य में पूंजी निवेश के लिए कोई योजना बनायी है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उत्तरप्रदेश के विकास कार्यों में कितना पूंजी निवेश किया गया ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) :** (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार जून, 1989 के अन्त की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) उत्तर प्रदेश में सावधि जमा के रूप में 7428 करोड़ रुपए सहित सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों की कुल जमा राशियां 13831 करोड़ रुपए थीं।

(ख) और (ग) जनता से उगाही गई जमाराशियों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जुटाये गए संसाधनों की बैंकों से ऋण सहायता की मांग करने वाले विभिन्न क्षेत्रीय

कार्यकलापों को वित्त प्रदान करने में लगाया जाता है। बैंक राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और संबंधित राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूति में भी निवेश करते हैं। उत्तर प्रदेश के मामले में, निम्नलिखित सारणी से सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जुटायी गई जमाराशियों और उस राज्य के बैंक ऋण की पिछले तीन वर्ष के लिए विस्तृत जानकारी मिलती है :–

(करोड़ रुपए में)

| | जमाराशियां रुपए | ऋण रुपए |
|---|---|---|
| दिसम्बर 1988 . | 13436 | 5680 |
| दिसम्बर 1989 . | 15163 | 6578 |
| दिसम्बर 1990 . | 17368 | 7664 |

[अनुवाद]

**तमिलनाडु में पोर्टोनोवो में समुद्री खाद्य-पदार्थ खरीद केन्द्र स्थापित करना**

**756. डा०पी० वल्लल पेरुमान :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के दक्षिण आर्काट जिले में पोर्टोनोवो में समुद्री उत्पाद खरीद केन्द्र की स्थापना करने का है :

(ख) क्या सरकार का विचार निर्यातोन्मुख मात्स्यकी को बढ़ावा देने के लिए मछुआरों को अग्रिम ऋण तथा अनुदान देने का भी है ; और

(ग) पोर्टोनोवो से समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार के विचाराधीन अन्य कौन सी योजनायें हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में वाणिज्य उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) :** (क) जी, नहीं।

(ख) जी हां। मछली पालन के लिए ऋण सामान्य बैंकिंग माध्यमों से उपलब्ध है। सरकार भी समुद्री उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए समुद्री खाद्य उद्योग संवर्धन हेतु समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के माध्यम से विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करती है।

(ग) केवल पोर्टोनोवो से ही समुद्री खाद्य निर्यात संवर्धन की कोई अलग योजना विचाराधीन नहीं है।

**पुनर्पूर्ति लाइसेंसों के माध्यम से आयात**

**757. श्री भीवल्लभ पाणिग्रही :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्पूर्ति लाइसेंसों के माध्यम से जनवरी 1991 से जून 1991 के दौरान कितने रुपये मूल्य का कितनी मात्रा में आयात किया गया ;

(ख) इस अवधि के दौरान कितनी मात्रा के पुनर्पूर्ति लाइसेंस और कितने विशेष प्रकार के पुनर्पूर्ति लाइसेंस जारी किये गये ;

(ग) विशेष प्रकार के पुर्नपूर्ति लाइसेंसों के अन्तर्गत कितनी मदें शामिल की गई ; और

(घ) सरकार पुर्नपूर्ति लाइसेंसों के मामले में किस प्रकार का नियंत्रण करना चाहती है ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) आयात आंकड़े वस्तुवार एकत्र किए जाते हैं। इस लिए आर.ई.पी. लाइसेंसों के तहत हुए आयात के बारे में अलग से आंकड़े देना सम्भव नहीं हैं।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जनवरी-मार्च, 1991 के दौरान निम्नलिखित लाइसेंस जारी किए गए :

| | | संख्या (वास्तविक) | मूल्य (करोड़ रुपए) |
|---|---|---|---|
| I. | अग्रिम लाइसेंस . | 2629 | 668 |
| II. | स्पेशल इम्प्रेस्ट लाइसेंस | 79 | 103 |
| III. | इम्प्रेस्ट लाइसेंस | 165 | 471 |
| IV. | अतिरिक्त लाइसेंस | 295 | 219 |
| V. | शुल्क मुक्त लाइसेंस . | .. | .. |
| VI. | आर ई पी लाइसेंस . | 23282 | 1303 |
| | कुल | 26450 | 2764 |

(ग) (i) आर ई पी लाइसेंस सीमित स्वीकार्य मदों और गैर-संवेदनशील सरणीकृत-मदों के आयात के लिए वैध है। यह कुछ सीमित सीमा तक, परिशिष्ट 17, भाग III में दिए गए के अनुसार, निर्यातित उत्पाद के लिए संगत कुछ प्रतिबंधित मदों के आयात के लिए भी वैध है।

(ii) अतिरिक्त आर ई पी लाइसेंस, परिशिष्ट 6, लिस्ट 8/पार्ट–I में कच्चे माल/घटकों के ओ जी एल मदों, सीमित स्वीकार्य मदों, गैर-संवेदनाशील सरणीकृत मदों, टेक्निकल डिज़ाइन, ड्राइंग और अन्य टेक्निकल प्रलेखन के लिए कुछ शर्तों के अधीन वैध है।

(iii) अग्रिम लाइसेंस और स्पेशल इम्प्रेस्ट लाइसेंस उन कच्चे माल, घटकों और उपभोक्ता, वस्तुओं आदि के लिए वैध हैं जो निर्यात आपूर्ति हेतु उत्पाद के विनिर्माण के लिए संगत हैं और जिनकी वास्तव में आवश्यकता पड़ती हैं। डायमंड इम्प्रेस्ट लाइसेंस और डी टी सी इम्प्रेस्ट लाइसेंस निर्यात उत्पादन के लिए अपरिष्कृत हीरे के आयात के लिए वैध है।

(घ) पुनं पूर्ति (आर ई पी) लाइसेंसों पर किसी नियन्त्रण का विचार नहीं है। यह लाइसेंस सामान्य कानूनों के अनुसार मुक्त रूप से हस्तांतरणीय हैं।

**निर्यात-संवर्धन क्षेत्रों और निर्यातोन्मुखी एककों को प्रोत्साहन**

758. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात-संवर्धन क्षेत्रों और निर्यातोन्मुखी एककों के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रोत्साहन के नये तरीकों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :** (क) से (ग) निर्यात संसाधन जोनों और निर्यातोन्मुख एककों के लिए प्रस्तावों का एक पैकेज विचाराधीन है।

**अनुसूचित बैंकों का विलय**

749. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित बैंकों की जमा धनराशि की वृद्धि की दर में भारी कमी आने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार का खर्चों में कमी करने तथा अधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कुछ बैंकों के समामलन का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) :** (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों में गत वर्ष के मुकाबले 1989-90 और 1990-91 के वित्तीय वर्षों के दौरान क्रमशः 18.96 प्रतिशत और 16.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। बैंकों की जमाराशियों की वृद्धि दर में गिरावट होने के कारणों में से कुछ ये हैं – जनता के लिए 1987 की राष्ट्रीय बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों, लोक भविष्य निधि, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों, म्यूचुअल फंडों, डिवेंचरों/शेयरों, कम्पनी जमाराशियों आदि जैसे निवेश के कतिपय अन्य अवसरों की उपलब्धता, जो न केवल बेहतर ब्याज दरें प्रदान करती हैं बल्कि निवेशकर्ताओं को आयकर में कतिपय छूटें भी प्राप्त होती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पदा ही नहीं होता।

**मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इंदौर का जमा-ऋण अनुपात**

760. **श्री राम बदन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस समय स्टेट बैंक आफ इंदौर का जमा-ऋण अनुपात क्या है ;

(ख) बैंक ने ऋण लेने वालों को अग्रिमों/ओवरड्राफ्टों और अन्य अग्रिमों के रूप में कितनी धनराशि दी और गत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों में 30 जून, 1991 को इन

राज्यों में आयातकों/निर्यातकों और औद्योगिक एककों पर कितनी धनराशि शाखा-वार बकाया थी ; और

(ग) बैंक ने इन राज्यों में ऐसे कितने एककों को धन दिया जो रुग्ण/बंद हैं तथा उनमें कितना धन फंसा हुआ है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31-3-1990 को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इन्दौर का ऋण जमा अनुपात क्रमशः 68.5% और 40.6% था।

(ख) और (ग) 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार स्टेट बैंक आफ इंदौर की मध्य प्रदेश में 289 शाखाएं और उत्तर प्रदेश में 7 शाखाएं थी। इन दो राज्यों में इन शाखाओं से संबंधित समेकित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## पुर्तगाल से स्वर्णाभूषणों की वापसी

761. **श्री भगवान शंकर रावत : श्रीमती सुमित्रा महाजन :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्तमान में पुर्तगाल के लिस्बन स्थित बैंकों नेशनल अल्ट्रामैरिनो के पास रखे हुए गोवा-निवासियों के स्वर्णाभूषणों और अन्य सुरक्षित रखी जाने वाली वस्तुओं को वापस लेने संबंधी मामले को अंतिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और मामले को किस समय तक पूर्णतया सुलझा लिया जायेगा ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) भारत सरकार की मंजूरी से अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक और अध्यक्ष, बैंको नेशनल अल्ट्रामेरिनो लिस्बन के बीच ऋणों और सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं के बदले रखे गए बहुमूल्य वस्तुओं वाले मोहरबंद पैकेटों की स्वदेश वापसी के लिए नई दिल्ली में दिनांक 14-2-1991 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) और (ग) उक्त समझौते के अन्तर्गत बैंकों नेशनल अल्ट्रामेरिनो मूल बकाया, उस पर लगे ब्याज और निर्धारित सेवा प्रभार की अदायगी के बदले भारतीय स्टेट बैंक के समस्त बकाया ऋणों, प्रतिभूतियों और सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं को हस्तांतरित करेगा। भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों की एक टीम मोहरबंद पैकेटों के सत्यापन और उसे प्राप्त करने के लिए लिस्बन गई है।

**बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग**

**(हिन्दी)**

762. **श्री नवल किशोर राय :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में पटना-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-मिठ्ठमोर रोड, सीतामढ़ी-सोणवरसा रोड़, मैदपुर-पूपरी-सुसंपुबेला रोड़ और पूपरी-चौरट-माधवपुर रोड़ को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का है,

(ख) यदि हां, तो किस समय तक, और

(ग) उनमें से प्रत्येक सड़क पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :**

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**बिहार में नेपाल सीमा पर पार्श्विक सड़क**

763. **श्री नवल किशोर राय :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा की दृष्टि से सरकार का बिहार में नेपाल की सीमा से लगे हुए रुनिसैदपुर, पुपरी, सुरसंड, पाग्गिांव और बेला से होकर एक पार्श्विक सड़क के निर्माण का विचार है,

(ख) यदि हां, तो कब, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) :**

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संक्रियात्मक महत्व की सड़कों का निर्माण रक्षा प्रयोजनों के लिए निर्धारित निधियों से ही किया जाता है।

**छोटे तथा सीमांत किसानों और खेतिहर मजदूरों को ऋण**

**(हिन्दी)**

764. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को इस आशय के निदेश जारी किये हैं कि छोटे तथा सीमांत किसानों और खेतिहर मजदूरों को उनकी व्यक्तिगत जमानत पर 3000 रुपये तक के ऋण दिये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तथा राज्यवार कितने परिवारों को इस प्रकार के ऋण दिये गये हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) प्राथमिकता क्षेत्रों को ऋण देने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुसार बैंकों को 10,000 रु० तक के फसल ऋणों और जहां चल सम्पत्तियों का सृजन किया गया हो 10,000 रुपये तक के सावधि ऋणों के मामले में भूमि को बन्धक रखते हुए/भूमि प्रभार या अन्य पक्ष गारंटी के रूप में सम्पार्श्विक प्रतिभूति की मांग नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता, फसल और/अथवा चल सम्पत्ति का दृष्टिबन्धन कर प्राथमिक प्रतिभूति प्राप्त की जानी चाहिए।

(ख) आंकड़ा सूचना प्रणाली में पूछे गए ढंग में सूचना एकत्र नहीं की जाती। अलबत्ता, दिसम्बर, 1987, दिसम्बर, 1988 और सितम्बर, 1989 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्षों में छोटे और सीमान्त किसानों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गये अग्रिमों की बकाया राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण अनुबन्ध में दिया गया है।

**दिसम्बर, 1987, दिसम्बर, 1988 और सितम्बर, 1989 के अन्त की स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्षों में छोटे और सीमान्त किसानों को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों की बकाया राशि के राज्य-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण**

(लाख रुपये)

| क्र० सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | दिसम्बर 1987 | दिसम्बर 1988 | सितम्बर 1989 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (2) | (4) | (5) |
| 1. | हरियाणा | 14730 | 16203 | 16902 |
| 2. | हिमाचल प्रदेश | 2758 | 3059 | 3369 |
| 3. | जम्मू व कश्मीर | 1189 | 1354 | 1368 |
| 4. | पंजाब | 24817 | 27398 | 28873 |
| 5. | राजस्थान | 13080 | 16228 | 17004 |
| 6. | चंडीगढ़ | 893 | 691 | 697 |
| 7. | दिल्ली | 458 | 459 | 508 |
| 8. | असम | 2858 | 3788 | 4747 |
| 9. | मणिपुर | 220 | 319 | 370 |
| 10. | मेघालय | 356 | 825 | 863 |
| 11. | नागालैण्ड | 365 | 280 | 941 |
| 12. | त्रिपुरा | 670 | 846 | 1030 |
| 13. | अरुणाचल प्रदेश | 28 | 31 | 96 |
| 14. | मिजोरम | 41 | 167 | 123 |
| 15. | सिक्किम | 190 | 166 | 176 |

| (1) (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|
| 16. बिहार | 22633 | 27186 | 32300 |
| 17. उड़ीसा | 15720 | 17863 | 17985 |
| 18. पश्चिम बंगाल | 18504 | 21159 | 23145 |
| 19. अंडमान व निकोबार | 56 | 42 | 51 |
| 20. मध्य प्रदेश | 19981 | 22961 | 25127 |
| 21. उत्तर प्रदेश | 45243 | 51683 | 53570 |
| 22. गुजरात | 16270 | 17424 | 17597 |
| 23. महाराष्ट्र | 32879 | 28855 | 41407 |
| 24. गोवा, दमन व दीव | 557 | 984 | 892 |
| 25. दादरा व नागर हवेली | 15 | 15 | 25 |
| 26. आन्ध्र प्रदेश | 63969 | 68647 | 75779 |
| 27. कर्नाटक | 39466 | 40759 | 45122 |
| 28. केरल | 33548 | 34397 | 40848 |
| 29. तमिलनाडु | 60459 | 53845 | 77064 |
| 30. पाण्डिचेरी | 1238 | 769 | 1465 |
| 31. लक्षद्वीप | 27 | 36 | 8 |

(अनुवाद)

**राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकारी नामितों की निदेशकों के रूप में नियुक्ति**

765. **श्री दत्तात्रेय बंडारु :**

**श्री रमेश चन्द्र तोमर :**

**श्रीमती महेन्द्र कुमारी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों से सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में सरकारी नामितों की नियुक्ति निदेशकों के रूप में नहीं की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) से (ग) विभिन्न अदालतों में इस बारे में लंबित मुकदमों को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में

काफी समय से किसी अधिकारी कर्मचारी निदेशक की नियुक्ति नहीं की जा सकी है। अगस्त, 1989 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसरण में, सरकार द्वारा बैंक के बहुमत वाले अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ के पदाधिकारियों में से अधिकारी कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है जिसमें संघ के महासचिव को सर्वप्रथम वरीयता दी जायेगी और यदि किसी कारणवश वह अपात्र हों तो, उस स्थिति में संघ के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को इसी क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा बैंक आफ इंडिया, न्यू बैंक आफ इंडिया और कारपोरेशन बैंक के बोर्डों में अधिकारी कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति पहले ही कर दी गई है। अन्य बैंकों में विद्यमान ऐसे खाली पदों को भी शीघ्र ही भर लिया जाएगा।

**बैंक-ड्राफ्टों के माध्यम से नकद लेन-देन**

766. **श्री दत्तात्रेय बंडारु :**

**श्री रमेश चन्द्र तोमर :**

**श्रीमती महेन्द्र कुमारी :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को बैंक-ड्राफ्टों के माध्यम से नकद लेन-देन पर रोक लगाने के लिए कोई निर्देश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक बैंकवार ऐसे कितने मामले पाए गए हैं जिनमें जाली नामों से खोले गए नए चालू खोतों में भारी नकद राशि जमा की गयी थी और बाद में उसी बैंक या किसी अन्य बैंक से खरीदे गए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उसे निकाला गया ;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान बैंक-वार ऐसे कितने मामले पाए गए जिनमें अपरिचित अथवा जाली पतों से जाली व्यक्तियों के नाम से चलाये जा रहे खातों से नकद भुगतान करके "डिमांड ड्राफ्ट" लेकर माल खरीदा गया था ; और

(ङ) भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सभी बैंकों से कहा है कि 50,000 रुपए और अधिक के मांग ड्राफ्ट, डाक अंतरण, तार अंतरण और यात्री चैक बैंकों द्वारा केवल ग्राहकों के खाते में नामे डालकर जारी किए जाएं न कि नकद भुगतान किए जाने पर। इसी तरह 50,000 रुपए और अधिक के ऐसे भुगतान बैंकिंग चैनल के माध्यम से किए जाने हैं न कि नकद रुपयों में।

(ग) और (घ) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होती।

(ङ) बैंकों में बेनामी और जाली नामों में खाता खोलने पर रोक लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही कई परिपत्र जारी किए हैं जिनमें बैंकों से कोई खाता खोलने से पहले समुचित परिचय प्राप्त करने के लिए कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंकों से असामान्य प्रकृति वाले सभी लेनदेनों की सावधानीपूर्वक निगरानी करने के लिए भी कहा है।

**(हिन्दी)**

**बिहार को केन्द्रीय अनुदान की प्रति व्यक्ति राशि**

**767. श्री छेदी पासवान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय अनुदान की प्रति व्यक्ति कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई ;

(ख) क्या बिहार को केन्द्रीय अनुदान की प्रति व्यक्ति राशि अन्य राज्यों की तुलना में कम दी गई थी ;

(ग) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बिहार को दिए जाने वाले केन्द्रीय अनुदान की प्रति व्यक्ति राशि में वृद्धि करने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोलदुखे)** (क) और (ख) केन्द्र से राज्यों को राज्यवार प्रति व्यक्ति अनुदान दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

**केन्द्र से राज्यों को प्रति व्यक्ति अनुदानों की राज्यवार राशि**

(आकड़े रुपये में)

| राज्य | 1986-87 (वास्तविक) | 1987-88 (वास्तविक) | 1988-89 (वास्तविक) | 1989-90 (संशोधित अनुमान) | 1990-91 (बजट अनुमान) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 73 | 70 | 85 | 81 | 76 |
| 2. अरुणाचल प्रदेश . | 2186 | 2588 | 2507 | 2963 | 2972 |
| 3. असम . | 175 | 215 | 230 | 265 | 245 |
| 4. बिहार . . . | 56 | 56 | 76 | 56 | 78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. गोवा . | 577 | 360 | 460 | 442 | 540 |
| 6. गुजरात | 57 | 119 | 101 | 77 | 112 |
| 7. हरियाणा . | 114 | 103 | 107 | 118 | 105 |
| 8. हिमाचल प्रदेश . | 564 | 691 | 688 | 749 | 779 |
| 9. जम्मू और कश्मीर . | 488 | 499 | 618* | 670 | 578 |
| 10. कर्नाटक | 62 | 61 | 75 | 74 | 70 |
| 11. केरल . | 66 | 65 | 74 | 109 | 98 |
| 12. मध्य प्रदेश . . | 68 | 79 | 98 | 81 | 186 |
| 13. महाराष्ट्र . | 68 | 72 | 83 | 82 | 68 |
| 14. मणिपुर . . | 953 | 1046 | 1199* | 1374 | 1368 |
| 15. मेघालय . . | 823 | 970 | 1050 | 1250 | 1402 |
| 16. मिजोरम . . | 1095 | 1798 | 2735 | 3258 | 291 |
| 17. नागालैण्ड . | 2056 | 2448 | 2266* | 2207 | 2145 |
| 18. उड़ीसा . . | 110 | 129 | 162 | 196 | 252 |
| 19. पंजाब . . | 74 | 63 | 101 | 162 | 123 |
| 20. राजस्थान . | 121 | 154 | 153 | 121 | 203 |
| 21. सिक्किम . | 1982 | 2048 | 2251 | 2147 | 2318 |
| 22. तमिलनाडु | 54 | 70 | 81 | 60 | 61 |
| 23. त्रिपुरा . | 712 | 791 | 981 | 1110 | 1246 |
| 24. उत्तर प्रदेश . . | 58 | 73 | 87 | 83 | 165 |
| 25. पश्चिम बंगाल . . | 73 | 89 | 104 | 79 | 89 |

*संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई।

**जम्मू और कश्मीर में सेना द्वारा घुसपैठियों और भगोड़ों को पकड़ना**

(अनुवाद)

768. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान जम्मू और कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना द्वारा पकड़े गये कितने घुसपैठियां और भगोड़ों की तिमाही-वार संख्या क्या है,

(ख) पकड़े जाने के दौरान इनमें से कितने घुसपैठिये तथा भगोड़े मारे गये थे,

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान पकड़े जाने के दौरान घुसपैठियों से मद-वार कितने-कितने अत्याधुनिक हथियार जब्त किये गए हैं, और

(घ) घुसपैठ तथा भागने के तरीकों से किस प्रकार की प्रवृत्ति का पता चलता है ?

**रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार)** : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

वर्ष 1990-91 के दौरान जम्मू व कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सेना द्वारा पकड़े गए घुसपैठियों और भगोड़ों की तिमाहीवार संख्या निम्न प्रकार है :-

| क्रम संख्या | तिमाही अवधि | घुसपैठियों की सं० | भगोड़ों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | जनवरी-मार्च 90. | 5 | 77 |
| 2. | अप्रैल-जून 90 . | 140 | 182 |
| 3. | जुलाई-सितम्बर 90 | 274 | 100 |
| 4. | अक्तूबर-दिसम्बर 90 | 317 | 108 |
| 5. | जनवरी-मार्च 91. | 1 | .. |
| 6. | अप्रैल-जून 91 | 105 | 56 |
| | कुल . . . . . | 842 | 523 |

पकड़े जाने की कार्रवाई के दौरान 464 घुसपैठिए/भगोड़े मारे गए।

2. घुसपैठियों से निम्नलिखित मदें बरामद हुई :-

| | |
|---|---|
| राइफलें ए.के. 47/56 | 591 |
| मशीन गनें . | 73 |
| पिस्टल . . . . | 318 |
| आर.एल/आर.पी.जी. . | 68 |
| ग्रेनेड . . . . . | 849 |
| सुरंगें . . . . . | 242 |

3. निम्नलिखित तथ्य ध्यान देने योग्य हैं :-

(1) अप्रैल-अक्तूबर, 1990 तक के महीनों में सीमा पार से आने/जाने के प्रयासों की घटनाओं की संख्या सर्वाधिक रही।

(2) वर्ष 1990 में सीमा पार से आने/जाने के लिए अधिकांश रूप से कुपवाड़ा, "नादर्न गैलीज" तथा उड़ी क्षेत्रों के मार्गों का उपयोग किया गया। हाल में दुर्गम भू-भागों वाले मार्गों का भी उपयोग किया जा रहा है।

(3) गत वर्ष की तुलना में, हाल के महीनों में पकड़े गए उग्रवादी बेहतर ढंग से प्रशिक्षित हुए पाए गए।

**अंतर्राज्यीय मार्गों पर दिल्ली परिवहन निगम की बसें**

769. **डा० सी० सिलवेरा :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम अपनी बसें अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलाता रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन मार्गों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन मार्गों पर दिल्ली परिवहन निगम की बसों की नियमित सेवा सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दिल्ली परिवहन निगम कुछ और अन्तर्राज्यीय मार्गों पर अपनी बसें चलाने पर विचार कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो अगले पांच वर्षों के दौरान जिन मार्गों पर बसें चलायी जायेंगी उनका वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :** (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) दिल्ली परिवहन निगम इस बात की पक्की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त कदम उठाता रहा है कि दि०प०नि० की बसें अन्तर्राज्यीय मार्गों पर सही समय अनुसार चलें। इस सम्बंध में उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :–

(1) नए और स्वस्थ बेड़े की तैनाती।

(2) चुनिंदा के द्वारा संचालित बेड़ा।

(3) अ०रा० बस अड्डे पर काउंटरों पर टाइम-कीपर तैनात किए गए हैं जो सेवाओं पर उचित नियंत्रण रखते हैं। सेवाओं में समय की पाबंदी को बनाए रखने के लिए स्टेशन मे बाहर कुछ स्थानों पर भी टाइम-कीपर तैनात किए गए हैं।

(4) बेहतर प्रशासनिक और प्रचालनात्मक नियंत्रण लागू करना।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) पर उल्लिखित उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अन्तर्राज्यीय मार्गों के नाम जि० प० नि० द्वारा प्रचालित

हरियाणा

1. केन्द्रीय टर्मिनल – बहादुरगढ़
2. केन्द्रीय टर्मिनल – पालम विहार
3. केन्द्रीय टर्मिनल – बादली
4. दिल्ली – बल्लबगढ़
5. दिल्ली – फरीदाबाद
6. फरीदाबाद – गुड़गांव
7. अ.भा.आ.सं. – फरीदाबाद
8. सफदरजंग हस्पताल – गुड़गांव
9. केन्द्रीय टर्मिनल – फरीदाबाद
10. लाजपतनगर – फरीदाबाद
11. दिल्ली – होडल
12. दिल्ली – जेंद
13. दिल्ली – पेवा
14. दिल्ली – पतला
15. दिल्ली – पानीपत
16. दिल्ली – नारनोल (वाया सोहना)
17. दिल्ली – नारनोल (वाया महेश्वर)
18. दिल्ली – यमुनानगर
19. अजमेरी गेट – सोहना/गुड़गांव
20. शिवाजी स्टेडियम – गुड़गांव/सोहना
21. दिल्ली – भिवानी
22. दिल्ली – हिसार
23. दिल्ली – कैथल
24. दिल्ली – कालका
25. दिल्ली – खरखेड़ा

**हिमाचल प्रदेश**

1. दिल्ली – बैजनाथ
2. दिल्ली – चम्बा
3. दिल्ली – देवी दर्शन
4. दिल्ली – धर्मशाला
5. दिल्ली – हमीरपुर
6. दिल्ली – मण्डी
7. दिल्ली – शिमला

**जम्मू और कश्मीर**

1. दिल्ली – जम्मू
2. दिल्ली – कटरा

**मध्य प्रदेश**

1. दिल्ली – ग्वालियर

**पंजाब**

1. दिल्ली – अमृतसर
2. दिल्ली – बंगा
3. दिल्ली – बेला
4. दिल्ली – भटिंडा
5. दिल्ली – चण्डीगढ़
6. दिल्ली – धुरी
7. दिल्ली – होशियारपुर
8. दिल्ली – कपूरथला
9. दिल्ली – लुधियाना
10. दिल्ली – माचीवाड़ा
11. दिल्ली – पटियाला
12. दिल्ली – पठानकोट
13. दिल्ली – तलवाड़ा
14. दिल्ली – मलेरकोटला
15. दिल्ली – संगरूर
16. दिल्ली – बिक्षास

राजस्थान

1. दिल्ली – अलवर
2. दिल्ली – अजमेर
3. दिल्ली – भरतपुर
4. दिल्ली – बालाजी
5. दिल्ली – बीकानेर
6. दिल्ली – गंगानगर-I (वाया संगाश्या)
7. दिल्ली – गंगानगर-II (वाया अभोर)
8. दिल्ली – जयपुर (वाया अलवर)
9. दिल्ली – जयपुर (वाया कोटपुतली)
10. दिल्ली – झुनझुनू
11. दिल्ली – खेतरी
12. दिल्ली – कोटपुतली
13. दिल्ली – महावीरजी
14. दिल्ली – शाहपुरा
15. दिल्ली – पिलानी
16. दिल्ली – पुषकरजी
17. दिल्ली – सीकर

उत्तर प्रदेश

1. दिल्ली – आगरा (वाया केसी)
2. दिल्ली – आमरा (वाया हाथरस)
3. दिल्ली – अलीगढ़
4. दिल्ली – अल्मोड़ा (डीलक्स)
5. दिल्ली – अनूपशहर
6. दिल्ली – हलद्वानी (वाया टांडा)
7. दिल्ली – हलद्वानी (वाया पंत)
8. दिल्ली – बरेली
9. दिल्ली – बुलन्दशहर
10. दिल्ली – बदायूं-I (वाया मुरादाबाद)
11. दिल्ली – बदायूं-II (वाया नरोरा)

12. दिल्ली – देहरादून
13. दिल्ली – एटा
14. दिल्ली – फरूखाबाद (रात्रि वाया कायमगंज)
15. दिल्ली – फरूखाबाद (वाया राजा का रामपुर)
16. दिल्ली – गाजियाबाद/दुजाना
17. के. टर्मिनल – गाजियाबाद
18. नेहरू प्लेस – गाजियाबाद
19. शिवाजी स्टेडियम – गाजियाबाद
20. शिवाजी स्टेडियम – मोहन नगर/एयर फोर्स स्टेशन (हिन्डन)
21. दिल्ली – दादरी
22. शिवाजी स्टेडियम – एनटीपीसी (दादरी)
23. प्रगति मैदान – विजयनगर
24. दिल्ली – गोवर्धन
25. दिल्ली – हरिद्वार
26. दिल्ली – हस्तिनापुर
27. दिल्ली – किशनपुर बराल/बागपत
28. दिल्ली – खुरजा
29. दिल्ली – कोटद्वार
30. दिल्ली – कासगंज
31. दिल्ली – लखनऊ
32. दिल्ली – मंसूरी (डीलक्स)
33. दिल्ली – मुरादाबाद
34. दिल्ली – मेरठ
35. दिल्ली – मथुरा
36. दिल्ली – मैनपुरी
37. शाहदरा – मंडोला
38. दिल्ली – मुजफ्फरनगर
39. दिल्ली – नैनीताल (वाया टांडा)
40. दिल्ली – नैनीताल (वाया पंत नगर)
41. दिल्ली – नजीबाबाद

42. दिल्ली – पीलीभीत

43. दिल्ली – रामनगर

44. दिल्ली – ऋषिकेश

45. दिल्ली – सहारनपुर

46. दिल्ली – शाहिबाबाद

47. दिल्ली – सिकोहाबाद

48. दिल्ली – टनकपुर

49. दिल्ली – कानपुर

50. दिल्ली – वृन्दावन

**भारी यातायात की संभावना वाले मार्गों पर बसों की संख्या में वृद्धि**

770. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने भारी यातायात की संभावना वाले विशेष मार्गों पर बसों की संख्या में वृद्धि के लिए मानदंड निर्धारित किये हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 1990 और जून 1991 तक किन मार्गों पर ऐसी वृद्धि की गयी है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा समय-समय पर यात्रियों की अधिक भीड़-भाड़ वाले रूटों का सर्वेक्षण किया जाता है और अधिक बसें लगाए जाने की स्थिति में इन रूटों की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए भी सर्वेक्षण किए जाते है। 1990 के दौरान तथा जून, 1991 तक रूट नं०-509, 1, 143, 934, 735, 958, 66 और 984 पर अतिरिक्त बसे लगाई गई हैं।

**सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्य-निष्पादन**

771. **श्री यशवंत राव पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी बैंकों का कार्य निष्पादन तथा इन बैंकों में जमा वृद्धि दर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक प्रभावशाली है ;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) लाभप्रदता और जमाराशि वृद्धि दर के संदर्भ में भारत में विदेशी बैंकों का कार्यनिष्पादन सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक प्रभावशाली है।

(ख) विदेशी बैंकों के बेहतर कार्यनिष्पादन में अन्य बातों के साथ-साथ ये कारण हो सकते हैं :

महानगर और पत्तन नगरों में उनका अधिक होना, विदेशों में कार्यरत उनकी शाखाओं के कारण उन्हें अधिक अनिवासी भारतीय जमा राशियां प्राप्त होना, 1 परिचालनों का मशीनीकरण और कम्प्यूटरीकरण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कम ऋण और उच्च स्तर का गैर-निधिबद्ध कारबार।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अर्थक्षमता को सुनिश्चित करने और कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही कई कदम उठाए हैं। उपायों में पूंजी आधार को मजबूत करना, सेवा प्रभारों और ब्याज दर ढांचे का युक्तियुक्तीकरण करना तथा कर्मचारियों की वृद्धि को नियंत्रित करना शामिल है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे बेहतर ऋण प्रबन्ध सुनिश्चित करें, उत्पादकता को बढ़ाएं और जहां कहीं संभव हो वहां मितव्ययता बरतें। बैंकों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए जमा राशि प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक दस्तावेज जैसे नए धन विपणन उपस्कर शुरू किए गए हैं और सावधि जमाराशियों पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया गया है। बैंकों को उनकी गतिविधियों में विविधता लाने की अनुमति भी दी गई है।

[हिन्दी]

**जोधपुर उपमार्ग को सामरिक महत्व के सड़क कार्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव**

772. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में नसीराबाद और पोखरण के बीच का जोधपुर उपमार्ग सामरिक महत्व का है,

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास उक्त उपमार्ग को सामरिक महत्व के सड़क कार्यक्रम में शामिल करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) से (ग) महोदय, सार्वजनिक हित में इस सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता।

**राष्ट्रीय राजमार्गों को एक्सप्रेस-मार्गों में परिवर्तित करना**

773. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों को एक्सप्रेस-मार्गों में परिवर्तित करने की मंजूरी दी है, और

(ख) यदि हां, तो उन राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि नवीन संरेखण के साथ अहमदाबाद से बदोदरा तक एक्सप्रेस नं० एन ई-1 का इस समय निर्माण किया जा रहा है।

**राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग**

[अनुवाद]

774. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने कुछ सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने तथा अंतर्राज्यीय मार्गों पर पुलों के निर्माण हेतु 1989, 1990 और 1991 (30 जून तक) के दौरान कुछ प्रस्ताव भेजे हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) इसमें से कितने प्रस्तावों को अब तक मंजूरी दी गई है,

(घ) शेष प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दी जाएगी, और

(ङ) यदि किसी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है तो इसके क्या कारण हैं?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) और (ख) जी, हां,। दोनों अपेक्षाएं दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न हैं।

(ग) से (ङ) राजस्थान राज्य सरकार के अनुरोध पर मनोहर पुरा – दौसा रोड लिंक को फरवरी, 1989 में राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में शामिल कर लिया गया था। तथापि नए राष्ट्रीय राजमार्गों के बकाया प्रस्तावों और अंतरराज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की स्कीम के अंतर्गत अब तक प्रस्तावित परियोजनाओं पर आठवीं पंच वर्षीय योजना तैयार कर लिए जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है जो पारस्परिक प्राथमिकताओं, निधियों की उपलब्धता आदि पर निर्भर होगा।

**विवरण**

**(क) 1989–90 में प्राप्त हुए नए राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्ताव**

(1) मनोहरपुरा-दौसा रोड़ लिंक

(2) अजमेर-भीलवाड़ा-चित्तौड़-इंदौर रोड़

(3) दौसा-सवाई माधोपुर

(4) मनोहरपुरा से बागरू, बाया चौमू तक 11 ए का विस्तार

**वर्ष 1990–91 के दौरान जून, 1991 तक प्राप्त हुए नए राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्ताव**

(1) बीकानेर–मोर्ता–अजमेर–भीलवाड़ा–चित्तोडगढ़–रतलाम–इंदौर

(2) गुडगांवा–अलवर–सरिस्का–दौसा–सवाईमाधोपुर–शिवपुरी

(3) कोसी–कामा–डीग–भरतपुर–रूपवास–सपाड–धोलपुर

(4) चन्दवाजी (राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर) से चौमू (राष्ट्रीय राजमार्ग 11–पर) तक और चौमू से बागडू (राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर) तक राष्ट्रीय राजामाग 11(ए) की विस्तार।

(ख) 1989–90 के दौरान अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव

(1) छबरा-धरनौडा रोड पर पार्वती नदी पर पुल (लागत 350.00 लाख रु०)

(2) जिला झालवाड में राज्य राजमार्ग संख्या-19 पर उजार नदी पर पुल (लागत 75.00 लाख रु०)

वर्ष 1990–91 के दौरान (जून 1991 तक) अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव

(1) छबरा–धरनौडा रोड़ पर पार्वती नदी पर उच्च स्तरीय (एच एल) पुल का निर्माण (लागत: 350.00 लाख रु०)

(2) वारन-खानपुर झालावाड रोड पर 21 कि०मी० में पर्वन नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (लागत: 360.00 लाख रु०)

(3) इन्दरगढ़ इटावा वारन खानपुर झालावाड भवानी मंड़ी डाग अगार रोड पर उज्जर नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (लागत: 96.00 लाख रु०)

(4) कोटा वारन शाहबाद शिवपुरी रोड पर कुन्नू नदी पर उच्च स्तरीय (एच एल) पुल का निर्माण (लागत: 150.00 लाख रु०)

(5) भरतपुर बयाना हिन्डौन रोड पर जागर नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (लागत: 180.00 लाख रु०)

(6) बोनली नबाई रोड पर 14 कि०मी० में धील नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (लागत: 220.00 लाख रु०)

(7) बयाना हिन्डौन गंगापुर भदोती रोड (एमडी आर–2) के गंगापुर भदोती खंड के 16 कि०मी० में जीवत नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (लागत: 270.00 लाख रु०)

(8) चाकसू फागी रोड एसएल डब्ल्यू नं०-2 पर बांदी नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (लागत: 250.00 लाख रु०)

(9) हिन्डौन धावन धोलित रोड़ पर 14/15 कि०मी० में गंभीर नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (लागत: 250.00 लाख रु०)

(10) भदौती गंगापुर रोड़ पर मोरोल नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (लागत: 600.00 लाख रु०)

(11) रानीवाड़ा मन्दार रोड एसएच डब्ल्यू–II पर जैतपुरा के समीप उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (लागत: 165.00 लाख रु०)

(12) सिरची रेवदार मन्दोर डीसा एसएच नं०-27 पर करोन्ती नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (लागत: 200.00 लाख रु०)

(13) सिरोही पिंडवारा आबु रोड पर तालेती के समीप वेस्ट बनास नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (लागत: 200.00 लाख रु०)

## सोने और चांदी की तस्करी

[हिन्दी]

775. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोने और चांदी की तस्करी में 1989-90 से भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) इसे नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाये गए है या उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** (क) और (ख) चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किए जाने वाला धन्धा है, इसलिए वर्ष 1989-90 से सोने और चांदी की तस्करी में भारी वृद्धि हुई है अथवा नहीं इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। तथापि, नीचे सारणी में दिए गए गत दो वर्षों के दौरान पकड़े गए सोने और चांदी की मात्रा के आंकड़ों से चांदी के मामले में तस्करी में वृद्धि होने की प्रवृत्ति दिखाई देती है किन्तु सोने के मामले में स्थिति ऐसी नहीं है।

| वर्ष | मात्रा (किलोग्राम में) | |
|---|---|---|
| | सोना | चांदी |
| 1989 | 8215 | 99322 |
| 1990 | 5596 | 220313 |
| *1991 (15-7-91 तक) | 3064 | 123046 |

*ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ग) तस्करी-रोधी अभियान के तेज कर दिया गया है और पूरे देश में विशेष रूप से भू-सीमाओं, तटवर्ती क्षेत्रों और अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तनों तथा समुद्री पत्तनों जैसे तस्करी के लिए सुगम्य क्षेत्रों में तस्करी-रोधी तंत्र को चुस्त बना दिया गया है। तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने के लिए सभी संबद्ध एजेंसियों के साथ घनिष्ठ ताल-मेल रखा जाता है। ऐक्सरे असबाब मशीनों, धातु खोजियों, रात को देखने के काम में लाये जाने वाले बाइनाकुलरों जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है।

## कृषि और ग्रामीण शिल्पकार ऋण राहत योजना के अंतर्गत दी गयी ऋण राहत

776. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान कृषि और ग्रामीण शिल्पकार ऋण राहत योजना, 1990 के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि ऋण राहत के रूप में दी गयी है ;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत उन सभी व्यक्तियों को ऋणों में राहत दी गयी है, जो नियमित रूप से अपने ऋणों का वापसी भुगतान कर रहे हैं ;

(ग) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इस योजना का विस्तार शहरी क्षेत्रों में लघु उद्योगों के छोटे शिल्पकारों तक करने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत 1-7-1991 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा कुल 2,759 करोड़ रुपये की ऋण राहत प्रदान की गई थी। कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत पात्र ऋणकर्ताओं को प्रदान की गई ऋण राहत की तदनुरूप राज्यवार स्थिति अनुबन्ध में दी गई है।

(ख) तथा (ग) ऋणकर्ताओं की निम्नलिखित श्रेणियों को ऋण राहत का लाभ उपलब्ध होगा :–

(क) गांव के आधार पर लागू होने वाली "आनावारी प्रणाली" के अन्तर्गत जानबूझकर चूक नहीं करने वाले कृषक। आनावारी प्रणाली के आधार पर जिस किसान ने दो या इससे अधिक खराब फसलों वर्षों के कारण ऋण की अदायगी नहीं की है, उसको जानबूझकर चूक नहीं करने वाला किसान माना जायेगा और वह ऋण राहत का पात्र होगा।

(ख) पुराने अतिदेय वाले चूककर्ता किसान, कारीगर और बुनकर अर्थात् ऐसी अतिदेय राशि जो लागू होने वाली (कट आफ) तिथि अर्थात् 2-10-1989 को तीन से अधिक वर्षों तक अतिदेय रही हो। इस श्रेणी पर आनावारी की संकल्पना लागू नहीं होती।

(ग) मृतक ऋणकर्ता के परिवार के वे सदस्य जिन पर 2-10-89 को या इससे पहले ऋण अदायगी की जिम्मेदारी आ गयी हो।

(घ) ऐसा किसान जिसने दिवालिया होने का मामला दायर किया हो अथवा जिसे 2-10-1989 को या उससे पहले दिवालिया घोषित किया गया हो।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। इस योजना में परिवर्तन करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

1-7-1991 की स्थिति के अनुसार कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई ऋण राहत की राज्य वार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

| क्र०सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | राशि (लाख रुपये) |
|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 41,345 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 64 |
| 3. | असम | 5,784 |
| 4. | बिहार | 19,598 |
| 5. | गोवा | 282 |
| 6. | गुजरात | 13,803 |
| 7. | हरियाणा | 8,232 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 2,148 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 439 |
| 10. | कर्नाटक | 27,610 |
| 11. | केरल | 6,642 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 15,738 |
| 13. | महाराष्ट्र | 25,635 |
| 14. | मणिपुर | 434 |
| 15. | मेघालय | 644 |
| 16. | मिजोरम | 98 |
| 17. | नागालैण्ड | 618 |
| 18. | उड़ीसा | 12,111 |
| 19. | पंजाब | 7,682 |
| 20. | राजस्थान | 15,493 |
| 21. | सिक्किम | 268 |
| 22. | तमिल नाडु | 23,112 |
| 23. | त्रिपुरा | 794 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 28,976 |

| क्र०सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | राशि (लाख रुपये) |
|---|---|---|
| 25. | पश्चिम बंगाल | 16,856 |
| 26. | चण्डीगढ़ | 74 |
| 27. | दादरा व नगर हवेली | 15 |
| 28. | दमन व दीव | 11 |
| 29. | दिल्ली | 452 |
| 30. | लक्ष द्वीप | 3 |
| 31. | पांडिचेरी | 725 |
| 32. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 36 |
| | कुल | 2,75,922 या 2759 करोड़ रुपये |

**विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंक**

777. **श्री यशवंतराव पाटिल**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने भारतीय बैंक विदेशों में देश-वार कार्यरत हैं;

(ख) क्या विदेशों में भारतीय बैंकों का पूंजी आधार अभी भी कम है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार, विदेशों में भारतीय बैंकों के कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए क्या उपाय करने पर विचार कर रही है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)**: (क) इस समय विदेशों में 9 भारतीय बैंकों की 115 शाखाएं कार्यरत हैं। बैंकवार और देशवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जहां कहीं किसी संबंधित देश के नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा निधिगत अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं, भारतीय बैंकों ने उन्हें पूरा किया है।

(ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(घ) पिछले कुछ वर्षों में विदेशों में स्थित शाखाओं के कार्यकरण की निगरानी करने और उनमें सुधार करने के लिए कई कदम उठाए गए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्मिक नीति और ऋण देने की सीमाओं और देशी लेन देनों के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंडों को मजबूत करना, आन्तरिक और पर्यवेक्षण नियंत्रण को और मजबूत करना, भारतीय बैंकों में सहयोग और समन्वय को बढ़ाना, अन्तर्राष्ट्रीय प्रभागों का पोर्टफोलियों निरीक्षण करना, अक्षम शाखाओं को बन्द करना, समस्या ऋणों की समीक्षा करना आदि शामिल है। विदेशी शाखाओं में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्रवाई योजना की अपनी बैठकों में विस्तार से चर्चा भी की है।

विवरण

आज की तारीख तक भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं का बैंक-वार और देश-वार ब्योरा

| क्र० सं० | देश | बैंक आफ बड़ौदा | बैंक आफ इंडिया | भारत ओवर-सीज बैंक | केनरा बैंक | इंडियन बैंक | इंडियन ओवर-सीज बैंक | भारतीय स्टेट बैंक | सिंडि-केट बैंक | युको बैंक | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | बांगला देश | .. | | | .. | | | 1 | | | 1 |
| 2. | बहामास . | 1 | | | | | | 1 | | | 2 |
| 3. | बहरीन | 1 | | | .. | | | 1 | .. | | 2 |
| 4. | बेल्जियम . . | 1 | | | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 2 |
| 5. | केमे द्वीप समूह | .. | | | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 2 |
| 6. | चैनल द्वीप समूह | .. | | .. | .. | | .. | | | .. | 1 |
| 7. | फिजी द्वीप समूह | 9 | | .. | .. | .. | | .. | | .. | 9 |
| 8. | फ्रांस . | .. | 1 | .. | .. | | .. | 1 | | .. | 2 |
| 9. | गुयाना . | 1 | .. | .. | .. | | .. | .. | .. | .. | 1 |
| 10. | हांगकांग . | .. | 2 | .. | | .. | 2 | 1 | .. | 2 | 7 |
| 11. | जापान . . | .. | 2 | | | | | 2 | | | 4 |
| 12. | केनिया . . . . | 6 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | मैरीशस . . . . | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 |
| 14. | मालदीव . | | | | | | | 1 | .. | .. | 1 |
| 15. | ओमान | 3 | | | | | | .. | .. | .. | 3 |
| 16. | पानामा . . | | | | | | .. | 1 | .. | .. | 1 |
| 17. | दक्षिण कोरिया | | | | | .. | 1 | .. | | .. | 1 |
| 18. | श्रीलंका . . | .. | .. | | | 2 | 2 | 1 | .. | .. | 5 |
| 19. | सिंगापुर . | .. | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 7 |
| 20. | सैशलीज | 1 | | | | | | | | .. | 1 |
| 21. | थाईलैण्ड . | .. | .. | 1 | | .. | | .. | .. | .. | 1 |
| 22. | यू० एस० ए० | 1 | 2 | .. | .. | | | 4 | .. | .. | 7 |
| 23. | यू० के० . . | 11 | 13 | | 1 | | | 5 | 1 | 2 | 33 |
| 24. | यू०ए०ई० | 6 | .. | .. | .. | .. | | .. | | .. | 6 |
| 25. | जर्मन संघीय गणराज्य . . | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 |
| | कुल . . . . | 48 | 25 | 1 | 1 | 3 | 6 | 23 | 1 | 7 | 115 |

**भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के अनुबंध का पालन किया जाना**

778. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान अनुबंधों को पूरा करने तथा विदेशी मुद्रा में ऋण प्राप्त करने में असमर्थ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) :** (क) जी नहीं, भारतीय स्टेट बैंक अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान अनुबंधों को पूरा करने एवं विदेशी मुद्रा में ऋण जुटाने में समर्थ रहा है।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

**विशेष अदालतें**

779. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितनी विशेष अदालतों का गठन किया गया ;

(ख) क्या सरकार का विचार विशेष अदालतों को समाप्त करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० रंगराजन कुमार मंगलम्) :** (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**कानपुर में महात्मा गांधी पार्क के आसपास सैन्य भूमि पर निर्माण और अवैध कब्जा**

780. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में, महात्मा गांधी पार्क में और इसके आसपास सैन्य भूमि पर बड़े पैमाने पर भवनों का निर्माण किया जा रहा है तथा अवैध कब्जा किया जा रहा है;

(ख) क्या भारतीय सेना के केन्द्रीय कमान कार्यालय और अन्य सेना के प्राधिकारियों ने भवनों के निर्माण की किसी योजना को स्वीकृति प्रदान नहीं की थी;

(ग) क्या भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एल.ए.ओ.) ने भी काफी समय पूर्व 1984 में इस संबंध में छावनी बोर्ड के प्रस्ताव पर आपत्ति की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ङ) क्या इस मामले में किसी जांच के आदेश दिये गये थे;

(च) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार)** : (क) जी, नहीं।

(ख) छावनी क्षेत्र में भवन निर्माण से संबंधित योजनाओं के लिए मंजूरी छावनी बोर्ड देता है।

(ग) और (घ) मालियों के लिए बने सात मकानों की छावनी बोर्ड द्वारा दुकानों में बदले जाने की कार्रवाई पर स्थानीय लेखापरीक्षा अधिकारी ने तकनीकी आपत्ति उठाई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया कि इस कार्रवाई का अर्थ होगा, अपेक्षित मंजूरी लिए बिना, छावनी बोर्ड की सार्वजनिक उद्यान (महात्मा गांधी पार्क) के लिए रखी गई जमीन के एक हिस्से का उपयोग उसके मुख्य प्रयोजन को बदल कर वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाना। छावनी बोर्ड तथा रक्षा संपदा प्राधिकारियों ने इस मामले को विनियमित करने के लिए अपेक्षित मंजूरी लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ङ) से (छ) ये प्रश्न नहीं उठते।

---

**12.00 मध्याह्न**

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री द्वारकानाथ दास जी को बोलना है।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : एक-एक करके बोलेंगे।

**(व्यवधान)**

**श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** (कनकपुरा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है **(व्यवधान)**

**श्री० के० वी० तंगाबालू** (धर्मपुरी) : यह बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है। **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपकी बात बाद में सुनूंगा।

**(व्यवधान)**

**श्री के० वी० तंगाबालू** : कर्नाटक सरकार के एक अध्यादेश जारी किया है जो भारत के संविधान के विरुद्ध है। **(व्यवधान)** यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु के लोग बहुत कष्ट उठा रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। **(व्यवधान)** हम माननीय प्रधान मंत्री जी से इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने की मांग करते हैं। **(व्यवधान)** यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत के संविधान के विरुद्ध अध्यादेश जारी किया गया है। उन्हें इस प्रकार का

अध्यादेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। हम आज भारतीय प्रधानमंत्री जी से वक्तव्य जारी किए जाने की मांग करते हैं। हम अभी सरकार से एक निश्चित जवाब चाहते हैं। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप कोई जवाब नहीं चाहते हैं।

(व्यवधान)

**श्री अन्बारासु इरा** (मद्रास मध्य) : इस अध्यादेश की घोषणा असंवैधानिक है। (व्यवधान)

**श्री एम० आर० जनार्दनन** (तिरुनेलवेली) : यह भारत के संविधान के लिए एक चुनौती है। (व्यवधान) यह तमिलनाडु के लोगों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: कृपया पहले अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया पहले अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने आपको अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देने का निश्चय किया है, लेकिन आप एक-एक करके ऐसा कर सकते हैं। आप एक ही साथ और एक ही समय में ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैंने एक माननीय सदस्य का नाम पुकारा है। पहले एक माननीय सदस्य बोलेंगे और फिर मैं आपका नाम भी पुकारूंगा। श्री द्वारका नाथ दास।

**श्री द्वारका नाथ दास** (करीमगंज): महोदय, असम के बारक घाटी में डाक और तार व्यवस्था बहुत ही बदतर हालत में है। कर्मचारियों की कमी के कारण अथवा अन्य वजह से शायद ऐसा हुआ है। उदाहरण के लिए, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक पत्र को कम से कम आठ से दस दिन लगते हैं। कभी-कभी तार भी साधारण पोस्टकार्डों की भांति ही भेजे जाते हैं क्योंकि तार भेजने की लाईन अक्सर खराब ही रहती है और टेलीफोन व्यवस्था तो आजकल और भी ज्यादा खराब है।

क्या माननीय संचार मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में बारक घाटी में और विशेषकर असम के करीमगंज जिले में इस व्यवस्था पर ध्यान देंगे?

**श्री अन्बारासु इरा** : महोदय, कल कर्नाटक सरकार..... (व्यवधान) .....

**श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप सब कृपया अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइए। मैंने कहा है कि मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा और मैं आपसे भी बात करूंगा। इस समय आप हर काम गलत कर रहे हैं। यह प्रक्रिया के अनुसार नहीं है। इसलिए इस समय आप व्यवस्था के प्रश्न नहीं उठा सकते हैं।

**श्री अन्बारासु इरा** : कर्नाटक सरकार ने कल एक अध्यादेश प्रख्यापित किया है।

**श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और महोदय, मैं उस पर आपका विनिर्णय चाहता हूं। राज्य सूची के किसी विषय पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती है। वे एक गलत मिसाल कायम कर रहे हैं।

**श्री अन्वारासु इरा :** उन्होंने एक गलत मिसाल कायम कर दी है। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अन्तरिम आदेश की अस्वीकृत कर वे सरकार के अधिकार को चुनौती नहीं दे सकते हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश असंवैधानिक और गैरकानूनी है। न्यायाधिकरण के अन्तरिम आदेश को रद्द करने और तमिलनाडु को जल नहीं देने की ओर किया गया यह एक प्रयास है। यह इस सरकार के लिए कर खुली चुनौती है। **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** आप कृपया बैठ जाईए। यह कोई तरीका नहीं है और मैं आपको बोलने की भी अनुमति नहीं दूंगा।

**(व्यवधान)**

**श्री अन्वारासु इरा :** महोदय, 22 वर्षों से चर्चा हो रही थी लेकिन इसका परिणाम कुछ भी नहीं निकला है। इसलिए इसके बाद कोई भी वार्ता नहीं होगी। मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी को इसमें अविलम्ब हस्तक्षेप करना चाहिए और इसका समाधान ढूंढना चाहिए। **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** सिर्फ श्री अन्वारासु महोदय जी कुछ कह रहे हैं कार्यवाही वृतांत में शामिल किया जाए।

**(व्यवधान)**

**श्री अन्वारासु इरा :** महोदय, उन्हें न्यायाधिकरण के पंचाट का सम्मान करना चाहिए। इसमें एक और बात है। कर्नाटक के मुख्य मंत्री अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक राजनीतिक षडयंत्र रच रहे हैं। कर्नाटक के लोग बहुत ही अच्छे हैं। उन्हें इस पंचाट का सम्मान करना चाहिए। केन्द्र सरकार को इसमें अविलम्ब हस्तक्षेप करना चाहिए और इस पंचाट का पालन करने, इसका सम्मान करने और तमिलनाडु के लोगों की जल दिए जाने की अनुमति देने के निर्देश देने चाहिए। **(व्यवधान)**

**श्री डी० के० नायकर** (धारवाड उत्तर) **:** महोदय, कर्नाटक सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के सम्बन्ध में तमिलनाडु के माननीय सदस्य के वक्तव्य दिया है। महोदय, आप जानते हैं कि संविधान के संघीय ढांचे के अन्तर्गत राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। अब इस अध्यादेश पर, चाहे न्यायाधिकरण के आदेश पर या अन्य रूप से इसका प्रभाव कुछ भी रहा हो, इस सभा में चर्चा नहीं की जा सकती है। इसलिए राज्य के अध्यादेश अथवा विधान पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती है। यह एक स्वतन्त्र प्राधिकरण है। **(व्यवधान)** अध्यादेश या संविधान का कोई उल्लेख नहीं किया जा सकता है। **(व्यवधान)**

**श्री अन्वारासु इरा :** यह अध्यादेश ही गैरकानूनी और असंवैधानिक है। **(व्यवधान)**

**कुछ माननीय सदस्य :** जी नहीं। व्यवधान

**श्री डी० के० नायकर :** इस सभा में इसका उल्लेख करने की अब अनुमति दी गई है। इसलिए मैं इस संबंध में आपका विनिर्णय चाहता हूं कि यहां इस अध्यादेश पर चर्चा की जा सकती है अथवा नहीं। **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** नायकर जी, मुझसे विनिर्णय लेना आप के लिए मुश्किल हो सकता है। आप कृपया बैठ जाइए।

**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**मदन लाल खुराना** (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहती है? (व्यवधान) दोनों स्टेट में, एक में सहभागी पार्टी है और एक में इनकी अपनी पार्टी है। अध्यक्ष जी, यह इतना सीरियस मामला है। (व्यवधान)।

[अनुवाद]

**श्री के० वी० तंगाबालू :** अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक सरकार का अध्यादेश गैर कानूनी और असंवैधानिक है। यह स्वयं भारत के संविधान के विरुद्ध है। केन्द्र सरकार के विरुद्ध राज्य अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। इसलिए मुझे भय है कि कर्नाटक सरकार भारत संघ में है अथवा नहीं। आज एक संवैधानिक प्रश्न उठगया है। दूसरी बात यह है कि न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया अन्तरिम निर्णय तमिलनाडु के पक्ष में है और संविधान के अनुसार वैध है। न्यायालय द्वारा निर्देश दिए जाने के पश्चात् यह निर्णय पारित किया गया था और यह केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से मंजूर किया जाना चाहिए। मैं मांग करता हूँ कि केन्द्र सरकार और माननीय प्रधान मंत्री इस सम्बन्ध में वक्तव्य जारी करें। मैं केन्द्र सरकार से यह मांग भी करता हूँ कि वह न्यायाधिकरण के अन्तरिम निर्णय के अनुसार अविलम्ब जल दिए जाने सम्बन्धी आदेश कर्नाटक सरकार को जारी करे।

मैं इस मामले में आपका हस्तक्षेप चाहता हूँ और महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह मांग करता हूँ। माननीय प्रधान मंत्री जी को इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य जारी करना चाहिए क्योंकि यह एक गम्भीर मामला है और इस कारण तमिलनाडु के हजारों लोग कष्ठ उठा रहे हैं। (व्यवधान)।

**श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे 1977 से ही इस सभा में रहने का गौरव प्राप्त हुआ है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री मदन लाल खुराना :** अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहिए कि इस बारे में वे अपना स्टेटमेंट दें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** मैं जानता हूँ कि लोकतन्त्र की सर्वोच्च संस्था इन दिनों किस प्रकार से कार्य करती रही है। किसी भी राज्य सरकार को अध्यादेश जारी करने या प्रस्थापित करने का अधिकार है। चाहे यह सही हो अथवा गलत, सभा में इसकी चर्चा नहीं की जा सकती है। हमने यह परम्परा बरकरार रखी है। लेकिन आज यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमने अन्य राज्य के कुछ माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने संकट द्वारा खोल दिए हैं और एक गलत मिसाल कायक की है। (व्यवधान) हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। (व्यवधान)

**श्री अन्बारासु इरा :** वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। वह तथ्यों का गलत अर्थ लगा रहे हैं। यह ठीक नहीं है **(व्यवधान)** कोई अध्यादेश केवल राज्य संबंधी विषय पर ही जारी किया जा सकता है न कि केन्द्रीय विषय पर। इस विषय पर कोई अध्यादेश जारी करना राज्य सरकार का कार्य नहीं है। **(व्यवधान)**

**श्री बी० धनंजय कुमार** (मंगलौर) **:** अध्यक्ष महोदय, सम्बन्धित प्रश्न यह है कि यह मामला न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन है तथा न्यायाधिकरण के पास वह मामला लम्बित है। न्यायाधिकरण ने एक अन्तरिम आदेश पारित किया है। वास्तव में न्यायाधिकरण को ऐसा कोई भी आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं था। अभी तक जितने भी न्यायाधिकरणों का गठन दिया गया है, उनको देखने पर हमें सात होगा कि ऐसा कोई भी आदेश कभी भी पारित नहीं किया गया।

कर्नाटक राज्य द्वारा बनाए गए सभी जलाशयों की क्षमता केवल 120 टी एम सी है जबकि न्यायाधिकरण ने अपने अन्तरिम आदेश द्वारा कर्नाटक राज्य को मिठूर बांध में कम से कम 205 टी एम सी पानी रखने की क्षमता का आदेश दिया था। यह बिल्कुल असंभव तथा अव्यवहारिक है।

कर्नाटक में कावेरी जल का प्रयोग करके हम केवल एक सूखी फसल पैदा कर रहे हैं जबकि तमिलनाडु में वे प्रतिवर्ष तीन धान की फसलें उगा रहे हैं। **(व्यवधान)**

**श्री के० बी० तंगाबालू :** आप तमिलनाडु के बारे में कुछ भी नहीं जानते। **(व्यवधान)**

**श्री बी० धनंजय कुमार :** बंगलौर शहर के लिए पीने का पानी नहीं है। पीने के पानी की कमी के कारण ग्रेटर बंगलौर शहर के निवासियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अत: मेरा कहना यह है कि कर्नाटक सरकार द्वारा आज जारी किया गया अध्यादेश संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत ही है। किसी भी निर्वाचित सरकार को इस राज्य की जनता को राहत देने के लिए आगे बढ़कर आना ही पड़ेगा। कर्नाटक सरकार ने ठीक कार्य ही किया है।

केन्द्रीय सरकारा को इसमें रुचि दिखानी चाहिए। इसे देखना चाहिए कि वहां जो भी विवाद हो रहा है उसका सौहाद्रपूर्ण तरीके से समाधान किया जाना चाहिए। सरकार को दोनों पक्षों को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए। वे एक साथ बैठकर किसी सौहाद्रपूर्ण समझौते पर पहुंचे ताकि ऐसी समस्याएं देश में यहां के पश्चात् अन्य किसी जगह दुबारा खड़ी न हों। अत: मेरा कहना यह है कि कर्नाटक सरकार द्वारा सही कदम उठाया गया है तथा अब यहां पर उस सम्बन्ध में प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** (बोलपुर) : महोदय, कल श्री सैफुद्दीन चौधरी ने इस मामले को उठाया था। जब दोनों राज्यों में बंद का अह्वान किया गया है, यह एक ऐसा मामला है जिसका मैत्रीपूर्ण तरीके से हल निकाला जाना चाहिए। परन्तु यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है। मैं किसी भी राज्य के किसी भी माननीय सदस्य पर दोष नहीं लगा रहा हूं

क्योंकि यह स्पष्ट है कि भावनाएं सड़क उठी हैं। अतएव कल उठाए गए मामले पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था, यह अत्यन्त आवश्यक भी था। प्रधानमंत्री जी से आशा की जाती है कि वह इस बारे में बैठक बुलाएं। इस समय वहां पर एक अन्तर्राज्यीय परिषद है। अन्तर्राजकीय परिषद को आमंत्रित किया जाना चाहिए। इन सभी प्रश्नों का मैत्रीपूर्ण, सौहाद्रपूर्ण हल निकालने का यही उचित तरीका है। हम चाहते हैं कि भारत एक संगठित रहे जहां पर प्रत्येक राज्य की समस्याओं पर निष्पक्ष रूप से ध्यान देकर किसी समाधान पर पहुंचना चाहिए। अतः मैं सभा में उपस्थित सभी वर्गों से निवेदन करता हूं कि हमें उस दृष्टिकोण से इस मामले को देखना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अन्तर्राज्यीय परिषद् को एक बैठक तुरन्त बुलानी चाहिए। उनके साथ बैठकर इस मामले पर तुरन्त विचार-विमर्श करना चाहिए ताकि किसी समाधान पर पहुंचा जा सके। परस्पर आरोप-प्रत्यारोप से कुछ हल नहीं निकलेगा। प्रत्यक राज्य की अपना समस्याएं हैं। अतः सभा में हम केवल एक दूसरे पर आरोप थोपते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य किसी पर भी कोई आरोप या लांछन नहीं लगायेंगे। परन्तु राज्य की मांगों को ध्यान में रखते हुए हम सब आरोपों का उठना लाजमी ही हैं। इससे भावनाओं का वेग और अधिक बढ़ेगा। अतएव यह एक महत्वपूर्ण मामला है। मुझे आशा है कि आप भी इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करेंगे ताकि प्रधानमंत्री जी तुरन्त इसका उत्तर दे सकें।

(हिन्दी)

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** (गांधी नगर) : अध्यक्षजी, मैं समझता हूं कि जिस स्टेट का जो माननीय सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वाभाविक तौर पर उसी प्रदेश के दृष्टिकोण से ही वे बात को देखेंगे। इसीलिए कल तमिलनाडु के माननीय सदस्य उत्तेजित थे और आज तमिलनाडु और कर्नाटक, दोनों राज्यों के माननीय सदस्य अपनी-अपनी बात कह रहे हैं। हम तो कल ही अपेक्षा करते थे कि प्रधान मत्री इसके बारे में इनीशिएटिव लेकर कोई न कोई ऐसा तरीका निकालेंगे, जिससे तमिलनाडु और कर्नाटक बंद की बात न होती।

अध्यक्ष महोदय, आज जो विषय उठाया गया है कि इस प्रकार का आर्डिनेंस केन्द्र के खिलाफ है, मुझे नहीं लगता कि केन्द्र के खिलाफ है, लेकिन इसके बारे में केन्द्र सरकार की ओर से स्पष्टीकरण आना चाहिए। इस बारे में तमिलनाडु या कर्नाटक के माननीय सदस्य स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी की बात की पुष्टि करता हूं और मैं समझता हूँ कि इन मामले को इस सदन में उठाने के बजाए कांग्रेस पार्टी अपने भीतर उठाए और प्रधान मंत्री जी दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बुलाकर अक्रास दी टेबल इसका निवारण करें।

**श्री राम विलास पासवान** : (रोसेडा) अध्यक्ष जी, मैं श्री सोमनाथ चटर्जी साहब के प्रस्ताव और उनकी भावना से बिल्कुल सहमत हूं। जब भी किसी स्टेट का मामला आता है तो उस स्टेट के माननीय सदस्यों का अपनी चिंता जाहिर करना स्वाभाविक है। वे अपने

हक की बात करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यह भारत सरकार को देखना है कि पूरा देश एक है और सब स्टेट्स के हक हैं, किसी के हक पर कुठाराघात न हो। इसलिए यह जो प्रस्ताव रखा है कि इंटर स्टेट्स काउंसल की बैठक बुलायी जाए। हम भी आग्रह करेंगे कि प्रधान मंत्री जी को बैठक बुलवानी चाहिए और इस मामले को सुलझा लेना चाहिए आरोप-प्रत्यारोप से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है।

**(अनुवाद)**

**श्री एम० आर० जनार्दनन:** अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन को यह समझ लेना चाहिए कि तमिलनाडु की जनता पिछले बीस वर्षों से इस सम्बन्ध में बातचीत कर रही थीं। वहां कई वार्ताएं की गई परन्तु वे असफल रहीं तथा उनसे कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद, अभी एक वर्ष पूर्व ही यह कार्य न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया जिसका गठन काफी लम्बी अवधि के बाद किया गया। अभी भी यदि कर्नाटक सरकार इस पंचाट को स्वीकार अथवा सम्मान नहीं दे रही है, यह तमिलनाडु की जनता का अपमान करना है। यह हमारे लिए एक अपमानजनक बात ही नहीं है अपितु हम इसे सहन भी नहीं कर सकते। छः करोड़ तमिलों के लिए केवल कावेरी नदी के आसपास का क्षेत्र ही चावल उत्पादन करने का क्षेत्र है। तंजौर जिला पूरी तरह से कावेरी नदी के जल पर निर्भर है। कर्नाटक के एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हम प्रति वर्ष तीन फसलें उगा रहे हैं। महोदय, यह सच्चाई नहीं है। महोदय, यदि कावेरी नदी के जल के बिना तंजौर सूखा हो जाता है, इस स्थिति में तमिलनाडु एक दूसरा सहारा रेगिस्तान बन जाएगा। अतएव, मैं केन्द्रीय सरकार से तुरन्त इस सम्बन्ध में आगे कार्रवाई करने तथा इस समस्या का समाधान करने हेतु अनुरोध करता हूं। गलती यह की जा चुकी है कि केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय राजपत्र में इस पंचाट की अधिसूचना नहीं दी थी। जब हमने बंद की घोषणा की था, उन्होंने भी इसके बदले में एक बंद की घोषणा कर दी। तत्पश्चात् अकस्मात ही अध्यादेश के जारी होने से हमें बहुत आघात लगा। क्या आप चाहते हैं कि तमिलनाडु भी 'अल्फा' तथा पंजाब के ही मार्ग पर चले। परन्तु चूंकि हम तमिल है अतः हम नहीं चाहते कि यहां पर भी पंजाब तथा 'अल्फा' जैसी ही स्थिति हो। हम संगठित भारत के समर्थक है तथा यह भारत संघ होना चाहिए। यह संयुक्त राज्य भारत नहीं होना चाहिए। मैं कर्नाटक के माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि क्या भारत, भारत संघ होने जा रहा है अथवा संयुक्त राज्य भारत। महोदय, उन्होंने केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति लिए बिना ही 28 जलाशय बना लिए हैं। अतः मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे का समाधान करने के लिए आगे आयें। अन्यथा इससे भाषायी जातियों में परस्पर अकथित अराजकता उत्पन्न हो जाएगी जिसे तमिलनाडु की जनता द्वारा रोका नहीं जा सकता। अतः प्रधान मंत्री जी को अवश्य इस मामले में आगे आना चाहिए तथा केन्द्रीय राजपत्र में इस पंचाट को अधिसूचित करना चाहिए तथा इस पंचाट का सम्मान किया जाना चाहिए। हमारे कर्नाटक बन्धुओं को भी इस पंचाट का सम्मान करने के लिए आगे आना चाहिए जो कि आवश्यक भी है। केवल तभी हम बातचीत कर सकते हैं। महोदय, हमारा आपसे केवल यही निवेदन है।

**श्री पी० जी० नारायणन** (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, उच्चतम न्यायालय ने यह पुष्टि की है कि न्यायाधिकरण को अन्तरिम आदेश पारित करने का अधिकार है। उच्चतम

न्यायालय के निदेश पर ही न्यायाधिकरण ने अन्तरिम आदेश पारित किया है। यह उच्चतम न्यायालय के निदेश पर भारत सरकार द्वारा गठित किया गया एक न्यायिक मंच है जो कि अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत है। अब कर्नाटक सरकार ने न्यायाधिकरण के आदेश को अप्रभावी करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। यह संविधान के खिलाफ है। तमिलनाडु के जायत अधिकार तथा उसकी आवश्यकता के अनुसार हमें प्रति वर्ष 300 टी एम सी पानी की आवश्यकता है। परन्तु हमने केवल न्यायाधिकरण के आदेश का पालन करने के लिए ही न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेश को स्वीकार किया है। परन्तु कर्नाटक सरकार कानून से ऊपर नहीं है। यह कानून के अन्तर्गत कार्य नहीं कर रही है तथा यह संविधान के खिलाफ जा रही है। अतएव, प्रधानमंत्री जी को अब इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए तथा संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार एक निदेश जारी करना चाहिए।

**श्री एस० बी० सिदनाल** (बेलगांव) : महोदय, प्रत्येक राज्य सरकार अपने हित की रक्षा करने के लिए कोई कानून पारित करना चाहेगा अथवा कोई आध्यादेश जारी करना चाहेगा। इसी के अनुरूप कर्नाटक सरकार ने जो कुछ किया था वह उचित ही किया है। परन्तु जैसा कि अभी-अभी सभा में श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि यदि प्रधानमंत्री जी इस मामले में हस्तक्षेप करें तथा अन्तर्राज्यीय परिषद् की बैठक बुलाएं तो मेरे विचार से यह दोनों ही दलों को स्वीकार्य होगा तथा बातचीत करने के लिए वे दोनों ही एक साथ आ सकते हैं।

**श्री के० राममूर्ती टिण्डिवणम** (टिंडिवणम) : कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के सामने कर्नाटक तभा तमिलनाडु दोनों सरकारें पार्टियां हैं। उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायाधिकरण के अधिकार के बारे में कर्नाटक की सरकार द्वारा आपत्ति किए जाने के बावजूद न्यायाधिकरण ने अपना आदेश दे दिया था। उच्चतम न्यायालय के निदेश पर ही न्यायाधिकरण ने अन्तरिम आदेश दिया है। अतः न्यायाधिकरण का आदेश कर्नाटक तथा तमिलनाडु दोनों पर लागू होगा। परन्तु अब जबकि आदेश दिया जा चुका है, कर्नाटक सरकार द्वारा इस समय एक ऐसा अध्यादेश जारी किया गया है जो उच्चतम न्यायालय तथा न्यायाधिकरण के आदेश को निष्प्रभावी करती है। राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय तथा न्यायाधिकरण के आदेशों का पालन नहीं किया है तथा इस पर अत्यन्त गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, हम तमिलनाडु के लोगों को ही कठिनाई उठानी पड़ रही है। अन्तर्राज्यीय चर्चा किसी भी समय की जा सकती है परन्तु हमारी परेशानियों पर अभी इसी समय से ही विचार किया जाना चाहिए। भारत सरकार को इस मामले को अत्यन्त गम्भीरता से लेना चाहिए तथा मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस सभा के समक्ष आयें तथा अपना वक्तव्य दें।

**श्री मनोरंजन भक्त** (अंडमान निकोबार) : पिछले कुछ दिनों से पीलीभीत में निर्दोष सिख तीर्थयात्रियों को मारे जाने के बारे में काफी कुछ कहा गया हैं। इस मामले को अब

सदन में उठाया गया था, तब सरकार उस बात पर सहमत हो गई थी कि गृहमंत्री इस बारे में एक वक्तव्य देंगे। लेकिन मुझे दुःख है कि अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। अन्य सदस्यों के साथ मैं स्वयं पीलीभीत गया था। हमने देखा कि पुलिस द्वारा सिख तीर्थयात्रियों की नृशंसा हत्या की गई थी। (**व्यवधान**) मैं नहीं जानता श्री खुराना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। 29 जून को मैं तीर्थयात्री पटना साहिब, कर्नाटक और महाराष्ट्र गए थे और लौटते हुए उन्हें 13 जुलाई को एक बस में से पकड़ा गया था। उन्हें बस से उतारा गया और उन्हें नकली मुठभेड़ में मारा गया था (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइएं। मैंने आपको अपनी बात कहने की अनुमति दी थी। अब आप बैठ जाइए।

**श्री मनोरंजन भक्त** : (**व्यवधान**) *

**अध्यक्ष महोदय** : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप इस तरह अपनी बात जारी नहीं रख सकते। कृपया बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

**श्री चन्दूभाई देशमुख** (भड़ौच) : अध्यक्षजी; गुजरात में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है। सरकार जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। बड़ौदा शहर में दो हजार लोगों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया था, पथराव किया और हल्ला-गुल्ला मचाया। इसमें दस आदमी मारे गए और पन्द्रह आदमी घायल हो गए। भड़ौच में भी ऐसी स्थिति है। पांच-छह आदमी मारे गए और कई लोगों को मार दिया जाता है और एक पुलिस कांस्टेबल को भी मारा गया। सारे गुजरात में स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। मैं आपसे से अनुरोध करता हूं कि भारत सरकार इस स्थिति को सुलझाने की कोशिश करे। (**व्यवधान**)

**अनुवाद**

**श्री चन्द्रजीत यादव** (आजमगढ़) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय** : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइए। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइये। मैंने श्री बृनेश पटेल को बोलने के लिए कहा है....

(**व्यवधान**)*

**अध्यक्ष महोदय** : इसमें से कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैंने श्री पटल को अनुमति दी है :

(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : जो कुछ श्री पटेल बोलेंगे, केवल वही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जायेगा।

(**व्यवधान**)

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री बृशिण पटेल** (सीवान) : महोदय, मेरा नाम बृशिण पटेल है, बृनेश पटेल नहीं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं ठीक से आपका नाम बोलना सीखूंगा।

**(हिन्दी)**

**श्री बृशिण पटेल** : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में देवरिया का इलाका है, बिहार का बोतिया, मोतिहारी और गोपालगंज का जो इलाका है यहां पर अपहरण की बहुत सारी घटनायें हो रही हैं। ये अपहरणकर्ता जंगल पार्टी के नाम से मशहूर हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार को बताना चाहता हूं कि सैंकड़ों लोगों का अपहरण हुआ है और उनमें से बहुत सारे लोग मारे गये हैं। अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाये, राज्य सरकार के सहयोग से और इसको समाप्त करने की दिशा में कार्य किया जाये ताकि वहां लोगों को राहत मिल सके।

**प्रो० रासा सिंह रावत** (अजमेर) : मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर, पंजाब और असम में आतंकवादी गतिविधियों का दृढ़ता से मुकाबला किया जाये और सरकार आत्म समर्पण की नीति त्यागे।

विगत कई सप्ताहों से कश्मीर में दुरैस्वामी को छुड़वाने तथा असम में उल्फा आतंकवादियों द्वारा अपहृत व्यक्तियों को छुड़वाने में लम्बी बातचीत और उग्रवादी तथा आतंकवादी तत्वों की विभिन्न शर्तें मानने के कारण सरकार की स्थिति दयनीय चिन्तनीय, आत्म समर्पण करने वाली तथा घुटने टेकने जैसी हो गई है। इससे देशद्रोही और आतंकवादी ताकतों के हौंसले बुलन्द हुए हैं और वे अपने वादों से मुकर कर नित्य नई मांगे पेश कर सरकार की स्थिति को हास्यास्पद बना रहे हैं और अर्द्धसैनिक बलों में निराशा तथा हतोत्साहन की भावना पैदा कर रहें हैं। इससे उनका मनोबल गिर रहा है। अतः सरकार को ढुलमुल की नीति त्यागकर दृढ़ संकल्पशक्ति के साथ विघटनकारी शक्तियों का मुकाबला करना चाहिए। जिससे सरकार के प्रति जन साधारण में जो भावना पैदा हो रही है वह दूर हो और उनके मन में सरकार के प्रति विश्वास की भावना पैदा हो।

**श्री मदन लाल खुराना** : श्री दुरैस्वामी जिन्दा है या नहीं इसके बारे में सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए।

**(अनुवाद)**

**श्री अन्ना जोशी** (पुणे) : बम्बई हाई कोर्ट की दो खण्ड-पीठें पहले से ही काम करना शुरू कर चुकी हैं: एक नागपुर (विदर्भ) में और दूसरी औरंगाबाद (मराठवाड़ा) में। 20,000 मामले पुणे, शोलापुर, सतारा, कोल्हापुर और नौपर जिले से बम्बई हाई कोर्ट के विचाराधीन है। पश्चिमी महाराष्ट्र के मामलों के लिए पुणे में खण्ड पी० स्थापित करने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए, मैं सरकार से इस बारे में शीघ्र कदम उठाने की अपील करता हूं।

**श्री भोगेन्द्र झा** (मधुबनी) : पिछली रात, मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि मुहर्रम जुलूस के दौरान चार व्यक्ति मारे गये हैं, जिनमें से तीन मुसलमान

और एक अनुसूचित जाति का चौकीदार था । मेरी जानकारी के अनुसार यह एक साम्प्रदायिक समस्या नहीं है । मैं इस बारे में अभी विस्तार में नहीं जाऊंगा । तीन लोग पुलिस की गोली से मारे गये हैं । केवल कुछ दिन पहले, 12 जून को, इसी क्षेत्र में सात व्यक्ति मारे गये थे, उनमें से भी पांच मुसलमान थे । वे सातों लोग गरीब व्यक्ति थे । अब इस मामले में भी चौकीदार और चार अन्य लोग गरीब व्यक्ति ही थे। 12 जून को ये सभी लोग कांग्रेस उम्मीदवार द्वारा भाडे पर लिया गए गुण्डों के हाथों मारे गये थे । यह उम्मीदवार एक प्रसिद्ध व्यक्ति *तत्कालीन मुख्यमंत्री इस बार भी.....(**व्यवधान**).....

**श्रीमती बासव राजेश्वरी** (बेल्लारी) : उन्होंने स्वयं को बचाने के लिए उस व्यक्ति का नाम लिया है जो सदन में उपस्थित नहीं हैं । इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाला जाना चाहिए ।

**श्री पी० एम० सईद** (लक्षद्वीप) : नाम कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए । (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : जिस नाम का उन्होंने उल्लेख किया है उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

(**व्यवधान**)

**श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** (देवगढ़) : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए ।

**श्री भोगेन्द्र झा** : जैसा कि मुझे सरकार की जांच के बाद, टेलीफोन पर बताया गया है कि यह हत्या भी कांग्रेस पार्टी की चुनावी हार का बदला चुकाने के लिए तथा उन गरीब मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए की गई है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया ।

मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार को इस मामले पर जांच करनी चाहिए ।

**श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : आपकी राज्य सरकार क्या कर रही है? (**व्यवधान**) कारण और व्यवस्था का मामला राज्य का विषय है। (**व्यवधान**)

**श्री भोगेन्द्र झा** : फिर भी, मुझे आशा है कि सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए, जिससे कि इस घटना को साम्प्रदायिक रंगन दिया जा सके । मुझे डर है कि उसे साम्प्रदायिक रंग दिया जा सकता है । इसीलिए, मैं सरकार से एक वक्तव्य देने का अनुरोध कर रहा है। (**व्यवधान**)

**श्री एस० मल्लिकारजुनय्या** (तुमकुर) : कर्नाटक के मैसूर नगर में कबिनी जल से लबालब है । नदी के दोनों ओर नारियल, सुपारी और गन्ने के बहुत से बागाज हैं । यह आशंका है कि कबिनी जलाशय में कभी भी दसर पड़ सकती है या यह क्षतिग्रस्त हो सकता है ।

कर्नाटक सरकार को भी धमकी भरे अनेक पत्र मिल रहे हैं। अतः मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्हें जलाशय की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

यदि ऐसा नहीं किया गया तो, हजारों लोग इसके पानी में बह जायेंगे और खड़ी फसलों को भलि नुकसान पहुँचेगा ।

इसलिए मैं सरकार को इस बारे में उचित कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** अध्यक्ष महोदय, सम्बलपुर के दूरदर्शन रिले केन्द्र में रिकार्डिंग और प्रोडक्शन की सीमित सुविधा है। सत्तर के दशक के प्रारम्भ में सैटेलाइट योजना के अधीन भारत के दूरदर्शन नक्शे में यह उड़ीसा का प्रथम स्थान था। तब से, वहां पर आवश्यक स्टूडियो सुविधा के साथ एक पूर्ण दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की मांग की जाती रही है। लेकिन उस क्षेत्र की लम्बे अर्से की और उचित मांग को पूरा करने के बजाय—यह हैरानी और दुःख की बात है कि वहां प्राधिकारियों द्वारा वर्तमान रिकार्डिंग और प्रोडक्शन को बन्द किया जा रहा है। जिससे उस क्षेत्र के लोगों में गम्भीर नाराजगी, असंतोष और क्षोभ पैदा हो रहा है।

इसलिए, मैं सरकार से इस मामले को सहानुभूति पूर्वक विचार करने और वर्तमान व्यवस्था को भंग न करने तथा इस केन्द्र को आधुनिक स्टूडियों सुविधा सहित यथाशीघ्र एक पूर्ण दूरदर्शन केन्द्र बनाने का अनुरोध करता हूँ।

**(हिन्दी)**

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** (सैदपुर) : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान पूर्वांचल की 5 करोड़ की आबादी वाले इलाके—गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़ की दयनीय स्थिति के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह क्षेत्र, जिसमें 5 करोड़ लोग रहते हैं, बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । यहां बड़े उद्योग के नाम पर कोई उद्योग नहीं है । केन्द्रीय सरकार ने एक बार सन् 1964 में एक पटेल कमीशन का गठन किया था जिसने कहा था कि यहां आयुध का सबसे बड़ा कारखाना, अल्यूमीनियम और कागज का उद्योग लगना चाहिये लेकिन पटेल आयोग की इन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया और इस बात को 25 साल से ज्यादा हो गये हैं। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप केन्द्रीय सरकार को अपनी ओर से निर्देश दें कि पूर्वांचल के इन 5–6 जिलों की 5 करोड़ आबादी वाले इलाके के लिए कोई बड़ा उद्योग स्थापित किया जाये क्योंकि लोग कलकत्ता और बम्बई में अपनी रोजी रोटी की तलाश में घूमते रहते हैं। बेकारी के कारण अपराध बहुत हो रहे हैं। इसलिए यहां कोई न कोई बड़ा उद्योग लगाया जाये ताकि वहां के लोग सुख का जीवन व्यतीत कर सकें।

**श्री ताराचंद खण्डेलवाल** (चान्दनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और संबंधित मंत्री महोदय का भी। यह जो शीशी मेरे हाथ में है ...

**(अनुवाद)**

**अध्यक्ष महोदय :** आप इसे यहां नहीं ला सकते । सदन में इसकी अनुमति नहीं है ।

(हिन्दी)

**श्री ताराचन्द खण्डेलवाल**: यह कोई रंगीन पानी नहीं है । यह दिल्ली में मेरे क्षेत्र में चांदनी चौक क्षेत्र में बहुत से इलाकों में पीने का पानी सप्लाई हो रहा है, यह उस का नमूना है। यह पानी इतना गंदगी मिला हुआ है .... **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : आप ऐसी चीजें हाउस के अंदर नहीं ला सकते। आप केवल परमीशन से ही ला सकते हैं।

**श्री ताराचंद खंडेलवाल** : इतनी चीजें..., इतने जर्म्स और काला पानी लोगों को पीने के लिए मिलता है । लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है । हजारों आदमी आज इस बीमारी से ग्रसित हैं।

मैं मांग करना चाहता हूं कि इतनी शिकायतों के बाद भी अगर यह सरकार या दिल्ली कार्पोरेशन इस पानी को ठीक नहीं कर सकता तो इसका क्या हल है ?

**श्री मदन लाल खुराना** : अध्यक्ष जी, पानी के बारे में मैं भी एक बात कहना चाहूंगा.. **(व्यवधान)**

**श्री ताराचंद खण्डेलवाल** : मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा... **(व्यवधान)** अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो मैं सोमवार को यहां पर धरना और भूख हड़ताल करूंगा। **(व्यवधान)**

(अनुवाद)

**अध्यक्ष महोदय** : इसकी अनुमति नहीं है । आपको यह सब नहीं करना चाहिए।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** (कटवा) : हम सब जानते हैं कि हजारों लोगों ने कश्मीर घाटी से प्रवास किया है । अब, एक वर्ष से अधिक हो गया है । उनमें से बहुत से लोग जम्मू में हैं। कुछ माह पहले—जब हम कश्मीर के मामलों सम्बंधी समिति में थे—हमने उनके कैम्प का दौरा किया था। उस समय स्थिति बहुत खराब थी। कई महीने बीत जाने के बाद स्थिति और खराब हो गई है ।

इन लोगों का एक शिष्टमंडल दिल्ली आया और हमसे मिला था। उन लोगों हमें एक प्रतिवेदन दिया था। और हमें इस मामले को सदन में उठाने के लिए कहा था। जम्मु और कश्मीर सहायता समिति से सम्बन्ध लोग हमारे पास आए थे। उन्होंने बहुत सी मांगें की थी। उन पर सरकार को अवश्य विचार करना चाहिए। मांगे क्या है? यह वायदा किया गया था कि जम्मु में उनके लिए एक 'सेमी-टाऊनशीप' होगा; और जबतक वे घाटी वापिस नहीं जायेंगे, तबतक उन्हें वही बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी, जिससे कि वे मानवीय जीवन बिता सकें।

उनके बच्चों की शिक्षा की समस्या है। ऐसे कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; जो कश्मीर घाटी जा कर अपनी ड्यूटी नहीं दे पा रहे हैं। फिर ऐसे कर्मचारियों को भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी सेवानिवृत्ति निकट ही है । वे

सेवानिवृत्ति के लाभ कैसे प्राप्त करें? आकउन्टस आफिस घाटी में है। यह उनके वश में नहीं है कि वे घाटी से बाहर आएं। उसी प्रकार के ऐसे कई मामले हैं।

एच० एम० टी० कर्मचारियों में गृह मंत्री और मनेंजमेंट के साथ एक समझौता किया है। कुछ राजनीतिक नेता वहां मौजूद थे। यह वचन दिया गया था कि उन्हें वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन अब, उन्हें जो मूल वेतन का 75 प्रतिशत भाग और महँगाई भत्ता दिया जा रहा था, उसे भी कुछ समय बाद रोक दिया गया। यह सब क्या हो रहा है? यह एक गम्भीर मामला है, जिसकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए, ताकि यह शोषक रोका जा सके।

आप सरकार से पूछिए। लम्बे समय से सरकार की ओर से वहां कोई नहीं गया है। मैं सरकार से यह आग्रह करता हूँ कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल वहां भेजा जाए और वह यह निर्णय करे कि उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, जिससे कि वे सामान्य जीवन बिता सकें।

(हिन्दी)

**श्री मदन लाल खुराना:** अध्यक्ष जी, मैंने भी आपको यह लिख कर दिया है कि ये अभागे माइग्रैण्टस पिछले दो सालों से ढाई लाख की संख्या में जम्मू, दिल्ली और देश के अन्य क्षेत्रों में आए हुए हैं और उन ढाई लाख में से केवल नौ हज़ार आठ सौ लोगों को ही बसाया गया है टेण्टों के अंदर और कैम्पों के अंदर। नौ हज़ार को बसाया गया है जम्मू के अंदर और आठ सौ दिल्ली के अंदर... और वह भी एक-एक टेण्ट के अंदर तीन-तीन परिवार रह रहे हैं पिछले दो सालों से अध्यक्ष जी। जम्मू के अंदर अध्यक्ष जी, गर्मी के कारण पचास लोग सन-स्ट्रोक से मारे गए हैं। अभी बरसात आ गई है। बरसात के अंदर सारे टेण्ट बह जाएंगे। अध्यक्ष जी, उन लोगों की, जैसे कि कहा गया है— स्कूलों की प्रॉब्लम है, कॉलेज की प्रॉब्लम है, उनके मकानों के ताले तोड़ कर के लोग घुस गए हैं। उनके बैंक एकाउन्टस को सीज़ कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि यह सरकार भी उनके प्रति संवेदनहीन हो गयी है क्योंकि तीन-तीन प्रधानमंत्रियों से हम रिक्वैस्ट करते आ रहे हैं, नाइन्थ लोकसभा में भी और उससे पहले भी हमने अपील की कि कम से कम उनके कैम्पों में जाकर कोई उनकी हालत तो देखे। कोई प्रधानमंत्री, कोई सैन्ट्रल मिनिस्टर आज तक न दिल्ली में और न जम्मू में उनकी दशा को देखने के लिये गया। ऐसी संवेदनहीनता इस सरकार में आ गयी है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपका माइनौरिटीज़ कमीशन कहां गया, जो सब जगह तो जा सकता है, आपका ह्यूमैन राईटस कमीशन कहां है, जो उनके कैम्पों में जाकर देखे कि कैसे उनके मन्दिरों को जलाया गया है और किस तरह से लोगों को बर्बाद किया गया है। अपने ही देश के लोग अपने ही देश में शरणार्थी बनकर दो सालों से मारे मारे घूमते फिर रहे हैं और कोई उनकी तरफ देखने के लिये तैयार नहीं है। मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष जी आप प्रधानमंत्री जी को या होम मिनिस्टर साहब को यह निर्देश दीजिये कि वे स्वयं वहां जायें, उनकी हालत को देखें और उनकी समस्याओं को हल करने के लिये, तुरन्त एक सैल बनाया जाना चाहिये। आखिर कोई टाइम लिमिट होती है, सहन करने की कोई सीमा होती है। दो साल से वे लोग किस तरह नारकीय जीवन बिता रहे हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि उनकी हालत पर रहम खाकर, सरकार जल्दी से कोई रास्ता निकाले, यही मेरी अपील है।

**श्री लाल कृष्ण आडवानी** (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, जो ईश्यू अभी इस तरफ से उठाया गया, यहां से भी उठाया गया, उसके स्पेसिफिक इम्पलीकेशन्स हैं और इसीलिये हमें सरकार का रैस्पौंस चाहिये । सरकार ने कमिट किया है—सो फार एज एम्पलौईज आर कन्सर्न्ड, उसमें बहुत सारे हमारी सैन्ट्रल गवर्नमेंट अण्डरटेकिंग्स के एम्पलाईज भी हैं, उनसे रिटिन एग्रीमेंट करने के बाद, यदि उसका इम्पलीमैंटेशन न हो तो यह बहुत ही गम्भीर स्थिति है। वैसे पिछले दिनों, डिफैंस एम्पलाईज जो सिविल साइड में काम करते हैं, उनके प्रतिनिधि मुझसे मिले थे। उन्होंने कहा कि एच० एम० टी० के बारे में जो एग्रीमैंट किया गया है, वैसा ही हमारे बारे में भी होना चाहिये । इस सम्बन्ध में, मुझे आश्चर्य होता है कि सरकार की ओर से पिछले दिनों अनेक बयान आये हैं इन रिलेशन टू द इकॉनौमिक सिचुएशन, इन रिलेशन टू द प्रौब्लम्स ऑफ बेरियस सैक्शन्स ऑफ द पौपूलेशन—परन्तु पौपूलेशन के इस सैक्शन के बारे में एक भी शब्द सरकार की ओर से न तो बजट में कहा गया, न बजट स्पीच में कहा गया और न इकॉनौमिक सर्वे में ही कहा गया। किसी में कुछ नहीं कहा गया—एज इफ दिस टू एण्ड ए हाफ लैक पौपूलेशन जस्ट डज नॉट एक्जिस्ट—यह बहुत ही दुख का विषय है – मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकार इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी और जो भावना इस पक्ष से प्रकट की गयी है, सरकार स्पष्ट करे कि वह क्या कार्रवाई करने वाली है ।

**श्री राम नाईक** (मुम्बई उत्तर) : क्या यह सरकार गूंगी और बहरी हो गयी है, कुछ कहेगी नहीं । **(व्यवधान)**

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : अध्यक्ष जी, मैं अभी कुछ दिन पहले जम्मू गया था। हमारे जो भाई कश्मीर से आये हैं, उनमें से कुछ जम्मू में हैं, कुछ दिल्ली में हैं और कुछ देश के दूसरे राज्यों में हैं और यह बहुत ही दुख की बात है । **(व्यवधान)**

**श्री दाऊ दयाल जोशी** (कोटा) : क्या उनके शिविरों को देखा है आपने ? **(व्यवधान)**

**श्री गुलाम नबी आजाद** : हां देखा है। उनके डैलीगेशन के साथ भी मेरी चर्चा हुई है और बहुत देर तक चर्चा हुई है । यह बहुत ही गम्भीर मामला है . . . **(व्यवधान)** . . . आप सुन तो लीजिये ।

यह वास्तव में गम्भीर और चिन्ताजनक विषय है पूरे देश के लिये। कश्मीर का मामला, पूरे देश के लिये मायूसी की बात है । हमारे जो भाई वहां से आये हैं, चाहे वे हिन्दू हैं, मुसलमान हैं या किसी दूसरे मजहब से उनका सम्बन्ध हो, टैंटों में उनकी हालत बहुत खराब है। दिल्ली में भी उनकी हालत खराब है और जम्मू में भी उनकी हालत बहुत खराब है । विशेष रूप से उन्हें गर्मी को झेलने की आदत नहीं है । मेरा ख्याल है कि नई सरकार को आये हुए अभी एक महीना ही हुआ है जब कि हमारे मित्र साथी पुरानी सरकार में लगभग एक-डेढ़ साल तक रहे, इसलिये यह कहना कि हमने कुछ नहीं किया, पिछले डेढ़ साल में भी उनके लिये कुछ नहीं हुआ ।

**श्री मदन लाल खुराना** : केवल मात्र आश्वासन मिलते रहे ।

**श्री गुलाम नबी आजाद** : केवल 20 दिनों में आप इस सरकार से कैसे आशा रखते हैं कि वह सब कुछ करे, जो आपने डेढ़ साल तक नहीं किया, जब कि सरकार के सामने कई गम्भीर मसले हैं, समस्याएं हैं । मैं आपकी जानकारी के लिये बताऊं कि हमने ए० आई० सी० सी० में, राजीव गांधी जी ने, एक कमैटी बनायी थी और यहां से हमने टैंट तक उनके लिये भेजे। **(व्यवधान)** हमने विरोधी दल में रहकर भी पूरा प्रयास किया। **(व्यवधान)** आप जब बोल रहे थे, तो हमने चुप कर के सुना । आप हमें बोलने तो दीजिए। आप बोलने के लिए कह रहे थे और अब जब मैं बोल रहा हूं, तो सुनते नहीं हैं। अगर आप अखबारों के लिए ही बोल रहे हैं, तो बोल लीजिए। दो घंटे बोल लीजिए। **(व्यवधान)**

**श्री बी० एल० शर्मा प्रेम** (पूर्व दिल्ली) : 2 हजार खून की बोतल आप सद्दाम हुसैन को भेज सकते हैं, लेकिन कश्मीर की जनता के लिए एक फटा हुआ कम्बल भी नहीं भेज सकते हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : न तो खून भेजा है और न भेजेंगे ।

**(अनुवाद)**

**श्री श्रीकान्त जेना** (कटक) : क्या मंत्री महोदय एक मंत्री की हैसियत से लोक रहे हैं या कांग्रेस पार्टी की ओर से ? **(व्यवधान)**

**श्री गुलाम नबी आजाद** : मैं यहां कांग्रेस पार्टी की वजह से ही हूँ। आपकी सूचना लिए बता हूँ, मैं पहले कांग्रेस पार्टी का हूँ, फिर मंत्री हूँ.... **(व्यवधान)**

**(हिन्दी)**

अध्यक्ष महोदय : जब आपने कोई अहम मसला उठाया है, तो उनको कम्पलीट तो करने दीजिए ।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : आप बार-बार नहीं उठेंगे। इस प्रकार से चर्चा नहीं चल सकती है।

**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुन लीजिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं । आप किसी की बोलने ही नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है।

**(व्यवधान)**

**(अनुवाद)**

**श्री गुलाम नबी आजाद** : महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जहाँ तक काश्मीर के शरणार्थियों का प्रश्न है, यह सरकार इस बारे में किसी भी अन्य राजनीतिक दल से अधिक चिन्तित है। उनके पुनर्वास के लिए यह सरकार भरसक प्रयास करेगी और कोई भी कोर-कसर बाकी न छोड़ेगी। **(व्यवधान)** आप पिछले डेढ़ वर्षों में कुछ न कर

सके । मात्र बीस दिन में ही आप हमसे यह अपेक्षा कैसे कर रहे है? तत्कालीन सरकार के आप भी एक हिस्सा थे (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री मदन लाल खुराना** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह तो बताएं कि आप वहां डेलीमेशन में जैसे या नहीं, क्या करेंगे, आप यह तो बताएं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : महोदय, मंत्रीजी अनावश्यक बातों को तूल दे रहे हैं। वह पिछले डेढ़ वर्षों की बात कर रहे हैं। श्री चन्द्रशेखर की सरकार का समर्थन किसने किया था?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : श्री वी० पी० सिंह की सरकार को किसने समर्थन दिया था? (व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या यह पार्टी का मामला है? आप उसे पार्टी का मामला क्यों बना रहे हैं? कृपया ऐसा न करें।

**श्री गुलाम नबी आजाद** : आप यह काम हमसे बीस दिन में ही कर लेने की कैसे अपेक्षा करते हैं? (व्यवधान)

[हिन्दी]

उनके घरों में घसा जाता है, यह बात बिल्कुल गलत है । इससे मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। यदि आप यह बात पार्टी की भावना से कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। उनके घर पूरी तरह से प्रोटेक्टेट हैं। आपने कहा कि मंदिर तोड़े जाते हैं, मैंने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा, यह बिल्कुल गलत है।

[अनुवाद]

कृपया इसे राजनीतिक मसला न बनाए। मैं मानता हूँ कि वे हमारे भाई बन्धु हैं और उनके साथ यथासंभव अच्छा सलूक होना चाहिए। कृपया इसे राजनीतिक मामला न बताएं।

[हिन्दी]

उनके घरों में घुस जाते हैं, उनके मंदिर तोड़े जाते हैं, यह बिलकुल गलत है। मैं इससे बिलकुल सहमत नहीं हूं। (व्यवधान)

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : देखिए, जहां तक तथ्यों की बात है, वह मंदिरों के बारे में हो या मकानों में घुसने के बारे में हो, वह तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने सदन को विश्वास दिलाया है कि इनके पुनर्वास के बारे में, इनको रिलीफ के बारे में वे सब उचित कदम उठाएंगे। एक स्पैसीलिक सवाल मैंने उठाया था

एच० एम० टी० के इम्पलाइज का, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के डिफेंस इम्पलाइज का सिविल साइड पर काम करने वाले और स्टेट गवर्नमेंन्ट के इम्पलाइज को भी जो अब तक वचना दिए है, उन वचनों की पूर्ति नहीं हुई है, यह एक ज्ञापन में मेरे पास विस्तार से है । इसके बारे में सरकार को क्या कहता है ।

**श्री गुलाम नबी आजाद** : अगर कोई भी वचन दिया गया है, अगर कोई एग्रीमेन्ट हुआ हो तो उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे ।

[अनुवाद]

**श्री वसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : भारत सरकार ने देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के लिए 'समान कार्य के लिए समान वेतन' विषय की जांच करने हेतु राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्युनल का गठन किया था। इस ट्रिब्युनल ने 30-4-90 को अपना अधिनिर्णय घोषित कर दिया था । इसके एक वर्ष बाद सरकार ने इसे कार्यान्वित करने के लिए एक आदेश जारी किया। सरकार का यह आदेश पक्षपातपूर्ण है । ट्रिब्युनल ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि वेतनमानों, भत्तों और अन्य लाभों के मामले में इन बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी ऐसे ही बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के समतुल्य होने का दावा करने के हकदार होंगे और यह की यह अधिनिर्णय 1 सितम्बर, 1987 से लागू होगा तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अगस्त, 1987 तक सभी भत्तों और लाभों को पाने के हकदार होंगे। सरकार द्वारा हाल में जारी किया गया आदेश राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्युनल के अधिनिर्णय का साफ-साफ उल्लंघन है । इसलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सैंकड़ों कर्मचारी आज बोट क्लब पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वे यह मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्युनल का अधिनिर्णय पूर्णत: कार्यान्वित किया जाए तथा इसमें किसी प्रकार की फेर-बदल न की जाए। हाल में जारी किए गए सरकार के आदेश को वापिस लिया जाना चाहिए और अधिनिर्णय को पूरा-पूरा लागू किया जाना चाहिए ।

[हिन्दी]

**श्री दाऊ दयाल जोशी** : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान को अभी कुछ दिन पूर्व एम–II प्रक्षेपास्त्र जो प्रदान किया गया है उससे सारा देश चिन्तित है । कल रक्षा मंत्री जी ने राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया है उसके बाद तो विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में चिन्ता व्याप्त हो गई है । राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों में उक्त प्रक्षेपास्त्र के कारण निश्चित रूप से मार पड़ेगी, इस प्रकार का जवाब रक्षा मंत्री जी ने राज्य सभा में दिया है । मेरा निवेदन है कि कृपा करके लोक सभा को भी वे बताएं अपने वक्तव्य में कि पाकिस्तान को जो भी वर्तमान में कुछ समय पूर्व एम–II प्रक्षेपास्त्र प्रदान किया है उसके आधार पर क्या राजस्थान सहित सीमावर्ती प्रान्त के लोग सुरक्षित रह पाएंगे। मैं रक्षा मंत्री जी से शून्यकाल के प्रश्न के आधार पर आश्वासन चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान ने इस प्रक्षेपास्त्र का उपयोग किया तो वे किस प्रकार से इन सीमावर्ती प्रान्तों को बचा पाएंगे ।

1.00 म०प०

[अनुवाद]

**श्रीमती बासव राजेश्वरी :** महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यावश्यक मामले की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूँ। सरकार ने पश्चिम और दक्षिण भारत में उद्योगों को कोयले की सप्लाई में 50% की भारी कटौती कर दी है, जिससे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में तथा मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में प्रभुत्व कोयला-आधारित उद्योगों को गम्भीर आघात पहुँचा है ।

जनवरी में आंवटित कोटे में 70% तक की भारी कटौती कर दी गई थी और जून के अन्त तक इसमें 20%की राहत दी गई। उस कटौती के परिणामस्वरूप सिमेंट, रेयन, कपड़ा और भारी रसायन उद्योगों की स्थिति अत्यधिक नाजुक हो गई है । पश्चिमी क्षेत्रों में विशेष रूप से ऐसा हुआ है ।

महोदय, इस्पात, उर्वरक और सीमेंट जैसे महात्वपूर्ण उद्योगों को कोयले की नियमित सप्लाई बनाए रखने के नीति के बावजूद, गैर-सरकारी क्षेत्र के महत्वपूर्ण उद्योगों को प्राथमिकता सूची से बाहर ही छोड़ दिया गया है । महोदय, कोयले की कटौती के कारण कर्नाटक में लगभग सभी उद्योग प्रभावित हुए हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कर्नाटक को, विशेष रूप से वहाँ रायचुर ताप-विद्युत संयंत्र को कोयला-सप्लाई का पूरा कोटा बहाल करने के लिए शीघ्र उपाय किए जाएं ।

**श्री पी० एम० सईद :** लक्षद्वीप की अपनी पहली यात्रा के बाद स्व० राजीव जी ने लक्ष-द्वीप और अण्डमान द्वीपों के समग्र विकास के लिए द्वीप विकास प्राधिकरण का गठन किया था। इस सरकार का पहला आघात यहि द्वीप विकास प्राधिकरण रहा । (व्यवधान) परिणाम-स्वरूप लक्षद्वीप का विकास पूरी तरह से ठस पड़ गया। अब जैसी कि आपको जानकारी है, 'लक्षद्वीप लिब्रेशन फ्रन्ट' नाम से एक भूमिगत संगठन भी वहां सक्रिय है । रोजगार के अवसरों की भारी कमी है । अतः मैंने माननीय प्रधान मंत्री से भी अनुरोध किया था कि द्वीप विकास प्राधिकरण का पुनरुद्धार करे ताकि पूरे जोर-शोर से विकास का काम आगे बढ़ाया जा सके। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि द्वीप विकास प्राधिकरण के पुनरुद्धार के लिए शीघ्र कार्य-वाही करे ।

---

1.02 म०प०

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

### वाणिज्य पोत परिवहन संशोधन नियम, 1991

### भारतीय सड़क निर्माण निगम का वर्ष 1989–90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) :** श्री जगदीश टाईटलर की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (जहाजों का टनभार माप) संशोधन नियम, 1991;



25--17 LSS/ND/91

जो 21 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 84 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 135/91)**

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989–90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**(ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 136/91)**

**कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : मैं श्री रंगराजन कुमारमंगलम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 3052, जो 17 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स सेंट मेरीज फण्डस लिमिटेट, पिरावम को एक "निधि" घोषित किया गया है।

(दो) सा० का० नि० 241, जो 21 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा फेयरडील इन्वेस्टमेंट म्युचुअल बेनिफिट (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली को एक "निधि" घोषित किया गया है।

(तीन) सा० का० नि० 514, जो 18 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मैसर्स कांची म्युचुअल बेनिफिट फण्ड लिमिटेड, मद्रास को एक "निधि" घोषित किया गया है।

(चार) सा० का० नि० 515, जो 18 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मैसर्स थिरूमंगलम जनोपकार परमानेंट फण्ड लिमिटेड, मद्रास को एक "निधि" घोषित किया गया है।

(पांच) सा०का०नि० 782, जो 29 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मैसर्स गिलनगर बेनिफिट फण्ड लिमिटेड, मद्रास को एक "निधि" घोषित किया गया है।

(छह) सा०का०नि० 783, जो 29 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मैसर्स केरल परमानेंट फण्ड लिमिटेड, एर्नाकुलम को एक "निधि" घोषित किया गया है ।

(सात) सा०का०नि० 784, जो 29 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मैसर्स श्रीवरी बेनिफिट सोसाइटी लिमिटेड, मद्रास को एक "निधि" घोषित किया गया है ।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत लागत लेखावधि अभिलेख (लघु इस्पात संयंत्र) नियम, 1990 जो 23 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 574 में प्रकाशित हुए थे कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 के अंतर्गत पंजाब बागवानी निगम लिमिटेड तथा पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 1989, जो 2 अगस्त, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 605(अ) में प्रकाशित हुए थे कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

**(ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 137/91)**

**भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी-तीन और श्रेणी-चार कर्मचारी (पदोन्नति) (संशोधन) नियम, 1991, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं ।**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ—

(1) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी-तीन और श्रेणी-चार कर्मचारी (पदोन्नति) (संशोधन) नियम, 1991, जो 23 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 229(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

**(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 138/91)**

(2) 23 अप्रैल, 1991 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 2/19/89-एन०एस० दो, जिसके द्वारा 12 दिसम्बर, 1990 की अधिसूचना संख्या 2/19/89-एन०एस० दो में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

**(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 139/91)**

(3) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सिंडीकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 1989, जो 16 दिसम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1126/एस/0090/पीडी/आईआरडी(ओ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) अधिसूचना संख्या 75/एएस 0090/केवीओएसपी(ए), जो 16 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके अंतर्गत 15 दिसम्बर 1989 की अधिसूचना संख्या 50 के हिन्दी रूपान्तर का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(तीन) यूनियन बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1990, जो 10 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या सीओ/आईआर डी/1193/90 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) यूनाईटिड बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 1989, जो 6 अप्रैल, 1991 की अधिसूचना संख्या 2/90 में प्रकाशित हुए थे ।

**(ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 140/91)**

(4) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत विजय बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) पहला संशोधन विनियम, 1990, जो 18 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1377 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

**(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 141/91)**

(5) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अंतर्गत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम मुम्बई के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

**(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 142/91)**

(6) निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) अलीगढ़ ग्रामीण बैंक, अलीगढ़ के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

**(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 143/91)**

(दो) जमुना ग्रामीण बैंक, आगरा का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 144/91)

(तीन) वलसाड डांग्स ग्रामीण बैंक, वलसाड का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 145/91)

(चार) भागीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 146/91)

(पांच) बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बीकानेर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 147/91)

(छह) ठाणे ग्रामीण बैंक, ठाणे का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 148/91)

(सात) विदुर ग्रामीण बैंक, बिजनौर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 149/91)

(आठ) सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुल्तानपुर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 150/91)

(नौ) यवतमाल ग्रामीण बैंक, यवतमाल का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 151/91)

(दस) छत्तसाल ग्रामीण बैंक, ओराई का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 152/91)

(ग्यारह) एटा ग्रामीण बैंक, एटा का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 153/91)

(बारह) श्रीराम ग्रामीण बैंक, निजामाबाद का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

**(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 154/91)**

(तेरह) सबरकान्ठा गांधीनगर ग्रामीण बैंक, हिम्मतनगर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

**(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 155/91)**

(चौदह) फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फैजाबाद का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

**(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 156/91)**

(पन्द्रह) गुरुदासपुर अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, गुरुदासपुर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन लेखे, तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

**(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 157/91)**

(सोलह) चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक, चित्रदुर्ग का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

**(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 158/91)**

(सत्रह) मुरशीदाबाद ग्रामीण बैंक, बहरामपुर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

**(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 159/91)**

(अठारह) मंडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मंडला का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

**(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 160/91)**

(उन्नीस) हिसार सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हिसार का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

**(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 161/91)**

(बीस) मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

**(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 162/91)**

(इक्कीस) डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डूंगरपुर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

**(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 163/91)**

(बाईस) सूरत भरुच ग्रामीण बैंक, भरुच का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

**(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 164/81)**

(तेईस) मुजफरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफरनगर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

**(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 165/91)**

(7) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1991 का संख्यांक 9)—(रक्षा सेवायें—वायु सेना तथा नौसेना) ।

**(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 166/91)**

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1991 का संख्यांक 4)— (राजस्व प्राप्तियां—अप्रत्यक्ष कर) ।

**(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 167/91)**

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1991 का संख्यांक 7)—(डाक और दूरसंचार) ।

**(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 168/91)**

**विदेशी मुद्राओं के पुनरीक्षित विनिमय की दरों सम्बन्धी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** : मैं सीमा शुल्क अधिनयम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) का० आ० 88 (अ) जो 11 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो डेनिश क्रोनर, डच गिल्डर, नोरवीजियन क्रोनर तथा स्वीडिश क्रोनर को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को इन विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए पुनरीक्षित विनिमय की दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) का० आ० 89 (अ) जो 13 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आस्ट्रिया के शिलिंग को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा

को आस्ट्रिया के शिलिंग में संपरिवर्तन के लिए पुनरीक्षित विनिमय की दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) का०आ० 101(अ) जो 14 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बेलजियम के फ्रेंक को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को बेलजियम के फ्रैंक में संपरिवर्तन के लिए पुनरीक्षित विनिमय की दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) का० आ० 128 (अ) जो 25 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सिंगापुर के डालर को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को सिंगापुर के डालर में संपरिवर्तन के लिए पुनरीक्षित विनिमय की दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा०का०नि० 65(अ) जो 13 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो रूसी रूबल को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को रूसी रूबल में संपरिवर्तन के लिए पुनरीक्षित विनिमय की दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) का०आ० 144(अ) जो 27 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आस्ट्रेलिया के डालर के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को आस्ट्रेलिया के डालर में संपरिवर्तन के लिए पुनरीक्षित विनिमय की दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) का०आ० 154(अ) जो 4 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कनाडा के डालर को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कनाडा के डालर में संपरिवर्तन के लिए पुनरीक्षित विनिमय की दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) का०आ० 157 (अ) जो 7 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बेल्जियम के फ्रेंक को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को बेल्जियम के फ्रेंक में संपरिवर्तन के लिए पुनरीक्षित विनिमय की दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा०का०नि० 173(अ) जो 22 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो रूसी रूबल को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को रूसी रूबल में संपरिवर्तन के लिए पुनरीक्षित विनिमय की दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) का०आ० 203(अ) जो 20 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए पुनरीक्षित विनिमय की दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) का०आ० 211(अ) जो 25 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आस्ट्रिया के शिलिंग तथा हांगकांग के डालर को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को आस्ट्रिया के शिलिंग तथा हांगकांग के डालर में संपरिवर्तन के लिए पुनरीक्षित विनिमय की दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) का०आ० 219(अ) जो 26 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो इटली के लिरा तथा स्विस फ्रेंक को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को इटली के लिरा तथा स्विस फ्रेंक में संपरिवर्तन के लिए पुनरीक्षित विनिमय की दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) का०आ० 226(अ) जो 27 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए पुनरीक्षित विनिमय की दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा०का०नि० 234(अ) जो 24 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो रूसी रूबल को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को रूसी रूबल में संपरिवर्तन के लिए पुनरीक्षित विनिमय की दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) सा०का०नि० 292(अ) जो 31 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 137/90–सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) सा०का०नि० 300 (अ) जो 5 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो रूसी रूबल को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को रूसी रूबल में संपरिवर्तन के लिए पुनरीक्षित विनिमय की दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) का०आ० 333(अ) जो 15 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए पुनरीक्षित विनिमय की दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठारह) का०आ० 355(अ) जो 23 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो सिंगापुर के डालर को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को सिंगापुर के डालर में संपरिवर्तन के लिए पुनरीक्षित विनिमय की दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नीस) का० आ० 369 (अ) जो 31 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जापान के येन को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को

जापान के येन में संपरिवर्तन के लिए पुनरीक्षित विनिमय की दर के बारे में है एक तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बीस) का०आ० 378(अ) जो 3 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मलेशिया और अमरीका के डालरों को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को मलेशिया और अमरीका के डालरों में संपरिवर्तन के लिए पुनरीक्षित विनिमय की दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्कीस) का०आ० 391(अ) जो 6 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हांगकांग के डालर को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को हांगकांग के डालर में संपरिवर्तन के लिए पुनरीक्षित विनिमय की दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

**(ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 169/91)**

**भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वर्ष 1990 का प्रतिवेदन, व्यापार विकास, प्राधिकरण, नई दिल्ली का वर्ष 1989–90 का वार्षिक प्रतिवेदन वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वर्ष 1990 के प्रतिवेदन—1990 का संघ सरकार संख्यांक 3 (वाणिज्यिक)—भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **(ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 170/91)**।

(2) (एक) व्यापार विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1989–90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) व्यापार विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1989–90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 171/91)**

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई वल्ली के वर्ष 1989–90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1989–90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 172/91)

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1989–90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली का वर्ष 1989–90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 173/91)

---

1.04 म० प०

## मंत्री द्वारा वक्तव्य

**कोयले का उत्पादन करने वाली कतिपय राज्य सरकारों द्वारा कोयले पर रायल्टी की दरों में वृद्धि के लिए किए गये अनुशोध्य के बारे में कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) :**

महोदय,

माननीय सदस्यों ने कोयले पर रायल्टी की दरों में वृद्धि किए जाने का मामला उठाया है और मैं तदनुसार सदन की सूचना के लिए वक्तव्य दे रहा हूं।

2. खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1957, केन्द्र सरकार को रायल्टी की दरें निर्धारित करने तथा दरों में वृद्धि किए जाने की शक्ति प्रदान करता है। फरवरी, 1987 से पुर्व दरों में वृद्धि चार वर्षों में एक बार की जा सकती थी। इसके बाद अधिनियम में संशोधन कर दिया गया और रायल्टी की दरों में वृद्धि प्रत्येक तीन वर्षों के बाद की जा सकती है।

3. रायल्टी की दरों में पिछली बार वृद्धि फरवरी, 1981 में की गई थी। अगला संशोधन फरवरी, 1985 में किया जा सकता था किन्तु दरों में अभी तक संशोधन नहीं किया गया है। क्योंकि कोयला उत्पादन करने वाले अधिकांश राज्य कोयले पर बहुत ऊंची

दर से उपकर लगा रहे थे। इन उपकरों की दरें प्रत्येक राज्य में भिन्न हैं और इन उपकरों से राज्य सरकारों को रायल्टी से प्राप्त होने वाली आय से ग्यारह गुना अधिक की आय प्राप्त हो रही है।

4. चूंकि उपकर की दरें बहुत ऊंची थी, अतः कुछ प्रतिवादी न्यायालयों में चले गए। इंडिया सीमेंट बनाम तमिलनाडु राज्य सरकार के मामले में दिनांक 26-10-1989 को दिए गए एक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य सरकारों को खनिजों अथवा खनिजों के प्राधिकार पर उपकर लगाए जाने का अधिकार नहीं है। इस निर्णय के अनुसरण में अन्य न्यायालयों ने दूसरे राज्यों द्वारा लगाए गए उपकरों को अमान्य घोषित कर रहे हैं।

5. चूंकि राज्य सरकारों को उपकरों से काफी मात्रा में आय प्राप्त होती थी, अतः कोयले के उत्पादन करने वाली राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर न्यायालयों के इन निर्णयों का बुरा असर पड़ा है अतः इन राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से रायल्टी की दरों में वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया है।

6. उपर्युक्त अनुरोधों के संबंध में निर्णय दिए जाने में कानूनी तथा वित्तीय मामले अन्तर्ग्रस्त हैं। जबकि कुछ उपकरणों के मामले अमान्य घोषित कर दिए गए हैं तथा अन्य मामलों में भी इसे लगाया जा रहा है। कोयले पर रायल्टी को लगाया जाना कई वस्तुओं की कीमतों से संबंधित है और इस समस्या की पूरी प्रभावकार्यता का अध्ययन मंत्रालयों, संबद्ध विभागों तथा संबद्ध राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके किया जाएगा। ये सभी मामले सरकार के विचाराधीन हैं। हम राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में उठायी जाने वाली कठिनाईयों से अवगत हैं और इस संबंध में निर्णय शीघ्र ही ले लिया जाएगा।

**[ग्रंन्थालय में रखा गया। देखए संख्या एल टी० 174/91]**

**(व्यवधान)**

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** (दमदम) : महोदय, यह मांग है कि रायल्टी मूल्यानुसार दी जाए। गत दस वर्षों में खनिजों के मूल्यों में कम से कम तीन बार वृद्धि की गई है... **(व्यवधान)**

**हिन्दी**

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (लखनऊ) : राज्यों को आश्वासन नहीं चाहिए, राज्यों को रायल्टी चाहिए। **(व्यवधान)**

**श्री राम विलास पासवान** (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, सिर्फ एक क्लैरीफिकेशन। मैंने क्लैरीफिकेशन के लिए लिखकर दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठिए। एक मिनट बैठ जाइए।

**(अनुवाद)**

माननीय सदस्य जानते हैं कि इस सभा में हम मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्यों पर प्रश्न करने की अनुमति नहीं देते। अगर इस मामले पर चर्चा करना आवश्यक है तो मैं सभी संबंधित सदस्यों से सलाह करके चर्चा का समय तय करूंगा..... **(व्यवधान)**

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :** महोदय, क्या मैं आपका ध्यान नियम समिति के इस निर्णय की ओर आकर्षित कर सकता हूं कि अध्यक्ष पीठ की इच्छा के तहत ऐसे स्पष्टीकरण की अनुमति होगी? मैं नियम समिति का सदस्य था..... **(व्यवधान)**

**(हिन्दी)**

**श्री रामविलास पासवान :** वन क्लैरीफिकेशन, आपने इससे पहले भी मौका दिया है। आपने इसी सदन में, इसी सत्र में हमको मौका दिया है। **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** इससे आपको ही तकलीफ हो जायेगी। मैं आपकी तकलीफ के लिए ही बोल रहा हूं।

**श्री रामविलास पासवान :** अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के खिलाफ प्रिवेलेज मोशन लाने वाला हूं। मैं इसी सदन में प्रश्न के जवाब के बारे में क्लेरिफिकेशन इसलिए चाहता हूं कि 26-02-91 के प्रश्न के जवाब में तत्कालीन मन्त्री महोदय ने यह कहा था मैं उसको पढ़कर आपके सामने सूनाना चाहता हूं....

**अध्यक्ष महोदय :** अब देखिए, रैंगूलर भाषण हो रहा है।

**श्री रामविलास पासवान :** रैंगुलर भाषण नहीं, उन्होंने कहा था कि रायल्टी बढाने का निर्णय सरकार 31 मार्च तक करेगी, यह कह रहे हैं कि विचार करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तत्कालीन मंत्री ने 26-02-1991 को सदन में जवाब दिया था और उसमें उन्होंने जो कहा था, उसको मैं आपको पढ़ कर सूचना चाहता हूं.....

**अध्यक्ष महोदय :** अब देखिये आप फिर पढ़ने कि बात कर रहे हैं।

**श्री राम विलास पासवान :** मंत्री महोदय का जवाब है "जहां तक रायल्टी की दर को बढ़ाने का सवाल है, यह मामला हमारे विचाराधीन है और अतिशीघ्र इसमें कोई निर्णय लिया जाएगा और राज्य सरकार को सैस के कारण जो वित्तीय कठिनाई उठानी पड़ रही है, उसकी कार्रवाई करेंगे और यह 31 मार्च तक हो जाएगा।" यह सरकार का जवाब है कि 31 मार्च तक निर्णय कर लिया जाएगा, इसी सदन में। अब 31 मार्च खत्म हो गया है, आज हम जुलाई के लास्ट में बैठे हुए हैं और मंत्री जी कहते हैं कि विचाराधीन है। सरकार चलती है, सरकार सरकार है, मंत्री बदलते हैं। एक सरकार जब यह कहती है कि वित्तीय वर्ष के अन्त तक हम निर्णय ले लेंगे और यह सरकार कहती है कि विचाराधीन है, जिसके कारण बिहार सरकार को 500 करोड का अभी तक घाटा लग चुका है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी 500 करोड़ रुपये का घाटा.....

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : पासवानजी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। मैं इस प्रकार अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

**श्री रामविलास पासवान** : मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि सरकार ने इसी सदन में 26-02-1991 को यह कहा था कि वित्तीय वर्ष के अन्त तक, मतलब 31 मार्च तक इसपर रायल्टी बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा, या नहीं?

**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश का भी है। मध्य प्रदेश की रायल्टी बढ़ाने की बात राज्य सरकार द्वारा कही गई है।

(अनुवाद)

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : महोदय, एक स्पष्टीकरण.....(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया व्यवधान न डालिए।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : मैं केवल स्पष्टीकरण चाहता हूं, मैं कोई भाषण नहीं दूंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं। मैंने कहा है कि अगर यह आवश्यक है तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन अब नहीं। अब मैं पासवान जी को अनुमति देता हूं। मुझे आपको अनुमति देनी है तथा अन्य सदस्यों को भी अनुमति देनी है।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : मैं नियम समिति का सदस्य था। महोदय, आप को याद है, आपको यह अधिकार दिया गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं जानता हूं.....

(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : अब नहीं। यह ठीक नहीं है। अगर मैं आपको अनुमति दूं तो अन्य सदस्यों को भी कैसे मना कर सकता हूं?

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : महोदय, अन्य राज्यों में यह उपकर है, इसे हटाया नहीं गया है। क्या सरकार इसे बचाने का प्रयास करेगी? पहला स्पष्टीकरण तो यह है। मैं दूसरा स्पष्टीकरण यह चाहता हूं कि क्या वे मूल्यानुसार रायल्टी देने पर विचार कर रहे हैं। मैं ये दो स्पष्टीकरण चाहता हूं; मैं कोई भाषण नहीं दे रहा।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया यह समझने का प्रयास कीजिए कि नियम न सिर्फ पीठासीन अधिकारियों के लिए हैं, बल्कि ये आपकी भी सहायता के लिए हैं। मान लीजिए अगर आप यह मामला उठाते हैं तो अन्य मामले नहीं लिए जा सकते। इसीलिए जहां तक संभव हो हमें नियमों का सख्ती से पालन करना है। यदि आप चाहें, तो नियम बदल सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन तब यह समाप्त न होने वाला मामला बन जाएगा।

(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय :** संगमा जी, ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार के मुख्य मंत्री ने कुछ घोषणा की है। इसीलिए मैंने पासवान जी को अनुमति दी है। अगर आप चाहते हैं तो केवल इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

**(व्यवधान)**

**श्री राम विलास पासवान :** मेरे स्पष्टीकरण का क्या हुआ ? **(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**श्री सूरज मंडल** (गौड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** जानकारी वगैरह नहीं, आप बैठ जाइए। बाद में दे दीजिएगा जानकारी।

**(व्यवधान)**

**(अनुवाद)**

**श्री पी० ए० संगमा :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस आश्वासन का उल्लेख अभी अभी किया है वह विगत सरकार द्वारा दिया गया था। **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** संगमा जी, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

**श्री पी० ए० संगमा :** मैंने इस मामले की वास्तविक स्थिति बताई है। हमें इसमें कुछ कठिनाई है, क्योंकि इस उपकर की दरें कुछ राज्यों में मिल हैं। कुछ उच्च न्यायालयों ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को मानते हुए कर अधिनियम को समाप्त कर दिया है। **(व्यवधान)**।

**[हिन्दी]**

**श्री राम विलास पासवान :** अध्यक्ष महोदय, इस पर पूरे हिन्दुस्तान में डिसकशन हुआ है। पूरे दिन डिसकस हुआ है। इस पर डिसकसशन हुआ है।

**[अनुवाद]**

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : आप कानून को बदल सकते हैं। एक साधारण संशोधन के द्वारा इसे बदला जा सकता है। **(व्यवधान)**

**श्री राम विलास पासवान :** मंत्री महोदय, इस बारे में कुछ नहीं जानते। **(व्यवधान)**

**श्री पी० ए० संगमा :** हम इसकी जांच कर रहे हैं। इस बारे में यथाशीघ्र निर्णय लिया जाएगा। **(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**श्री राम विलास पासवान :** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट-आफ-आर्डर है। मैं आप के माध्यम से.....

**अध्यक्ष महोदय** : आप प्वाइंट आफ आर्डर क्या है, कौन सा प्रोसीजर वायोलेट हो गया है?

**श्री राम विलास पासवान** : वायोलेट यह हुआ है कि आपने हमको क्लैरिफिकेशन क आदेश दिया था। .... **(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा। यह व्यवस्था संबंधी प्रश्न नहीं है। इस एक सीमा से अधिक मत ले जाइए। क्योंकि आपके मुख्यमंत्री इसमें शामिल थे इसलिए मैंने आपको बोलने की अनुमति दी।

**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**श्री राम विलास पासवान** : क्लैरिफिकेशन यह था कि सरकार ने गए फाइनेंशियल साल के अन्त में रायल्टी को बढ़ाने के निर्णय का आश्वासन दिया था या नहीं? ... ..**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : आपका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न क्या है?

**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**श्री राम विलास पासवान** : इसे आप प्वाइंट-आफ-इन्फार्मेशन में ले लीजिए। **(व्यवधान)** इस पर जवाब क्या हुआ? मैं हाउस की प्रोसीडिंग्स आपके सामने बताना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा नहीं।

**श्री राम विलास पासवान** : अध्यक्ष महोदय, देखिए.....

**अध्यक्ष महोदय** : आपका प्वाइंट-आफ-आर्डर क्या है? कौन से कान्स्टीचूशन की धारा वायोलेट हो गई?

**श्री राम विलास पासवान** : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट-आफ-आर्डर इतना ही है, उस समय श्री कल्याण सिंह कालवी जी ने प्रश्न के जवाब में कहा था कि इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर इसी सदन के अन्दर निर्णय ले कर इसको कार्यान्वित किया जाएगा। यह सही है या नहीं?

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्वाइंट-आफ-आर्डर नहीं है।

**श्री राम विलास पासवान** : फिर यह क्या है?

**अध्यक्ष महोदय :** यह प्वाइंट-आफ-डिसआर्डर है।

**श्री राम विलास पासवान :** मंत्री जी ने कहा है कि..... **(व्यवधान).....**

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय।** अब आप अपनी बात पूरी कह चुके हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आवश्यक हुआ तो इस पर चर्चा की जा सकती है। आप इससे आगे भी जा सकते हैं।

**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**श्री राम विलास पासवान :** अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार का सारा काम डम्प है, फैसे के अभाव में। पांच सौ करोड़ रुपया बकाया है.....**(व्यवधान).....**आप निर्णय देने की बात कह रहे हैं। यह ऐसे चलने वाला नहीं है। ....**(व्यवधान).....**

**अध्यक्ष महोदय :** आप बैठ जाइए। आपने यह ऐसे टाइम में उठाया, जिसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट बगैरह देना या नहीं देना रहता है। उसके ऊपर स्टेटमेंट करवाया.....

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** आप बैठ जाइए। ऐसे बार-बार नहीं करते हैं। इसके बावजूद मैंने यह कहा है कि जरूरी है, तो इस पर डिसकशन कराएंगे। इसके बाद भी यहां पर कह रहे हैं कि हम स्टेटमेंट पर क्वैश्चन करेंगे और उसका उत्तर चाहिए। ऐसा कैसे चलेगा।

**(व्यवधान)**

**श्री श्रीकान्त जेना** (कटक) : हम इस पर आज ही चर्चा करना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**श्री राम विलास पासवान :** सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इसके ऊपर सहानुभूतीपूर्वक विचार किया। हम लोगों की जो मंशा है वह यह है कि हम चाहते थे सरकार इसको गंभीरता से ले, लेकिन सरकार ने इसको गंभीरता से लेने के बजाए उपेक्षापूर्ण ढंग से लिया, यह शर्म की बात है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** जब मैं आपसे सहयोग कर रहा हूं तब आप भी मुझसे सहयोग कीजिए।

[हिन्दी]

**श्री राम विलास पासवान :** अध्यक्ष जी, एक तरफ बोलते हैं कि सरकार पैसा जरूर देगी। रायल्टी बढ़ाने की बात तो दूर रही, जो बकाया पैसा है उसको भी नहीं दे रहे हैं। जो प्रीवियस गवर्नमेंट का डिसीज़न था उससे ये पीछे हट रहे हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** आपने अपनी बात कर ली है।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे श्री पासवान का व्यवहार पसंद नहीं है।

**(व्यवधान)**

**श्री चन्द्रजीत यादव** (आजमगढ़) : महोदय, यदि सरकार इस सदन में दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं कर पाती है तब सदस्यों के लिए क्या विकल्प रह जाता है? **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया पीठासीन अधिकारी के साथ इस प्रकार की चर्चा न करें। पीठासीन अधिकारी आपकी सुविधा के लिए कार्य कर रहा है। आप उससे और क्या अपेक्षा करते हैं। मैंने कहा है कि यदि यह आवश्यक है, आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। जब मैंने यह कह दिया तब इस प्रकार चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। यदि उन्होंने उत्तर नहीं दिया तब मैं क्या कर सकता हूँ।

**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**श्री चन्द्रजीत यादव :** अध्यक्ष जी, सवाल उठाया गया था कि बिहार के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि हम 29 तारीख से आमरण अनशन करेंगे, इसकी गंभीरता को देखते हुए आपने एलाऊ किया था। अब सरकार का इस सवाल के ऊपर जो आश्वासन है उसको भी वह तोड़ रही है। इसके लिए वह एक बार भी यह कहने को तैयार नहीं है कि बिहार के मुख्य मंत्री को बुला कर हम बात करेंगे। वहां सारे रिसोरसेज बन्द हो गए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी वहां कोई देखने वाला नहीं है।

**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

**श्री पी० ए० संगमा :** महोदय, आश्वासन भूतपूर्व सरकार द्वारा दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि यह 31 मार्च, 1991 से पहले कर दिया जाएगा। यह पिछली सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था न कि हमारी सरकार द्वारा। हमारी सरकार जून के अंत में सत्ता में आई थी। अत: हम उसे कैसे पूरा कर सकते हैं जब वह तारीख जा चुकी है? **(व्यवधान)**

**श्री चन्द्रजीत यादव :** महोदय, क्या यह सरकार इस देश की जनता की है अथवा नहीं? हम यहां इस सरकार अथवा उस सरकार के बारे में चर्चा करने के लिए नहीं है। **(व्यवधान)** यदि पिछली सरकार किसी दूसरे देश के साथ कोई समझौता करती है। तब अगली सरकार यह नहीं कह सकती है कि यह समझौता पिछली सरकार ने किया था इसलिए हम इसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं। **(व्यवधान)**

**श्री सोमनाथ चटर्जी**: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जहां तक भारत सरकार द्वारा संविधान में विनिर्दिष्ट कर्त्तव्य और कार्य निभाने की बात है हमारे संविधान में दलीय सरकारों की बात नहीं कही गई है। इसलिए कोई मंत्री यह कहकर अपने दायित्व से मुंह नहीं जोड़ सकता कि उस दल की सरकार ने वह निर्णय लिया था। अतः यह सरकार दूसरे दल को सरकार के निर्णयों से बंध नहीं सकती है। यह संविधान के प्रावधानों की अनुचित व्याख्या करने का प्रश्न है। क्या अपने दायित्व से मुंह मोड़ा जा सकता है क्योंकि दूसरे दल की सरकार ने सत्ता संभाल ली है। कांग्रेस दल की सरकार को कम से कम श्री चन्द्रशेखर की अध्यक्षता में इसकी बेनामी सरकार के निर्णय का पालन करने की राजनीतिक नैतिकता होनी चाहिए। उस सरकार को किसने बनाया? उन्होंने राष्ट्रपति जी को उस सरकार को बिना शर्त सहायता देने का आश्वासन दिया था। अतः वे उस निर्णय से बंधे हुए हैं। क्या वे इससे इन्कार कर सकते हैं? यह संविधान का गलत उपयोग करने का प्रश्न है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**श्री रवि राय**: (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सीरी चीज़ सुन रहा था। मंत्री जी 2–3 बार सदन में कह चुके हैं कि यह पुरानी सरकार का वचन था। यह ठीक है कि यह पुरानी सरकार का वचन था। वह कौन सी सरकार थी और मौजूदा कांग्रेस दल के समर्थन से बनी थी, यह दूसरी बात है, इसको मैं नहीं उठा रहा हूं। मैं नहीं जानता कि यह व्यवस्था के सवाल के अन्तर्गत आता है या नहीं, लेकिन मैं प्रोपरायटी का सवाल उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, जब सदन यह जानता है और सारे सदन की मान्यता है कि सरकार एक कंटीनुअस प्रासेस है, सरकार कंटीनुअस चलती है और किसी सरकार का एक वचन है, राज्य सरकार के बारे में और राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति के बारे में सरकार का वचन है तो क्या यह नहीं होना चाहिए कि जो सरकार बाद में आती है, वह उस वचन को निभाए। मैं यह नहीं चाहता हूं कि इस बारे में आपको किसी दिक्कत में डालूं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार मंत्री जी खड़े हो कर कहते हैं कि यह पुरानी सरकार का वचन है, तो क्या पुरानी सरकार के वचन को इस सरकार को नहीं निभाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मान लीजिए कोई सरकार वचन देती है और वह भी किसी राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में है, आज बिहार सरकार अपना दैनिक खर्च नहीं चला पा रही है और वहां के मुख्य मंत्री कहते हैं कि वे अमुक दिन आमरण अनशन करेंगे, आपने अच्छा किया कि बार-बार इस पर बहस करने का मौका दिया, मैं इस प्रापरायटी के सवाल के तहत जानना चाहता हूं कि पुरानी सरकार के वचन को क्या इस सरकार को नहीं निभाना चाहिए? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : मैं विषय के गुण-दोष में नहीं जाना चाहता। मुझे विश्वास है कि मेरे सहयोगी इसका उत्तर देंगे। मैं केवल एक मुद्दा उठाना चाहता हूं।

मेरे विचार से मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य को ठीक से समझा नहीं गया है। श्री रबि राय का आदर करते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर बल नहीं दिया गया कि आश्वासन पिछली सरकार ने दिया था। कोई भी यह नहीं कह रहा है कि भारत में पिछली सरकार के निर्णयों का दायित्व वर्तमान सरकार पर नहीं है। यदि कोई निर्णय लिया गया है उसका पालन किया जाएगा, यदि कोई आश्वासन दिया गया है तब उसको क्रियान्वित किया जाएगा। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे एक विशिष्ट सदस्य और वकील केवल हमारा दोष बताने प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह कहा था कि एक निर्णय जो फरवरी में लिया गया था कि 31 मार्च, 1991 तक यह कार्य कर दिया जाएगा, उसे वह सरकार कैसे क्रियान्वित कर सकती हैं जो सत्ता में 21 जून, 1991 को आई?

माननीय सदस्यों को यह मुद्दा समझने दीजिए। मेरे सहयोगी ने कहा कि हम सत्ता में आए। हम मामले की जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही कोई निर्णय लेंगे। यह किसी भी निर्णय अथवा आश्वासन की अस्वीकार करना नहीं है।

मेरा कहना है कि सरकार 21 जून को सत्ता में आई। इसे निर्णय लेने में समय लगेगा और निश्चित रूप से यह 31 मार्च, 1991 से पहले नहीं लिया जा सकता है। मेरे विचार से वह यही कह रहे हैं। मुझे इसमें कोई विवाद प्रतीत नहीं होता है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : एक अच्छे मंत्री को गलत बात मत सिखाओ।

**श्री पी० चिदम्बरम्** : आप गलत तर्कों से सही बात को गलत मत कहिए।

**श्री पी० ए० संगमा** : मैंने यह कभी नहीं कहा कि पिछली सरकार के आश्वासन पूरे नहीं किए जाएंगे। केवल प्रश्न यह है कि पिछली सरकार ने जो यह कहा था कि यह कार्य 31 मार्च तक पूरा कर दिया जाएगा उसे कैसे पूरा किया जाएगा? मैं उस आश्वासन को कैसे क्रियान्वित कर सकता हूं जब मैं उस समय था ही नहीं? मैं उसके बाद मंत्री बना।

जैसे ही हम सत्ता में आए, हमने इस ओर ध्यान दिया। बिहार के मुख्य मंत्री ने हमसे बातचीत की। हम राज्य सरकार के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। मैंने सभा को आश्वासन दिया है कि इस बारे में शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : अध्यक्ष महोदय, फिर से मैं अपनी कठिनाई आपको बता रहा हूं। श्री संगमा के वक्तव्य के बाद मैं खड़ा हुआ था। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन आपने कहा कि इस पर चर्चा हो सकती है।

**अध्यक्ष महोदय :** अब यहां प्वाइंट आफ आर्डर पर चर्चा हो रही है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** अध्यक्ष महोदय, श्री रामविलास पासवान पुराने सदस्य हैं, उनको अधिकार है कि वे अपनी बात जरा जोर से कहें और उन्होंने अपनी बात कह दी।

**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न केवल बिहार का नहीं है, बिहार का भी है, मगर बिहार के साथ साथ और प्रदेशों का भी है। मैं मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ हूं, भले ही विदिशा की सीट मैंने छोड़ दी है। यह मध्य प्रदेश की भी समस्या है। मैं पुराने विवाद में नहीं जाता। श्री चिदम्बरम का कहना ठीक है कि सरकार 31 मार्च के बाद आयी है, 31 मार्च के आश्वासन का पालन नहीं कर सकती। मगर सरकार यह तो बता सकती है कि अब निर्णय लेने में उसे कितना समय लगेगा। शार्टली का कोई मतलब नहीं है। **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, जितने प्रदेश हैं, वे बड़े आर्थिक संकट में हैं। मुझे कल मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री का फोन आया था कि रॉयल्टी के बारे में मामला उठाओ और रॉयल्टी का फैसला जल्दी करवाईये। जब कोई मुख्य मंत्री भूख-हड़ताल की धमकी दे, एक नया संकट पैदा हो जाए, एक मुख्य मंत्री के बाद दूसरा मुख्य मंत्री आ जाए, तो यह स्थिति कहां तक जाएगी? मेरा निवेदन है कि इसमें जलदी कीजिए और किसी तिथि के बारे में सदन को विश्वास में लीजिए।

**[अनुवाद]**

**श्री पी० चिदम्बरम् :** उन्होंने कहा "अति शीघ्र"।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** यह अति शीघ्र कितना शीघ्र होगा?

**अध्यक्ष महोदय :** मेरे विचार से श्री संगमाजी 'शीघ्र' का अर्थ अच्छी तरह समझते हैं।

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :** यह श्री संगमा से छोटा नहीं है।

**श्री पी० ए० संगमा :** यह अंतर कर पाना अत्यंत कठिन है कि क्या छोटा है और क्या बड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा कद छोटा हैं और कुछ कहते हैं मेरा कद लम्बा है। मैं आश्वासन देता हूं कि यह शीघ्र ही हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं।

**श्री राम विलास पासवान :** मंत्री महोदय को कोई निश्चित तारीख बतानी चाहिए।

**[हिन्दी]**

**अध्यक्ष महोदय :** आचार्य जी, आप बैठ जाएं। प्लीज बैठ जाईये।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** मैं रूलिंग नहीं दे रहा हूं। आपने जो धारणा यहां व्यक्त की है उसमें बहुत साम्यता नजर आती है, समानता नजर आती है, एक जैसी भावना नजर आती है। लेकिन इस पर बोलने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट कंटीन्यूइंग है, उनको भी मान्य है, सिर्फ तिथि का सवाल है। सवाल यहां पर इतना ही रहा है, बिहार के सम्मानीय सदस्य जो हैं उनकी चिन्ता यह है कि वहां यदि कोई तकलीफ हो रही है तो उसे हल करना चाहिए और दूसरे प्रान्तों के सम्मानीय सदस्यों की भी चिन्ता है कि वहां के प्रश्न किसी प्रकार से हल करने चाहिएं।

मंत्री महोदय ने कहा है कि कम से कम वक्त में करेंगे। जितनी जल्दी हो सके, जितने कम से कम वक्त में हो सके, ऐसी स्टेटमेंट दी है। मैं नहीं समझता कि वह तिथि दे सकते हैं। तिथि नहीं दे सकते हैं। तिथि दे दें और हल न हो तो ठीक नहीं होगा। आपकी भावना जो है, मुझे लगता है, वह ध्यान में रखेंगे। "शार्टली" का मतलब सही "शार्टली" होना चाहिए।

**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

**श्री श्रीकांत जेना :** यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। आपको यह समस्या समझने का प्रयास करना चाहिए। यह मामला अनेक बार सभा में उठाया गया। भारत सरकार जानबूझकर इसकी उपेक्षा कर रही है।

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे श्री अडवाणी जी से एक पत्र मिला है....

**(व्यवधान)**

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :** यह गलत तरीका है कि राज्य का मुख्य मंत्री केन्द्र पर दबाव डालने के लिए भूख-हड़ताल करे। हमें ऐसी स्थिति पैदा होने से रोकनी चाहिए। हम सभा से केवल यह चाहते हैं कि माननीय मंत्री एक निश्चित तारीख दें। यह 29 ता० न हो बल्कि 31 जुलाई हो। हम मुख्य मंत्री को मना सकते हैं कि वह केन्द्र के विरुद्ध भूख-हड़ताल पर न जाएं। हम श्री संगमा से यही चाहते हैं और वह इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

**श्री राम विलास पासवान :** भारत सरकार जानबूझकर बिहार की उपेक्षा कर रही है। भारत सरकार इसे राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रही है **(व्यवधान)**

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :** राज्य को केन्द्र से टकराव नहीं पैदा करना चाहिए।

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**श्री चन्द्र जीत यादव :** अध्यक्ष महोदय, जो वाजपेयी जी ने कहा है कि मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित करने की बात तो कहें। ये ठीक कह रहे हैं। जब मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित कर रहे हैं, इतना तो कह सकते हैं कि इस तिथि को कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

**श्री राम विलास पासवान :** सरकार को समय आज बताना पड़ेगा। बिहार के मुख्य मंत्री को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। **(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**श्री श्रीकान्त जेना :** महोदय, इस मामले में दो विषय शामिल हैं। कर संशोधन विधेयक का क्या हुआ? क्या वह इस सत्र में विधेयक लाना चाहते हैं अथवा नहीं? **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** सभा आज 2.30 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है।

**1.30 म० प०**

**तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।**

---

**2.34 म० प०**

**मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.34 म० प० पर पुनः समवेत हुई**

**(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)**

**[हिन्दी]**

**श्री राम विलास पासवान** (रोसेड़ा) : सभापति महोदय, हम लोगों ने रायल्टी का मामला उठाया था। माननीय मंत्री, संगमा जी यहां बैठे हुए हैं, इनसे हमने मांग की थी कि वह समय फिक्स करें, क्योंकि बिहार के मुख्य मंत्री अनशन पर जा रहे हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है इसलिए हम मंत्री जी से मांग करेंगे कि वे रायल्टी बढ़ायें और इस सम्बन्ध में बिहार के तथा अन्य सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों से बात करें और इसके लिए तारीख तय करें तथा हमें बताएं कि आप रायल्टी कब बढ़ाने जा रहे हैं।

**[अनुवाद]**

**श्री श्रीकान्त जेना** (कटक) : सभापति महोदय, इसमें दो मुद्दे हैं; पहला रायल्टी की घोषणा का है और दूसरा उपकर संशोधन विधेयक के बारे में है। "शीघ्र" ही का कोई मतलब नहीं है। मंत्री महोदय को इस विषय में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हम उनकी बात सुन रहें हैं। रायल्टी बढ़ाने का मामला पिछले 10 वर्षों से भारत सरकार के पास लम्बित है। इसमें पहले ही देरी हो चुकी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने भूख-हड़ताल पर चले जाने का नोटिस दे दिया है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं लेकिन फिर भी मामला भारत सरकार के पास लम्बित है। उपकर संशोधन विधेयक और रायल्टी बढ़ाने के संबंध में भारत सरकार कब तक निर्णय लेगी इस संबंध में मंत्री महोदय को स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। हम यह जानना चाहेंगे कि क्या यह विधेयक संसद के इसी सत्र में लाया जा रहा है या नहीं। मंत्री महोदय को इस विषय में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए।

**[हिन्दी]**

**श्री राम विलास पासवान :** 500 करोड़ रु० बकाया है, वह कब देने जा रहे हैं?

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : (झंझारपुर) : सभापति महोदय, 1981 से अभी तक जो रायल्टी की वृद्धि हुई है, उसके बाद 6 वर्षों तक कोई वृद्धि नहीं हुई है। बिहार वित्तीय संकट से गुजर रहा है। बिहार में कोयला ही एकमात्र इनकम का स्रोत है। महाराष्ट्र, असम जैसे राज्यों में जहां पेट्रोलियम पदार्थ तैदा होता है, वहां तो ईन्क्रीज कर दिया जाता है लेकिन जहां कोयला होता है, वहां रायल्टी में वृद्धि नहीं की जाती है। यह प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है और लम्बित है और सरकार अभी तक एक समय सुनिश्चित नहीं कर रही है। अध्यक्ष महोदय, यह लोक महत्व का विषय है, इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि सरकार 2–3 दिन के अन्दर एक समय सुनिश्चित कर दे।

[अनुवाद]

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा)** : महोदय, एक सप्ताह के भीतर मैंने सभी कोयला उत्पादक राज्यों के मुख्यमंत्रियों जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं की बैठक बुलाने का निश्चय किया है।

[हिन्दी]

**श्री राम विलास पासवान** : ठीक है, इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को बुलाने का फैसला किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि रायल्टी बढ़ाने का मामला सरकार के विचाराधीन है अभी की सरकार ने यह कहा है। पहले की सरकार ने कहा था कि हम 31 मार्च तक करेंगे, मंत्री जी ने कहा कि 31 मार्च बीत गया, हम मंत्री नहीं थे, हम अभी मंत्री बने हैं। आज सबेरे श्री वी० पी० सिंह जी की प्राईम मिनिस्टर से बात हुई थी। मैं सदन की और मंत्री जी की जानकारी के लिए यह कहना चाहता हूं कि प्राईम मिनिस्टर ने कहा है कि गंभीर मामला है। यहां बिहार से एक मंत्री बैठे हुए हैं जो वहां की स्थिति से अवगत हैं। उड़ीसा, मध्यप्रदेश और पश्चिमी बंगाल की स्थिति भी उसी तरह की है। आज मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ बिहार बाढ़ से जूझ रहा है। भारत सरकार के पास पैसा ऑलरेडी रखा हुआ है और हालत यह है कि वहां के जो एम्प्लाईज हैं, उनको देने के लिए बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है लेकिन जो पैसा अभी सरकार के पास रखा हुआ है, वह कम से कम दे और अभी तक जो एग्रीमेंट है, उसके मुताबिक कम से कम 500 करोड़ रुपया इसका पिछला ड्यू है, वह देने की सरकार घोषणा करे और एक डेट सुनिश्चित कर दे कि किस तिथि तक देना है। यह 31 अगस्त कर दे या 30 जुलाई कर दे लेकिन कोई डेट सरकार फिक्स कर दे कि हम रायल्टी बढ़ाएंगी और उसका लाभ बिहार सरकार और सम्बन्धित सरकारों को मिलेगा।

[अनुवाद]

**श्री० पी० ए० संगमा** : माननीय सदस्य ने निवेदन किया था कि मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई जानी चाहिए। जैसा कि मैं कह चुका हूं मैंने एक सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्रियों

की बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। मैं बैठक को एक सप्ताह से पूर्व इसलिए नहीं बुला सकता क्योंकि सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्रियों को बैठक बुलाये जाने के संदेश भेजे जाते हैं। मैंने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने का निर्णय किया है और इस मुद्दे से संबंधित सभी मामलों पर मुख्यमंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।

[हिन्दी]

**श्री राम विलास पासवान :** सर यह जो मामला सदन के सामने आया है, यहां बिहार से मंत्री श्री ठाकुर जी बैठे हुए है, आप कुछ मदद कीजिए।

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) :** जो आर्थिक मदद है उनको मिलनी चाहिए और दूसरे जो प्रांत है उनका जो वाजिब है, वह सबको मिलना चाहिए और जगह से भी मिलना चाहिए।

**श्री राम विलास पासवान :** एक मंत्री कहते हैं कि तुरन्त मिलना चाहिए और उचित मिलना चाहिए तो वही बात में भी कह रहा हूं। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि.....
[व्यवधान]

[अनुवाद]

**सभापति महोदय :** मैं समझता हूं कि अब आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** (कटवा) : महोदय, यह गंभीर मसला है। बिहार के मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि इस महीने की 29 तारीख से वह भूखहड़ताल करेंगे। इस सदन से कुछ इस तरह का संदेश मिलना चाहिए और यह मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिए कि इस दिशा में जल्द ही सही कदम उठाया जाएगा और उन्हें उपवास नहीं करना चाहिए। उनके यह कहने में गलत क्या है?

**श्री पी० ए० संगमा :** किसी के उपवास करने को मैं पसंद नहीं करता हूं।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी :** आप उन्हें उपवास पर न जाने का निवेदन तो कर सकते हैं।

**श्री पी० ए० संगमा :** मैं यह कह चुका हूं कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री सहित मुख्यमंत्रियों की एक बैठक सप्ताह भर के भीतर बुला रहा हूं। मैं बिहार के मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि वह उपवास पर न जायें।

**सभापति महोदय :** मैं समझता हूं कि अब आप संतुष्ट हो गए होंगे।

अब श्री के विजय भास्कर रेड्डी लाभ की पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

2.41 म० प०

# लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

## समिति के गठन के बारे में प्रस्ताव

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी)** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लाभ के पदों संबंधी समिति के नाम से सभाओं की संयुक्त समिति गठित की जाए जिसमें पन्द्रह सदस्य होंगे, जिनमें से दस इस सभा से और पांच राज्य सभा से होंगे जिनका निर्वाचन प्रत्येक सभा के सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा :

कि संयुक्त समिति के ये कृत्य होंगे—

(एक) सभी विद्यमान "समितियों" [उनसे भिन्न जिनकी परीक्षा उस संयुक्त समिति द्वारा की गई थी जिसको संसद (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 1957 भेजा गया था] तथा इसके पश्चात् गठित सभी "समितियों", जिनकी सदस्यता किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन संसद की किसी सभा का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित कर सकती है, के गठन और स्वरूप की परीक्षा करना ;

(दो) इसने जिन "समितियों" की परीक्षा की है उन के संबंध में यह सिफारिश करना कि कौन से पद निरर्हित होने चाहिए और कौन से पद निरर्हित नहीं होने चाहिएं ;

(तीन) संसद (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची की समय-समय पर संवीक्षा करना और उक्त अनुसूची में संशोधनों की, चाहे वे परिवर्धन द्वारा, लोक द्वारा या अन्यथा हों, सिफारिश करना ;

कि संयुक्त समिति उपरोक्त सभी या किसी एक विषय के बारे में संसद की दोनों सभाओं को समय-समय पर रिपोर्ट देगी ;

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक सभा की अवधि तक पद धारण करेंगे ;

कि संयुक्त समिति की बैठक करने के लिए गणपूर्ति समिति के कुल सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि अन्य मामलों में इस सभा के संसदीय समितियों से संबंधित प्रक्रिया नियम ऐसे रूपभेदों और उपान्तरणों के साथ, जैसे अध्यक्ष करें, लागू होंगे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"कि लाभ के पदों संबंधी समिति के नाम से सभाओं की संयुक्त समिति गठित की जाए जिसमें पन्द्रह सदस्य होंगे, जिनमें से दस इस सभा से और पांच राज्य सभा से होंगे जिनका निर्वाचन प्रत्येक सभा के सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा :

कि संयुक्त समिति के ये कृत्य होंगे—

(एक) सभी विद्यमान "समितियों" [उनसे भिन्न जिनकी परीक्षा उस संयुक्त समिति द्वारा की गई थी जिसको संसद (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 1957 भेजा किया था] तथा इसके पश्चात् गठित सभी "समितियों", जिनकी सदस्यता किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन संसद की किसी सभा का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित कर सकती है, के गठन और स्वरूप की परीक्षा करना ;

(दो) इसने जिन "समितियों" की परीक्षा की है उन के संबंध में यह सिफारिश करना कि कौन से पद निरर्हित होने चाहिए और कौन से पद निरर्हित नहीं होने चाहिएं ;

(तीन) संसद (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची की समय-समय पर संवीक्षा करना और उक्त अनुसूची में संशोधनों की, चाहे वे परिवर्धन द्वारा, लोक द्वारा या अन्यथा हों, सिफारिश करना ;

कि संयुक्त समिति उपरोक्त सभी या किसी एक विषय के बारे में संसद की दोनों सभाओं को समय-समय पर रिपोर्ट देगी;

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक सभा की अवधि तक पद धारण करेंगे ;

कि संयुक्त समिति की बैठक करने के लिए गणपूर्ति समिति के कुल सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि अन्य मामलों में इस सभा के संसदीय समितियों से संबंधित प्रक्रिया नियम ऐसे रूपभेदों और उपान्तरणों के साथ, जैसे अध्यक्ष करें, लागू होंगे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

---

2.44 म० प०

# नियम 377 के अधीन मामले

**गंग नहर की सम्पर्क नहर के उस भाग का जो हरियाणा के अधिकार क्षेत्र में आता है, निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकार को निदेश दिये जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

**श्री बीरबल** (श्रीगंगानगर) : राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले की गंग कैनाल बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा करीब 60 वर्ष से चल रही है।

2750 क्यूसेक पानी की क्षमता वाली वह कैनाल पंजाब क्षेत्र में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसलिए अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं ले पाती है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने इस पानी को पूरा करने के लिए इसके हिस्से का पानी इन्दिरा गांधी कैनाल में डालकर मोहगढ़ के पास आर.डी.नं० 500 पर एक लिंग चैनल निकाला जो कि गंग कैनाल के प्रथम हेड साधुवाली से जोड़ा जाएगा। राजस्थान सरकार ने तो अपने हिस्से का काम करीब-करीब पूर्ण करवा दिया है मगर इस लिंक का कुछ हिस्सा हरियाणा की जमीन में आता हैं। इस हिस्से के निर्माण के लिए धनराशि राजस्थान सरकार ने आज से दो वर्ष पूर्व जमा करवा दी थी, परन्तु हरियाणा द्वारा कार्य अभी तक चालू नहीं किया गया है।

अतः मैं भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हरियाणा/सरकार को अविलंब आदेश दिया जाए कि वे निर्माण कार्य शीघ्र प्राप्त पूरा करें, ताकि गंग/कैनाल के काश्तकार सिंचाई के पानी से वंचित न रहें और इस गंग नहर को दोबारा मरम्मत की जा सके।

**(दो) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर और अधिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान किये जाने की आवश्यकता**

[अनुवाद]

**श्री ए० चार्ल्स** (त्रिवेन्द्रम) : त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने पर केरल के लोग बहुत ही अधिक खुश और आभारी हैं। फिर भी सरकार द्वारा अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए आवश्यक सुविधायें प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम नहीं उठाये हैं। अक्सर केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है और वहां पर्यटन का अत्यधिक विकास किया जा सकता है। जापान, सिंगापुर, मलेशिया और खाड़ी देशों से भी अत्यधिक संख्या में पर्यटक केरल की ओर आकर्षित हो सकते हैं और इससे अति आवश्यक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। अनेक विदेशी विमान कम्पनियां भी वहां अपनी सेवायें शुरू करने के लिए तत्पर हैं। हाल ही में 'गल्फ एअर' ने अपनी सेवा शुरु की है जो कि निःसंदेह इस हवाई अड्डे से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत है। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए आवश्यक समस्त मूल भूत सुविधायें इस हवाई अड्डे में उपलब्ध करायी जाए और विदेशी विमान सेवायें कम्पनियां जो वहां अपनी सेवायें शुरू करने की इच्छुक हैं, उन्हें अनुमति प्रदान की जाए।

**(तीन) आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के तटीय क्षेत्रों में वनों की कटाई रोके जाने की आवश्यकता**

**डा० विश्वनाथम केनिथी** (श्रीकाकुलम) : आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में करीब 200 कि० मी० तक लम्ब समुद्र तट है जो हिन्द महासागर में बंगाल की खाड़ी की तरफ है। यह अक्सर समुद्री तुफानों और लहरों से प्रभावित रहता है और जिसके परिणामस्वरूप यहां तबली और बर-बादी होती है। विभिन्न लघु कालिक उपायों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता से इसकी रोक थाम के लिए भी कुछ उपाय किये गये थे। इस प्रकार का एक उपाय तट के साथ उगायी गई हरित पट्टी का विकास है। बहुत ही कठिनाई और अत्यधिक व्यय कर के वन विभाग ने 1982 में समस्त समुद्र तट पर हजारों एकड़ में 'कसुअरिना रोप्स' लगाया था। अब ये पेड़ बड़े हो चुके हैं लेकिन गैरकानूनी तत्वों ने नक्सलवादियों के वेश में इन पेड़ों को बेरोल-टोल काटना शुरु कर दिया है। यह तटीय क्षेत्र के रहने वाले निर्धन, निर्देश और भोले भाले लोगों जिनमें अधिकांश मछुआरे हैं, कि रक्षा करने की परियोजना है। इसलिए मैं यह सुझाव देता हूँ कि तटीय क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण लोगों की और उनके सम्पत्ति की रक्षा के लिए उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

**(चार) नेपाल की सीमा से लगी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में अराजक तत्वों की बढ़ती हुई अतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

**श्री राम नगीना मिश्र** : (पडरौना) : सभापति जी, मैं आपकी, अनुमति से नियम 377 के अंतर्गत अति महत्व के एक विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। मैं केन्द्रीय गृह मंत्री का ध्यान उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के उत्तरांचल की तरफ आकर्षित कर रहा हूं। इस जनपद का उत्तरी हिस्सा नेपाल और बिहार राज्य की सीमा से जुड़ा हुआ है। देवरिया, नेपाल और बिहार की सरहद पर बूड़ी गन्डक हर साल अपनी बाद से दोनों इलाकों को आपार क्षति पहुंचाती है। नदी के किनारे काफी भू-भाग खाली पड़ा हुआ है। इसी भूभाग में जंगल पार्टी के अराजक तत्व अपना साम्राज्य कायम किए हुए हैं। आये दिन देवरिया जनपद के बोडर पर स्थित लोगों का अपहरण करते हैं और फिरौती के रूप में लाखों रुपये वसूल करते हैं। जंगल पार्टी के आतंक से देवरिया जनपद का उत्तरी हिस्सा तथा बिहार का काफी भूभाग बहुत आतंकित रहता है। यह दो प्रदेशों, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा नेपाल से संबं-धित है। इसलिये अराजक तत्वों का दमन नहीं हो पाता है।

ऐसी दशा में, मैं केन्द्रीय गृह मंत्री से विशेष आग्रह करता हूं कि वहां के जन-जीवन को सामान्य बनाने के लिये और जंगल पार्टी के आतंक से बजाने के लिए विशेष पुलिस व्यवस्था कायम की जाये। यह इलाका लगभग 150 कि० मी० से अधिक लम्बा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वहां का जन-जीवन अस्त-व्यस्त रहेगा तथा वहां के नागरिकों की सुरक्षा नहीं हो पायेगी।

**(पांच) पूर्णिया, बिहार में एक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

[अनुवाद]

**श्री शयद शाहबुद्दीन** (किशनगंज) : सभापति बहोदय, उत्तर पूर्व बिहार में सात जिले हैं— किशनगंज, अररिया, पुर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा और सपौल। इनकी जनसंख्या की 1 करोड़ है लेकिन कुछ स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में कुछेक स्नातकोत्तर विभागों को छोड़

[श्री शयद शाहबुद्दीन]

कर उच्च शिक्षा की कोई संस्था वहां नहीं है। इस क्षेत्र में कोई भी चिकित्सा, अभियंत्रण, कृषि अथवा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नहीं है। वर्तमान में यहां सिर्फ दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय है जो कि पुर्णिया से करीब 300 कि० मी० दूर है और यह सीधे रूप से रेल अथवा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। यह क्षेत्र शैक्षिक और औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है क्योंकि यह निर्धन क्षेत्र है और घर बठे ही शिक्षा प्राप्त करने का खर्च नहीं उठा सकता है ।

सम्पूर्ण देश में अथवा बिहार राज्य में एक विश्वविद्यालय में छात्रों की औसत संख्या पर यदि विचार करें तो इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का वैध हक बनता है जिसमें कि कला, विज्ञान, वाणिज्य, साहित्य, समाज विज्ञान, अभियंत्रण, चिकित्सा, कृषि और शिक्षा के संकाय हों।

इस दावे की वैधता को विगत काल में बिहार की उत्तरोतर सरकारों ने स्वीकार किया है लेकिन धनराशि की कमी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लगाया गया प्रतिबंध और स्थान निर्धारण पर विवाद के कारण इसके कार्यान्वयन की प्रगति रुक गयी है ।

शिक्षा की समानता का अवसर एक पवित्र अधिकार और विकास के लिए आवश्यक है। मैं अनुरोध करता हूँ कि केन्द्र सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पूर्णिया में जो कि बहुत ही उचित स्थान है । विश्वविद्यालय की स्थापना करने में राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग दे जिससे कि इस क्षेत्र के युवा शक्षिक रूप से विकास कर सके और शष्ट्रनिर्माण में सहयोग दे सकें।

**(छ:) उड़ीसा और मध्यप्रदेश के लिए हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के विपणन प्रभाग के माध्यम से उर्वरकों का पर्याप्त कोटा आवंटित किये जाने की आवश्यकता**

**श्री शिवाजी पटनायक** (भुवनेश्वर) सभापति महोदय, हिन्दुस्तान उवरक निगम ने उड़ीसा क्षेत्र में अपने विपणन व्यवस्था को बन्द करने का फसला किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश क्षेत्र के विपणन व्यवस्था को बन्द कर दिया गया है। प्रबन्ध का कहना है कि इन राज्यों में बिक्री हेतु उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध नहीं है ।

ये क्षेत्रिय विपणन कार्यालय 1968-69 से ही चल रहे हैं। एक उर्वरक विकास और कृषि शीध विभाग है जो किसानो को अधिकतम उत्पादन हेतु करगार मांग उत्पन्न करते हुए उर्वरकों के संतुलित और वज्ञानिक उपयोग की शिक्षा दे रहा है ।

हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करीब 30 लाख टन उर्वरकों का आयात हमारे देश द्वारा किया जाता है । आयात किये गये इन उर्वरकों में से कुछ हिन्दुस्तान उर्वरक निगम का विपणन विभाग बिक्री कर रहा था।

एक के बाद एक क्षेत्रीय कार्यालयों के बन्द हो जाने से इन राज्यों के किसानों भी की जाने वाली उर्वरकों की आपूर्ति बहुत ही अधिक प्रभावित होगी और विपणन विभाग के करीब 200 कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे ।

समय की मांग है कि हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के विपणन विभाग द्वारा आयात किये गये उर्वरकों से तथा सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों में अन्य स्रोतों से इन क्षेत्रों में उर्वरकों का पर्याप्त कोटा उपलब्ध कराया जाये ।

## (सात) उत्तर प्रदेश में झांसी के किले और रानी झांसी के महल के संरक्षण और सौन्दर्यकरण के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** (झांसी) : सभापति महोदय मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित विषय नियम 377 के अधीन प्रस्तुत कर रहा हूं :—

"पुरातत्व विभाग के माननीय मंत्री जी से मुझे अनुरोध करना है कि झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई के ऐतिहासिक किले और शहर के मध्य में स्थित इनके महल की स्थिति आज बुरी तरह खराब है । इस राष्ट्रीय महत्व के किले के सुन्दरीकरण और इसे एक भव्य पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से पुरातत्व विभाग ने इसके आसपास की कई एकड़ भूमि भी अधिग्रहीत की थी ।

आज स्थिति यह है कि किले की दीवारें गिर रही हैं, टूट-फूट हो रही है और पर्यटन स्थल के नाम पर अधिग्रहीत की गयी भूमि पर लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है । रानी झांसी के महल की भी स्थिति अच्छी नहीं है ।

केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की दीपशिखा महारानी लक्ष्मीबाई की स्मृतियों को अपने में समेटे, इस किले के सुन्दरीकरण की दिशा में शीघ्र और ठोस कारवाई करे और इसकी भूमि पर अवैध कब्जों को तुरन्त हटाये ।

रानी के महल में सुरक्षित पुरातात्विक महत्व की चीजें प्रस्तावित संग्रहालय के निर्माण के बाद संग्रहालय में स्थानांतरित हो जाएंगी तब रानी के महल का केन्द्रीय पुरातत्व विभाग किस रूप में विकास करेगा, यह बात भी सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए ताकि जनता में व्याप्त भ्रांतियां दूर हो सकें ।

जनता में महारानी लक्ष्मीबाई के इन स्मृति चिह्नों के प्रति उपेक्षा को लेकर भारी आक्रोश विद्यमान है । इस आक्रोश को समाप्त करने की दिशा में शीघ्र ही कुछ सार्थक कदम उठाए जाने चाहिए ।"

(अनुवाद)

**सभापति महोदय :** अगला मुद्दा बजट (सामान्य) और लेखानुदानों की माँग (सामान्य) पर आम चर्चा है । इन दोनों पर एक साथ चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री जी ने मुझसे कहा है कि वे चाहते है कि लेखानुदानों की माँग अभी पारित करायी जाएं।

**श्री जसवंत सिंह** (चित्तौड़गढ़) : महोदय, यह प्रश्न आप किसे सम्बोधित कर रहे हैं?

**सभापति महोदय :** कृपया अपनी बात जारी रखें।

**श्री जसवंत सिंह :** गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए पाँच मिनट बाकी हैं और इस मामले पर चर्चा की जायेगी ।

**सभापति महोदय :** जो भी हो, आपकी माँग करनी होगी।

**श्री जसवंत सिंह :** यह बात नही है । आपने एक प्रश्न किया हैं।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :** (डमडम) : महोदय, हमने माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष के चर्चा की थी, उस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी उपस्थित थे । और वहाँ यह समझौता हुवा था कि अभी बिना चर्चा के ही लेखानुदानों की माँगों पर मतदान पारित की जाएगी और शेष समय का उपयोग उस मुद्दे पर ही किया जाए । श्री कुमारमंगलम यहाँ उपस्थित है । क्या मैं आपकी बातों की व्याख्या सही ढंग से कर रहा हूँ? . . . **(व्यवधान)**

. . . . . इसलिए महोदय, अभी बजट पर आम चर्चा शुरू करने का कोई औचित्य नहीं है।

**सभापति महोदय :** आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इसे अभी पारित कराया जाए? जब तक सरकार यह नहीं चाहती है आप यह मुद्दा क्यों उठाते हैं?

**श्री जसवंत सिंह :** महोदय, ऐसी बात नहीं है । प्रश्न यह नहीं है कि सरकार क्या चाहती है। प्रश्न यह है कि सभा क्या चाहती है। बिना हम सब की सहमति के इस सभा में सरकार प्रस्ताव नहीं ला सकती । इसलिए कृपया इसे ठीक कीजिए।

**सभापति महोदय :** लेकिन किसी को अभी मांग रखनी चाहिए। यह सरकार का कार्य है।

**श्री जसवंत सिंह :** यदि आप मुझे अवसर दें तो मैं मांग रख रहा हूँ। यदि आप बोलते रहेंगे तो मैं माँग भी नहीं कर सकता हूँ। मैं मांग कर रहा हूँ। अब गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये दो मिनट रह गये हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री हम लोगों के साथ और स्वयं माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। यह विचार विमर्श कल से ही हो रहा है । हम यह कह रहे हैं कि हम सब अब अगले 10 मिनट में बिना चर्चा किये हुए ही लेखानुदान की माँग को पारित करने के लिए तैयार है । और तत्पश्चात कल सुबह 11 बजे से और भी सार्थक तरीके से बजट पर चर्चा शुरू की जा सकती है जो मंगलवार शाम तक चलेगी। इस प्रकार हमें चर्चा के लिए पूरे तीन दिन मिले हैं और चर्चा के लिए 15 घंटे का समय दिया गया है । मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति देगी।

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्)** : हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सभी एक सुझाव दे रहे हैं कि इससे उन्हें गिलोटीन जो हमें करना होगा, के समय में कुछ सुविधा होगी। हम लेखा अनुदानों की मांगों को अभी पारित करना लेते हैं और मंगलवार को शाम तक बजट पर चर्चा पूरी कर लेंगे। **(व्यवधान)**

**श्री जसवंत सिंह** : सभापति महोदय, अगर आप मामले से सभा के विवेक पर छोड़ना चाहते हैं, तो गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को दस मिनट आगे बढ़ाने से सत्ता पक्ष लेखानुदान को उचित रूप से स्वरूप दे सकेगा। आप दस मिनट के उस समय में प्रस्ताव रख सकते हैं और यह सभा बिना किसी चर्चा के लेखानुदान पारित कर सकती है। इस प्रकार वित्त मंत्री को कोई परेशानी नहीं होगी। **(व्यवधान)**

**3.00 म० प०**

**श्री रंगराजन कुमारमंगलम्**: हमारी ओर से कोई समस्या नहीं है। अध्यक्ष पीठ को इसे सदन के मत के लिए रखना है। हम पेपरों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह एक प्रशासनिक क्रिया है। आपको कार्यालय को तो समय देना होगा।

**श्री चन्द्रजीत यादव** (आउमगढ़) : अगर आप 15 मिनट चाहते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। आप उतना समय ले सकते हैं।

**श्री रंगराजन कुमारमंगलम्**: मेरा एक प्रस्ताव है। 5.30 बजे जब गैर सरकारी सदस्यों का कार्य समाप्त हो जाए, तो हमें लेखानुदान ले सकते हैं और शीघ्र ही इसे सभा के मतदान के लिए रख सकते हैं। फिर हम आधे घंटे की चर्चा शुरू कर सकते हैं।

**श्री अमर राय प्रधान** (कुच बिहार) : आप 10 या 15 मिनट के लिए सभा स्थगित कर सकते हैं।

**श्री रंगराजन कुमारमंगलम** : सभा को स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसे 5.30 बजे तक ले सकते हैं।

**सभापति महोदय** : अभी 3 बजे हैं। क्या हम अगला विषय को लें?

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : मैं एक बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। धार्मिक स्थलों से संबंधित संकल्प प्रस्तुत करने पर श्री जायनल अबेदिन को उस संकल्प को इस सदन में रखने के लिए लगातार धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं। हम अध्यक्ष से बात कर चुके हैं और हमने उन धमकी भरे पत्रों की प्रतिलिपि अध्यक्ष को जमा करवा दी है। उस सदन के अध्यक्ष होने के नाते, हमें अध्यक्ष से संरक्षण की आवश्यकता है। किन्तु हम सभा में एक बात कहना चाहते हैं। इस सभा में चाहे जिस विषय पर चर्चा हो, क्या हम यह रुख नहीं अपना सकते कि कोई भी धमकी, चाहे यह कहीं से भी आई हो, उस सभा को अपने कर्तव्य पथ से नहीं डिगा सकती?

ये धमकियां पोस्टकार्ड, लिफाफों और अन्तर्देशीय पत्रों जरिए दी गई हैं...

**सभापति महोदय** : मैंने आपकी बात समझ गया हूँ। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : क्या आप देश को यह संदेश देंगे कि सभा में एक संसद सदस्य चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उसकी आवाज को कोई नहीं रोक सकता ? निर्भीक होकर हम देश हित के मुद्दे को उठाएंगे। सभा से यह संदेश जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सदन के सभी अंग चाहे वे वामपक्ष के हो या दक्षिणपंथी सभी एक मत से इस भावना को प्रसारित करें। हमें सर्वसम्मति से एक संकल्प लेना होगा। हमें संकल्प लेना होगा कि ऐसी धमकियां सभा की आवास को बंद नहीं कर सकतीं और हम सब उसकी निंदा करते हैं। यही मैं आपसे और सदन के सभी पक्षों से अनुरोध करता हूं।

**सभापति महोदय** : यह एक मान्य संसदीय विशेषाधिकार है कि प्रत्यक सदस्य को यहां बिना किसी भय के बोलने का अधिकार है और सदन के बाहर या अंदर कोई भी धमकी नहीं दे सकता। इसलिए, उनकी शिकायत उचित है अध्यक्ष ने मुझे यह बताने के लिए कहा है कि संबंधित सदस्य को इस संबंध में पूरी सुरक्षा दी जाएगी और सरकार इस मामले में आवश्यक कदम उठाएगी।

अब, हम अगला विषय लें।

**प्रो० के० वी० थामस** (एरणाकुलम) : महोदय, मैं एक बिन्दु पर स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

**सभापति महोदय** : मामला अब समाप्त हो गया है। हम प्रत्यक बात पर बार बार विचार नहीं कर सकते।

**प्रो० के० वी० थामस**: महोदय, सभा में सामान्य रीति यह है कि संकल्पों और विधेयकों पर हर दूसरे शुक्रवार चर्चा की जाती है। किन्तु मैं देखता हूँ कि पिछले लगातार तीन शुक्रवारों को, सदन में सिर्फ संकल्प पर ही चर्चा हो रही है।

**सभापति महोदय** : इस बात पर अध्यक्ष के साथ उनके कक्ष में चर्चा कीजिए।

**प्रो० के० वी० थामस**: काफी समय से, यह परम्परा है। मैं जानना चाहता हूं कि अब इस रीति का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : मुझे स्पष्ट करने दें। उसका कारण यह है कि विधेयक अभी पुरः स्थापित नहीं किए गए हैं।

3.05 म० प०

## सभापति द्वारा घोषणा

### गैर सरकारी सदस्यों के कार्य का अंतरण

**सभापति महोदय :** अध्यक्ष की ओर से मैं कुछ घोषणा करना चाहता हूँ। वे कहते हैं--- मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक की आज क्यों नहीं किया जा सकता, जैसा कि सामान्यत: होता है, पहला शुक्रवार गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों से संबंधित कार्य के लिए निर्धारित था। और, कोई विधेयक लम्बित भी नहीं था, क्योंकि पिछली लोक सभा भंग होने के साथ ही सभी विधेयक निरस्त हो गए थे। इसके अनुसार, पहला शुक्रवार, अर्थात्, 12 जुलाई, 1991, गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए निर्धारित किया गया था ।

दूसरा शुक्रवार, अर्थात् 19 जुलाई, 1991 गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के लिए निर्धारित था। उस दिन वे विधेयक प्रस्तुत किए गए जो नोटिस की छूट सहित अवधि को पूरा करते थे। सभा इस बात को समझेगी कि प्रस्तुत होने के एकदम बाद विधेयकों पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी प्राथमिकता का हम निर्धारित करने के लिए बैलट भी निकालना होता है । सत्र के शुरू होने से पहले 29 जून, 1991 के बुलेटिन के भाग-दो में बैलट की तारीख की घोषणा की गई थी। इसलिए, 19 जुलाई, 1991 को, जो बचा हुआ समय था उसे, कार्य-सूची में जिन संकल्पों पर कुछ चर्चा हुई थी, उन पर चर्चा करने के लिए प्रयोग किया गया । 19 जुलाई, 1991 को प्रस्तुत किए गए विधेयकों के लिए 22 जुलाई, 1991 को एक बैलट रखा गया था और बैलट का परिणाम उस तिथि के बुलेटिन के भाग II में दिया गया था। आज, 26 जुलाई, 1991 को गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक संबंधी कार्य को नहीं लिया जा सकता क्योंकि प्रक्रिया के अनुसार जिन विधेयकों को 22 जुलाई, 1991 को हुए बैलट में प्राथमिकता मिली है, उन पर विचार के लिए सदस्यों की एक निश्चित अवधि में अर्थात् 25 जुलाई, 1991 तक नोटिस देना जरूरी था। जिस दिन गैरसरकारी सदस्यों के कार्य को लिया जाता है उस दिन के कम से कम दो दिन पूर्व गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों की सूची को सदस्यों में वितरित करना होता है ।

अब गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों को 2 अगस्त, 1991, शुक्रवार से लिया जाएगा ।

---

3.07 म० प०

## 15 अगस्त, 1947 की स्थिति के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों तथा पूजा स्थलों की यथापूर्व स्थिति बनाए रखने हेतु उपाय किए जाने के बारे में संकल्प—जारी

**श्री सुदर्शन राय चौधरी** (सीरमपुर): मेरे मित्र, श्री जायनल आबेदिन द्वारा प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प पर इस बहस में जब मैं भाग ले रहा था तो मैंने एक बिन्दु पर जोर देने का प्रयास किया था और वह है सामान्य जन की एकता । श्रमिक लोग जो गरीबी, भूख और निर्बलता के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों की शकता के लिए साम्प्रदायिकता सबसे बड़ा खतरा है और हानिकारक है । इसीलिए हमारे देश में सत्ताधारी लोगों के हाथ में, हमारे अर्ध-सामंती समाज में साम्प्रदायिकता एक बड़ा हथियार है । अगर धर्म के नाम पर मेहनतकश लोगों के एक समुदाय को, दूसरे समुदाय से अलग किया जा सकता है तो, इससे सिर्फ समाज के ऊँचे वर्ग को ही फायदा होगा जो दलित वर्ग को बंटा हुआ देखना चाहते हैं । और इसलिए यदि कोई रुढ़िवादी दल साम्प्रदायिकता या कट्टरता का दामन थामता है तो वह सभी जन-विरोधी आर्थिक व अन्य नीतियों को बढ़ावा देते हैं । इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्देशों पर लिए गए तथा कथित आर्थिक सुधारों पर इन दलों द्वारा विचार किया जाता है, नहीं तो ये दल विचार और चिंतन के क्षेत्र में, सुधारों में या सही दिशा में कदम उठाने के मामले में पूरी तरह पिछड़े हुए हैं । यह हम पहले ही इस सभा में सुन चुके हैं ।

महोदय, इसका उल्ट भी सच है । यदि कोई पार्टी जन विरोधी आर्थिक नीतियों पर जोर देती है तो यह पूरी तरह से साम्प्रदायिकता के विरुद्ध नहीं लड़ सकती है । यह बजाय इसके रूढ़िवादी दलों चाहे वह हिन्दू हों या मुसलमान हों, से समझौता कर लेगी या उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर लेगी । इस सभा में हम सबको इस संबंध में सावधान रहना चाहिए । यही कारण है कि जहां कहीं भी सामान्तवाद को विरुद्ध पूर्ण प्रयास, संगठित संघर्ष किया गया, भूमि सुधार के लिए आन्दोलन किया गया वहाँ हम साम्प्रदायिकता को रोक सके । पश्चिम बंगाल में हमारा यह अनुभव रहा है । हम किसान सभाओं और अन्य जन संगठनों द्वारा बारबार किये गये संघर्षों और उत्तरोत्तर वामपंथी सरकारों द्वारा भूमि सुधारों के संबंध में की गयी सहासिक पहलों के आभारी है कि हम वहां साम्प्रदायिकता को रोक सके ।

यह बहुत आश्चर्य की बात है कि जिस राम राज्य की बात करते हुए गरीबी और भूख से लड़ने का दावा किया जाता है रथ यात्रा में पिछले वर्ष इन बुराइयों के विरुद्ध एक भी नारा नहीं उठाया गया । बल्कि इसके बजाय हमने समाचार पत्रों की रिपोर्टों में पढ़ा है कि मुसलमानों के विरुद्ध भड़काने वाले नारे लगाये गये कि उनके लिए तो दो ही स्थान है या तो उनके कब्रीस्तान जाना चाहिए या पाकिस्तान । लेकिन जब चुनाव नजदीक आये तो रोटी और इन्साफ की बात राम को मानवता का प्रतीक दिखाकर की गई । इन सब परिस्थितियों में मैं समझता हूँ कि साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई जोर जबरदस्ती का सौदा है क्योंकि आप एक ही समय

में दो मोर्चों पर दूसरे नहीं लड़ सकते हैं। बल्कि यह रवैया अपनाने की बजाय कतिपय कानूनी, औपचारिक और संवैधानिक कदम इस बात को ध्यान में रख कर तुरंत उठाने चाहिए कि विश्व हिन्दू परिषद ने पहले ही कहा था कि वह विवादास्पद स्थल पर नवम्बर में राम मन्दिर का निर्माण करेगी।

विश्व हिन्दू परिषद की इस कार्यवाही को भारतीय जनता पार्टी का खुला समर्थन खतरनाक बात है। मैं उस विगत की बात नहीं करूंगा जब 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात तक वहाँ बाबरी मस्जिद के स्थान पर ऐसा कुछ नहीं था लेकिन तभी मस्जिद के स्थल पर राम की मूर्ति चमत्कारिक ढंग से प्रगट हो गई। इस तरह के चमत्कारों की वास्तविकता से सभी लोग अवगत है। मैं तो केवल इस पर जोर दे रहा हूँ कि रामजन्म भूमि विवाद हमारे संविधान के ढांचे के अन्तर्गत शान्तिमय तरीके से हल किया जाना चाहिए। यह कहना कि यह मुद्दा न्यायालय की परिधि से बाहर हैं ऐसी धारणा धर्मनिरपेक्षता के लिए, न्यायिक स्वतन्त्रता की अवधारण के लिए जोकि उदारवादी लोकतन्त्र के अंग है, बहुत खतरनाक हैं।

दूसरी बात यह है कि पूरे हिन्दू समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए विश्व हिन्दू परिषद और भारतीय जानता पार्टी को किसने अधिकार दिया है। जिस तरह से वे राम को एक भूमि विशेष के टुकड़े तक सीमित कर रहे हैं ..... (**व्यवधान**) आप क्यों चिल्ला रहे हैं। क्या ऐसा वर्ताव करते हैं ? (**व्यवधान**) जिस तरह से वे राम को एक भूमि विशेष के टुकड़े से बांध रहे हैं मैं समझता हूँ इसे कोई भी सही सोचने वाला हिन्दू पसंद नहीं करेगा।

क्या मैं कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को उद्धृत कर सकता हूँ ?

उन्होंने लिखा है :

"सच वह है जिसे आप स्वयं गढते करते हैं राम अयोध्या के वनों में पैदा नहीं हुए थे वह तो हमारे मन में हैं, कवि के मन में बसते हैं।" (**व्यवधान**) आप रविन्द्रनाथ टैगोर को चुनौति दे। मुझे क्यों चुनौति देते हो? मैं तो केवल टैगोर को उद्धृत कर रहा हूँ। (**व्यवधान**)

**सभापति महोदय :** इस तरह पेश नहीं आइए। उन्हें बोलने दीजिए।

**श्री सुदर्शन एम चौधरी :** भारतीय जनता पार्टी रविद्रनाथ टैगोर को महान कवि मानती है। इसमें कोई नयी बात नहीं है। हम सब भी यही मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रविन्द्रनाथ टैगोर को एक महान हिन्दू कवि के रूप में मानती हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करुंगा कि वह कम से कम अपने महान हिन्दू कवि की अवधारण का तो अनुसरण करे और राजनैतिक लाभ के लिए हिंसा और साम्प्रदायिक भावनायें अड़काने का काम न करे। (**व्यवधान**)

**सभापति महोदय :** भले ही आपके विपरीत विचार हों, फिर भी सुनिये।

(**व्यवधान**)

**श्री सैयद शहबुद्दीन** : (किशन गंज) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

**सभापति महोदय** : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

**श्री सैयद शहबुद्दीन** : हमारे पास सीमित समय है । हम पहले ही इस संकल्प की चर्चा करने के लिए दो सत्र ले चुके हैं । आज तीसरा सत्र हैं। मैं नहीं जानता कि यह कितना समय लेगा। मैं समझता हूँकि सभा को अब यह निर्णय लेना चाहिए कि हम इस संकल्प का कितना समय आबंटित करेंगे । इस संकल्प के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए। (**व्यवधान**) अन्यथा, आप जानते हैं हाल में सभा में क्या हुआ था। मेरा सुझाव है कि आधा समय उन्हें दिया जाना चाहिए जो इस संकल्प के पक्ष में है और आधा समय उन्हें दिया जाना चाहिए जो इसके विरुद्ध है । यह कोई सरकार का संकल्प नहीं है, यह तो गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प है।

**सभापति महोदय** : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह आपका सुझाव है ।

**श्री श्रीकान्त जेना** (कटक) : प्रत्येक वक्ता के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए । कुछ वक्ता तो एक घंटा ले लेते हैं। जबकि दूसरों को समय ही नहीं मिलता। (**व्यवधान**)

**सभापति महोदय** : मैं प्रत्येक वक्ता को केवल 10–15 मिनट दूंगा ।

[हिन्दी]

**महन्त अवैद्य नाथ** (गोरखपुर) : सभापति महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने इस प्रस्ताव पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। श्रीमान्, जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है उस प्रस्ताव के दो अंग हैं । पहले भाग में यह कहा गया है कि रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का मसला वार्ता और सद्भावना के साथ हल किया जाए ।

श्रीमन्, जहां तक प्रस्ताव के इस भाग का प्रश्न है हमने कभी भी यह नहीं कहा है कि हम वार्ता से इस प्रश्न का हल नहीं करना चाहते हैं । भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और श्री चन्द्र शेखर जी के समय में हमेशा ही इस बात का प्रयास किया गया है कि इस समस्या का समाधान वार्ता से किया जाएगा । मान्यवर, श्री चन्द्र शेखर जी ने एक अच्छा रास्ता निकाला था और उन्होंने यह कहा था कि दोनों ही पक्ष इस सम्बन्ध में अपने-अपने सुबूत प्रस्तुत करें ।

हमारी तरफ से जो सुबूत प्रस्तुत किए गए, साहित्यिक दृष्टि से, ऐतहासिक दृष्टि से, पुरातत्व विभाग की दृष्टि से और वस्तु स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि रामजन्म भूमि के मंदिर को तोड़ कर बाबरी मस्जिद बनी है। इस तरह से अनेक मुस्लिम सदस्यों ने यह घोषणा की है कि यदि हिन्दू समाज यह सिद्ध कर दे कि राम मंदिर तोड़ कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है तो निश्चित रूप से हम इसको स्वीकार करेंगे और इसे हिन्दुओं को सौंप देंगे ।

श्रीमन, इस संबंध में सारे तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं । इसके साथ साथ इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि यदि वहां पर भगवान राम का जन्म न हुआ होता तो

मस्जिद के दरवाजे पर दूसरे धर्म का पूजा-स्थल कैसे होता है । आप अयोध्या में जा कर देखिए, वहां पर तथा कथित बाबरी मस्जिद के सामने भगवान राम के जन्म स्थान जिसको सारे मुस्लिम समुदाय के लोग स्वीकार करते हैं, उस स्थान को राम का जन्म स्थान माना गया है और जब राम का जन्म स्थान मस्जिद के प्रांगण में है तो निश्चित रूप से भगवान राम बाबर के पहले हैं और वह स्थान बाबर से पहले से मौजूद है ।

सभापति महोदय, इसके साथ साथ इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि जिस राम के सारे देश में और अयोध्या में लाखों करोड़ों की लागत से भव्य मंदिर बने हुए हैं और धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से जहां भगवान राम का जन्म हुआ है, उससे श्रेष्ठ स्थान राम का और कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्या कोई सोच सकता है, कल्पना कर सकता है कि इस ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ स्थान पर केवल 4 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा चबूतरा राम जन्म स्थान के नाम से होगा, कोई नहीं सोच सकता। श्रीमन्, स्वयं विचार करने की आवश्यकता है कि कोई भी जाति, ऐरी-गैरी और महत्वहीन चीज के लिए सैकड़ों वर्ष तक युद्ध नहीं कर सकती, पतंगे की तरह जल नहीं सकती, कुर्बानी नहीं दे सकती ।

सभापति महोदय, यह विवाद कोई आज का नहीं है, सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, इसके सुबूत हैं, इसका इतिहास है । अंग्रेजी इतिहासकारों को छोड़ दीजिए, हिन्दू इतिहासकारों को छोड़ दीजिए, मुस्लिम इतिहासकारों ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि बाबर ने भगवान राम के जन्मस्थान के मंदिर को तोड़ कर के बाबरी मस्जिद बनाई है । औरंगजेब के पौत्र ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है और इस समय मुस्लिम विश्व के सबसे बड़े विद्वान अली मियां जो लखनऊ में रहते हैं, उनके पिता ने अपनी पुस्तक में स्पष्टरूप से इस बात को स्वीकार किया है कि अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान के मंदिर को तोड़ कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई है । (व्यवधान)

**श्री सैयद शहबुद्दीन** : उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है । (व्यवधान)

**महन्त अवैद्य नाथ** : हम सुबूत लाकर देंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : यह उचित नहीं है। कृपया बैठ जायें। यह ठीक नहीं है कि जैसे ही एक सदस्य बोलें और यदि वह आपको अच्छा न लगे तो आप हस्तक्षेप करने जायें । यह ठीक नहीं है । (व्यवधान)

[हिन्दी]

**महन्त अवैद्य नाथ** : ये जानते हैं, हमारे तर्कों का इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए ये बोलने नहीं दे रहे है । श्रीमन्, यदि 400 वर्ष के बाद गोवा वापिस लिया जा सकता है । (व्यवधान)

(अनुवाद)

**श्री श्रीकान्त जेना**: महोदय, हम सब सदस्य हैं। हम न तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी का नही विश्व हिन्दू परिषद का प्रतिनिधित्व करते हैं... (**व्यवधान**) क्या आप विश्व हिन्दू परिषद का प्रतिनिधित्व करते हैं ?..... (**व्यवधान**)

**श्री बी० एल० शर्मा** प्रेम (पूर्व दिल्ली) : हम राम जन्म भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं।..... (**व्यवधान**)

**श्री श्रीकान्त जेना** : यह यहां पूरे बाद विवाद को साम्प्रदायिक बनाने का प्रयास है। कृपया ऐसा न करें। ..... (**व्यवधान**)

(हिन्दी)

**महन्त अवैद्य नाथ** : और एक हजार वर्ष बाद खोई हुई स्वतन्त्रता अगर वापस ली जा सकती है तो आप जानते हैं 400 वर्षों में जबरदस्ती हमारे असहाय, निर्बल और पराधीन होने के कारण हमारे पवित्र स्थान हैं, उनको तोड़ कर जो मस्जिद बनायी गयी हैं उन्हें हम क्यों नहीं वापस ले सकते हैं।... (**व्यवधान**)..श्रीमन, आप जानते हैं पार्टीशन के बाद हमारे अनेक मन्दिर पाकिस्तान में चले गए हैं और इस देश में भी जबरदस्ती, आप जाकर देखिए, आज हिन्दुओं के साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है, कि मन्दिर के चिन्ह उन मस्जिदों पर बरकरार रखे गए हैं जिससे अनन्त काल तक हिन्दू उनको देख कर अपमानित होते रहे, चिढ़ते रहे।

इसी तरह से इस प्रस्ताव के दूसरे भाग के संबंध में मैं कहना चाहता हूं। इसमें यह कहा गया है कि धार्मिक स्थानों की स्थिति 15 अगस्त, 1947 के अनुसार बरकरार रखी जाएगी। श्रीमन्, तुष्टीकरण की नीति के आधार पर जिस तरह से इस देश में एक सम्प्रदाय को, चार शादी की छूट दी गयी है, इस देश में जिस तरह से धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों आयोग तथा धर्म के नाम पर 370 धारा है, उसी तरह से तुष्टीकरण की नीति के आधार पर आज यह कहा जा रहा है कि 15 अगस्त, 1947 की धार्मिक स्थिति कायम रखी जाएगी, मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप 15 अगस्त 1947 की स्थिति कायम रखना चाहते हैं तो पहले भारत और पाकिस्तान को एक कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि स्थिति कायम रहे तो जितने मन्दिर पाकिस्तान में चले गए हैं, बंगला देश में चले गए हैं, वे वापस दिलाए जाए, तब यह कहने का हक है। क्या इस तरह का प्रस्ताव पास करना देश में बगावत को आमंत्रित करना नहीं है ? इस तरह का प्रस्ताव पास होता है तो निश्चित रूप से हिन्दू इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा।.... (**व्यवधान**)..इसलिए आज जो लोग इस प्रस्ताव को ला रहे हैं, वे कभी भी इस देश में अमन नहीं चाहते हैं। क्या सोमनाथ मन्दिर मुसलमानों को सौंप दिया जाएगा ? क्या प्रस्ताव पास करने के बाद अयोध्या में जिन मूर्तियों की पूजा 1949 से हो रही हैं, क्या यहां से निकाल दी जायेंगी ? यदि निकाल दी जायेंगी तो क्या आप चाहते हैं, सोचते हैं, इस देश में इससे शांति स्थापित होगी ? ऐसा विधेयक लाने से कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती है। एसा कोई कानून बनाना पड़ेगा कि, जबरदस्ती मंदिरों को तोड़ कर किसी समय जो मस्जिदें बनायी गयी हैं वह आज हिन्दुओं को वापिस की जाएं, तभी

देश में शांति स्थापित हो सकती है । अन्यथा आप जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब में पाकिस्तान बनने के बाद अनेक मस्जिदों पर गुरुद्वारा बने हैं। क्या आपकी हिम्मत है कि उन गुरुद्वारों को आप मस्जिद बना देंगे। इन कपोल कल्पित बातों से देश का हित नहीं हो सकता, सामाजिक एकता और हिन्दू मुस्लिम एकता नहीं हो सकती। आवश्यकता इस बात की है कि मुसलमान भाई वास्तविकता के धरातल पर आकर यदि चाहते हैं कि निश्चित रूप से देश में हिन्दू मुस्लिम एकता स्थापित हो तो इतिहास के सारे तथ्यों और वास्तविकता के आधार पर तथा परिस्थितियों के आधार पर तथा पुरातत्व के आधार पर आज हमारी रामजन्मभूमि की मांग स्वीकार कर लें । हजारों मन्दिरों को प्राचीन काल में तोड़ा गया, हम उनकी मांग नहीं कर रहे हैं, हम केवल मंदिर के चिन्ह बरकरार रखकर जो मस्जिद बनाई गई है उनकी वापसी की मांग कर रहे हैं। **(व्यवधान)** आप वाराणसी में जाइए। विश्वनाथ मंदिर तोड़कर जो मस्जिद बनाई गई है उस पर हिन्दू मन्दिर के चिन्ह चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में हिन्दुओं की औकात क्या है । करोड़ों हिन्दुओं के आराध्य भगवान राम के मन्दिर के ऊपर आज भी गुलामी के चिह्न अंकित हैं । आज हिन्दुओं की स्थिति ठीक उसी तरह से देश में बना दी गई है जैसे किसी परिवार के मुखिया को पेड़ से बांधकर उसके घर के लोगों से जबरदस्ती बलात्कार कराया जाए, वही स्थिति आज देश में हिन्दुओं की बनी हुई है । इस अपमान को दूर करने के लिए हिन्दू निरन्तर संघर्ष करेगा । आप कहते हैं कि मैं विश्व हिन्दु परिषद का सदस्य हूं, लेकिन देश से चुनकर आए हुए सदस्यों को यहां पर अपनी बात रखने का पूरा-पूरा अधिकार है । इस पर कोई सदस्य नियंत्रण नहीं कर सकता . . . **(व्यवधान)** . . . इसलिए में अनुरोध करूंगा कि कोई भी ऐसा विधेयक लाकर के देश के अस्सी प्रतिशत हिन्दुओं की भावनाओं को धर्म निरपेक्षता की रक्षा के नाम पर ठेस न पहुंचाई जाए। वोट बैंक बनाने के लिए आज हिन्दुओं को तोड़ा जा रहा है और अपमानित किया जा रहा है तथा जातिवाद में बांटा जा रहा है और हिन्दु मुस्लिम एकता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है ।

मैं इन शब्दों के साथ आपसे अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से आप ऐसा विधेयक लाने के लिए सरकार को बाध्य न करें . . . **(व्यवधान)**

**(अनुवाद)**

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** (कटवा) : सभा में जो कुछ हो रहा है उसे देखने के बाद मैं उस पुराने प्रस्ताव की फिर से बात करूंगा जिसमें कहा गया है कि लोक सभा की कार्यवाही दूरदर्शन पर दिखाई जाए ताकि इस देश के लोगों को यह देखने का अवसर मिल सके कि हम सभा में कैसे व्यवहार करते हैं. . . . . **(व्यवधान)**

**श्री श्रीवल्लभ पानिग्रही** (देवगढ़) : सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वास्तव में यह भारत की संसद है, यहां जो कुछ हुआ और जो कुछ वाद-विवाद के दौरान हो रहा है उससे यह संदेह उठता है कि क्या यह भारत की वही महान संसद है अथवा संसद के बाहर किसी समुदाय या धर्म विशेष का झुन्ड है। मुझे, इसका खेद है। जैसे कि आपने कहा है यह निश्चित रूप से एक विवादास्पद विषय है और इस तरह के विवादास्पद विषय में भिन्न या विपरीत विचारों का होना लाजमी है। लेकिन इस विषय पर भी

**[श्री श्रीवल्लभ पानिग्रही]**

सद्भावपूर्ण वातावरण में अपने विचार रखने में क्या हानि है। इस तरह का विवाद या दृश्य हमारी इस महान संसद के एक माननीय सदस्य के रूप में हमारे इस तरह के व्यवहार को शोभा नहीं देता है।

जैसे कि मैंने कहा था यह एक विवादास्पद मुद्दा है। लेकिन जैसे कि माननीय सदस्य श्री जायनल अबेदिन ने सुझाव दिया है, मैं समझता हूं कि यह संकल्प विवादास्पद नहीं है। यह संकल्प, ये शब्द, दिया गया सुझाव विवादास्पद नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं ऐसा कोई विवाद नहीं हो सकता है। **(व्यवधान)**।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** (गांधीनगर): महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री पानिग्रही इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि यह मामला भले ही विवादास्पद हो फिर भी यह तो संभव ही है कि सभा मुद्दों पर और उनके गुण दोषों पर चर्चा करे। सभी जानते हैं कि हमारा दृष्टिकोण और सभा के कुछ अन्य सदस्यों का दृष्टिकोण इस मुद्दे विशेष पर भिन्न है। मैं यह भी कहूंगा कि अब तक

3.36 म० प०

**(राव राम सिंह पीठासीन हुए)**

मेरे दल के दो सदस्य श्री सुरेशचन्द्र दीक्षित और महंत अवैधनाथ बोले हैं। दोनों ने हमारे दल के विचार तर्क समेत पेश करने की कोशिश की है--जिससे हो सकता है कुछ लोग सहमत हों या कुछ लोग असहमत हों। लेकिन बीच में टोका टाकी की वजह से एक भिन्न माहौल बन गया है। फिर श्री दीक्षित और महंत अवैधनाथ के बोलते वक्त जिस तरह टोका टाकी की गई वही प्रवृत्ति हाल रही है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं नहीं समझता कि यहां इस तरह भिन्न विचार को व्यक्त किया जा सकता है या श्री अबेदिन का कोई अन्य सदस्य विचार रख सकता है। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे को सुनने के इच्छुक नहीं होंगे यह तो अवश्य ही होगा। और इसीलिए मेरा पूरी सभा से निवेदन है कि इसके बाद इस वाद-विवाद को सुचारू रूप से चलने दें ताकि सभी अपनी बात व्यक्त कर सकें और फिर सभा का जो भी फैसला होगा उसे स्वीकार किया जाए।... **(व्यवधान)**

**सभापति महोदय**: श्री आडवाणी जी ने जो कुछ कहा है मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। मैं समझता हूं कि हम सब परिपक्व लोग है। हमें इस बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर बहुत ही तर्कपूर्ण और परिपक्वता से चर्चा करनी चाहिए। अपने मनोभाव प्रकट करने के लिए यहां कोई स्थान नहीं है और साथ ही मैं कहूंगा कि सभा में नारे नहीं लगाए जाएंगे।

**(व्यवधान)**

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी**: महोदय, क्या मैं कुछ निवेदन कर सकता हूं? मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि यह सभा है। वस्तुतः शपथ ग्रहण के समय पर सभा में नारे लगाए गए थे और उस वक्त मैंने अपने साथियों से कहा था कि जब सभी संयुक्त सब के लिए समवेत होती हैं तो हमें पूर्ण मर्यादा बरकरार रखनी चाहिए और किसी तरह

की नारेबाजी या इसी तरह की बातें यहां नहीं होनी चाहिए। पूर्ण व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। लेकिन सभा में जब दूसरे पक्ष से भड़कानेवाली टिप्पणियां की जाती हैं तो व्यवधान डाले जाते हैं और अपमानजनक बातें की जाती हैं..... (**व्यवधान**)

**सभापति महोदय** : कृपया बैठ जायें, कृपया टोका-टाकी न करें, मैं प्रत्येक सदस्य को शान्तिमय तरीके से अपने विचार प्रकट करने का अवसर दूंगा। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चूंकि प्रत्येक को बोलने का अधिकार है और जब श्री आडवानी जैसे वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हों तो आप कृपया हस्तक्षेप नहीं करें.....

(**व्यवधान**)

**सभापति महोदय** : यदि आप उनके विचारों से सहमत नहीं है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको उत्तर देने के लिए और जो कुछ विचार आप रखना चाहते हैं उसके लिए पर्याप्त समय दूंगा। अब जबकि श्री आडवाणी बोल रहे हैं अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जब तक वह अपनी बात समाप्त न कर लें हस्तक्षेप नहीं करें।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : सभापति महोदय, मुझे अब केवल यही कहना है कि जब मैं बोल रहा था तो मुझे उस पक्ष के सदस्यों ने चिल्ला कर बैठाना चाहा अतः इस संबंध में इस पक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया तो होनी लाजमी है। दीक्षित जी को और महंत अवैधनाथ जी को चिल्ला कर बैठने का प्रयास जोकि तीन बार किया गया है यही इस गड़बड़ी का कारण है। अन्यथा यह नहीं हुआ होता..... (**व्यवधान**)

**श्री चन्द्रजीत यादव** (आजमगढ़) : सभापति महोदय, हम अपने साथी श्री आडवाणी जी का बहुत सम्मान करते हैं और आदरपुर्वक हमने उन्हें सुना है। लेकिन अब क्योंकि वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं तो यह भी ठीक नहीं है कि वह हम पर यह आरोप लगाए जाएं कि अन्य सदस्यों के हस्तक्षेप करने की वजह से ऐसा हुआ। जब श्री जायनल अबेदिन संकल्प प्रस्तुत कर रहे थे तो आपने नोट किया होगा कि बार बार हस्तक्षेप किया गया और जब दूसरे पक्ष के हमारे मित्र बोल रहे थे तो यही सब किया गया। मैं आपसे पुर्णरूप से सहमत हूं कि अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। हमें सभा का सम्मान और मर्यादा बनाए रखनी है। हमें सदस्यों को तब तक बोलने देना चाहिए जब तक कि आप महसूस करते है कि कोई आपकी अनुमति से कुछ बोलना चाहता है। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हम सब इससे सहमत हैं अतः मैं आड़वाणी जी आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया आपने सदस्यों को कहें कि वह न चिल्लाये। कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करे।

**सभापति महोदय** : ठीक है; धन्यवाद। मैं समझता हूं कि इस तरह से दोस्ताना अंदाज में थोड़ा झुक जाने में कोई हानि नहीं है। लेकिन मैं प्रत्येक सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपने मनोभावों पर नियंत्रण रखें। यद्यपि मैं कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि श्री आडवाणी एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं लेकिन यह कहना कि चूंकि नारे लगाने का पुर्वोदाहरण है तो इसका मतलब यह नहीं है कि नारेबाजी जारी रखने का लाईसेंस ही लिया गया। अतः मैं हाथ जोड़ कर सभा के सभी वर्गों से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस सभा में नारेबाजी नहीं करें।

**श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : महोदय, धन्यवाद। मैं समझता हूं इससे अच्छी भावना रहेगी और इस वाद विवाद के संबंध में इस सभा में हमारा एक समन्वयकारी माहौल रहेगा।

महोदय, यह निःसंदेह एक संवेदनशाली मुद्दा है और इस विवाद की वजह से साम्प्रदायिक दंगे भड़के तत्य उसमें पुलिस की गोली से लगभग 564 जानें गयीं। इस बाबरी मस्जिद रामजन्मभूमि विवाद से साम्प्रदायिक दंगे भड़के और परिणामस्वरूप पुलिस के गोली चलाने से 1 सितम्बर से 20 नवम्बर 1990 के दौरान इस थोड़े समय में लगभग 564 लोग मारे गए। पूरे देश भर में करीब करीब 40 बड़े दंगे हुए जिनके गम्भीर परिणाम रहे। ये सब विवाद अर्थहीन है। इस संवेदनशाली मुद्दे पर इस तरह का विवाद क्यों होता है? यह अच्छा होता यदि हम सभी कम से कम राजनैतिक दल इस संबंध में सही दृष्टिकोण रखे क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं सभी राजनैतिक दल साम्प्रदायिक सद्भाव के प्रति समर्पित हैं, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित है। निःसंदेह इस संबंध में हम में से कुछ लोग कुछ और ही कर रहे हैं, लेकिन हम संविधान के अन्तर्गत शपथ लेते हैं और हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान है और हम इसके प्रति समर्पित हैं। जब ऐसा विवाद है तो साम्प्रदायिक दंगे तो होते ही हैं और इसका भारत के बाहर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। हमें अन्य देशों में भी प्रतिक्रिया मिलती है। जब हम इसमें लिया हैं तो मैं तो कहूंगा कि हम तो इस छोटे-मोटे संकीर्ण मुद्दों पर ऐसे लिप्त हैं जैसे कि और कोई राष्ट्रीय समस्याएं ही नहीं है। लेकिन वस्तुतः इन चीजों से हमारी एकात्मता, अखंडता और राष्ट्रीय एकता को खतरा है और यदि इस विवाद को बढ़ते दिया जाए तो इससे स्थिति और बिगड़ जाएगी। हमारे देश को जाति और साम्प्रदायिकता के नाम पर तोड़ने के प्रयास से हमारी राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय एकात्मता को खतरा है। अतः महोदय इसे यथाशीघ्र आपसी बातचीत से डर किया जाना चाहिए।

मैं इस विवाद के मूल में नहीं जाना चाहता हूँ। कुछ पूर्व वक्ताओं ने इस विषय में विस्तारपूर्वक कहा है। मुझे आश्चर्य है कि इतिहास में ऐसा हुआ, हो सकता है मैं इस संबंध में अनभिज्ञ होऊं लेकिन हम यह पढ़ते आये है कि बाबर ने अपने पुत्र को सभी समुदायों की धार्मिक भावनाओं और धार्मिक स्थलों का आदर करने की सलाह दी थी। जब हम हाई स्कूल के या इससे पहले के छात्र थे तो हम यही पढ़ा करते थे, । फिर मुझे आश्चर्य है कि इस तरह के व्यक्ति को मंदिर को गिराने के लिए आज कैसे दोषी ठहराया जा सकता है। यदि मेरे दूसरे पक्ष के मित्र के पास पूरे सबूत हैं तो ठीक हैं। इसके लिए एक मंच है और इस मंच में अभी तक साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत करने के वास्ते खुली छूट है। उनका दावा है कि उनके पास इन सभी के रिकार्ड हैं। . लेकिन हमनार्ड अपने छात्र जीवन में पढा है कि बाबर एक उदारवादी प्रशासक था, एक उदार राजा था इसीलिए उसने अपने पुत्र को इस तरह देश आने की सलाह दी। (**व्यवधान**) निःसन्देह आप आपने सबूत या साक्ष्य के साथ आ सकते हैं।

अतः इसे हल किया जाना चाहिए और जैसे कि आप जानते हैं। जिस धर्मनिरपेक्षता की मैं बात कर रहा था वह हमारे राष्ट्रीयवाद का द्योतक है। आप जानते हैं कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता हमारी प्राचीन संस्कृति और इसकी विविधता में एकता की चुटी है।

अतः यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपनी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के विभिन्न जातियों, धर्मों और जातीय अल्पसंख्यकों का लिहाज किए बिना मजबूत करें।

हम देश की एकता को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के अपने महान नेताओं के दिखाए रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं। कांग्रेस के कई महान नेताओं ने साम्प्रदायिकता को मिटाने के लिए अपना जीवनदान दिया। साम्प्रदायिकता तथा साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काना बहुत आसान है परन्तु हमें उससे बहुत दूर रहना चाहिए। हमारे देश में ऐसा करना बहुत कठिन है। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां बुद्ध, अशोक, गांधी तथा जवाहरलाल जैसे व्यक्ति पैदा हुए तथा वे केवल भारत में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व में शांति तथा अहिंसा के पथ-प्रदर्शक थे तथा ऐसे देश में अब हिंसा हमारे ऊपर हावी हो रही है, हमारी एकता तथा अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है। अतः हमें स्वयं इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए तथा बिना किसी समाधान के कोई समस्या नहीं है। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं। इस समस्या का भी एक हल है तथा इसका एक शांतिपूर्ण हल हो सकता था। अतरूप जैसा कि श्री जायनल अबेदिन ने सुझाव दिया है कि इस समस्या का समाधान परस्पर बातचीत द्वारा भी किया जा सकता है। मुझे बताया गया था कि ऐसी बातचीत बेकार है तथा बहुत लम्बे समय से ऐसे ही निरर्थक प्रयास किए जा रहे हैं। यदि इसे बीच में ही छोड़ दिया गया है तो मैं समझता हूं कि हम इसे पुनः आरम्भ कर सकते हैं। यदि परस्पर बातचीत द्वारा इसका कोई समाधान नहीं निकलता है तो स्वाभाविक रूप से हमें अदालत के निर्णय पर निर्भर रहना होगा। हमारे पास कानून के अनुसार होता है तथा यह जंगल नहीं है जहां कोई कानून नहीं होता है। अतः हमें अदालत के निर्णय का पालन करना होगा।

महोदय, श्री दीक्षित यही कहते रहे हैं कि आरम्भ से ही वे अदालत के निर्णय का पालन कर रहे हैं तथा उन्होंने कभी भी अदालत के निर्णय की उपेक्षा नहीं की। हम उनको इस बात का स्वागत करते हैं। यदि हमारे मित्र शुरू से ही अदालत के निर्णय का पालन कर रहते आ रहे हैं तो वे अन्तिम निर्णय का भी पालन क्यों नहीं कर सकते? यह मामला इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित है। अतः उन्हें अदालत के अन्तिम निर्णय का पालन करना चाहिए।

महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री अरविन्द त्रिवेदी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की वास्तव में प्रशंसा करता हूं। आज के टाइम्स आफ इंडिया में उन्होंने एक साक्षात्कार दिया है। उस साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि हमारे देश में मूल्य वृत्ति, बेरोजगारी जैसी कई अति महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिनकी ओर हमें तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। वह बहुत अच्छे अभिनेता हैं जिन्होंने टी० वी० धारावाहिक रामायण में रावण की भूमिका अदा की थी तथा अब वह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने कहा था कि मंदिर के निर्माण को थोड़े समय के लिए रोका जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस समस्या का समाधान शक्तिपूर्ण बातचीत द्वारा किया जा सकता है। अतः श्री अरविन्द त्रिवेदी ने जो कुछ कहा है वही भावना इस संकल्प में है। विपक्ष के नेता श्री आडवाणी ने इससे पूर्व भाषण के दौरान कहा था कि उन्हें जनादेश प्राप्त हो गया है।

**सभापति महोदय :** इस संकल्प का यह विषय नहीं है। आप संकल्प से सम्बन्धित विषय पर ही बोलिए।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** महोदय, इस देश में हम धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध हैं तथा धर्मनिरपेक्षता के बिना हम अपने देश की उस एकता तथा अखंडता को थोड़ा सा भी मजबूत नहीं बना सकते जो आज के समय की मांग है। भारत जैसे विशाल देश में इस प्रकार की समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से किया जा सकता है। यदि बातचीत असफल हो जाती है, तो हमें न्यायालय के निर्णय को मानना होगा। हमने चौवालीस वर्ष पूर्व 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की थी। अब हम कानून पारित करके उन सभी धार्मिक स्थलों की वही स्थिति बनाए रखना चाहते हैं जो उस शुभ स्वतन्त्रता दिवस के समय थी जब हमने स्वतन्त्रता प्राप्त की थी। इसमें गलत क्या है? हमारी अपनी समस्यायें हैं। विश्व में परिवर्तन हो रहे हैं। समाज में परिवर्तन हो रहे हैं। हमें विश्व की बदलती हुई परिस्थितियों के साथ चलना है। अन्यथा हम पीछे रह जाएंगे। यहां भुगमरी तथा पिछड़ेपन का सवाल है। हमें क्षेत्रवाद की समस्या के खिलाफ भी संघर्ष करना है जो हमारे सामने मुंह बाये खड़ी है। कोई भी धर्म बुरा नहीं है। धार्मिक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। धर्मनिरपेक्षता यह नहीं कहती कि अधार्मिक सभी धर्मों के समान आदर करना धर्म के विरुद्ध है। साम्प्रदायिक होना बुरी बात है। धार्मिक होना बुरा नहीं अच्छा है। सभी धर्मों का मूल उद्देश्य बेहतर इंसान बनाना बेहतर जीवन तथा मानवता को जन्म देना है। प्रत्येक व्यक्ति के दिलोदिमाग में बुरी तथा अच्छी भावनाओं में बड़ा भारी संघर्ष चल रहा है। यह धर्म ही है जो इस द्वंद में अच्छी भावनाओं की बुरी भावनाओं को मात देने में सहायता करता है। जो व्यक्ति कुछ राजनीतिक उद्देश्यों से कोई दंगा कराना चाहते हैं, जो व्यक्ति कुछ अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं वे व्यक्ति ही धर्म को दूसरे रूप में इस्तेमाल करने का प्रयत्न करते हैं जिससे उनके अपने उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। अतः इस वर्तमान स्थिति में यह आवश्यक है कि हमें धर्म को राजनीति से अलग कर देना चाहिए।

हमें धार्मिक होना चाहिए परन्तु हमें राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए तथा राष्ट्रीयता अथवा देश के वातावरण को दूषित नहीं करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से अनुरोध करता हूं कि हमें इन सभी तुच्छ बातों से ऊपर उठना चाहिए तथा हमें हर समय भारतीय ही बने रहने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें देश की एकता, अखंडता को मजबूत बनाने के लिए एक मजबूत संगठित सुदृढ़ भारत बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।

(हिन्दी)

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री जायनल अबेदित साहब के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह जो गैरसरकारी संकल्प है, यह राष्ट्रीय महत्व का संकल्प है। राष्ट्र और धर्मनिर्पेक्षता के सिद्धान्तों की रक्षा से यह सवाल जुड़ा हुआ है। इसीलिए महोदय, मेरा निवेदन है कि इस सवाल पर दल से ऊपर उठकर हमको विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि तथ्यों में जाने और सफाई और बहस में जाने से सच्चाई बीच में ही छिप जाती है इसलिए इस अहम मसले पर हमको वार्ता और शांतिपूर्वक ढंग से विचार करना चाहिए। यह राष्ट्रीय एवं ज्वलन्त समस्या आ कर खड़ी हो गई है। आज साम्प्रदायिकता देश की सबसे बड़ी चुनौती है। महोदय, अयोध्या के मसले को लेकर जो साम्प्रदायिकता का प्रचार किया गया है, उसमें अभी तक गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 831 लोगों की जान गई है।

सभापति महोदय, यह समस्या देश की सबसे बड़ी समस्या है जिस की जिम्मेदारी उन लोगों पर सबसे ज्यादा है जो छोटी-छोटी धार्मिक बातों पर आपसी मतभेद पैदा करवाते हैं और बच्चों, महिलाओं तथा मासूमों की हत्यायें इन साम्प्रदायिक झगड़ों में होती हैं। मेरा निवेदन है कि इस समस्या पर इस सदन में गहराई से विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, साम्प्रदायिकता की शुरुआत धर्म के नाम पर होती है। जब एक सम्प्रदाय के लोग अपनी पहचान, अपनी सुरक्षा, दूसरे से भिन्न समझने लगते हैं, तब साम्प्रदायिकता का जन्म होता है।

4.00 म० प०

सभापति महोदय, जब धर्म अंध-विश्वासियों द्वारा प्रचालित होता है तो साम्प्रदायिकता का जन्म होता है। जब धर्म का सम्बन्ध बाहरी आडम्बरों और गलत प्रतिमानों से जोड़ दिया जाता है तब साम्प्रदायिक मानस पैदा होता है। मानवीय मूल्यों से हटा कर जब धर्म को पत्थरों, मंदिरों, मस्जिदों और रीति रिवाजों में बंद कर दिया जाता है तो साम्प्रदायिक मानस पैदा होता है। जब-जब इस देश में कट्टरपंथी का प्रभाव बढ़ा है, देश में साम्प्रदायिकता के नाम पर जुर्म हुए हैं और देश, समाज और राष्ट्र कमजोर हुआ है। आज के भारत में कट्टरपंथी ताकतें धर्म के नाम पर राजनीतिक लाभ उठाना चाह रही हैं इसलिए वे देश-वासियों को धर्म की असलियत से दूर हटा कर पूजा पद्धति, मूर्तियों और मंदिर-मस्जिद की ओर ले जाना चाहती हैं ताकि लोग अपनी ओर अपने राष्ट्र की असली समस्याओं से दूर हो जाएं, उन्हें धर्म बचाने वाला मानकर सत्ता में लाकर बैठा दें। इस तथ्य से अब कोई इंकार नहीं कर सकता है कि इस वक्त देश में साम्प्रदायिक तनाव बनाने और उसे भड़काने का जो काम हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण राजनीति है। लेकिन राजनीति को साम्प्रदायिकता का वाहक बनाने की जिम्मेदारी केवल साम्प्रदायिक लोगों पर डाल देने से काम नहीं चलेगा। देश में बदलाव की राजनीति करने वाले हम लोग भी इस संदर्भ में अपनी जिम्मेवारी से बरी नहीं हो सकते क्योंकि हिन्दुस्तान में राजनीति से वैचारिक आधार समाप्त करने का जो सिलसिला जाने-अनजाने चल रहा है या चलाया जा रहा है उसका कारगर ढंग से मुकाबला करने में हम लोग नाकामयाब रहे हैं।

अभी कई माननीय सदस्यों ने इस ओर इशारा करने का काम किया है। हम लोग जब कालेज में पढ़ते थे तो फिजिक्स में "कुचालक और सुचालक" "गुड कंडेक्टर और बैड कंडेक्टर" पढ़ाया जाता था। आज कुछ राजनीतिक लोग इस देश में कुचालक का सवाल नहीं उठा कर सुचालक को पकड़ कर देश में दंगा भड़काना चाहते हैं और देश में साम्प्रदायिकता को लाना चाहते हैं। अगर लोहे को एक छोर पर गर्म कर दो तो उसका दूसरा

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

छोर गर्म हो जाता है। उसी तरह से दंगा और साम्प्रदायिक भावना को एक छोर पर गर्म करने से दूसरा छोर भी गर्म हो जाता है यानि कि वह देश के दूसरे भागों में भी फैल जाता है। आज विश्व हिन्दु परिषद के लोग "जय श्री राम" का नारा लगा रहे हैं उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि यह देश केवल "जय श्री राम" का ही नहीं है, यह देश गरीबों, पीड़ितों और शोषितों का है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ये कुचालक सवाल हैं। आज अगर महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ देश के एक कोने में संघर्ष होता है तो वह देश के दूसरे कोने में नहीं जाता है लेकिन हिन्दु-मुसलमान के प्रति जो साम्प्रदायिक सद्भावना है, उसको तोड़ने के मामले में या दंगा भड़काने के मामले में अगर एक छोर पर मामला बनता है तो वह पुरे देश में फैल जाता है। कुछ लोगों ने तो इसे राजनीति का रूप देते हैं। राजनीति पर कब्जा करने के लिए और सत्ता पर बैठने के लिए वे इसका भरपुर इस्तेमाल करते हैं लेकिन यह किसी को बर्दाश्त नहीं हो सकता है। यह मुल्क विशाल भारत है। यह गांधी और महात्मा बुद्ध का देश है। इस देश में साम्प्रदायिकता को कुचल दिया जाएगा। इस देश में कुछ चतुर नेता बड़े जोर से बयान देते हैं। मैं बजट के समय भी इस विषय पर बोलना चाहता था और अब भी बोलूंगा जबकि यह एक गैर सरकारी संकल्प है.....(**व्यवधान**)

**एक माननीय सदस्य**: आप विषय पर ही बोलें।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव**: विषय आप सुन लें....(**व्यवधान**).....सभापति महोदय, बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में हुआ था। क्या कारण है कि साथ में ही आज तक बाबरी मस्जिद को मानते हुए भी हिन्दू धर्म का कोई नुकसान नहीं हुआ तो आज कौनसी ऐसी बात हो गई, 40–42 वर्षों की आजादी के बाद कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बनाए बिना हिन्दू धर्म कायम रहे ही नहीं सकता है तो यह कौन सा हिन्दु धर्म है। आज 40 साल की आजादी के बाद कौन यह तय करेगा.....(**व्यवधान**).....आज विश्व हिन्दु परिषद् एलान करती है कि नवम्बर में हम मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाएंगे.....(**व्यवधान**).....में इसीलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि आज आम जनमानस हिन्दू मुसलमान साथ-साथ भाईचारे से रहना चाहते हैं लेकिन जानबूझकर उन्हें उधेड़ा जा रहा है। यहां के अल्पसंख्यकों के हितों पर कुठाराघात किया जाता है, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम हो रहा है। मैं इसलिए यह जिक्र कर रहा था कि इस देश में.....

**श्री राजवीर सिंह** (आंवला): अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के ऐसा कहने से मेरी धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंच रही है। (**व्यवधान**)

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव**: धार्मिक भावनाओं को जहां तक ठेस पहुंचाने का सवाल है तो राम मंदिर के नाम पर जो राम रथ निकला था, वह हिन्दुस्तान का 52 प्रतिशत पिछड़ों के जो हित थे, 27 प्रतिशत आरक्षण उनको जो देने की बात थी, वह उसको रोकने का साधन था।.....(**व्यवधान**).....हम यह कहना नहीं चाहते थे लेकिन आप जब यही बात कहते हो कि इन सवालों को उठायें तो सुनिए। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं.....(**व्यवधान**).....जहां तक राम रथ अयोध्या जाने का सवाल

था, राम रथ यात्रा.....(**व्यवधान**)..... हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए नहीं थी, वर्ण व्यवस्था..... को कायम रखने के लिए निकली थी।

**(अनुवाद)**

**सभापति महोदय** : वह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

**(व्यवधान)**

**श्री श्रीकान्त जेना** : महोदय, अभी कुछ ही समय पूर्व श्री आडवाणी ने इस सभा को परामर्श दिया था कि जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो कोई भी व्यवधान नहीं डाला जाना चाहिए। कृपया इसे कायम रख जाये।

**सभापति महोदय** : व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा रहा है, कृपया बैठ जाइए।

**(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : कृपया बैठ जाईए। उस माननीय सदस्य ने व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाया है। उन्हें व्यवस्था सबंधी प्रश्न के बारे में बोलने का पुरा अवसर दिया जाएगा।

**[हिन्दी]**

**प्रो० रासा सिंह रावत** (अजमेर) : मान्यवर, पहले जो सभापति आसन ग्रहण किए हुए थे, उन्होंने व्यवस्था दी थी कि प्रत्येक वक्ता 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे 10 मिनट से ज्यादा समय हो गया है। माननीय महन्त अवेद्यनाथ जी को उन्होंने नहीं बोलने दिया था। (**व्यवधान**)

**सभापति महोदय** : आप बैठिये। मैंने आपका पाइण्ट ऑफ आर्डर सुन लिया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर डिबेट चल रही है इसलिए उस 10 मिनट को बढ़ाकर 20 मिनट का टाइम ठीक है। आप बोल ने दीजिए। बस अब आपका पाइण्ट आफ आर्डर हो गया। आप बैठ जाइये।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : सभापति महोदय, इस देश में कानून के भी दो कठघरे हैं। कुछ चतुर नेता इस देश में हैं, बड़े-बड़े हर्फों में उनका नाम छपता है, बड़े खूबसूरत नेता लोग हैं और मैं इसीलिए इन बातों का जिक्र करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, जब सामाजिक न्याय की लड़ाई इस देश में चली थी तो बड़ी चतुरता से उनका बयान आया था, बयान क्या आया था कि मण्डल कमीशन का फैसला न्यायालय मे होगा और राम मंदिर का फैसला भावना से होगा।

में इसलिए इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि आज 52 फीसदी लोग जो पिछड़े हैं और 85 फीसदी लोग गरीब, दलित और शोषित हैं तो उनके हित का सवाल होगा तो हाई कोर्ट में जाकर लटका देंगे, न्यायालय से फैसला होगा, यह कहेंगे और राम मंदिर के सवाल पर न्यायालय को भी नहीं मानेंगे, संविधान को भी नहीं मानेंगे और भावना को मानेंगे। कौन यह फैसला करेगा, आम सहमति और भावना का जहां तक सवाल है, इन लोगों की किनकी-किनकी भावना का सवाल होगा, इसपर भी बहस हो जाय..... (**व्यवधान**).....

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

मैंने इसलिए इस बात का जिक्र किया कि जहां जिस राज्य में प्रशासन ने साम्प्रदायिक सद्भाव का काम निष्पक्षता से किया, वहां दंगा नहीं हुआ। मैं बिहार का उदाहरण दे सकता हूं। बिहार में यह साबित हो चुका और चुनाव में भी यह साबित हो गया, बिहार में कुछ राजनैतिक पार्टियां राम मंदिर निर्माण के मुद्दों पर साम्प्रदायिक आग भड़काना चाहती हैं लेकिन वहां के लोग इस चाल को समझ गए, इसीलिए देश के दूसरे हिस्सों में दंगे हो रहे थे लेकिन बिहार में शांति थी, वहां दंगा नहीं हुआ। इसके लिए बिहार के मुख्य मंत्री को हम बधाई देते हैं। राम मंदिर के नाम पर जो राम रथ निकला था।.... सामाजिक तनाव को बढ़ाने के लिए था। **(व्यवधान)**

**श्री विनय कटियार** (फैजाबाद) : माननीय सदस्य को सम्बन्धित विषय पर बोलना चाहिए लेकिन इस समय यह विषय नहीं है, यह पूरा भाषण हो रहा है, इसमें तथ्य कहीं नहीं है कि क्यों झगड़ा हो रहा है। इसके सम्बन्ध में चर्चा यहां होनी चाहिए, उसपर भाषण होना चाहिए।

**सभापति महोदय** : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : सभापति महोदय कुछ लोग राम मंदिर के निर्माण का अभियान चलाए हैं। मैं इस बात को साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि आज गांव में गरीब लोग..... **(व्यवधान)**.....गांव के गरीब लोग भी राम का नाम लेते हैं, लेकिन वे मर्यादा पुरुषोत्तम को चाहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन नकली राम का नाम नहीं लेते हैं। ..... **(व्यवधान)**.....सभापति जी, गांव में रहने वाले गरीब लोग की कल्पना है कि शायद कहीं राम होगा, तो हमारा उद्धार कर देगा। ..... **(व्यवधान)**.....गरीब लोग बुखार में भी राम नाम लेते हैं लेकिन ये राम के नाम का इस्तेमाल करके..... **(व्यवधान)**.....

**श्री राम नगीना** (पडरौना) : सभापति महोदय, संविधान में लिखा हुआ है किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाई जाए। भगवान राम को सारा हिन्दुस्तान मानता है, भगवान मानता हैं। माननीय सदस्य सौभाग्य से हिन्दू होते हुए भी इन्होंने कहा, नकली राम ..... **(व्यवधान)**.....इसकी कार्यवाही में से निकाला जाए। **(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : बैठ जाइए। माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न रखा है और नकली राम के बारे में कहा। असली राम जो देवता है, उनके बारे में वे कभी ऐसा कह नहीं सकते हैं। ....., **(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : जो व्यवस्था का प्रश्न इन्होंने रखा है कि इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, उनका मकसद वह नहीं था। अब मेरा नाम भी राम सिंह है, मैं नकली राम भी हो सकता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो भगवान राम है, उनको कोई नकली नहीं कह सकता है। **(व्यवधान)**

**एक माननीय सदस्य** : नकली राम कार्यवाही में से निकालना चाहिए **(व्यवधान)**....

**श्री राम नगीना मिश्र**: सभापति महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है, उसको स्वीकार करते हुए कहता हूँ—इन्होंने नकली राम किसको कहा है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में चर्चा हो रही है।....(**व्यवधान**)....इसको प्रोसीडिंग्स में से निकालिए। यह साधारण बात नहीं है। श्री शाहबुद्दीन सैयद माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, अगर कोई अल्लाह के नाम पर कोई एक शब्द भी कह दे तो.....(**व्यवधान**)....राम का अपमान नहीं हो सकता है।....(**व्यवधान**)....

**श्री बी० एल० शर्मा प्रेम**: नकली राम हम नहीं सुन सकते हैं।.....(**व्यवधान**)....

**एक माननीय सदस्य**: सभापति जी, नकली शब्द इनको वापस लेना चाहिए। (**व्यवधान**)

**सभापति महोदय**: जिस प्रोसीडिंग्स का यह हिस्सा है अगर इसमें कोई ऐसी भाषा है जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो, तो मैं स्पीकर साहब से रिकवेस्ट करूंगा कि इस प्रकार के शब्द को एक्सपंज कर दिया जाए।

(**व्यवधान**)

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव**: मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सम्बन्ध में नहीं कहा था। मैं जो बात बोलूंगा उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा। मैंने उस राम का नाम लेने वालों के विषय में कहा था, जो "एक किलो में नौ सौ ग्राम, जय श्रीराम,

तोलो कम, बोलो कम।"

मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ केवल मैं ही नहीं, बल्कि पूरा देश उनके साथ है। (**व्यवधान**)

**सभापति महोदय**: यादव जी, कृपया अब आप इसे खत्म कीजिए।

(**व्यवधान**)

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव**: सभापति जी, यह तो ठीक नहीं है कि एक तरफ तो माननीय सदस्य दो घंटे बोलेंगे और दूसरी तरफ के माननीय सदस्यों को आप इतना कम समय देंगे। (**व्यवधान**)

**सभापति महोदय**: कृपा करके अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने बहुत एन्जवाय कर लिया है।

(**व्यवधान**)

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव**: मैं मुंह में राम, बगल में छुरी का काम नहीं करता। सभापति महोदय, मैं अपने विषय पर ही बोल रहा था और अभी भी अपने विषय पर ही बोल रहा हूं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय, मैं अपनी बात कह रहा था, लेकिन बीच में बहुत से व्यवधान हो रहे हैं।

**सभापति महोदय**: मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इसको दो मिनट का समय दीजिए, ताकि ये वाइंडअप कर सकें और सदन की कार्यवाही आगे बढ़े। अगर आप इनको बोलने का समय नहीं देंगे तो सदन का समय इसी तरह जाता रहेगा।

[अनुवाद]

**श्री श्रीकान्त जेना :** य सदस्य पीठासीन अधिकारी को अपनी इच्छा अनुसार नहीं चला सकते। यह बहुत अनुचित है। जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उन्हें अपने विचार व्यक्त करने देना चाहिए। **(व्यवधान)**

**सभापति महोदय :** कृपया हस्तक्षेप मत कीजिए। श्री देवेन्द्र प्रसाद, कृपया आप पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करके अपनी बात कहिए तथा एक-दूसरे पर आक्षेप मत लगाइए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :** सभापति महोदय, मैं अपनी बात कह रहा था, लेकिन बीच में बहुत व्यवधान हो रहे हैं, इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। सभापति महोदय, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लंका पर चढ़ाई की थी अन्याय के खिलाफ और रावण रूपी राक्षस का वध करने के लिए राम ने लंका पर चढ़ाई की थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया कि राम के नाम पर अयोध्या पर चढ़ाई की जाए। अयोध्या इस बात की गवाह है। विश्व हिन्दू परिषद के लोग..... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जो मामला न्यायालय में लंबित है, जो मामला संविधान और न्यायालय में लंबित है, उस मामले में न्यायालय की बात न मानने से मैं समझता हूं कि अल्पसंख्यकों, धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्तों में विश्वास रखने वालों और हिन्दुस्तान के नागरिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। अभी कहा जा रहा है कि नवंबर में अयोध्या के विवादित स्थल पर मंदिर का निर्माण होगा, "मंदिर वहीं बनाएंगे"। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय, यह सिर्फ अयोध्या का सवाल ही नहीं है, 3000 विवादित धर्मस्थलों का सवाल है। 3000 विवादित पुजास्थलों, इबादतगाहों का सवाल है। यदि इस तरह से एक जगह पर मंदिर निर्माण हो जाता है तो देश टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय, आज देश के टुकड़े टुकड़े होने का खतरा है। सभापति महोदय 1946–47 में जो दंगे हुए, हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का बटवारा हुआ। 1948 में धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में रहने वाले देश के बहुत बड़े मनीषी महात्तमा गांधी ने कहा था कि हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, सब को इस देश में रहने का अधिकार है। **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, इस देश में उस समय पूज्य महात्मा गांधी को छीनने का काम हिन्दुस्तान की किस ताकत ने किया था? वही ताकत है जो आज मन्दिर निर्माण के लिए सिर उठा रही है।..... (व्यवधान).....हमारे महात्मा गांधी को हमसे छीनने का काम किया। महात्मा गांधी ने इंसानियत की रक्षा करने के लिए कुर्बानी देने का काम किया था।

**(व्यवधान)**

**सभापति महोदय :** मेरी आप लोगों को दरख्वास्त है कि बीच में इंटरप्ट न कीजिए **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : कृपया बैठ जाईये। उन्हें बीच में येकिए नहीं।

(व्यवधान)

**सभापति महोदय** : कृपया बैठ जाईये। अब मैं श्री मोहन रावले को अपने विचार व्यकत करने के लिये आमंत्रित करता हुं।

(व्यवधान)

**श्री श्रीकान्त जेना** : यदि उन्हें अपनी बात पूरी नहीं करने दी जाती तो। हम इस तरफ से भी किसी को बोलने नहीं देंगे। क्या किसी सदस्य को इस तरीके से बीच में दोका जाता है? (व्यवधान)

**सभापति महोदय** : कृपया बैठ जाईये।

(व्यवधान)

**सभापति महोदय** : आप अपनी बात समाप्त कीजिये।

(व्यवधान)

**सभापति महोदय** : मैं श्री मोहन रावले को अपने विचार व्यक्त करने के लिए पहले ही कह चुका हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**सभापति महोदय** : आप बैठ जाएं, श्री मोहन विष्णु रावले का रिकार्ड किया जाएगा।

(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है, कृपया मेहरबानी करके बैठ जाईये।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जाईये।

(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही - वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**सभापति महोदय** : जब मैं बोल रहा हूँ आप उस समय बैठ जाएं।

**(व्यवधान)***

**सभापति महोदय** : जब तक आप बैठेंगे नहीं तब तक कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अब व्यवस्था का प्रश्न लिया जाएगा। श्री कापसे।

**(व्यवधान)**

**श्री राम कापसे** (ठाणे) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि वर्तमान वक्ता ने महात्मा गांधी के हत्यारों और अन्य विषयों पर बहुत कुछ कहा। महात्मा गांधी हायाकाण्ड का निर्णय बहुत पहले हो चुका है और यह निर्णय हुआ था कि इस के लिए गोडसे ही उत्तरदायी थे और उनके साथ और कोई ताकत कार्य नहीं कर रही थी। उन्होंने अपने भाषण में एक आरोप लगाया था और उनके आरोप के सिद्ध करने वाली कोई बात नहीं है। अतः मैं आपसे निवेदन करुंगा कि आप इस मामलें को देखें और उनके शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दें।

**सभापति महोदय** : मैं इस मामले को देखूंगा और अध्यक्ष महोदय भी इस मामले को देखेंगे।

**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**सभापति महोदय** : देवेन्द यादव जी, आप बैठ जाएं। अब आप अनुशासन से बहुत बाहर जा रहें है

[अनुवाद]

श्री यादव, मैं आप को पर्याप्त अवसर दे चुका हूं। अब श्री मोहन रावले

**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**श्री मोहन विष्णु रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य)** : सभापति महोदय, राम जन्म भूमि की बाबत सदन के कुछ साथियों ने सबूत पेश करने के लिए कहा है। अभी जो सदस्य बोल रहे थे उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद 1528 में स्थापित हुई थी। लेकिन तभी से हम राम जन्म भूमि का अपना सबूत पेश करने वाले हैं। 1528 से अगर बाबरी मस्जिद स्थापित हुई थी तो तभी से हम वहां राम जन्म भूमि के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। प्रभु राम चन्द्र हिन्दुस्तान के महान आदर्श पुरूष हैं। मर्यादा पुरूषोत्मम राम को रामायाण सीरियल में महान आदर्श दिखाया गया है। उसको हिन्दुस्तान के सब लोगों ने और दुनिया के सब लोगों ने देखा है। महात्मा गांधी भी राम राज्य चाहते थे और हम भी राम राज्य चाहते हैं। लेकिन राम राज्य होने के लिए प्रभु राम का मंदिर जहां था वहां होना आवश्यक है। इस संबंध में मैं आपको सबूत पेश कर रहा हूं। .....

**(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : कृपया व्यवधान न डालें।

**(व्यवधान)**

**श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** (बुलढाना) : महोदय, चुनाव प्रचार के दौरान वह कहते रहें हैं कि यदि वह सत्ता में आ गये तो वह महात्मा गांधी की मूर्ति को हटा कर उस स्थान पर नाथूराम गोडसे की मूर्ति स्थापित करेगें। महात्मा गांधी के राम राज्य के बारे में वह क्या कह रहें है? **(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : कृपया व्यवधान न डालें।

**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**श्री मोहन विष्णु रावले** : पेज नं० 22 पर जो लिखा है, वह मैं आपको बता रहा हूं :

[अनुवाद]

"1528 में बाबर अयोध्या (अवध) में आया था और वहां एक सप्ताह रहा। उसने प्राचीन मंदिर (राम के जन्म स्थान) को ध्वस्त किया और उस स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसे आज भी बाबर की मस्जिद के नाम से जाना जाता है..... इसमें दो शिलालेख हैं एक बाहरी तरफ और दूसरा ऊपरी मुंडेर पर; दोनो में फारसी में कुछ लिखा हुआ है और उस पर 935 हिजरी पश्चात की तारीख पडी हुई है। यह तारीख भवन निर्माण पूरा होने की भी हो सकती है।"

[हिन्दी]

जहां पर राम मंदिर था उसको तथाकथित बाबरी मस्जिद कहा जाता है। मस्जिद में हाथ धोने के लिए पानी का हौज होता है, जबकि वहां पर नहीं है। आप दुनिया में किसी भी मस्जिद में जाए तो देखेंगे कि वहां पर पानी का हौज होता है, लेकिन वह यहां मस्जिद में नहीं है। उनकी दीवार पर देवताओं की मूर्ति बनी हुई है। दुनिया में कोई भी ऐसी मस्जिद नहीं है जहां अल्लाह के सिवाय किसी की प्रार्थना की जाती है। यहां प्रभु राम की प्रार्थना की जाती है। इस मस्जिद में कोई मीनार नहीं है और कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि यहां पर नमाज पढ़ी गई है। इस मस्जिद में गर्भ गृह की परिक्रमा का स्थान है। इसमें पश्चिम की दीवार सपाट होनी चाहिए। प्रभु राम चन्द्र मंदिर का 1949 में लॉक लगाया था। लेकिन कोर्ट ने अनुमति दी कि वहां पर पूजा करनी चाहिए। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न दिया, लेकिन उन्होंने सक्रिय भाग लेकर मंदिर को जिंदा किया। जहां हमारा सत्ताधारी पक्ष बैठा है वहीं इस पक्ष के पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी बैठा करते थे। उनकी सहमति से उस मन्दिर का जीर्णोद्धार हुआ था और पुनर्निर्माण हुआ था। हमें ऐसा लगा था कि राम मन्दिर भी वे दे देंगे। लेकिन उन्होंने नहीं दिया। बाद में हम कोर्ट में गये। 1949 से वहां पूजा हो रही है और पुलिस के

[श्री मोहन विष्णु रावले]

बन्दोबस्त में पुजारी जी अर्चना करते हैं। 1986 में वह मन्दिर खुल गया। दुर्भाग्य की बात है कि हम पर साम्प्रदायिकता के आरोप लगाये जा रहे हैं, जब 1986 में कोर्ट ने मन्दिर खुलवाया उस समय हमारे ऊपर अत्याचार किये गये और दंगे हुए। यही नहीं पाकिस्तान में भी दंगे हुए और वहां भी हमारे मन्दिरों को तोड़ा गया। स्वतंत्र भारत में कश्मीर में चालीस से ज्यादा मन्दिरों को नुकसान पहुंचाया गया और उनको तोड़ा गया। यही लोग हमारे ऊपर साम्प्रदायिकता का आरोप लगते हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हिन्दुस्तान में एक भी ऐसी मस्जिद है जहां कोई पत्थर फेंका गया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम सब लोग रामचन्द्र जी को आदर्श मानते हैं। उन्होंने किसी पर अन्याय नहीं किया, हम भी नहीं कर रहे हैं। हम किसी दूसरे की मस्जिद पर मन्दिर नहीं बना रहे हैं। वह हमारी जगह है, यह हमें मिलनी चाहिए।

आज हिन्दुस्तान में जो कुटुम्बकम् की बात करते हैं वे ही इसका विरोध करते हैं, धर्म के नाम पर इसका विरोध करते हैं और वे ही सामदायिकता फैला रहे हैं। आज हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब भाई-भाई हैं।

सब एक समान हैं तो फिर सबके लिए एक समान कानून क्यों नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है। ये लोग बुजदिल हैं। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि संविधान के अनुसार यह काम होना चाहिए, लेकिन संविधान के अनुसार एक कानून भी होना चाहिए। लेकिन आप एक कानून को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। क्योंकि आप मतों के लिए लाचार बने हुए हैं और साम्प्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। यहां पर वन्दे मातरम गाया जाता है जिसका तात्पर्य है कि हे माता हम तुम्हारे सामने झुकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह सत्ताधारी पक्ष है, इसके एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने मुम्बई के म्यूनिसिपेलिटी के चुनाव के दौरान यह घोषणा की थी कि हम वन्दे मातरम नहीं मानेंगे। जिस वन्दे मातरम की खातिर हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी अपनी जान कुर्बान की थी वह बोलने के लिए इनका धर्म बीच में आ जाता है और ये धर्म के नाम पर वन्दे मातरम का विरोध करते हैं। जबकि हम लोगों ने इसके लिए अपनी जान दी। यह हमारा राष्ट्रीय गौरव है इसका आदर होना चाहिए। इसके बीच में धर्म नहीं आना चाहिए।

**सभापति महोदय**: यह तो रिजोलुशन का विषय नहीं है।

**श्री मोहन विष्णु रावले**: मैं इसलिए बता रहा हूं कि यही लोग हम पर साम्प्रदायिकत का आरोप लगा रहे हैं ..(**व्यवधान**)

**श्री सैयद शाहबुद्दीन** (**किशनगंज**): इस सदन को धर्म के खिलाफ प्रोपेगंडा के लिए इस्तेमाल न करें।

**श्री मोहन विष्णु रावले**: वन्दे मातरम बंकिम चन्द्र चटर्जी का लिखा हुआ राष्ट्रीय गौरव है। (**व्यवधान**)

(अनुवाद)

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : महोदय, उन्हें यह ही नहीं मालूम है कि इस कविता को किसने लिखा था। उनकी अज्ञानता को क्षमा कीजिए और उन टिप्पणियों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दीजिए।

(व्यवधान)

(हिन्दी)

**सभापति महोदय** : आप वाईंड अप करिये।

**श्री मोहन विष्णु रावले** : अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने धर्म के नाम पर हिन्दुस्तान का विभाजन किया, पाकिस्तान को जन्म दिया लेकिन ये धर्म के नाम पर अभी वापिस हिन्दुस्तान से मांगना चाहते हैं। मेरी विनती है कि प्रभु राम का मन्दिर बन जाये जो आदर्श पुरुष थे तभी यह स्वतंत्र भारत अखण्ड रह सकता है। यही हमारी मांग है कि मन्दिर वहीं बने, यही हमारी विनती है जो मान ली जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

**श्रीमती विजय राजे सिंधिया** (गुना) : महोदय, अभी अभी सदन के अन्दर जिस तरह से एक इतने महत्वपूर्ण मसले को वाद-विवाद में घसीटकर विषमता पैदा की जा रही थी, उससे मुझे लगता है कि उन तत्वों को जो मन से, ईमानदारी से देश की एकता चाहते हैं, उन सब को अत्यन्त ही आघात पहुंचा होगा। मैं जो बात कहने जा रही हूं, वह मुझे लगता है न तो इस पक्ष के और न ही उस पक्ष को पसंद आने वाली है। मैं आपके सामने एक कटु सत्य रखना चाहती हूं। जो मसला आज हमारे सामने है, उसको वाद-विवाद में घसीटने के बजाय अगर हम अपने अंतराल में झांककर यह देखें कि क्या हम वास्तव में अपने देश की एकता, अखण्डता शान्ति और आपस में मेल-जोल, प्रेम और सद्भावना चाहते हैं? अगर हम यह चाहते हैं तो मैं सोचती हूं कि यह कोई तरीका नहीं कि हम उसको इस प्रकार हासिल कर सकें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। मैं आपसे क्या अर्ज करूं? राम को एक विवाद में घसीटना ठीक बात नहीं हैं, यह न इस पक्ष के लिए और न उस पक्ष के लिए ठीक है क्योंकि राम मेरी दृष्टि में राष्ट्र पुरुष हैं। लाखों-करोड़ों की दृष्टि में वे भगवान प्रभु हैं, मेरे भी हैं परन्तु आज इस सदन के सामने जब हम बोल रहे हैं तो इस मसले को हम एक राष्ट्रीय मसले के रूप में ले रहे हैं।

महोदय, हर समुदाय, समाज और राष्ट्र की अपनी अपनी गरिमा, गौरव और संस्कृति होती है और संस्कृति से कोई सम्बन्ध विच्छेद नहीं कर सकते हैं जो हमने अपनी विरासत में पायी है। हमारी पुरानी संस्कृति किसी हिन्दू या मुसलमान या ईसाई की नहीं है, वह भारत में रहने वाले सब की है और राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हमारे सामने हैं। क्या कोई मुसलमान या कोई ईसाई या कोई और धर्म को मानने वाला राम को उस रूप में पहचानना नहीं चाहेगा? राम को एक राष्ट्र पुरुष के रूप में अपनाना नहीं चाहेगा? क्या राम और कृष्ण हमारे, उनके, हम सब के पूर्वज नहीं थे? क्या हम सब के पूर्वज बाबर थे? मैं यह पूछना चाहती हूं कि इस मसले को हम एक मन्दिर के माने ईंट, पत्थर, चूने



32—17 LSS/ND/91

[श्रीमती विजय राजे सिंधिया]

और सीमेंट के एक मंदिर के रूप में नहीं, मस्जिद के रूप में नहीं परन्तु एक राष्ट्रीय मसले के रूप में ले रहे हैं और अगर हम राष्ट्रीय एकता चाहते हैं तो इस पक्ष के और उस पक्ष दोनों के मित्रों—अगर हम सच्चे हृदय से अपनी भारत भूमि में शान्ति, सद्भावना और आपस में मेल चाहते हैं—तो आईये, इस विषय को हम राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें।

देखिए, कोई भी जाति या कोई भी नेशन अपनी संस्कृति से अलग होकर अपने गौरव को भुलाकर स्वाभिमान से नहीं जी सकता है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि चाहे हम आज इस देश के अंदर हिन्दू हों, मुसलमान हों, ईसाई हों या बौद्ध हों, किसी भी धर्म के किसी भी मजहब संप्रदाय के मानने वाले हों, हम यह नहीं झुठला सकते कि राम और कृष्ण इस देश की संस्कृति के एक महान विभूति और इस महान देश के, इस मातृभूमि के महान् सपूत हैं। चाहे हिन्दू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे ईसाई हों, चाहे और कोई हों, क्या उनको ऐसे विभूति ऐसे सपूत के ऊपर गर्व नहीं होगा जो हजारों वर्ष के बाद भी आज लोग उन्हें स्मरण करते हैं? मैं यह कहना चाहती हूं कि आप भले ही भगवान के रूप में उन्हें न देखें परंतु एक राष्ट्रपुरुष के रूप में राम को कोई भी हिन्दुस्तानी, कोई भी भारतीय, मैं सोचती हूं राम को डिनाइ या उनको नेगेट नहीं कर सकता।

महोदय, यह गरिमामय सदन, यह गौरवमय सदन, इस राष्ट्र का सबसे उच्च सदन जहां पर कानून बनते हैं..., थोड़े दिन पूर्व मुझे याद आती है, इसी मसले पर बहस के समय किसी हमारे मित्र ने यह कहा था कि यह सदन न तो मस्जिद है और न ही मंदिर, यह तो हमारी लोक सभा का सदन है। मैं यह कहती हूं महोदय, कि हमारे लिए यह मस्जिद भी है, मंदिर भी है, गिरिजाघर भी है, गुरद्वारा भी है, सब कुछ है। इस सदन में हम राष्ट्र के हित के लिए कानून बनाते हैं और यहां पर जो बातें होती हैं वह एक गौरव-गरिमापूर्ण बात होनी चाहिए और ऐसे गरिमापूर्ण इस सदन के अंदर हम खड़े हैं। हमने कुछ दिन पूर्व शपथ ली थी महोदय, और शपथ लेते समय किसी ने ईश्वर के नाम पर ली, किसी ने सत्यनिष्ठा के नाम पर ली परंतु मैं समझती हूं, चाहे ईश्वर के नाम पर लो, चाहे सत्य के नाम पर लो, सत्य भी ईश्वर का ही रूप है। इसलिए यह सदन मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर जो कुछ भी मानना चाहे वही हैं और आप जो इस अध्यक्ष पद पर आरसीत हैं वह चाहे पुजारी मानें, चाहे मौलवी मानें चाहे प्रीस्ट मानें। आप उच्च स्थान पर हैं और हम सब आज देश की समस्याओं का हल निकालने के लिए यहां पर उपस्थित हैं।

तो बन्धुओं, मैं आपसे आर्ज करना चाहती हूं कि हमारी पुरानी संस्कृति, हमारा गौरव, हमारी गरिमा, इससे हम संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। जो भी समाज अपने आपको उस पूर्व की अपनी महान संस्कृति और उस गरिमा से अपने को अलग करता है, महज इसी कारण कि उन में धर्म परिवर्तन हो गया है। यह एक गलत दृष्टिकोण हैं। मजहब अथवा सम्प्रदाय हरेक की अपनी-अपनी व्यक्तिगत चीज है। परंतु जो राष्ट्र की गरिमा है, जो राष्ट्र का गौरव है और राष्ट्र की जो संस्कृति है वह तो हम आप सबकी है, वह एक है चाहे हम हिन्दू हों चाहे मुसलमान हों, चाहे ईसाई हों, और हमारी रगों में वही खून बह रहा है, हमारे पूर्वज एक थे, हमें गर्व होना चाहिए उन पूर्वजों पर जिन पूर्वजों के नाम पर आज तक ये देश चल रहा है।

तो आज हमें इस मसले को हल करने के लिए भावात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। इमोशनल इंटीग्रेशन की इस देश में बड़ी जरूरत है। हम देश की एकता चाहते हैं, तो हमें पहले भावनात्मक रूप से एक होना है, एक दूसरे के लिए सद्भावना और एक परिवार के रूप में भारत माता की संतान होने के नाते हम सब एक परिवार की तरह जीना है। विचारधारा अलग-अलग हो सकती हैं चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कम्यूनिस्ट पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, यह सबको अधिकार है अपनी-अपनी विचारधारा मानने का। इसलिए हमें एक दूसरे की विचारधारा पर रोक लगाने का कोई हक नहीं। विचारों को हम यहां पर प्रतिपादित कर सकते हैं परंतु हम अपने विचारों के द्वारा दूसरों की भावनाओं, विचारों का अवरोध करें, यह भी इस सदन की गरिमा के विरुद्ध है।

इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने पूर्व की गरिमा को गौरव की न भुलायें – चाहे वह मेरे मुसलमान मित्र हों, चाहे ईसाई मित्र हों, उनसे मैं हाथ जोड़ कर कहना चाहती हूं कि जब हम अपने पूर्व की गरिमा को भुला देंगे तो आपका समाज एक संकुचित और सीमित दृष्टिकोण के अन्दर अपने को बंद कर लेगा चाहें वह हिन्दू, मुसलमान या ईसाई हों। मैं ऐसा सोचती हूं कि जिस वक्त हम इस संकीर्ण सीमा के अन्दर बंद करके अपनी संकुचित दृष्टिकोण से दुनिया को देखने लगते हैं तो किसी भी समस्या का हल निकालना सम्भव नहीं होगा।

आज हमारे इस देश में हम अनेक समस्याओं से फिरे हुए हैं। आर्थिक समस्यायें हैं। इसके अलावा सभी तरह से विघटन की ताकतें उग्र रूप धारण कर हम को एक तरह से धमका रही हैं। इस देश की स्थिति ऐसा भयानक रूप धारण कर चुकी है कि उस स्थिति को देखते हुए लगता है कि किसी दिन हमारे देश का आर्थिक रूप चरमरा जायेगा, किसी दिन हम सर्वनाश के उस गड्ढे पर पहुंच जायेंगे जहां से उठ पाना मुश्किल होगा। इसलिए आईये जरा, संतुलित दृष्टिकोण से, संतुलित होकर मिल-बैठ कर हम इन मसलों को एक राष्ट्रीय मसला समझकर और राम को एक राष्ट्रीय पुरुष के रूप में देख कर उन मर्यादा पुरुषोत्तम का महान आदर्श सामने रख कर आगे बढ़ें। भूलिए मत कि राम के जमाने में न तो हिन्दू थे, न मुसलमान थे, न ईसाई थे, यानी कि कोई मजहब नहीं था। उस समय एक मानव धर्म था। अतः उसी मानव धर्म के नाते मैं आपसे अपील करना चाहती हूं कि अपने देश व राष्ट्र के गौरव को पहचान कर राम के मंदिर को उस मसले की दृष्टि से देखा जाये। मैं अपने पक्ष के लोगों से भी यह अपील करना चाहती हूं कि आग उगलने से कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूं कि आप हृदय से दुखी है, आपको आघात पहुंचा है, आपको बहुत दुख रहा है ऐसे महान श्री विभूति वाले राम के लिए कितना संघर्ष कितना झगड़ा करना पड़ रहा है। मैं आप सब से हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूं कि इतिहास के उन पन्नों को उलटकर देखें तो आपको वस्तु स्थिति का ज्ञान हो जायेगा। इतिहास को भुला कर हम कभी आगे प्रगति नहीं कर सकते हैं और न ही अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। वह जमाना था जब लोग बाहर से आक्रमणकारी तलवार लेकर आये और तलवार की धार पर हमारे पूर्वजों से जबर्दस्ती करके उनकी जनेऊ तोड़कर छीनकर, उनकी चोटियां काट कर उनका जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। ऐसे में हमारे पूर्वजों ने क्या किया, उन लोगों ने जब वे दुख से तप्त थे, उनको आघात पहुंचा हुआ था। जब उन्होंने अपने घर

[श्रीमती विजय राजे सिंधिया]

और परिवार की ओर मुड़ कर शरण चाही तो बहुत निर्दयतापूर्वक उनके साथ बर्ताव किया गया। जिस वक्त इन्सान मुसीबत में पड़ता है तो स्वाभाविक है कि अपने परिवार के प्रियजनों की ओर देखता है। प्यार तथा सहानुभूति के लिए उस वक्त बड़ी उम्मीद से जब उन्होंने परिवार की ओर देखा तो दरवाजे बंद करके निर्दयतापूर्वक कह दिया कि निकल जाओ, तुम जाति से बाहर निकाल दिये गये हो, तुम को इस घर में अब आने नहीं दिया जायेगा। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या ऐसा करना सही था? उस समय उनके दिलों को कैसा आघात पहुंचा होगा, वे कितना रोये होंगे। जो व्यक्ति घर के सामने खड़ा हुआ हो, उसके लिये घर के दरवाजे बंद हों, कोई अपने उनको अपनाने को तैयार नहीं हो, ऐसे में उनके मन में क्या बीत रहा होगा। आप इस की जरा कल्पना करिए रोते-रोते जब उन्हें होश आया होगा तो वे उठकर फिर कभी भूलकर भी उस दरवाजे पर न आने की कसम खाकर चल दिये होंगे। कोई भी आदमी बिना किसी मजहब या धर्म या पंथ के जिन्दा नहीं रह सकता है। अतः इस हालात में यदि उन्होंने दूसरे मजहब की शरण ली तो इसमें गलती किस की है? ये हम सब की है। इसलिये जरूरत है ऐसा वातावरण निर्मित करने की जिसमें हम अपनी गलतियों को सुधार सकें, हम अपने लोगों को गले से लगायें और एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का आदर व सम्मान करना सीखें। ऐसी ही मैं उस तरफ से उम्मीद करती हूं कि वे राम को आदर, सम्मान दें। वे इस विवाद से ऊंचा उठ कर अयोध्या में राम मंदिर बनाने में सहयोग दें। बहुत सी मुसीबतें और जटिल समस्याएं इस समय हमारे देश के सामने हैं। उन सभी समस्याओं का आसानी से हल निकल जायेगा अगर हम मिल कर एक जुट होकर राम मंदिर बनवाये इस देश के अन्दर एकता, भावनात्मक एकता, ईमोशनल इंटिग्रेशन लायें, हम एक दूसरे के गले मिलें और कहें कि जहां राम मंदिर हिन्दुओं का है वहां मुसलमानों का भी है, ईसाइयों का भी है और हम सभी का है क्योंकि राम किसी एक जाति या एक विशेष धर्म या न मजहब के नहीं है।

राम सबसे ऊंचे राष्ट्र के प्रतीक हैं, हम भारतीय ही नहीं वरन सम्पूर्ण मानव जाती के लिए वे एक महान मर्यादा पुरुषोत्मत महापुरुष के रूप में हैं, क्योंकि आपको मालूम है, महोदय, कि हमारे आर्य समाजी बन्धु लोग भी बन्दे अवतार नहीं मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं पर वे उनको एक उच्च आदर्शवान विभूति अवश्य मानते हैं। मैं जब-जब अयोध्या जाती हूं तो मैं वहां पर एक छोटा सा जो गुरुद्वारा जो रामजन्म भूमि के निकट है जहां पर है, गुरू गोविन्द सिंह जी ने तपस्या की थी, जहां उन्होंने साधना की थी, उस स्थल पर मैं जरूर जाकर माथा टेकती हूं, क्योंकि, गोविन्द से भी गुरू ऊंचे माने जाते हैं, क्योंकि, गुरु ही गोविन्द से मिला देते हैं। वहां जब मैं माथा टेकने गई थी तो मुझे बताया गया कि गुरु गोविन्द सिंह जी ने वहां तप और साधना के पश्चात अपनी सेना द्वारा रामजन्म भूमि स्थान को मुक्त किया था। मुक्ति दिलाने के बाद उन्होंने वहां उचित व्यवस्था कराकर जब वे वहां से चले गये फिर विवाद शुरू हो गया। सदियों में समय समय पर वहां पर रक्तपात हुआ है, कई लोग वहां पर मरे हैं, यह केवल आज का विषय नहीं है, कहना चाहिए जब से मस्जिद बनी है, करीब-करीब उन्हीं दिनों से कहना चाहिए, संघर्ष चल रहा है। फैजाबाद में जो मुसलमान हैं और अयोध्या में जो मुसलमान हैं, मैं उनको धन्य कहती हूं, किसी ने आज तक यह जिद नहीं की कि वहां जाकर हम नमाज पढ़ें, यह हमारी मस्जिद है, ऐसा विवाद उन्होंने कभी नहीं निकाला कम से कम 1936 से तो नहीं, मैं यह कहना चाहती

हूं कि आइये, मेरे मुसलमान, ईसाई, सब मेरे मित्र राम को आप अपने से अलग मत करिये। राम आपके भी हैं और राम आपके लिए भी एक उच्च आदर्श छोड़ गय हैं, मानव जीवन कैसे जीना चाहिए, उन्होंने वह आदर्श सामने रखा है। इस वक्त मैं आप से हाथ जोड़ कर कहना चाहती हूं, कोई मुझे किसी ग्रन्थ में बता दे, वेद में, पुराण में कहीं किसी ग्रन्थ में कि राम के जमाने में हिन्दू शब्द भी था, न तो उस वक्त हिन्दू थे, न वहां मुसलमान थे, न वहां पर उस वक्त मस्जिद थी।

मुझे इस रजोल्यूशन का पूर्वार्ध तो बहुत पसन्द आया परन्तु उसका दूसरा आधा भाग जो है, उसके लिए मैं सबसे हाथ जोड़कर खाली इतना कहना चाहती कि यदि आप पूरे को रखना चाह, तो भय है कि फिर से झगड़ा शुरू हो जायेगा, क्योंकि, मैंने यह सुना है कि हरियाणा, पंजाब आदि में 1947 के बाद भी बहुत सी मस्जिदों को भी तोड़कर गुरुद्वारे, मंदिर वगैरह बनाये गये हैं तो इस प्रकार इस झगड़े को खोलना ही क्यों? बस केवल हम जल्दी से जल्दी हल निकालने की कोशिश करें सदभावनापूर्ण वातावरण निर्मित करके ताकि भावनात्मक एकता सम्भव हो सकें।

महोदय, मैं यही आपके मार्फत अपील करना चाहती हूं कि एक सद्भावनापूर्ण वातावरण में, आइये, हम सब बैठें और जानबूझकर अगर कोई वोटों के लिए तुष्टिकरण करना चाहते हैं, लोगों का तुष्टीकरण करना चाहते हैं तो उस बात पर ध्यान न दिया जाय आईये हम आप सब मिलकर अपने अन्तर्मन को, टटोलें और अगर हमारा मन शुद्ध है तो हम अवश्य ही हल निकाल सकेंगे और इसके बाद आपको विश्वास से मैं कहती हूं, जब इस तरह से भावनात्मक रूप में हम एक हो जायेंगे तो फिर अवश्य ही सारी समस्याओ का हल हम निकाल सकेंगे, यह मैं विश्वास के साथ कह रही हूं।

इतना ही कहकर मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

**(अनुवाद)**

**श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** (जादवपुर) : इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं यह कहूंगी कि इस प्रस्ताव के दो भाग हैं। दूसरे भाग में वास्तव में अप्रैल 1950 में लखनऊ में राष्ट्रीय एकता पर हुए अधिवेशन का ही प्रस्ताव है, जिसमें कई प्रसिद्ध गांधी वादियों जैसे आचार्य नरेन्द्र देव और पंडित सुन्दर लाल उपस्थित थे। कांग्रेस दल लम्बे समय से इस प्रस्ताव को भूल गई थी। हाल ही में स्वागत योग्य कदम के रूप में बिल्कुल इसी तरह के प्रस्ताव को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। हम कह सकते हैं कि कभी नहीं से देरी भली। इसे राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी शामिल किया गया था।

अत: इस प्रस्ताव पर हमें कांग्रेस दल के पूर्ण समर्थन की आशा है। प्रस्ताव का पहला भाग अयोध्या के बारे में और अयोध्या को एक विशेष मामले के रूप में देखा जा रहा है।

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य]

5.00 म० प०

अयोध्या के मामले के शांतिपूर्ण हल की सिफारिश की गई थी।

**सभापति महोदय :** कृपया बीच में न टोकें।

**श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :** अब मैं यह कहूंगी कि अयोध्या का मामला विशेष मामला नहीं है। इसे विशेष मामला बना दिया गया है। जो कोई समस्या नहीं थी उसे एक समस्या बना दिया गया। इस प्रकार हमारे पास कई सौ राष्ट्रीय समस्याएं हैं जैसे कि क्या हम अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लें या नहीं। क्या हम अपनी औद्योगिक नीति की उदार बनायेंगे या नहीं, और अब हमें इस पर भी विचार करना है कि अयोध्या में मंदिर बनाया जाये या नहीं। इस प्रकार जो कोई मसला नहीं था उसे एक मसला बना दिया गया।

यह प्रक्रिया 22/23 दिसंबर 1949 को शुरू की गई थी जब ऐसा माना जाता है कि रामलाला की मूर्ति बाबरी मस्जिद में प्रकट हुई थी। कोई यह भी पूछ सकता है कि इतने वर्षों तक उन्होंने इंतजार क्यों किया। इससे पहले क्यों नहीं? 1949 की विशेष रात को ही क्यों? शायद मैं नास्तिक हूं। शायद मेरे लिए ऐसा प्रश्न पूछना भी पाप होगा। मैं इस समय अपने आप को प्रश्न पूछने से रोक नहीं रही हूं। फिर भी श्री लाल कृष्ण आडवाणी में यह कहने की शिष्टता है। मैं 24 सितंबर 1990 के हिन्दुस्तान टाईम्स से उद्धृत कर रही हूं।

> "1949 से वहां मूर्ति स्थापित है और पूजा हो रही है" फिर "वहां अब बाबरी मस्जिद जैसी कोई चीज नहीं है। शायद 1936 तक वहां मस्जिद हो।"

इसमें थोड़ी सी खामी है। एक तरफ 1949 को निर्णायक तिथि माना जा रहा है। दूसरी जगह इसे 1936 कहा जा रहा है। कम से कम उन्होंने इसे ऐसा ही छोड़ रखा है। क्या यह 1936 या 1949। श्री आडवाणी के वक्तव्य से यह बात रह जाती है कि 1949 या कम से कम 1936 से पहले वह मस्जिद हो सकती है। यहां तक की आज भी कुछ लोग यह सोच सकते हैं यह मस्जिद नहीं मन्दिर है। अत: 1936 या 1949 से पहले यह ढांचा मस्जिद था तब यह प्रश्न उठता है कि "यह 1936 या 1949 के बाद मन्दिर में कैसे बदल गया? यह कैसे बदल गया?" या यह सब 1986 में हुआ जब ताला खोला गया।

यह उसी प्रक्रिया से हुआ जिसकी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने सही भर्त्सना की थी जब कभी कुछ ऐसा हमारे पड़ोसी राष्ट्रों में पाकिस्तान बंगलादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों पर जबरन कब्जे के रूप में होता है। फिर किस प्रकार वास्तव में 1986 के बाद यह मन्दिर में बदल गई। अत: किस प्रकार एक बात जो बंगलादेश और पाकिस्तान में हुई हो उसे गलत ठहराया जाता है और जब वह भारत में होती है तो किस प्रकार उसे न्यायोचित ठहराया जा सकता है? यह प्रश्न मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों से पूछना चाहूंगी।

भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के हमारे कुछ मित्रों ने इस बात के सबूत देकर यह दावा किया था कि पहले वहां एक मन्दिर था और उन्होंने उसके गिराने के भी प्रमाण दिए थे।

मैं इनकी विस्तार में चर्चा नहीं करूंगा। मैं केवल यह कहूंगी कि यह सभी ऐतिहासिक और पुरातत्व प्रमाण प्रो० बी० बी० लाल के दोहरे पुनः विचारों तक सीमित हैं। इसे शैक्षणिक वर्ग, पुरातत्व नेताओं और इतिहासकारों ने अस्वीकार कर दिया है।

5.04 म० प०

(श्री पी० एम० सईद बैठासीन हुए)

**स्कन्द पुराण के अयोध्या महात्मय** को छोड़कर संस्कृत की किसी भी पुस्तक में मन्दिर होने का कोई प्रमाण नहीं है। सभी विद्वान जानते हैं कि **स्कंदपुराण** बाद में लिखा गया है जिसमें 18 वीं शताब्दी के प्रक्षिप्त अंश शामिल है। अतः यह कोई सबूत नहीं है। तुलसी **रामायण** में भी कोई सबूत नहीं है। तुलसीदास ने अपनी **रामायण** उस समय लिखी थी जब मंदिर को गिराया जाना था और वह भारत में मुस्लिम आक्रमण से चिंतित थे। अतः क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि उन्होंने इस स्थान पर मंदिर गिराये जाने के बारे में कुछ नहीं लिखा। दूसरी ओर इतिहास को बाद में तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। वास्तव में इसे हाल ही में तोड़ा-मरोड़ा गया है। इसका सबूत हाल ही में उस स्थान पर मिला है जहां मूर्ति स्थापित की गई बाबर के सिपाहियों के चित्र थे कि वह मंदिर को नष्ट कर रहे हैं और हिंदुओं को मार रहे हैं। पुरातत्ववेताओं और इतिहासकारों ने एकमत से कहा कि यह मिथ्या है और जिन व्यक्तियों ने बाबरी मस्जिद की दीवार पर वह चित्र बनाए और जिन्होंने मिटाए, उन्हें आगामी पीढ़ियों को इतिहास को इस प्रकार तोड़ने-मरोड़ने के लिए उत्तर देना होगा।

तथापि, एक क्षण के लिए हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि यह मंदिर था और बाबर के समय में उसे गिराया गया। यदि ऐसा हुआ भी था तो क्या यह इस बात को न्यायसंगत ठहराता है कि 1991 में मस्जिद को मंदिर में बदल दिया जाए। क्या मस्जिद के गिराना उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं।

वास्तव में प्राचीन काल में हमने यह देखा कि जब पूजा स्थल धन के भंडार प्रतीत होते थे अपना राजनीतिक सत्ता का सवाल होता था तब हिन्दु और मुस्लिम शासक समान रूप से क्रूर होते थे। यहां तक कि हिंदू शासकों ने भी मंदिर नष्ट किए। इसका सबूत हमें **कल्हणा की राजतरंगिनी** में मिलता है। अनेक सबूत हैं कि हिंदुओं ने बौद्ध मठों को नष्ट किया, बौद्ध देवताओं की मूर्तियों को हिंदू देवताओं की मूर्तियों में बदला। उनकी मूर्तियां चुराईं। यदि ऐसा था तब हिन्दू देवताओं की उन मूर्तियों का क्या होगा जो ब्रिटेन द्वारा चुराई गई? जो अब भी ब्रिटिश संग्रहालय में उपलब्ध हैं। मैं विश्व हिन्दू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अपने मित्रों से कहना चाहती हूँ कि वे सबसे पहले उन मूर्तियों को प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाएं जो भारत से बाहर ले जाई गई। वे इसके लिए कोई आंदोलन क्यों नहीं चलाते हैं? ऐसा करना चाहिए।

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य]

1949 में बलपूर्वक मस्जिद पर कब्जा करने से कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का अंदेशा पैदा हो गया था। इसीलिए इस स्थान पर ताला लगा दिया गया और यथा-स्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए गए। इसलिए कुछ माननीय सदस्यों ने जो यह कहा है कि जब प्रतिमा स्थापित की गई थी उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा, ठीक नहीं है। 1949 से उस स्थान पर नमाज इसलिए नहीं पढ़ी गई । 1 फरवरी, 1986 को इसका ताला खोला गया . . . (व्यवधान) ठीक है, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए।

इसका ताला फैजाबाद के जिलाधीश के आदेश से खोला गया जिसने यह कहा कि वह ऐसा हिन्दुओं को उस स्थान का दर्शन करने देने के लिए कर रहे हैं। तथापि, इस निर्णय का विरोध किया गया और यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष खंडपीठ के समक्ष लम्बित पड़ा है । माननीय दीक्षित जी ने कहा कि वे मेरे विचार से वह भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद आदि की बात कर रहे थे---कानून से बंधे हैं । अब स्थिति यह है कि जो निर्णय उनके पक्ष में है वे उसको मानने के लिए तैयार हैं और जो निर्णय उनके पक्ष में नहीं है उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। यह अच्छी भावना नहीं है । यह याद रखना चाहिए कि विवादास्पद स्थान आज भी इससे जुड़ा हुआ है । यह प्राप्तकर्ता के हाथ में है। चार मुकदमे लम्बित पड़े हैं । क्या यह धार्मिक विवाद है ? यह धार्मिक विवाद नहीं है । यह भूमि का विवाद है, यह भू-संपति का विवाद है । उस भूमि के अन्य दावेदार भी हैं । निर्मोही अखाड़ा का क्या मामला है ? उनके भी मुकदमे न्यायालय में लम्बित पड़े हैं । जैसा कि मैंने कहा कि मैं नास्तिक हूँ। लेकिन मुझे दुख है कि विश्व हिन्दू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो स्वयं को अस्तिक मानते हैं, ने राम लाला को एक छोटी सी भूमि का स्वामी बना दिया है जिसे लाखों हिंदू भगवान का अवतार मानते हैं । उन्होंने क्या किया है ? यदि राम लाला भगवान हैं तब उन्हें भूमि के उस छोटे से टुकड़े से क्या लेना देना । मेरे विचार से आस्तिकों के लिए यह देवता का मजाक उड़ाना है ।

अब वह यह कह रहे हैं सरकार उस भूमि पर कब्जा कर ले और विश्व हिन्दू परिषद को राम लाला के नाम पर वहां मंदिर बनाने दे । राम लाला मुकदमे का एक पक्ष नहीं है अब उसे मुकदमे का एक पक्ष बनाया जा रहा है । उसे भूमि की बेनामी सौदेबाजी का एक पक्ष बनाया जा रहा है । केवल यही नहीं बल्कि धन की सौदेबाजी में भी उसके नाम का उपयोग किया गया । हमें बताया गया---मैं नहीं जानती कि यह सच है या नहीं---अनेक लोग हैं जो इसका उत्तर दे सकते हैं कि विश्व हिन्दू परिषद ने दिल्ली में 5 रु० के 45 करोड़ कूपन छापे । शायद वह कूपन बेचे गए। लेकिन वह धन कहां है ? उसका क्या किया गया ? राम लाला ने एक भी पाई उसमें से खर्च नहीं की । लेकिन यह धन उसके नाम पर इकट्ठा किया गया । विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने कभी भी यह स्पष्ट नहीं किया कि वे उस भवन में क्या करना चाहते हैं। इसमें अनेक संदेह बने हुए है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वे केवल वह स्थान चाहते हैं, वहां निर्माण कार्य नहीं करना चाहते। उस स्थान पर क्या किया जाना था ? पहले उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उसे गिराया जाएगा। मुझे माननीय अवैद्यनाथ जी की बात सुनकर हैरानी हुई कि वह बार-बार 'तोड़ना' शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यद्यपि उन्होंने बाद में ऐसा नहीं कहा । फिर कहा कि इसे वहां से एक-एक ईंट करके स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जैसा कि सभी पुरातत्ववेत्ता जानते हैं कि यह

अत्यंत पेचीदी तकनीक है । क्या हमारे विश्व हिन्दू परिषद के मित्र जानते हैं कि इस प्रकार मस्जिद का पुनर्निर्माण करने में कितनी लागत आएगी ? जरा उस आर्थिक संकट के बारे में सोचिए जिससे हमारा देश गुजर रहा है । क्या हम यह खर्च वहन कर सकते हैं? मस्जिद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कितना खर्चा आएगा ? इसे दूसरे स्थान पर ले जाया ही क्यों जाए ? यही मुख्य प्रश्न है ।

भावना के बारे में काफी कुछ गया है । यह बात अत्यंत रुचिकर है कि धार्मिक भावना अलौकिकता और भगवान के मनुष्य रूप में अवतरण की धारण में अंतर्निहित प्रतीत नहीं होती है । मैं नास्तिक हूँ फिर भी मैं उस संकल्पना से अवगत हूँ । लेकिन कुछ लोगों की धार्मिक भावना अवतरण की भावना से जुड़ी हुई नहीं है बल्कि भूमि के टुकड़े से जुड़ी हुई है । हमें यह बताया गया है कि यह मस्जिद नहीं है । वास्तव में हम इस विवाद में वर्ष 1949 से फंसे हुए हैं। धीरे-धीरे हम उस स्थिति में पहुंच गए कि 1986 के बाद इसका ताला खोल दिया गया और यथार्थतः इस स्थान को मंदिर में बदल दिया गया । अब स्थिति यह है कि उस स्थान और भवन दोनों की सौदेबाजी की जा रही है । पहले केवल स्थान का बात थी अब दोनों की बात की जा रही है ।

पिछले दिनों श्री आडवाणी जी जनमत की बात कह रहे थे । मैं नहीं जानती कि उन्होंने जनमत की बात क्यों की । मेरा विचार है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता है और सरकार बनाई है तथा आडवाणी जी यह सोचते हैं कि शायद लोगों ने उत्तर प्रदेश में उन्हें इसलिए चुना है कि उन्होंने राम मंदिर बनाने का आश्वासन दिया था। यह मेरा विचार है, वैसे मैं इस बारे में कुछ जानती नहीं हूँ। फिर भी भारतीय जनता पार्टी केवल राम के नारे से ही विजयी नहीं हुई है । उन्होंने राम के साथ रोटी और इंसाफ का भी नारा दिया । अतः आडवाणी जी को यह कैसे पता कि लोगों ने उन्हें इसलिए वोट दिए हैं कि उन्होंने राम की बात की है । शायद उन्हें इसलिए वोट मिले हों कि उन्होंने रोटी और इंसाफ की बात की । मैं नहीं जानती कि वे लोगों को रोटी, इंसाफ और स्थिरता दे पाएंगे। लेकिन हो सकता है कि जनता ने उन्हें इसी कारण वोट दिए हों ।

अब आप देखिए कि यह मंदिर विश्व हिन्दू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मंच है। उन्होंने ही राम मंदिर का नारा लगाया । यही एक मंच है । अतः विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भारतीय जनता पार्टी की जीत को राम मंदिर बनाने का अवसर क्यों बना रहे हैं ? मैं यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आडवाणी जी किसके जनमत की बात कर रहे थे ? वह हिंदुओं के जनमत की बात कर रहे हैं। मंदिर विवाद अब केवल उत्तर प्रदेश का नहीं रहा है बल्कि यह राष्ट्रीय मामला बन गया है । इसे राष्ट्रीय विषय बना दिया गया है। इसीलिए रथ यात्रा निकाली गई जिससे आडवाणी जी भावी पीढ़ियों के लिए भी अमर हो जाएं। अब यह राष्ट्रीय विषय बन गया है । परन्तु हमारे देश की कुल जन संख्या में हिन्दुओं का प्रतिशत कितना है तथा भारतीय जनता पार्टी को हमारे देश की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत हिन्दुओं की वोटें मिली ? क्या यह इस बात को दर्शाता है कि हिंदुओं ने मंदिर बनाने का जनादेश दिया ? मेरे विचार से वह यह जानते हैं कि भारत में रहते हुए अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमान अल्पसंख्याकों जो कि संख्या में काफी है, की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य]

अब भावनात्मक एकता की बात की जाती है। पहले वे हिन्दुओं के स्वयं-नियुक्त संरक्षक थे। अब वे स्वयं को मुसलमानों का स्वयं-नियुक्त संरक्षक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने भावनात्मक एकता के बारे में सुना है, भावनात्मक एकता को डर से नहीं प्राप्त किया जा सकता। आप एक रॉड (छड़) लेकर किसी व्यक्ति को जाकर नहीं कह सकते कि मैं यहां मंदिर बनाने जा रहा हूँ, मैं देखता हूं कि आप क्या कर सकते हैं, और फिर भावनात्मक एकता की बात करते हैं।

मेरे विचार से बी०जे०पी० मित्र अयोध्या के मामले पर इतने प्रसन्न नहीं है। वे अयोध्या के मामले पर बड़ी कठिनाई में है और इसलिए अयोध्या मंदिर को प्राप्त करने के लिए विश्व हिन्दू परिषद और आर एस एस बार-बार मथुरा और वाराणसी से सम्बंधित नारों का इस्तेमाल कर रही है और उतना ही नहीं वे मथुरा और वाराणसी तक सीमित नहीं है। समय-समय पर तीस हजार मंदिर जो नष्ट किये जा चुके हैं, के बारे में भी नारे लगाये जाते रहे हैं। मेरे विचार से बी०जे०पी० के हमारे मित्र वर्तमान स्थिति से प्रसन्न नहीं है। हो सकता है वे प्रसन्न हो जाये यदि किसी तरह से विवादास्पद स्थल अयोध्या मंदिर उन्हें मिल जायें यह भी हो सकता है वह ऐसा करने का प्रयास इसलिए कर रहे है क्योंकि उन्हें अपनी पूर्व स्थिति में आना कठिन प्रतीत हो रहा है। लेकिन अब उनके लिए अपनी पूर्व स्थिति में आना कठिन है, ऐसा भी हो सकता है कि बाद में उनके लिए पूर्व स्थिति में आने में और कठिनाई हो। अतः मेरे विचार से उनके लिए यह प्रस्तावित विधान अंतिम अवसर है और मैं सोचता हूँ कि बी० जे० पी० के हमारे मित्रों को इस संकल्प को स्वीकार करने के लिए आग्रह किया जाना चाहिए। और इस तरह से लोग उनके आभारी होंगे वे उनमें डर और घृणा पैदा न करें।

**श्री शरद दिघे** (बम्बई उत्तर-मध्य) : सभापति महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प का समर्थन करता हूँ। निःसंदेह संकल्प के इस कापक ढांचे का काफी स्वागत किया जायेगा। हम संकल्प में उल्लेखित सभी बातों से सहमत नहीं है लेकिन यह वास्तव में उनके संवेदना शील मसलों से सम्बंधित है जो पिछले कई वर्षों से देश के समक्ष हैं। इस संकल्प से लम्बे समय से चल रहा विवाद समाप्त हो जायेगा संकल्प में सुझाव है कि सरकार को अयोध्या में मंदिर से संबंधित विवाद को शान्तिपूर्वक ढंग से निपटाने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी जब मैंने सुना कि राजमाता विजया राजे सिंधिया संकल्प के प्रथम हिस्से को स्वीकार करती हैं। और मुझे हैरानी हो रही थी कि इस नेता द्वारा लिया गया निर्णय बी० जे० पी० तथा उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों द्वारा लिए गये निर्णय से अलग क्यों है ?

**एक माननीय सदस्य** : कोई मतभेद नहीं है (व्यवधान)

**श्री शरद दिघे** : फिर संकल्प पारित क्यों नहीं करते ? (व्यवधान)

**सभापति महोदय** : कृपया बीच में बाधा मत डालिए।

**श्री शरद दिघे** : उन्होंने इतना ही नहीं कहा कि वे संकल्प के केवल प्रथम हिस्से से ही सहमत नहीं है बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि राम केवल हिन्दू धर्म के ही नेता नहीं है बल्कि सांस्कृतिक ऐतिहासिक पुरुष हैं। इस देश के राष्ट्रीय पुरुष हैं और यदि यह दृष्टिकोण है तो मेरे विचार से इस विवाद को शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाने के काफी आसार है ।

अब, महोदय, उस संवेदनशील मुद्दे पर हमें बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। जैसा कि श्रीमती भट्टाचार्य ने कहा हैं जबकि देश के समक्ष इतने आर्थिक मसले और कठिनाइयां हैं तो हम दो धार्मिक समुदायों के बीच के इस झगड़े को सहन नहीं कर सकते और दूसरी तरफ कहते हैं कि जी नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई बातचीत नहीं, लेकिन हम मंदिर का निर्माण करेंगे हमें उस स्थान से मस्जिद हटानी होगी या गिरानी होगी। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि उस मस्जिद को गिराये बिना उस स्थान पर मंदिर कैसे बनाया जा सकता है । जब आप कहते हैं कि हम गिराना नहीं चाहते बल्कि हम हटाना चाहते हैं । कई बार यह कहा था कि एक एक इंट करके हटाया जायेगा यदि मैं ठीक कह रहा हूँ तो श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने कहा था आप रूस की प्रौद्योगिकी नहीं जानते ? हम भवन को ही हटा सकते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं **(व्यवधान)**

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी** (लखनऊ) आन्ध्र की टेक्नालाजी, रूस की न ही।

**श्री शरद दिघे** : इसलिए, वास्तव में लगता है मस्जिद गिराई जायेगी और मंदिर का निर्माण किया जाएगा जिससे देश में झगड़े शुरू हो जायेंगे विशेषकर उत्तर प्रदेश में। और जैसा कि श्रीमती भट्टाचार्य ने सुझाव दिया है, कि उनका दल उत्तर प्रदेश में सत्ता में है और शायद वे सुविधा में भी हैं । एक बार उन्होंने कहा था अब यह जन देश है और हम इसे पूरा करेंगे । दूसरो को इसे करने के लिए कहना आसान था लेकिन जब आप इसके प्रभारी हैं तो यह आप के लिए दुविधा बन गई है और ऐसा राजमाता के भाषण से भी स्पष्ट होता है। मुझे लगता है कि नीति में परिवर्तन के लिए कुछ पृष्ठभूमि बनाई जा रही है। इसका भी स्वागत है यदि इस स्तर पर बी० जे० पी० द्वारा विचार किया जा रहा है ।

जहां तक इस मसले का सम्बंध है बहुत सी ऐतिहासिक बातें जो प्रकाश में लाई गई है, उनको ध्यान में रखते हुए इस विषय को अनावश्यक रूप से इतना अधिक संवेदनशील बनाया गया है। जहां तक इन मूर्तियों का सम्बंध हैं यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि ये मूर्तियां 22 और 23 दिसम्बर 1949, को स्थापित की गई थीं।

**सभापति महोदय** : अब समय समाप्त होता है । अतः माननीय सदस्य अगले संकल्प के दिन इस पर चर्चा कर सकते हैं ।

---

5.30 म० प०

## सभापति द्वारा घोषणा

### सभा की बैठक का रद्द किया जाना

**सभापति महोदय** : पार्टियों के कई नेताओं और सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए यदि सदन सहमत हो तो सदन की बैठक शनिवार को नहीं होगी। सभा की शनिवार की कार्यवाही सोमवार को की जायेगी और हम सदस्यों को बजट पर बोलने के लिए अधिक से अधिक समय देंगे। श्री षण्मुख की मृत्यु के मामले पर भी सोमवार को 5.00 बजे चर्चा की जायेगी।

**अनेक माननीय सदस्य** : जी हाँ।

**सभापति महोदय** : अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री सरकारी कार्य जो 29 जुलाई, 1991 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह से सम्बंधित है, के बारे में वक्तव्य देंगे।

---

## सभा का कार्य

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 29 जुलाई, 1991 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

(1) आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(2) दिल्ली नगर निगम विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और दिल्ली नगर निगम विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार और पारित करना।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 1991 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार और पारित करना।

(4) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 1991 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 1991 पर विचार और पारित करना।

(5) जम्मू और कश्मीर दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और जम्मू और कश्मीर दण्ड विधि संशोधन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार और पारित करना।

(6) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1991 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार और पारित करना ।

(7) उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1991 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार और पारित करना ।

(8) संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार और पारित करना ।

**श्री ई० अहमद** (मंजेरी) सभापति महोदय, आमतौर पर हम सप्ताह के अन्तिम दिन नियम 377 के अधीन मामलों के लिए सूचना देते हैं । हमने सोचा कि हम यही नोटिस कल दे सकते हैं क्योंकि कल सप्ताह का अन्तिम दिन है । अब, कल सदन की बैठक नही है और अतः हम नियम 377 के अधीन मामलों के लिए नोटिस नहीं दे सकते ।

**सभापति महोदय** : जैसा मैंने पहले कहा था, शनिवार की सभा की कार्यवाही सोमवार को होगी और 377 के अधीन मामले भी सोमवार को ही लिये जायेंगे ।

**श्री ए० चार्ल्स** (त्रिवेन्द्रम) : सभापति महोदय, साधारणतयः नोटिस जो सप्ताह के अंतिम दिन 11.30 बजे दिये जाते है, को नियम 377 के अधीन मामलों पर अगले सप्ताह विचार किया जायेगा और कल सप्ताह का अन्तिम दिन होने के कारण हमने कल नोटिस देने के लिए कहा है। नियम 377 के अधीन मामलों या नोटिस देने के लिए कल का सुबह 10.00 बजे से 10.30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था । अब कल छुट्टी है यह सोमवार सुबह 10.00 से 10.30 बजे तक बढ़ा दिया गया है । नियम 377 के अधीन मामलों से सम्बंधित नोटिस देने का समय सोमवार के लिए निर्धारित किया गया है ।

**सभापति महोदय** : जो कुछ कार्यवाही हमने कल के लिए निर्धारित थी वह कार्यवाही अब सोमवार को होगी । जब शनिवार कं कार्यवाही नहीं होगी तो शनिवार की निर्धारित कार्यवाही सोमवार के लिए हो गयी है ... क्या कल आप बैठक के लिए तैयार हैं ?

आप बैठक नहीं करना चाहते । इसलिए, कल की कार्यवाही सोमवार को होगी ।

[हिन्दी]

**डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** (मंदसौर) : सभापति महोदय, सबमिशन कब लिए जाएंगे ?

**सभापति महोदय** : वह ट्यूजडे को लिए जाएंगे ।

**डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : तो फिर उसकी बैलेटिंग कब होगी, वह तो आ ही नहीं सकते ?

**सभापति महोदय** : मंडे को नहीं आएगा। सैटर्डे का कार्य मण्डे को आएगा।

**डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : नोटिसेज अंतिम कार्यदिवस को लिए जाते हैं। अंतिम कार्य दिवस कल पड़ रहा था .. (**व्यवधान**)

**सभापति महोदय** : इसीलिए उसको मण्डे का लेंगे।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : हाफ़ अवर डिस्कशन के 10 मिनट तो चले गए।

**सभापति महोदय** : क्या करें, आप ही के मेम्बर उधर से बोलते हैं।

**(अनुवाद)**

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** (विजयवाड़ा) : ये अनुरोध सोमवार को कहे जा सकते हैं।

**श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** (देवगढ़) : यह अनुरोध दो प्रकार के हैं। एक अनुरोध तो शून्य-काल के दौरान रोजाना ही होते हैं और दूसरा अनुरोध सप्ताह में एक बार किया जाता हैं। अगले सप्ताह के कार्य के बारे में माननीय मंत्री के वक्तव्य के बाद हम अनुरोध करते हैं कि निम्नलिखित मुद्दे अगले सप्ताह के कार्य में शामिल कर लिए जाएं। इसकी अनुमती सोमवार को दी जाए।

**सभापति महोदय** : जब आप नियम 377 के अधीन मामले ले रहे हैं तो अगले सप्ताह के कार्य हेतु अनुरोध नहीं आएंगे। दोनों बातें नहीं होंगी।

**श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : सोमवार को सदस्य अपने अनुरोध कहें और नियम 377 के अधीन मामले प्राप्त करने के नोटिस की अवधि सोमवार तक बढ़ा दी जाए।

**सभापति महोदय** : इसका मतलब यह हुआ कि मंगलवार के बाद नियम 377 के अधीन मामले लिए जाएंगे। क्या अब यह स्पष्ट है ?

---

**5.40 म० प०**

## आधे घंटे की चर्चा

### आयात और निर्यात के महानियंत्रक (सी० सी० आई एण्ड ई०) को शक्तियों का प्रत्यायोजन

**सभापति महोदय** : मेरे विचार से अब यह स्पष्ट है हम आधे घंटे की चर्चा लेते हैं। डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय बोलें।

**(हिन्दी)**

**डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : (मंदसौर) : सभापति जी, मैंने वाणिज्य मंत्री से दिनांक 22 फरवरी को एक प्रश्न पूछा था :

(अनुवाद)

"क्या केन्द्रीय सरकार ने आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत आयात और निर्यात पर नियंत्रण रखने के लिए प्रावधान करने हेतु शक्तियां प्रत्यायोजित की है।"

(हिन्दी)

मेरे पास जो उत्तर आया है वह यह है

(अनुवाद)

"आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के तहत मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात को शक्तियों के प्रत्यायोजन के मामले की सक्रिय रूप से विचाराधीन है।"

(हिन्दी)

उसके बाद मैंने फिर दुबारा इस प्रश्न को 12 जुलाई को पूछा तो पुनः वही उत्तर आया मैं पढ़ रहा हूं :

(अनुवाद)

"शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित 22 फरवरी 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 132 पर दिए गए उत्तर को देखिए।"

(हिन्दी)

उत्तर यह था।

(अनुवाद)

"मामला अभी भी विचाराधीन है और जैसे ही कोई निर्णय लिया जाता है उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।"

(हिन्दी)

उसके बाद मैंने फिर एक प्रश्न उनसे पूछा था। उसका उत्तर जो मुझे प्राप्त हुआ तो उसमें मंत्री महोदय ने उन सब बातों को छिपाने का काम किया है यानी कि उनका इस बारे में स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया था।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कन्ट्रोल एक्ट 1947 का ऐक्ट है। इसमें इतनी विसंगतियां हैं और यह इतना पुराना हो गया है कि इसको अमेंड करने की नितान्त आवश्यकता है। इस बारे में जब सबॉर्डिनेशन लैजिस्लेशन कमेटी के सामने इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के यानी कि कामर्स के सेक्रेटरी और टैक्सटाइल के सेक्रेटरी गये तो उन दोनों ने यह स्वीकार किया कि वास्तव में यह ऐक्ट इतना पुराना है कि इसको अमेंड करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से भी अमेंड करने की आवश्यकता है कि

[डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

डैलिगेशन ऑफ पावर के बारे में जो सरकार ने निर्णय किया है, वह दोषपूर्ण है वह गलत है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन्होंने इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट ऐक्ट, 1947 में जो डैफिनेशन दी है, चीफ कंट्रोलर की दी है वह इस तरह है।

(अनुवाद)

"मुख्य नियन्त्रक" से आयात-निर्यात का मुख्त नियंत्रक अभिप्रेत है ।

(हिन्दी)

ऐक्ट की बात को गवनमेंट आडर से रिप्लेस करना चाहते हैं, उसे अमेंड करना चाहते हैं जिस को अटार्नी जनरल ने कहा है कि वह इस तरह किसी आडर के जरिये अमेंड नहीं हो सकता है किन्तु उसे अमेंड कर दिया गया। मैं उस आडर की धारा भी पढ़ना चाहता हूं। यह आर्डर 1955 का है । उन्होंने चीफ कन्ट्रोलर इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट इसकी डैफिनेशन की ओर विस्तृत कर दिया है । उसमें इन्होंने कहा है :

(अनुवाद)

"1955 आर्डर :

आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक में आयात और निर्यात के अतिरिक्त मुख्य नियंत्रक; आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में निर्यात आयुक्त; आयात और निर्यात के संयुक्त नियन्त्रक; आयात और निर्यात के उप मुख्य नियंत्रक तथा लोहा और इस्पात के उप नियन्त्रक शामिल हैं।"

(हिन्दी)

मेरा यह निवेदन है कि इस तरह की डैफिनेशन को बदलने का आडर के तहत इस सरकार को अधिकार नहीं था। ऐसा करके उन्होंने गलती की है और विसंगतियां पैदा की हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि वे किसी अपील को सुनने के अधिकारी नहीं थे या किसी विवादित मामले को सुनने के अधिकारी नहीं थे। वह अनऑथोराइज्ड पर्सन ऑथोराइज्ड कर दिये । इसके बाद जब यह बात सरकार के ध्यान में आई तो उसने कहा कि हम से गलती हुई है । फिर दूसरा आडर अमेंड किया, ऐक्ट में संशोधन नहीं किया, ऐक्ट में परिवर्तन नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक आडर 1955 का है । उसमें कहा है "एन ऑथोराइज्ड आफिसर" एक ऑथोराइज्ड पर्सन और बन गये। अब तक चीफ कंट्रोलर एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के थे। उसके बाद उन्होंने उस डैफिनेशन को बदला और एडिशनल 2-4 और नाम दे दिये।

मैं उद्धृत कर रहा हूं :

(अनुवाद)

"अनधिकृत अधिकारी से अभिप्राय ऐसे अधिकारी से है जो आयात और निर्यात के उप मुख्य नियन्त्रक के पद से नीचे नहीं है तथा आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक द्वारा प्राधिकृत है ।"

(हिन्दी)

चीफ कंट्रोलर की जो परिभाषा दी गई है वह पहले दो है । चीफ कंट्रोलर अपनी तरफ से किसी को अथॉराइज कर रहा है यह भी असंगत है ।

(अनुवाद)

2 मई, 1986 को प्रस्तुत अधिनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन (7वें प्रतिवेदन) का पृष्ठ 22 पैरा 26 :—

"समिति के सचिवालय द्वारा भारत के महान्यायवादी को प्रेषित कुछ मुद्दों पर नवम्बर 1983 में उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य मत पर समिति संतोष प्रकट करती है, 30 नवम्बर 1985 की जब 31 अक्तूबर 1985 के केस का एक विवरण विधि और न्याय मंत्रालय ने उनको प्रेषित किया था ।"

"इसलिए समिति चाहती है कि भारत के महान्यायवादी की सलाह को देखते हुए वाणिज्य/वस्त्र मंत्रालय सारे मामले की पुनः समीक्षा करे ताकि विभिन्न नियन्त्रण आदेश, सार्वजनिक नोटिस, वार्षिक आयात-निर्यात नीतियां इत्यादि जिनका देश के आयात और निर्यात पर प्रभाव पड़ता है उन्हें आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 में दिए गए कानून के अन्तर्गत सुकवस्थित तरीके से लाया जा सके ।"

(हिन्दी)

इससे मामला इतना स्पष्ट है कि जो कुछ अब तक किया जा रहा है, इम्पॉर्ट और एक्सपॉर्ट आडर के तहत, इनकी मिनिस्ट्री द्वारा, वह सब वैलिड नहीं है । यदि इसको कोई लीगल चेलैंज करता है और किसी कोर्ट में ले जाता है तो मैं समझता हूं, न जाने कितने विवाद खड़े हो जायेंगे और आज भी माननीय मंत्री महोदय से जब मैंने प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर उन्होंने फिर टालकर दिया है, जो आज का दिया है ।

(अनुवाद)

आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के तहत पारित आदेश के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने के लिए आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक तथा अतिरिक्त मुख्य नियंत्रक को शक्ति प्रदत्त नहीं दी गई है ....

(हिन्दी)

और एटार्नी जनरल की राय में ऐसे कुछ मामले आये हैं, जिनमें आपत्तियां थी उन्होंने मामले को स्पष्ट किया कि कोई भी मामला सामने आये, उसके बाद उन्होंने कहा है कि यह जो कुछ हुआ है, वह ठीक नहीं हुआ है ।

मैं इसी कमेटी की रिपोर्ट का एक और हिस्सा पढ़ना चाहूंगा । यह पेज 38 पर है ।

[डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

[अनुवाद]

"समिति का विचार है कि सरकार ने निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 के खण्ड 2 में परिभाषाओं में अनधिकृत तब्दीलियां/वृद्धि की हैं . . ."

[हिन्दी]

जैसा मैंने कहा, एनलाजमैण्ड इन्होंने डैफीनिशन का किया है कि यह चीफ कण्ट्रोलर मीन्स डिप्टी चीफ कण्ट्रोलर, एडीशनल चीफ कण्ट्रोलर, स्टील कण्ट्रोलर, सब कुछ इन्होंने ले लिया है। मैं पढ़ रहा हूँ।

[अनुवाद]

मुख्य नियंत्रक से अभिप्राय उप मुख्य नियंत्रक, अतिरिक्त मुख्य नियंत्रक, इस्पात नियंत्रक . . . . . "

मैं पुनः उद्धृत करता हूं :

समिति मानती है कि सरकार ने निर्यात नियन्त्रण आदेश, 1977 के खण्ड 2 के द्वारा आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 2 दी गई 'मुख्य नियंत्रक तथा उप मुख्य नियंत्रक' की परिभाषा में अनधिकृत रूप से तब्दीली/वृद्धि की है। समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान सचिव (वाणिज्य) इसके सहमत थे कि 'आदेश' में एक भिन्न परिभाषा देने की बजाय बेहतर और अच्छा होता अधिनियम में ही संशोधन कर दिया जाता।"

[हिन्दी]

यह इनके बाद भी और आर्डर निकाले गए है माननीय मंत्री महोदय जो उत्तर देते हैं, वह कहते हैं कि हमने अब तक कोई इसपर विचार ही नहीं किया है।

[अनुवाद]

मामला अभी भी विचाराधीन है।

[हिन्दी]

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात नहीं लाई गई होगी, अन्यथा यदि लाई जाती तो शायद इस प्रकार का उत्तर उनका नहीं होता। मैं आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण मामले को उठाना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ और निवेदन करती हूं कि इसी कमेटी की रिपोर्ट के पेज 71 के अन्त में जो दिया गया है—

[अनुवाद]

"मेरा यह मत है कि अधिनस्थ विधान प्राधिकरण इस परिभाषा को विस्तृत नहीं कर सकता। केवल अधिनियम में संशोधन करके ही अधिनियम में निहित परिभाषा को विस्तृत या संशोधित किया जा सकता है। अधिनियम के अन्तर्गत कही गई तथा परिभाषित प्राधिकारियों को विधान शक्तियां दे सकता है . ."

[डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

[हिन्दी]

अब इतना स्पष्ट होने के बाद में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो कुछ किया जा रहा था, अब तक किस विधान के तहत या किस एक्ट के तहत किया जा रहा था ? क्योंकि, यह एक्ट और उसके अन्तर्गत आपने जो आर्डर्स बनाये हैं, जिसके बारे में एटार्नी जनरल का यह स्पष्ट अभिमत है कि वह ठीक नहीं है और उन आर्डर्स के द्वारा जिन-जिन व्यक्तियों को आपने अधिकृत किया है, पावर्स का डेलीगेशन किया है, उस तरह से न तो उनको आप अधिकृत कर सकते थे, न उनको पावर्स डेलीगेट कर सकते थे। ऐसा करके माननीय मंत्री महोदय ने इस बात को और भी विसंगत बना दिया है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1947 के बाद यह 1991 है, 44 वर्ष बाद भी शायद इस एक्ट के बारे में किसी को यह विचार नहीं हुआ और बारबार यह कहते जा रहे हैं, दो वर्ष पहले भी कहा, कुछ महीने पहले कहा और आज फिर कहा कि हम अभी भी इसपर विचार कर रहे हैं तो आखिर और कितने वर्ष लगेंगे उसको विचार करने में कि आप इसके अन्दर जो विसंगतियां हैं या इसमें जो गड़बड़ियां हैं, उन सब को ठीक करके जो एक एक्ट है, इमपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्ट है, इस को सुसंगत बनाने की कृपा करेंगे और इस प्रकार सुसंगत बनाऐगें जिससे कि यह जो गडबड़ियां पैदा हो रही हैं, यह जो विसंगतियां पैदा हो रही हैं उससे कई परेशानियां हो सकती हैं आपने किसी भी अनआथोराइज्ड परसन को जो एक्ट के विरुद्ध आथोराइज बना दिया है या अधिकृत कर दिया है और उसके कारण उन्होंने जो सारी अपीलें वगैरह सुनी हैं और उन अपीलों को सुनकर जो उन्होंने निर्णय दिये हैं; यदि इन निर्णयों को कहीं चेलेंज किया गया, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तो मैं समझता हूं कि उसके दुष्परिणाम सामने आयेंगे और शासन को इस प्रकार के परिणाम भुगतने पड़ेंगे जिससे पिछली सारी बातें इस प्रकार से सामने आ सकती है और अन्तहीन मामला बन सकता है ।

मैं समझता हूं, अब भी समय है, जब सरकार इन सब बातों का नोटिस लेते हुए इस मामले में ठीक से कोई निर्णय करेगी और इस एक्ट में जो इतनी विसंगति बन गई हैं, जो एक्ट इतना पुराना हो गया है, इसको अधुनातन बनाने का प्रयत्न करेगी।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसके बारे में तुरन्त निर्णय व उठाये गये प्रश्न का उत्तर देने की व अन्य बातें स्पष्ट करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : महोदय, यह चर्चा करने के लिए मैं डा० पाण्डेय का आभारी हूं। (**व्यवधान**)

**सभापति महोदय** : गंगवार जी, आप इसके बाद स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

**श्री पी० चिदम्बरम्**: अगर कोई सदस्य कुछ कहना चाहता है तो वह अब मेरे उत्तर से पहले कहे ।

**सभापति महोदय** : चार सदस्यों को भाषण देना है ।

**श्री पी० चिदम्बरम्** : उन सबको पहले बोलना चाहिए।

**सभापति महोदय** : ठीक है । तब मैं पहले उन्हें बुलाता हूं। श्री संतोष कुमार गंगवार बोलें।

[हिन्दी]

**श्री संतोष कुमार गंगवार** (बरेली) : सभापति महोदय, बातों को काफी विस्तार से बता दिया गया है, मैं उनको दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। जब पिछले 44 सालों में प्रापर एप्लीकेशन नहीं हुआ और इस दौरान जितने भी फैसले हुए हैं, क्या सरकार उनके ऊपर पुनर्विचार करेगी ? निश्चित रूप से वास्तव में ये सारे फैसले तब ही एप्रूव होंगे, जब मिनिस्टर-इन्चार्ज का वैरिफाई किया हुआ, संहमति दी होगी, स्वीकृति दी होगी और इसके अलावा अगर किसी ने और फैसला किया है, वह मान्य नहीं होगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जब यह 44 सालों में नहीं कर पाए, उसकी वजह से इतने ज्यादा फैसले हुए, उसका परिणाम इस विभाग के ऊपर और सारे उससे संबंधित पक्ष हैं, उनके ऊपर क्या असर होगा । इस हिसाब से क्या मंत्री महोदय इन सब की समीक्षा करेंगे कि जो 44 सालों में हुआ है, वह भविष्य में नहीं होगा, इस बारे में वे स्पष्ट विचार रखेंगे ?

[अनुवाद]

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, श्री पाण्डेय ने अधिनियम की स्थिति तथा कुछ समय पहले जारी सरकारी आदेश से उत्पन्न विसंगतियों का उल्लेख किया है। जो कुछ उन्होंने कहा है मैं उसे नहीं दोहराऊंगा । लेकिन मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहूंगा ।

सरकार ने दिनांक 22 फरवरी तथा 12 जुलाई 1991 के प्रश्नों के जवाब में एक जैसा ही उत्तर दिया है । इसका मतलब है कि सरकार भी भ्रमित है।

पहले उत्पन्न हुई विसंगतियों को दूर करने के लिए आवश्यक हो तो एक संशोधन लाने हेतु आवश्यक कदम उठाते हुए सरकार को निकट भविष्य में मौजूदा भुगतान संतुलन की विकट स्थिति को दूर करने के लिए निर्यात-आयात नीति को भी सरल बनाना चाहिए। माननीय मंत्री अच्छी तरह जानते हैं कि अब प्रक्रिया बहुत सख्त है । इस समय विभिन्न सरकारी विभागों की मांगों को पूरा करने के लिए निर्यातकों को प्रत्येक निर्यात सौदे के लिए निर्यात के लदान से पूर्व लगभग 25 दस्तावेज तैयार करने होते हैं। सरकार इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक नया प्रस्ताव लाए और हमारे निर्यात को बढ़ाने हेतु निर्यातकों को प्रोत्साहन देने तथा मौजूद स्थिति का सामना करने के लिए भी ऐसा करे । आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक का काय नियन्त्रण करने की बजाय एक मार्गदर्शक तथा मित्र का होना चाहिए। मुझे आशा है कि इस देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मंत्री महोदय आवश्यक परिवर्तन करेंगे । मैं इस बारे में माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

[हिन्दी]

**प्रो० प्रेम धूमल** (हमीरपुर) : सभापति महोदय, 44 साल बीत चुके हैं । इसमें मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता । मंत्री महोदय को मैं पढ़ कर सुना सकता था, लेकिन समय ज्यादा नहीं है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता है कि कमेटी आन सुबोर्डीनेट लेजिसलेशन का पैराग्राफ 17 है, इसमें मैं सीधा सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मंत्री महोदय बताएं कि :

[अनुवाद]

क्या इस अधिनियम की धारा 4 के तहत अपील सुनने की शक्ति आयात और निर्यात के अतिरिक्त मुख्य नियन्त्रक से छोटे अधिकारी को प्रदत्त की जा सकती हैं और यदि हां तो इसका अधिकार कहां पर दिया गया है । इस प्रकार के प्रत्यायोजन आदेशों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाएं ।

**श्री ई० अहमद** (मंजेरी) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों को देखते हुए इस सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता । लेकिन महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री द्वारा घोषित नई नीति के फलस्वरूप 1947 के इस अधिनियम के अनेक उपबन्ध अब निरर्थक हो गय हैं । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि निर्यात को बढ़ावा देने के रास्ते में आने वाली मौजूदा प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु जहां आवश्यक हो कुछ संशोधन लाएं। अभी भी हमारे निर्यातकों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है और उन्हें काफी कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है। इसकी कुछ सीमा होनी चाहिए अथवा इसमें कुछ शीघ्रता की जानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस मामले में जो भी कहना चाहते हैं उस सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। मैं यह भी परामर्श दूंगा कि इस सन्दर्भ में कोई भी संशोधन अथवा निर्णय चाहें वे पहले से पारित किये गये आदेश में संशोधन था फेर-बदल से सम्बन्धित हों माननीय सदस्य डा० पाण्डेय के विचारों के दृष्टि में रखते हुए भारत के महान्यायवादी से भी परामर्श कर लेना चाहिए ।

**श्री पी० चिदम्बरम** : महोदय, अतारांकित प्रश्न संख्या 132 जिसे मैंने 12 जुलाई 1991 को भी दुहराया है, से सम्बन्धित दिये गये जवाब से उत्पन्न इस लघु चर्चा के लिए मैं डा० पाण्डेय और अन्य माननीय सदस्यों का आभारी हूं। सबसे पहले मुझे यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि 12 जुलाई 1991 को मुझसे कहा गया था कि यह मामला विचाराधीन है और इसलिए मुझे ईमानदारी पूर्वक मैं सभा को यह बता देना चाहिए कि मामला विचाराधीन है । अधिकारियों, कानूनी सलाहकारों और अन्य लोगों द्वारा इस पर विचार किया जा रहा था। लेकिन महोदय, तब से मैं इस पर विचार कर रहा हूं और अभी तक मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि समस्या क्या है । लेकिन पहले मुझे अपने अधिकारियों को यह विश्वास दिलाना है की यहां आने और उस आश्वासन को कार्यान्वित करने से पूर्व मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सही है। जहां तक इस अधिनियम को मैं समझता हूँ मुझे यह बिल्कुल स्पष्ट और सरल लगता है और मुझे विश्वास है कि आपके प्रश्नों और टिप्पणियों का लाभ उठाते हुए जिन विचारों को अन्त में मैं कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित करूँगा उन्हें सरकार के विधि अधिकारियों द्वारा अनुमोदित कर दिया जायेगा । लेकिन अन्त में जो भी विचार सरकार अपनायेगी उसे मैं सभा के समक्ष

[श्री पी० चिदम्बरम]

पेश करूंगा । जिस तरह से मैंने इसे देखा है आप मुझे उसी रूप में इसकी व्याख्या करने की अनुमति देगें। आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 नामक एक अधिनियम है। उस अधिनियम की धारा 2 में मुख्य नियंत्रक तथा उप मुख्य नियंत्रक को परिभाषित किया गया है परन्तु ये परिभाषायें उक्त अधिनियम की कतिपय धाराओं के प्रयोजनार्थ दी गई हैं। आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की जो सबसे महत्वपूर्ण धारा है वह धारा 3 है। धारा 3 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को शक्ति प्रदान की गई है कि वह राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके सभी मामलों अथवा इन मामलों के किसी विनिर्दिष्ट वर्गों में और कतिपय अपवादों के अधीन रहते हुये, किसी निर्धारित विशिष्टी के माल के आयात/निर्यात पर प्रतिषेधात्मक अथवा निर्बंधनकारी आदेश जारी कर सकती है ।

6.00 म० प०

धारा 3 के अन्तर्गत आयात (नियंत्रण) आदेश और निर्यात (नियंत्रण) आदेश दिये गये हैं। वर्तमान में समय समय पर संशोधित 1955 का आयात (नियंत्रण) आदेश तथा 1977 के निर्यात (नियंत्रण) आदेश को निरस्त कर लाया गया निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1988 लागू है। ये दोनों नियंत्रण आदेश एक अधीनस्थ विधान किस्म के आदेश है। इस तथ्य का कोई विरोध नहीं है कि ये दोनों अधीनस्थ विधान किस्म के आदेश हैं। लेकिन इनके द्वारा अनेक अधिकारियों को शक्ति प्रदान की गई है । उदाहरण के लिए यदि आप देखें तो आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 तथा संशोधित, धारा 3 जो कि एक महत्वपूर्ण धारा है, में कहा गया है :

"लाइसेंस अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा या अनुसूचि 2 में वर्णित अधिकारियों द्वारा 'कस्टम क्लीयरेंस परमिट' के सिवाए कोई भी व्यक्ति अनुसूची 1 में निर्धारित विशिष्टी के किसी माल का आयात इस आदेश के अन्तर्गत नहीं कर पायेगा।"

इसलिए अनुसूचि 1 में माल को और अनुसूचि 2 में अधिकारियों को उल्लिखित किया गया है। यदि आप नियंत्रण आदेश का अनुसूचि 2 देखें तो आप अधिकारियों की एक सूचि देखेगें जिसमें मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक से ले कर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी शामिल है और इसमें एक सहायक मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक भी सम्मलित है ।

मेरे विचार में अधीनस्थ विधान के उपबन्धों अर्थात आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 और मूल अधिनियम की धारा 3 में कोई विरोध नहीं है ।

इसी प्रकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1988 को देखिए जो निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 के स्थान पर लाया गया है । उदाहरण के लिए, माननीय सदस्य ने अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के पृष्ट 71 का हवाला दिया है परन्तु वह निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 से संबंधित है । शायद निर्यात नियंत्रण आदेश, 1977 में कतिपय त्रुटियां भी और विद्वान विधि अधिकारी, जिनकी राय हमने मांगी थी ने इन त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया था कि यह आदेश मूल अधिनियम की धारा के क्षेत्राधिकार का हनन करता हैं। लेकिन अब निर्यात नियंत्रण

आदेश, 1988 में उन त्रुटियों को दूर कर दिया गया है और वह मूल अधिनियम की उक्त धारा के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाता है । पुनः निर्यात (नियंत्रण) आदेश के खण्ड 3 में कहा गया है :

"केन्द्रीय सरकार द्वारा या अनुसूची 2 में वर्णित किसी अधिकारी द्वारा दिये गये लाइसेंस के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अनुसूची 1 में निर्धारित विशिष्टी के किसी माल का निर्यात इस आदेश के अन्तर्गत नहीं कर सकता है ।"

इसलिए अनुसूची 1 में मालों को और अनुसूची 2 में अधिकारियों को दर्शाया गया है । यदि आप सूची को देखेंगे तो पायेंगे कि यह मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक से शुरू होता है और इसमें अनेक अधिकारी सम्मलित है जो 15 श्रेणियों में बांटे हुए हैं ।

महोदय, मेरे विचार में मूल अधिनियम के किसी भी उपबंध के साथ आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 यथा संशोधित और निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1988 के बीच कोई विवाद नहीं है । यदि माननीय सदस्य इस बात को लिखित रूप में दर्ज करवाना चाहते हैं तो मैं इसे लिखित रूप में दर्ज करने को तैयार हूँ और विधि अधिकारियों से पुष्टि करवाकर माननीय सदस्य के पास भिजवा दूंगा ।

दूसरा जो मुद्दा उठाया गया है वह यह है कि उन्हें मामले में अपील सुनने अथवा न्याय-निर्णय करने का अधिकार कहां से प्राप्त हुआ । मेरे विचार के मामले में न्याय निर्यात करने और अपील सुनने की शक्ति आयात निर्यात नियंत्रण आदेश की धारा 4(ट) से प्राप्त होती है जो मुख्य नियंत्रक में निहित हैं जो अपनी शक्तियों को सामान्य/विशेष आदेश द्वारा सहायक मुख्य नियंत्रक को प्रायोजित कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे अन्य अधिकारी को प्रायोजित कर सकते हैं जो उप मुख्य नियंत्रक से नीचे के ओहदे का न हो ।

अपील सुनने का अधिकार धारा 4 (ड़) से प्राप्त होता है जो केन्द्रीय सरकार और मुख्य नियंत्रक को अपील सम्बन्धी अधिकार प्रदान करता है । चूंकि धारा 4(ट) और 4(ड़) संसद द्वारा बनाए गए मूल अधिनियम में है इसलिए अधीनस्थ विधान और मूल विधान में विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य ने जो अन्तिम प्रश्न उठाया है वह वस्त्र निर्यात परिवर्धन परिषद द्वारा शुल्कों के उदग्रहण के बारे में है। यह मामला एक बिल्कुल अलग मामला है। वास्तव में यह इन आदेशों के उपबन्धों मे नहीं उठा है ।

मैं जानता हूँ कि वस्त्र निर्यात परिवर्धन परिषद शुल्क तथा कतिपय प्रभारों का उद्ग्रहण कर रही है । यदि अधीनस्थ विधान संबंधी समिति द्वारा किसी प्रकार की विसंगति की ओर ध्यान दिलाया गया है तो मुझे विश्वास है कि वस्त्र मंत्रालय में मेरे सहयोगी इस पर ध्यान देगें क्योंकि यह मामला उक्त मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है । लेकिन मैं निश्चित रूप से आपके विचारों को अपने सहयोगी तक पहूँचा दूंगा और यदि उन्होंने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर ध्यान नहीं दिया है तो मैं उनसे ऐसा करने का अनुरोध करूँगा ।

[श्री पी० चिदम्बरम]

जहां तक वाणिज्य मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले मामलों का सम्बन्ध है महोदय मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि मूल अधिनियम और किसी आदेश में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, अधीनस्थ विधान के सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं दिया गया है, न्याय निर्णय करने अथवा अपीलों की सुनवायी में कोई त्रुटि नहीं है । लेकिन मैं स्वयं विधि अधिकारी नहीं हूँ निश्चित रूप से मैं इस प्रश्न को विधि अधिकारी को भेजूंगा और उनकी पुष्टि ली जायेगी। यदि मेरी स्थिति गलत है तो मैं इसमें सुधार करूँगा और यदि मैं सही हूँ तो इसकी पुष्टि करूँगा और मैं माननीय सदस्यों को इस उत्तर से अवगत करा दूंगा ।

यदि मुझे कोई आश्वासन पूरा करना है तो मैं बहुत ही कम समय में इस आश्वासन को पूरा करूँगा । जब से मैंने 12 जुलाई को उत्तर दिया था मैंने इस पर विचार किया है और निश्चित रूप से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है ।

**डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या किसी आदेश के पारित हो जाने के पश्चात इसके द्वारा किसी परिभाषा में परिवर्तन लाया जा सकता है ।

**श्री पी० चिदम्बरम** : मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक इसके बारे में कहूँगा । मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य महोदय एक बार पुनः निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 का उल्लेख कर रहे हैं जो विधि अधिकारी स्वर्गीय श्री कक्लर के अनुसार अधिनियम की परिभाषा से बाहर था। लेकिन निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 को समाप्त कर दिया गया है और निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1988 ने इसका स्थान ले लिया है । निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1988 में मैंने ऐसी कोई परिभाषा नहीं देखी हैं जो मूल अधिनियम की परिभाषा से बाहर जाती हो और न ही आपने आज मेरा ध्यान ऐसी किसी परिभाषा की ओर दिलाया जो मूल अधिनियम की परिभाषा से बाहर जाती है । यदि इसमें मूल अधिनियम की परिभाषा के बाहर कोई परिभाषा हो तो इस बारे में मुझे लिखित रूप से सूचना दी जाये । मैं इस की जांच करवाऊँगा ।

**सभापति महोदय** : अब सभा 29 जुलाई, 1991 के ग्यारह बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है ।

6.07 म० प०

**तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 29 जुलाई 1991/7 श्रावण, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।**



प्रभासमुको—एस० 8—17 एल०एस०एस०/एनडी/91—27-2-92—225

पी०एल० एस०—48/2/13/91 (एस०)



© 1991 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, कोयम्बत्तूर-641 019 द्वारा मुद्रित।